वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

एसटीसी
STC

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का एक उद्यम

वार्षिक रिपोर्ट

2023–24

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय
(सीआईएनः L74899DL1956GOI002674)
जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001
टेलीफ़ोनः #011–23313177, फ़ैक्स #011–23701123, 23701191
ई–मेलः co@stclimited.co.in वेबसाइटः www.stclimited.co.in

निदेशक मंडल

सीएमडी और कार्यात्मक निदेशक

श्री हरदीप सिंह, एडीजीएफटी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 28.04.2023 से प्रभावी
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) –अतिरिक्त प्रभार

अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित)

श्रीमती आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डीओसी
श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, डीओसी (दिनांक 22.04.2024 तक)
श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, डीओसी (दिनांक 01.05.2024 से 30.08.2024 तक)

अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

श्री सतीष कुमार चावला
श्री दिवाकर शेट्टी कौप
डॉ. रोहिणी संजय कचोले
डॉ. भीम सिंह (दिनांक 12.02.2024 तक)
श्री मनजीत कुमार राजदान
डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे
श्री अषोक कुमार असेरी
श्री नरेष धनराजभाई केल्ला

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री बी.एस.राव, मुख्य प्रबंधक–वित्त

कंपनी सचिव

श्री विपिन त्रिपाठी

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस शेयर्स ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड एफ–65,
प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली 110020
फोनः 011–41406150 ई–मेलः admin@mcsregistrars.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स पीवीएआर एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
डब्ल्यूजेड –248, प्लॉट नं–7,
नई दिल्ली–12

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
बैंक ऑफ इंडियां
इंडियन ओवरसीज बैंक
यूको बैंक
एचडीएफसी बैंक
एक्जिम बैंक
आईडीबीआई बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडसइंड बैंक

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स परवीन रस्तोगी एंड कंपनी,
कंपनी सचिव,
फ्लैट नं.3, सूद बिल्डिंग,
तेल मिल मार्ग,राम नगर,
पहाड़गंज, नई दिल्ली

विषय सूची

01.	शीर्ष प्रबंधन	4
02.	निदेशक मंडल	5-6
03.	एसटीसी की 68वीं वार्षिक आम बैठक	7-8
04.	निम्नलिखित अनुबंधों के साथ बोर्ड की रिपोर्ट 2023–24:	9-14
	I. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	15-17
	II. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	18-21
	III. कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट	22-39
	IV. कॉर्पोरेट शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र	40
	V. सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	41-44
05.	मुख्य अंश: एक नज़र में दस साल	45
06.	पृथक (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणाम	46
	• स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	47-76
	• वर्ष 2023–24 के लेखे	77-126
	• सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर	127-138
	• नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	139-140
07.	सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण	141
08.	समेकित वित्तीय परिणाम	142
	• स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	143-157
	• वर्ष 2023–24 के लेखे	158-226
	• सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर	227-237
	• नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	238-239
09.	लाभांश वितरण नीति	240-241

शीर्ष प्रबंधन

हरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
28.04.2023 से

कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक (वित्त)
अतिरिक्त प्रभार

अनुराग प्रसाद
मुख्य सतर्कता अधिकारी

निदेशक मंडल

हरदीप सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(28.04.2023 से)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

आरती भटनागर
एएस एवं एफए, डीओसी
(13.03.2023 से)

विपुल बंसल
जे.एस, डी.ओ.सी
(22.04.2024 तक)

सिद्धार्थ महाजन
जे.एस, डी.ओ.सी
(01.05.2024 से 30.08.2024 तक)

कार्यात्मक निदेशक

कपिल कुमार गुप्ता
निदेशक (वित्त) एमएमटीसी के साथ एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार

स्वतंत्र निदेशक

सतीश कुमार चावला

दिवाकर शेट्टी कौप

डॉ.रोहिणी संजय कचोले

डॉ.भीम सिंह
(12.02.2024 तक)

मंजीत कुमार राज़दान

डॉ विवेक अतुल भुस्कुटे

अशोक कुमार असेरी

नरेश धनराजभाई केला

मुख्य सतर्कता अधिकारी

अनुराग प्रसाद

प्रभाग प्रमुख

एस.के.मीणा
सयुंक्त महाप्रबंधक
(कार्मिक व प्रशासन)

अखिल माथुर
उप महाप्रबंधक
(विपणन)

जे.के. पटेल
उप महाप्रबंधक
(विपणन)

आर.के. अवस्थी
उप महाप्रबंधक
(इलेक्ट्रिकल व अनुरक्षण)

सोनल तनेजा
उप महाप्रबंधक
(एमएसडी व बी.एस एंड पी)

डॉ. जगदीश प्रसाद
मुख्य प्रबंधक
(राजभाषा, सामान्य प्रशासन, परिसंपत्ति उपयोग, जनसंपर्क व विज्ञापन तथा विधि)

राजेंद्र रावत
मुख्य प्रबंधक
(भवन प्रोजेक्ट व अनुरक्षण)

मुख्य वित्त अधिकारी

बी.एस. राव
मुख्य प्रबंधक
(वित्त)

कंपनी सचिव

विपिन त्रिपाठी

अध्यक्ष का भाषण

एसटीसी की 68वीं वार्षिक आम बैठक

प्रिय शेयरधारको,

नमस्कार!

मैं वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक में बोर्ड के सदस्यों की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी की यह वार्षिक आम बैठक आभासी(वर्चुअल) मोड के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

बोर्ड की रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित खातों के साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और सी एंड एजी की टिप्पणियों सहित प्रबंधन के जवाब के साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है और आपकी अनुमति से मैं उन्हें 'पठित' मानता हूँ।

इससे पहले कि मैं आज की बैठक की औपचारिक कार्यसूची पर आगे बढ़ूँ; मैं वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी की वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन को संक्षेप में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ।

एसटीसी का प्रदर्शन

वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश और निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसरण में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की। हालाँकि, कंपनी ने सरकार के निर्देशानुसार प्रतिव्यापार दायित्व की निगरानी जारी रखी। इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के खाते गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर प्रकाशित किए गए।

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए 32.89 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ (कर के बाद) के मुकाबले वर्ष 2023–24 के दौरान 52.21 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ (कर के बाद) दर्ज किया।

वर्तमान में आपकी कंपनी की आय का मुख्य स्रोत किराये से होने वाली आय है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 86.69 करोड़ रुपये

की कुल किराये से आय अर्जित की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 83.07 करोड़ रुपये थी।

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी की ऋणात्मक निवल संपत्ति 955 करोड़ रुपये (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) थी और दिनांक 31.03.2024 तक एसटीसी का संचित घाटा 1082.68 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, कंपनी के खाते एनपीए के रूप में वर्गीकृत रहे। इसलिए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023–24 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे तथा किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं हुई।

बैंकों के साथ ओटीएस की स्थिति तथा आगे की राह

आपकी कंपनी ने अपने शेष बकाया के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी है, हालांकि, इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। मूल ओटीएस प्रस्ताव के भाग के रूप में बैंकों को संपत्ति हस्तांतरित करने में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, ऋणदाता बैंकों को एक वैकल्पिक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंकों के पास विचाराधीन है। इसके अलावा ऋणदाता बैंकों के संघ द्वारा दायर मामला अभी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में चल रहा है। डीआरटी कार्यवाही में ओटीएस की स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। ओटीएस और डीआरटी की अद्यतन स्थिति को नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है और सूचना तथा आगे के निर्देश के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। मामले में देयता की राशि अंतिम निपटान/न्यायालय आदेश के अधीन है।

आपकी कंपनी को वर्ष 2023–24 के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है। वर्ष 2024–25 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से इस तरह की छूट सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वाणिज्य विभाग के माध्यम से दी गई है। कंपनी विभिन्न सहयोगियों से बकाया राशि की वसूली पर अधिक जोर दे रही है तथा वसूली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभिन्न कानूनी मंचों पर लंबित कानूनी मामलों को संबंधित अधिवक्ताओं/परामर्शदाताओं के माध्यम से सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है।

कॉर्पोरेट शासन

आपकी कंपनी भारत सरकार के कॉर्पोरेट शासन दिशा–निर्देशों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट अलग से प्रकाशित की गई है।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन

सुश्री ऐश्वर्या सिंह, आईएएस (एसके:2008), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एसटीसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में औपचारिक नियुक्ति होने तक, मैं सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कंपनी के बोर्ड में शामिल होने पर उनका स्वागत करता हूँ।

मैं निवर्तमान स्वतंत्र निदेशक डॉ. भीम सिंह द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी हार्दिक सराहना करना चाहूँगा।

मैं एसटीसी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित दोनों निदेशकों के रूप में नियुक्त, श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग और श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग का भी एसटीसी के बोर्ड में सदस्य के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो कि अब कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं हैं।

आभार

मैं इस अवसर पर कंपनी के मामलों के प्रबंधन में उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और सलाह के लिए निदेशक मंडल में अपने सहयोगियों के प्रति हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, बैंकों, विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों, शेयरधारकों, सीएजी, वैधानिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, कानूनी सलाहकारों और परामर्शदाताओं से समय–समय पर पूरी तरह से मिले सहयोग के लिए भी आभारी हूँ और भविष्य में भी उनके निरंतर सहयोग की आशा करता हूँ।

मैं, पूरे निदेशक मंडल की ओर से, कंपनी के सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बोर्ड की सराहना व्यक्त करना चाहता हूँ।

आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। इसी के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूँ।

अपना समय और ध्यान देने के लिए
आपका धन्यवाद।

(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
(अतिरिक्त प्रभार)

दिनांक: 27.09.2024

बोर्ड की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की 68वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके लेखा–परीक्षित लेखा विवरण को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखों पर टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करता है।

वित्तीय परिणाम

कंपनी का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023–24 के दौरान नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित है

₹ करोड़ में

	2023-24	2022-23
कारोबार	-	-
वित्तीय स्थिति		
आय	95.81	85.04
खर्च	43.36	47.93
लाभ		
कर पूर्व लाभ	**52.45**	**37.11**
कर के बाद लाभ	**52.21**	**32.89**
निवल मूल्य	**(955)**	**(1029)**

परिचालन और व्यावसायिक प्रदर्शन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश तथा निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुपालन में, एसटीसी ने 2023–24 के दौरान भी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की। हालांकि, कंपनी ने वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार काउंटर ट्रेड दायित्व की निगरानी जारी रखी। कंपनी के खाते 'नॉन–गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किए गए थे।

वर्तमान में एसटीसी की आय का एकमात्र स्रोत किराये की आय है और जवाहर व्यापार भवन में उपलब्ध अतिरिक्त कार्यालय स्थान को विभिन्न सरकारी विभागों/पीएसयू/पीएसयू बैंकों इत्यादि को किराए पर दिया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान एसटीसी की शुद्ध किराया आय ₹ 73 करोड़ (लगभग) की तुलना में वर्ष 2023–24 में मामूली रूप से बढ़कर ₹ 77 करोड़(लगभग) हो गई।

एसटीसी की नकदी देनदारियां बैंक के साथ एकमुश्त निपटान, सहयोगियों की शेष राशि जारी करने, कानूनी मामलों के परिणाम इत्यादि के आधार पर उसके उपलब्ध नकद भंडार से अधिक हो सकती हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹32.89 करोड़ के शुद्ध लाभ के मुकाबले ₹52.21 करोड़ का शुद्ध लाभ (कर के बाद) दर्ज किया। यह मुख्य रूप से कंपनी की जनशक्ति में समग्र कमी के मद्देनजर बढ़ी हुई किराये की आय और स्थापना लागत में कमी के कारण था। हालाँकि, मंत्रालय के निदेश के अनुसरण में नवंबर 2020 से एसटीसी द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने के कारण वर्ष 2023–24 के दौरान कोई व्यापारिक आय नहीं हुई।

वर्ष के दौरान, एसटीसी अपने एक सहयोगी के विरुद्ध दायर कानूनी मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के माध्यम से ₹19.20 करोड़ की धनराशि वसूलने में सफल रही है।

बैंकों के साथ बकाया धनराशि का निपटान

कंपनी ने बैंकों के साथ एसटीसी के बकाये के एकमुश्त निपटान के संबंध में दिनांक 29.08.2019 को माननीय सीआईएम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप अपने शेष बकाये के निपटान के लिए एकमुश्त निपटान(ओटीएस) को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी। ऋणदाता बैंकों को पहले ही ₹1100 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है और उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ओटीएस के तहत पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में एसटीसी की ₹300 करोड़ (लगभग) मूल्य की पहचान की गई अचल संपत्तियों को बैंकों को जैसा है जहाँ है के आधार पर हस्तांतरित किया जाना है। हालांकि, उक्त संपत्तियों को हस्तांतरित करने में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रही है और ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। ऋणदाता बैंकों के संघ द्वारा दायर मामला अभी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में चल रहा है। डीआरटी कार्यवाही में ओटीएस की स्थिति से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। ओटीएस और डीआरटी के अद्यतनीकरण की सूचना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दे दी गई है। देयता की धनराशि अंतिम निपटान/न्यायालय के आदेश के अधीन है।

लाभांश

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी की कुल संपत्ति लगभग ₹955 करोड़ (पुनर्मूल्यांकन भंडार को छोड़कर) ऋणात्मक थी। इसके अलावा, दिनांक 31.03.2024 तक एसटीसी का संचित घाटा ₹1082.68 करोड़ था, इसलिए कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2023–24 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित निधि (अन्य इक्विटी)

दिनांक 01.04.2023 तक कंपनी की अन्य इक्विटी में (–) ₹204.06 करोड़ (₹884.60 करोड़ के पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व सहित) की धनराशि उपलब्ध थी। ₹73.36 करोड़ (पीएटी : ₹52.21 करोड़ और अन्य व्यापक आय ₹21.15 करोड़) की धनराशि को प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 तक, अन्य इक्विटी (–) ₹133.88 करोड़ थी।

मानव संसाधन

जनशक्ति

दिनांक 31.03.2024 तक एसटीसी में 126 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें 71 प्रबंधक और 55 कर्मचारी(अनुबंधित कर्मचारी को छोड़कर) शामिल हैं।

भर्ती

वर्ष के दौरान, कंपनी ने निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर एक कंपनी सचिव की भर्ती की।

औद्योगिक संबंध

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखे। कोई भी कार्य दिवस बर्बाद नहीं हुआ। कार्मिक नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं में उचित सुधार/संशोधन किया गया ताकि उन्हें निगम के समग्र हित के अनुरूप बनाया जा सके।

एस.सी/एस.टी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी की भर्ती

कंपनी एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों की भर्ती के संबंध में समय–समय पर एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी श्रेणी हेतु जारी भारत सरकार के निर्देशों और दिशा–निर्देशों को लागू कर रही है।

मानव संसाधन विकास

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कर्मचारियों को नामित करने की पहल की। कुल मिलाकर, छह कर्मचारियों को प्रशिक्षक से प्रशिक्षु कार्यक्रम (टीओटी) के तहत विभिन्न डोमेन में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित किया गया था, जिसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान नौ मानव दिवस समर्पित किए गए थे।

राजभाषा

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, राजभाषा नीति के अनुसरण में, कंपनी अपने दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा अर्थात् हिंदी के अधिकतम प्रयोग की दिशा में प्रयासरत है। दैनिक सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के अधिकतम प्रयोग के लिए, समय–समय पर हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। परिणामस्वरूप, कॉर्पोरेशन में हिंदी के प्रयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कॉपोरेशन में दिनांक 14.09.2023 से दिनांक 28.09.2023 तक 'राजभाषा पखवाड़ा' का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए। समापन समारोह के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) ने हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए तथा उनका उत्साहवर्धन किया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम–1), दिल्ली ने राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एसटीसी को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया।

सतर्कता गतिविधियाँ

वर्ष 2023–24 के दौरान, सीवीसी के अनुदेशों के अनुसार जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही को समय पर पूरा करने के लिए उपाय किए गए। इसके अलावा, सीवीसी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, संगठन में किए जा रहे सेवा मामलों के संबंध में सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए थे।

30 अक्टूबर, 2023 से 05 नवंबर, 2023 तक कंपनी में "भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें थीम पर कॉर्पोरेट कार्यालय और प्रतिनिधि कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 (वीएडब्ल्यु) मनाया गया। इस अवसर पर 30 अक्टूबर, 2023 को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। वीएडब्ल्यु 2023 के दौरान निबंध लेखन प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न आंतरिक गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की प्रस्तावना के रूप में विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों पर तीन (3) महीने का अभियान (16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023) चलाया गया, जिसके लिए गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया।

वर्ष 2023–34 के दौरान, अधिवर्षिता, विदेश यात्रा, कॉर्पोरेशन के बाहर नौकरी के लिए आवेदन करने, 56(जे) के तहत आवधिक समीक्षा जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए 136 कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी जारी की गई है। वर्ष के दौरान कुल 17 एपीआर की जांच की गई है और चल/अचल संपत्ति(संपत्तियों) की बिक्री/खरीद से संबंधित 23 फाइलों की भी जांच की गई है।

वर्ष 2023–24 के दौरान नौ (09) शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका निपटारा किया गया। इसके अलावा, प्रमुख दंड के लिए 01 अनुशासनात्मक कार्यवाही मामला शुरू किया गया है और मौखिक जांच जारी है। दिनांक 31.03.2024 तक 05 अनुशासनात्मक कार्यवाही मामलों पर कार्रवाई जारी है।

सहायक कंपनी का प्रदर्शन

एसटीसीएल लिमिटेड (पूर्व में स्पाइसेस ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड)

एसटीसीएल को हुए असाधारण घाटे के कारण इसकी निवल संपत्ति(नेटवर्थ) में कमी आने और इसके पुनरुद्धार की संभावना न के बराबर होने के कारण केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2013 में एसटीसीएल को बंद करने का निर्णय लिया था। तदनुसार, एसटीसीएल द्वारा माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समापन याचिका दायर की गई थी और बैंकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण यह अभी भी लंबित है।

एसटीसीएल का निवल मूल्य ऋणात्मक है तथा एसटीसीएल द्वारा कोई व्यावसायिक परिचालन नहीं किया जा रहा है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 34(2)(ई) और अनुसूची V की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट अनुलग्नक–I में दी गई है।

वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.stclimited.co.in** पर उपलब्ध है ।

लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। इस संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं। वर्ष के दौरान, एक लैंगिक उत्पीड़न शिकायत पर समिति की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के अनुरूप, कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली और देश भर के प्रतिनिधि कार्यालयों में अपने प्रभागों के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं। जनता की सुविधा के लिए, एक समन्वयकारी सीपीआईओ भी नामित किया गया है। सीपीआईओ के आदेशों के खिलाफ सूचना चाहने वालों की अपीलों पर विचार करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकरण भी नामित किए गए हैं।

जमा(डिपॉजिट)

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई पब्लिक जमा स्वीकार नहीं किया। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V की आवश्यकताएं इस पर लागू नहीं होती हैं।

धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण, गारंटी प्रदान नहीं की अथवा कोई निवेश नहीं किया।

निर्धारित प्रपत्र में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध अथवा व्यवस्था नहीं की, क्योंकि एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध घाटे के कारण कंपनी को वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर बजट आबंटित करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा, प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, एसटीसी कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है। इस प्रकार, वर्ष 2023–24 के दौरान कोई सीएसआर गतिविधियाँ नहीं की गईं।

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एसटीसी की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–II में दी गई है ।

सार्वजनिक खरीद नीति

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने एमएसई से ₹2.29 करोड़ मूल्य की खरीदारी की, जो एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जा रही सेवाओं की एसटीसी द्वारा की गई ₹2.64 करोड़ की वार्षिक खरीद के कुल मूल्य का 87 प्रतिशत है, जबकि एमएसई से खरीद के लिए दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट 25 प्रतिशत लक्ष्य है। वर्ष 2022–23 के दौरान महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों से खरीद शून्य थी और ऐसा या तो निविदा प्रक्रिया में महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों की भागीदारी नहीं होने अथवा खरीद निविदा प्रक्रिया में किसी भी महिला और एससी/एसटी उद्यमी को सफल घोषित नहीं किए जाने के कारण हुआ। कंपनी जेम(ळमड) से खरीद सहित लागू खरीद दिशा–निर्देशों का पालन कर रही है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण इत्यादि

कंपनी (लेखा) नियम, 2015 के अनुसार प्रकट की जाने वाली जानकारी 'शून्य' है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों में लगी हुई है। हालाँकि, वर्ष 2023–24 के दौरान एसटीसी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की गईं।

वित्तीय लेखांकन

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं। इसके

अलावा, वित्तीय विवरण दिनांक 05.04.2021 को आयोजित अपनी 639वीं स्थगित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसरण में गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रबंधन ने ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग तथा परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है और वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जहाँ भी आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों में संशोधन को भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट **www.stclimited.co.in** पर उपलब्ध है।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकें आयोजित की गईं।

स्वतंत्र निदेशक द्वारा दी गई घोषणाएं

एसटीसी के बोर्ड के सभी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) ने पुष्टि की है कि वे 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक आदि पर नीति

एसटीसी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है, जो अन्य बातों के साथ–साथ उनकी नियुक्ति आदेशों/वेतन निर्धारण आदेशों के माध्यम से पारिश्रमिक का निर्धारण करता है।

गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित) किसी भी पारिश्रमिक अथवा सिटिंग फीस के हकदार नहीं हैं। अंशकालिक गैर–अधिकारी (स्वतंत्र निदेशक) को बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक के लिए सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 और संबंधित नियमों में निर्धारित सीमाओं के अनुसार समय–समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली अपेक्षित सकारात्मक विशेषताओं को उनकी नियुक्ति के समय उन्हें बता दिया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष, वे निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करते हैं ताकि पुष्टि हो सके कि वे स्वतंत्र निदेशक के रूप में योग्यता रखते हैं।

बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जून, 2015 को जारी अपनी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नियुक्ति, कार्य–निष्पादन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 149 की उपधारा (6), धारा 178 की उपधारा (2), (3) और (4) शामिल हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन के संबंध में धारा 134 (3) (ट) भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी, यदि निदेशकों का केंद्र सरकार के उन मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है।

एसटीसी के बोर्ड में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अध्यक्ष, कार्यात्मक निदेशक, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) तथा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा, सभी निदेशकों की नियुक्ति तथा कार्यकाल की शर्तें भी सरकार द्वारा तय की जाती हैं और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष तथा कार्यात्मक निदेशकों के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है।

जोखिम प्रबंधन नीति

किसी व्यापार प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय लेते समय जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में निष्पक्षता जोड़ने के लिए कंपनी में जोखिम प्रबंधन ढांचा(फ्रेमवर्क) लागू किया गया था। जोखिम प्रबंधन ढांचा किसी व्यवसाय प्रस्ताव में शामिल जोखिम को कुल जोखिम स्कोर के रूप में मापता है, जिसकी उपलब्ध जोखिम शमन उपायों के साथ तुलना की जाती है।

हालांकि, प्रशासनिक मंत्रालय/बोर्ड के निदेशों के अनुपालन में वर्ष 2023–24 के दौरान एसटीसी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की गईं। इसके अलावा, बोर्ड के निदेशों के अनुपालन में वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के खातों को गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर प्रकाशित किया गया था।

इसके अलावा, कंपनी में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने में सहायता करने तथा नियंत्रण लागू करने के लिए एसटीसी में धोखाधड़ी विरोधी नीति लागू की गई है। इस नीति का उद्देश्य नियंत्रणों के विकास की जिम्मेदारी सौंपकर तथा संदिग्ध धोखाधड़ी व्यवहार की रिपोर्टिंग और जांच के लिए दिशानिर्देश प्रदान करके सुसंगत कानूनी और नैतिक संगठनात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना है।

बचाव–व्यवस्था (हेजिंग)

वर्ष के दौरान, एसटीसी निधि से जुड़े लेन–देन के संबंध में आगे की विदेशी मुद्रा कवर लेने की आवश्यकता वाले दिशा–निर्देश लागू थे। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के दौरान अस्थिर वस्तुओं/बाजार की स्थिति में कोई जोखिम नहीं लिया क्योंकि एसटीसी कोई व्यापार नहीं कर रहा है और इसलिए कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया था।

कॉर्पोरेट शासन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा

जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशा–निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, अनुलग्नक III में दी गई है।

कंपनी ने ऊपर उल्लिखित विनियमों और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है। इस संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, अनुलग्नक IV में दिए गए हैं।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स परवीन रस्तोगी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा अपना सचिवीय लेखापरीक्षा करवाया है और उनकी रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के जवाब, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है, अनुलग्नक V में दिया गया है।

सर्वोत्तम प्रैक्टिसेस के अनुरूप, कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए रुचि की सभी जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर उपलब्ध करा दी है।

- व्हिसल ब्लोअर नीति
- वेब अभिलेखीय नीति
- दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति
- संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन की भौतिकता और संबंधित पक्ष के लेन–देन से निपटने की नीति
- अंदरूनी व्यापार के निषेध के संबंध में आचार संहिता और निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचरण संहिता
- घटनाओं और सूचनाओं की भौतिकता और उनके प्रकटीकरण के निर्धारण के लिए नीति.
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति।

उपरोक्त नीतियां एसटीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक दिनांक 27.03.2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई।

लागत रिकॉर्ड

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स पीवीएआर एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट, प्रबंधन के जवाबों के साथ, संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ संलग्न हैं और इस रिपोर्ट का एक हिस्सा हैं।

निदेशक का उत्तरदायित्व कथन

निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

(क) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू भारतीय लेखांकन मानकों (इंड–एएस) का पालन किया गया है;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार कर लिए हैं;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की उचित राय को छोड़कर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इन योग्यताओं के बारे में प्रबंधन के जवाब वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं;

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

निदेशक के उत्तरदायित्व कथन पर विचार–विमर्श करते हुए बोर्ड ने पाया कि वर्तमान में एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है तथा फिलहाल एक गैर–संचालन कंपनी के रूप में काम कर रही है। इसके अलावा, सीएमडी तथा निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों के पद रिक्त हैं। प्रशासनिक मंत्रालय से समय–समय पर रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया गया है तथा प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इन रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी बाकी है। वर्ष 2023–24 के लिए एसटीसी के खाते गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर प्रकाशित किए गए थे।

इसलिए उपर्युक्त सभी खंड एसटीसी पर लागू नहीं हो सकते हैं और इसलिए निदेशक के उत्तरदायित्व कथन को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के लिए एसटीसी के वार्षिक लेखों पर लेखापरीक्षकों/सीएजी की टिप्पणियां वार्षिक लेखों का हिस्सा हैं और इस रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

निदेशक मंडल

नियुक्ति

21 सितंबर, 2023 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने अपने आदेश संख्या 11/36/2001–एफटी (एम एंड ओ) दिनांक 22.04.2024 के माध्यम से श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस (आरजेः 2003), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को तत्काल प्रभाव से दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी है।

बोर्ड नवनियुक्त निदेशक का स्वागत करता है और आशा करता है कि कंपनी को उनके समृद्ध और विविध अनुभव से काफी लाभ मिलेगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती आरती भटनागर आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होंगी तथा पात्र होने के कारण उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक आयोजन–नोटिस में दिया गया है।

समाप्ति

1. स्वतंत्र निदेशक डॉ. भीम सिंह ने 12 फरवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत कारणों से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था।
2. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 11/36/2001–एफटी (एम एंड ओ) दिनांकित 22.04.2024 के अनुसार श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, एसटीसी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

बोर्ड, डॉ. भीम सिंह और श्री विपुल बंसल द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और योगदान की सराहना करता है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार अपने सीएमडी, सभी कार्यात्मक निदेशकों, कंपनी सचिव और सीएफओ को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के रूप में नामित किया है। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्तियों के बारे में विवरण इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया है। वर्ष के दौरान किसी भी कार्यात्मक निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने दिनांक 03.03.2021 को आयोजित अपनी बैठक में, संयुक्त महाप्रबंधक श्री एस.के. मीणा को कंपनी के केएमपी में से एक नियुक्त किया था।

निदेशक–समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, सीएसआर समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति जैसी निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। इन समितियों की संरचना और अन्य विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में उल्लिखित हैं जो बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा है और उससे जुड़ी हुई है।

आचार संहिता

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V की आवश्यकताओं और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

आभारोक्ति

बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों, शेयरधारकों, कानूनी सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं द्वारा समय–समय पर प्रदान किए गए निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

अंत में, बोर्ड सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना करता है।

कृते निदेशक मंडल

हस्ता/–
(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09778990

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 08.08.2024

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वैश्विक आर्थिक विहंगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से लचीली रही और 2024 में वैश्विक वृद्धि का अनुमान 3.2 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष 2023 के समान ही है, हालांकि इसकी यात्रा घटनापूर्ण रही, जिसकी शुरुआत महामारी के बाद आपूर्ति–शृंखला में व्यवधानों से हुई, यूक्रेन पर रूस द्वारा शुरू किया गया युद्ध जिसने वैश्विक ऊर्जा और खाद्य संकट को जन्म दिया, और मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके बाद वैश्विक रूप से समन्वित मौद्रिक नीति सख्त हुई। विदेशी निवेश, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य को संचालित करता है, इन अनिश्चितताओं, विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों और विकसित देशों द्वारा सक्रिय औद्योगिक नीतियों के अनुसरण के कारण हाल ही में धीमा हो गया है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास दर वर्ष 2023 में 1.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2022 में यह 2.6 प्रतिशत के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास दर वर्ष 2022 में 1.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2023 में 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और यूरो क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2023 में 3.4 प्रतिशत की तुलना में 0.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 के दौरान यूक्रेन में युद्ध के लिए अपेक्षाकृत उच्च जोखिम को दर्शाता है। अन्य उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, वर्ष के दौरान, यूनाइटेड किंगडम में विकास दर 0.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है और जापान में, इनबाउंड पर्यटन में उछाल के कारण उत्पादन 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, वृद्धि 4.3 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि उभरते और विकासशील एशिया में वर्ष 2023 में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। जबकि चीन में वर्ष 2023 में 5.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, भारत में वित्त वर्ष 2023–24 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। विश्व व्यापार मात्रा (वस्तुएँ और सेवाएँ) की वृद्धि 2022 में 5.2 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 0.3% रहने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन

वर्ष 2023–24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वर्ष 2022–2023 में 7.0% की तुलना में 8.2% बढ़ी, जबकि खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% तक गिरी, जो कोविड–19 महामारी के बाद सबसे निचला स्तर है, रूस–यूक्रेन युद्ध और घरेलू मौसम की स्थिति के कारण खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2022–23 में 6.6% से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 7.5% हो गई। आवास किराया मुद्रास्फीति जैसी सेवाओं के कारण वर्ष 2023–24 में कोर मुद्रास्फीति (जिसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं) कम हुई।

भारत का कृषि क्षेत्र वर्ष 2023–24 में 1.4% की दर से बढ़ा, जबकि वर्ष 2022–23 में यह 4.7% था। ऐसा देर से और खराब मानसून आने के कारण खाद्यान्न उत्पादन में कमी के कारण हुआ। पशुधन और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों ने पारंपरिक फसलों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2023–24 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.5% की वृद्धि हुई। वर्ष 2023–24 में औद्योगिक क्षेत्र का जीवीए (स्थिर मूल्यों पर) वर्ष 2019–20 में कोविड– पूर्व स्तर से 25% अधिक है। वर्ष 2023–24 में सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का 55% हिस्सा होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्त जैसी सेवाओं की मांग एक बड़ी और युवा आबादी द्वारा संचालित होती है।

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 2022–23 में जीडीपी के 6.4% से घटकर वर्ष 2023–24 में जीडीपी का 5.6% हो गया है। राजकोषीय घाटे में कमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि और बजट से अधिक गैर–कर राजस्व के कारण हुई है। इसे संयमित राजस्व व्यय के साथ जोड़ा गया था, जिसमें राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय द्वारा वहन किया गया था।

वर्ष 2023–24 में भारत का चालू खाता घाटा वर्ष 2022–23 में 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2%) से घटकर 23.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.7%) हो गया। चालू खाता बैलेंस में सुधार मर्चेंडाइज व्यापार घाटे में कमी, शुद्ध सेवा निर्यात में वृद्धि और प्रेषण में वृद्धि के कारण हुआ। सेवा निर्यात में वृद्धि सॉफ्टवेयर निर्यात, यात्रा और व्यावसायिक सेवाओं द्वारा संचालित थी।

वित्त वर्ष 2023–24 (अप्रैल–मार्च) में भारत के व्यापार घाटे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023–24 (अप्रैल–मार्च)' के लिए कुल व्यापार घाटा 78.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 (अप्रैल–मार्च) के दौरान 121.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा रहने का अनुमान है, जो (–) 35.77 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 में भारत का कुल निर्यात (माल और सेवाएँ संयुक्त) 776.68 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 0.04 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 में कुल आयात 854.80 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में (–) 4.81 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मर्चेंडाइज व्यापार घाटा 240.17 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 264.90 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो (–) 9.33 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

एसटीसी का प्रदर्शन और दृष्टिकोण

व्यावसायिक गतिविधि

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निदेश तथा निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुपालन में एसटीसी एक 'गैर–संचालन' कंपनी के रूप में कार्य कर रही। हालांकि, कंपनी ने वाणिज्य विभाग के निदेशों के अनुसार काउंटर ट्रेड दायित्व की निगरानी जारी रखी।

वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में नीचे संक्षेप में दिया गया है:

विवरण	2023–24	2022–23
कारोबार(टर्नओवर)	–	–
वित्तीय स्थिति		
आय		
व्यापारिक लाभ	–	–
किराये से आय	76.92	73.35
ब्याज और अन्य आय	18.89	11.69
कुल	**95.81**	**85.04**
खर्च		
कर्मचारी लाभ	32.34	34.75
प्रशासन एवं व्यापार	13.44	11.48
ब्याज	1.94	1.94
असाधारण मद(शुद्ध)	(4.36)	(0.24)
कुल	**43.36**	**47.93**
लाभ		**37.11**
कर पूर्व लाभ	**52.45**	**37.11**
कर के बाद लाभ	**52.21**	**32.89**
निवल मूल्य	**(955.31)**	**(1028.67)**

प्रमुख वित्तीय वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण :

प्रमुख वित्तीय वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र.सं.	विवरण	2023–24	2022–23	भिन्नता (:)	टिप्पणियाँ
1	देनदारों का टर्नओवर	–	–	–	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान टर्नओवर शून्य रहेगा।
2	इन्वेंट्री टर्नओवर	–	–	–	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान टर्नओवर शून्य रहेगा।
3	ब्याज करवरेज अनुपात	28.09	22.18	5.91	अन्य आय में वृद्धि और व्यय में कमी के कारण ईबीआईटीडीए में वृद्धि।
4	चालू अनुपात	0.62	0.60	0.02	चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों में परिवर्तन।
5	ऋण इक्विटी अनुपात	(33.36)	(17.23)	(16.13)	ऋण में शेयरधारक निधि के अलावा देनदारियॉ शामिल हैं।
6	परिचालन लाभ मार्जिन(:)	–	–	–	
7	शुद्ध लाभ मार्जिन	–	–	–	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान टर्नओवर शून्य रहेगा।
8	नेट वर्थ पर रिटर्न	लागू नहीं			

लाभप्रदता

वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2022–23 के दौरान रिपोर्ट किए गए ₹ 32.89 करोड़ के शुद्ध लाभ (कर के बाद) की तुलना में ₹ 52.21 करोड़ का शुद्ध लाभ (कर के बाद) दर्ज किया। यह मुख्य रूप से किराये की आय में वृद्धि(₹ 73 करोड़ से ₹77 करोड़ तक), टी–बिल पर अर्जित ब्याज (9 करोड़ से 16 करोड़ तक) और कॉर्पोरेशन की जनशक्ति में समग्र कमी के मद्देनजर स्थापना लागत (₹ 35 करोड़ से ₹ 32 करोड़ तक) में कमी के कारण हुआ। हालाँकि, व्यावसायिक गतिविधियों के रुकने के कारण कोई व्यापारिक आय नहीं हुई।

आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं

सीएजी द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है तथा जेम(जीईएम) पोर्टल के माध्यम से नियमित और विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा करने वाली पेशेवर एजेंसियों की नियुक्ति की जाती है। लेखापरीक्षा एजेंसियों द्वारा की गई टिप्पणियों/सिफारिशों को पूर्व में जारी निदेशों के अनुपालन पर रिपोर्ट के साथ निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है। तिमाही वित्तीय विवरणों के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों और सरकारी लेखापरीक्षा दल की रिपोर्टों की समीक्षा निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है, उसके बाद उन्हें निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

कंपनी के पास एक पूर्ण सतर्कता प्रभाग है जो यह देखता है कि सरकार के दिशा–निर्देशों और कंपनी के नियमों/प्रक्रियाओं का सभी मामलों में सख्ती से पालन/कार्यान्वित किया जा रहा है। सतर्कता प्रभाग कंपनी के प्रभागों और शाखा कार्यालयों का निरीक्षण भी करता है और सुधारात्मक/निवारक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देता है।

आगे की राह

एसटीसी को वर्ष 2023–24 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई। कंपनी 'नॉन–गोइंग कंसर्न' के आधार पर काम कर रही है और प्रशासनिक मंत्रालय/बोर्ड के निर्देश के अनुसरण में एसटीसी द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं। साथ ही, कंपनी कठिन वित्तीय दौर से गुज़र रही है और एसटीसी के खाते को ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी है। चूंकि कंपनी की व्यावसायिक गतिविधि और वित्तीय स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए डीओसी के माध्यम से डीपीई से वर्ष 2024–25 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट भी प्राप्त की गई है।

कंपनी लागत में कमी के संभावित क्षेत्रों की निरंतर समीक्षा करती रहती है तथा अनावश्यक व्ययों में कमी लाने के लिए उचित कदम उठाती है और एसटीसी के पास उपलब्ध अतिरिक्त कार्यालय स्थान को किराये पर देकर किराये से आय उत्पन्न करने के अवसर तलाशती है।

कंपनी ने बैंकों के साथ एसटीसी के बकाए के एकमुश्त निपटान के संबंध में दिनांक 29.08.2019 को माननीय सीआईएम की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप अपने शेष बकाए के निपटान के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) को अंतिम रूप देने में तेजी लाने के लिए ऋणदाता बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखी। ऋणदाता बैंकों को पहले ही 1100 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है और निर्णय के अनुसार एसटीसी द्वारा चिह्नित 300 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियां को ओटीएस के तहत पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में जहां है वहीं के आधार पर बैंकों को हस्तांतरित की जानी हैं। हालांकि, एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक रास्ता अपना रही है और एसटीसी द्वारा ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। ऋणदाता बैंकों के संघ द्वारा दायर मामला अभी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में चल रहा है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन कर दिया गया है और एनओडीएच 19.08.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के अद्यतनीकरण की सूचना एमओसी एंड आई को दे दी गई है। देयता की धनराशि अंतिम निपटान/न्यायालय के आदेश के अधीन है।

चेतावनी कथन

कंपनी पिछले तीन वर्षों से कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है, कठिन वित्तीय दौर से गुजर रही है और एक 'नॉन–गोइंग कंसर्न' के रूप में कार्य कर रही है। त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, वीआरएस इत्यादि के कारण कंपनी की जनशक्ति भी कम हो रही है और एसटीसी में कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इसके अलावा, निदेशक–वित्त (एसी) और सीएमडी (एसी) को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों के सभी पद रिक्त हैं। इसलिए, कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं अथवा प्रत्याशाओं का वर्णन करने वाले इस वार्षिक रिपोर्ट में निहित कुछ कथन लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में दूरदर्शी कथन हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम अपेक्षाओं से काफी भिन्न हो सकते हैं।

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक–II

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, 2023–24

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी ने एसटीसी की सीएसआर और स्थिरता नीति, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली तैयार की है और यह वर्ष 2014 से लागू है। यह नीति एसटीसी की व्यावसायिक गतिविधियों वाले व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों/समुदायों के समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास में योगदान देने के लिए व्यापक दिशा–निर्देशों का एक सेट है।

एसटीसी का प्रयास समाज के कमजोर/हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सीएसआर पहल करना है। कमजोर वर्गों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और बच्चे, बीपीएल परिवार, वृद्ध और दिव्यांग व्यक्ति इत्यादि शामिल होंगे। निधियों की उपलब्धता के अधीन, सीएसआर परियोजना(ओं) को गतिविधियों के वार्षिक लक्ष्य, निर्धारित निधि और निष्पादन के लिए आवधिकता को परिभाषित करके अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक परियोजनाओं में डिज़ाइन किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का विहंगावलोकन

वर्ष 2021–22 से, एसटीसी को किसी भी नई व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई है और वर्तमान में यह एक गैर–संचालन कंपनी के रूप में जारी है।

इसके अलावा, कॉर्पोरेशन ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों {(–)48.60 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2021–22), 37.11 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23) और 52.46 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023–24)} के दौरान 13.65 करोड़ रुपये का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया है। सीएसआर प्रावधानों के संदर्भ में धनराशि का उचित आवंटन किया जाएगा।

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान भाग ली गयी सीएसआर समिति की बैठकों की सं.
1.	डॉ. रोहिणी संजय कचोले	अध्यक्ष (11.03.2024 को पुनर्गठित)	0	0
2.	श्री मनजीत कुमार राजदान	सदस्य (11.03.2024 को पुनर्गठित)	0	0
3.	श्री अशोक कुमार असेरी	सदस्य (11.03.2024 को पुनर्गठित)	0	0
4.	श्री सतीश कुमार चावला	अध्यक्ष	1	1
5.	डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे	सदस्य	1	1
6.	श्री मनजीत कुमार राजदान	सदस्य	1	1
7.	डॉ. भीम सिंह	सदस्य	1	1

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो।

सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट **www.stclimited.co.in** पर अपलोड की गई है ।

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

चूंकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध घाटे के कारण कोई सीएसआर बजट आबंटित नहीं किया गया था, इसलिए वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी सीएसआर परियोजना शुरू नहीं की गई है, इस प्रकार, सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना लागू नहीं है।

5. कंपनी (सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध धनराशि का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए अपेक्षित धनराशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से कटौती के लिए उपलब्ध धनराशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ की जाने वाली धनराशि, यदि कोई हो (रु. में)
1.	2023–24	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

वर्ष	लाभ (करोड़ रुपए में)
2020–21	(51.22)
2021–22	(48.59)
2022–23	37.11
पिछले 3 वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	(20.90)

7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत

20.90 करोड़ रुपये के औसत शुद्ध घाटे को देखते हुए, कॉर्पोरेशन को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर बजट आबंटित करने का अधिकार नहीं दिया गया और इस प्रकार इसे 'शून्य' कर दिया गया।

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली धनराशि, यदि कोई हो

शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग)

शून्य

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर धनराशि :

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि. (रु. में)	अव्ययित धनराशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार कुल धनराशि अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कर दी गई।		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प् के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित धनराशि।		
	धनराशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	धनराशि	अंतरण की तिथि
शून्य					

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गति. विधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आवंटित धनराशि (रु. में)	चालू वित्त वर्ष में व्यय की गई धनराशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित धनराशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका–प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	ज़िला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हां नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना पर व्यय की गई धनराशि (रु. में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हां नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन के माध्यम सेएजेंसी	
				राज्य	ज़िला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई धनराशि

शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई धनराशि, यदि लागू हो

शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल धनराशि (8ख+8ग+8घ+8ङ)

शून्य

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	धनराशि (रु. में)
1.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल धनराशि	शून्य
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त धनराशि [(ii)-(i)]	शून्य
4.	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
5.	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध धनराशि [(iii)-(iv)]	शून्य

9. (क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर धनराशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित धनराशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई धनराशि (रु. में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित धनराशि, यदि कोई हो			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष धनराशि (रु. में)
				निधि का नाम	धनराशि (रु. में)	अंतरण की तिथि	
	शून्य						

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चालू परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर धनराशि का ब्यौरा :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल धनराशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई धनराशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी धनराशि (रु. में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण / चल रही है
	कुल	शून्य						

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से निर्मित अथवा अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति–वार विवरण)।

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथि।

लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर धनराशि।

लागू नहीं

(ग) उस संस्था अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।

लागू नहीं

(घ) निर्मित अथवा अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।

लागू नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।

कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 20.90 करोड़ रुपये की औसत शुद्ध हानि के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर निधि आबंटित करने का अधिकार नहीं दिया गया था।

हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
श्री अशोक कुमार असेरी	**डॉ. रोहिणी संजय कचोले**	**श्री मनजीत कुमार राजदान**
सदस्य	**अध्यक्ष (सीएसआर समिति)**	**सदस्य**
डीआईएनः 09405164	**डीआईएनः 09405874**	**डीआईएनः 09413663**

दिनांक : 08.08.2024
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट – अनुलग्नक–III

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कॉर्पोरेट शासन दर्शन

कॉर्पोरेट शासन अनिवार्य रूप से एक लोकाचार है जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में अपने मामलों को संभालने में कंपनी के प्रबंधन को मार्गदर्शन और निर्देशन देता है और निष्पक्षता, पारदर्शिता और अखंडता को बढ़ावा देता है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सेबी (एलओडीआर), कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं से संबंधित है। साथ ही भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने कॉर्पोरेट शासन पर दिशा–निर्देश जारी किए हैं जो सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर लागू होते हैं ताकि नैतिक और पेशेवर आचरण पर जोर देने के साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वास, अखंडता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के उच्चतम मानकों को प्राप्त किया जा सके।

कॉर्पोरेट शासन की दिशा में पहले कदम के रूप में, कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता, व्हिसल ब्लोअर नीति, धोखाधड़ी विरोधी नीति, वेब अभिलेखीय नीति, दस्तावेजों के संरक्षण पर नीति, संबंधित पार्टी लेन–देन की भौतिकता पर नीति और संबंधित पार्टी लेन–देन के साथ व्यवहार, घटनाओं और सूचनाओं की भौतिकता के निर्धारण और उनके प्रकटीकरण और भौतिक सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति इत्यादि जैसे वांछनीय कोड और नीतियां निर्धारित की हैं। ये नीतियां कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर 'कॉर्पोरेट प्रतिबद्धताएं' खंड के तहत प्रदर्शित की गई हैं।

कंपनी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के अनुसरण में वीआरएस के कार्यान्वयन के कारण एसटीसी की जनशक्ति भी काफी कम हो गई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक (वित्त)–अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों के पद रिक्त थे, जिसके कारण कंपनी को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने अपने आदेश संख्या ए–12022/12/2012–ई–IV दिनांकित 21 अप्रैल, 2023 के माध्यम से विदेश व्यापार के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हरदीप सिंह को दिनांक 28.04.2023 से एसटीसी का सीएमडी नियुक्त किया था।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता की निगरानी की जाती है ताकि निर्णय लेने में पारदर्शिता लाई जा सके। कंपनी पर लागू सभी कानूनों पर एक समेकित अनुपालन रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड के समक्ष रखी जाती है।

1. निदेशक मंडल

1.1 कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जो रणनीति और नीतियां तैयार करता है, उनके कार्यान्वयन की देखरेख करता है और समय–समय पर कंपनी के प्रदर्शन की समीक्षा भी करता है। निदेशक मंडल कंपनी के कॉर्पोरेट शासन पद्धतियों के मूल में है और यह देखता है कि प्रबंधन कैसे हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की सेवा और सुरक्षा करता है।

1.2 बोर्ड की संरचना

एसटीसी एक सरकारी कंपनी है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। कंपनी के एसोसिएशन के आर्टिकल्स में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशकों की संख्या चार से कम और सोलह से अधिक नहीं होगी। 31 मार्च, 2024 तक, बोर्ड में ग्यारह (11) निदेशक थे, जिनमें एक (1) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एक (1) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक और दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक, जो सरकारी नामित हैं और (7) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं।

दिनांक 31.01.2022 को सीएमडी के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक (कार्मिक) श्री एस.के. शर्मा की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, सीएमडी का पद दिनांक 27.04.2023 तक रिक्त था। इसके अलावा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने अपने आदेश संख्या ए–12022/12/2012–ई–IV दिनांकित 21 अप्रैल, 2023 के माध्यम से श्री हरदीप सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार को दिनांक 28.04.2023 से एसटीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया था।

सीएमडी और स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर सभी निदेशक रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो सकते हैं और ऐसे निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और यदि पात्र हैं, तो पुनर्नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। सीएमडी और कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, जो निदेशकों का पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, बोर्ड के अन्य निदेशकों का कंपनी, उसके प्रमोटरों या उसकी सहायक कंपनी के साथ कोई भौतिक वित्तीय संबंध या लेन–देन नहीं होता है, जो बोर्ड के निर्णय में निदेशकों की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

1.3 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें आमतौर पर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और कंपनी के सीएमडी/पूर्णकालिक निदेशक की मंजूरी के बाद उचित अग्रिम सूचना देकर बुलाई जाती हैं। एसटीसी का बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार नियमित रूप से मिलता है। बोर्ड की बैठकें एक संरचित कार्यसूची के अनुसार आयोजित की जाती हैं और बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी विषय को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बैठकों में सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा के लिए प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयानों वाली विस्तृत कार्यसूची को बोर्ड के सदस्यों के बीच पहले से ही परिचालित की जाती है। जहां किसी विशेष व्यवसाय के लिए कोई दस्तावेज़ अथवा कार्यसूची नोट प्रसारित करना व्यावहारिक नहीं है, उसे अध्यक्ष और बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की मंजूरी से पेश किया जाता है। जब भी आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही मदों पर अतिरिक्त इनपुट प्रदान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया जाता है।

1.3.1 उपस्थिति

निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद, अन्य कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता के साथ–साथ वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की बैठकों/वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम और पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थित की संख्या	क्या दिनांक 21.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?	दिनांक 31.03.2024 तक	
				अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ में निदेशक पदों की संख्या और सूचीबद्ध कंपनियों के नाम	अन्य कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता
कार्यात्मक निदेशक					
श्री हरदीप सिंह, एडीजीएफटी एसटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (होल्डिंग डीआईएन 09778990) दि.28.04.2023 से प्रभावी	5	5	हाँ	1 एमएमटीसी लिमिटेड	लागू नहीं
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) एमएमटीसी, निदेशक (वित्त) एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार (होल्डिंग डीआईएन नं.रू 08751137)	5	5	हाँ	1 एमएमटीसी लिमिटेड	सदस्यता–2 अध्यक्षता–शून्य
अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकारी नामिती					
श्रीमती आरती भटनागर, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, डीओसी (होल्डिंग डीआईएन 10065528) दि.13.03.2023 से प्रभावी	5	4	नहीं	3 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड	अध्यक्षता–2 सदस्यता–8
श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव, डीओसी (होल्डिंग डीआईएन नं: 02687229) दि. 22.04.2024 तक	5	2	नहीं	2 एमएमटीसी लिमिटेड एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	लागू नहीं
श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त सचिव, डीओसी (होल्डिंग डीआईएन नं: 03349759) दि. 01.05.2024 से प्रभावी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक – स्वतंत्र निदेशक					
श्री सतीश कुमार चावला, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नंबर 09400987)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य
श्री अशोक कुमार असेरी, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नंबर 09405164)	5	5	नहीं	शून्य	शून्य
डॉ. रोहिणी संजय कचोले, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नंबर 09405874)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य
श्री दिवाकर शेट्टी कौप, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नं. 09407538)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य
डॉ. भीम सिंह, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नं. 09407618) दि. 12.02.2024 तक	5	4	हाँ	शून्य	शून्य
श्री मनजीत कुमार राजदान, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नं. 09413663)	5	5	नहीं	शून्य	शून्य

नाम और पदनाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में उपस्थित की संख्या	क्या दिनांक 21.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?	दिनांक 31.03.2024 तक	
				अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ में निदेशक पदों की संख्या और सूचीबद्ध कंपनियों के नाम	अन्य कंपनियों के बोर्ड की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता
डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नं. 09417992)	5	4	नहीं	शून्य	शून्य
श्री. नरेश धनराजभाई केला, स्वतंत्र निदेशक (होल्डिंग डीआईएन नंबर 01176450)	5	4	नहीं	शून्य	शून्य

टिप्पणियाँ:

(i) कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

(ii) निदेशक आपस में एक–दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

(iii) निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध अथवा लेन–देन नहीं होता है, सिवाय कंपनी से सीएमडी और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करने के।

(iv) निदेशक पद/समिति की सदस्यता नवीनतम प्राप्त प्रकटीकरणों पर आधारित है।

(v) केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को ही ध्यान में रखा जाता है।

(vi) कोई भी निदेशक आठ से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक नहीं है और सात से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

(vii) कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य अथवा 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है।

1.3.2 बोर्ड की बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड की पाँच (5) बैठकें आयोजित की गईं। विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रमांक	बैंठक संख्या	बोर्ड बैठक की तिथि
1	651	28.05.2023
2	652	10.08.2023
3	653	09.11.2023
4	654	09.02.2024
5	655	11.03.2024

किसी भी दो बोर्ड मीटिंग के बीच अधिकतम अंतराल 120 दिनों से अधिक नहीं रहा।

1.1 निदेशक मंडल में परिवर्तन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने 21 अप्रैल, 2023 के आदेश संख्या ए–12022/12/2012–ई–IV के माध्यम से सूचित किया कि श्री हरदीप सिंह, (आईटीएस: 1990), अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय को उनके मौजूदा प्रभार के अलावा, दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एसटीसी लिमिटेड) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसके लिए होगा। दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड(एसटीसी लिमिटेड) के निदेशक के रूप में श्री हरदीप सिंह की नियुक्ति दिनांक 28.04.2023 से प्रभावी रूप से निदेशक मंडल द्वारा संचलन के माध्यम से अनुमोदित की गई है। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग ने कार्यालय आदेश संख्या ए–12022/12/2012–ई–IV दिनांकित 30.05.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि विभाग के दिनांक 21.04.2023 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के अनुक्रम में, एसटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार श्री हरदीप सिंह (आईटीएस:1990), अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशक को दिनांक 27.04.2024 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

डॉ. भीम सिंह, स्वतंत्र निदेशक ने 12 फरवरी, 2024 को अपने पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत कारणों से कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ने अपने आदेश संख्या 11/36/2001–एफटी (एम एंड ओ) दिनांक 22.04.2024 (23.04.2024 को प्राप्त) के माध्यम से श्री सिद्धार्थ महाजन, आईएएस (आरजेः 2003), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव के स्थान पर नियुक्त करने की सूचना दी है। श्री सिद्धार्थ महाजन की दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में दिनांक 01.05.2024 से नियुक्ति को निदेशक मंडल द्वारा संचलन के माध्यम से अनुमोदित किया गया है।

2. नियुक्त/पुनः नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों का बायोडाटा

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले और नियुक्ति/पुनः नियुक्ति चाहने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त बायोडाटा, जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, उन कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक हैं और बोर्ड/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता कंपनी की 68वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न है।

3. बोर्ड के कौशल, विशेषज्ञता और क्षमता

चूँकि कंपनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है, इसलिए सीएमडी, सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी कार्यात्मक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

4. स्वतंत्र निदेशक

अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के आदेश के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, उसके लिए की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता", "अंदरूनी लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता" और एसटीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित "निदेशक मंडल के लिए चार्टर" की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है। स्वतंत्र निदेशक हमेशा कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार और कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। सभी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) ने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 25 में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, एक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) यानी डॉ. भीम सिंह ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कंपनी के निदेशक पद से त्यागपत्र दे दिया है।

5. बोर्ड समितियाँ

कंपनी के बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं:

5.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 और समय–समय पर डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

दिनांक 09.11.2023 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री सतीश कुमार चावला, समिति के सदस्य श्री दिवाकर शेट्टी कौप और श्री नरेश धनराजभाई केला हैं।

उपर्युक्त के अलावा, अन्य सभी कार्यात्मक निदेशक, वित्त प्रभाग प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक बैठकों में विशेष आमंत्रित हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बैठकों और उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:–

5.1.2 उपस्थितिः

सदस्य	भाग ली गयी आयोजित बैठकों की सं.	भाग ली गयी बैठकों की संख्या
श्री सतीश कुमार चावला	6	6
श्री दिवाकर शेट्टी कौप	6	6
श्री अशोक कुमार असेरी	4	4
डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे	4	4
श्री नरेश धनराजभाई केला	2	1

5.1.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरणः

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	बैठक संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठक की तिथि
1.	110	23.05.2023
2.	111	15.06.2023
3.	112	10.08.2023
4.	113	09.11.2023
5.	114	09.02.2024
6.	115	11.03.2024

5.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 19 के अनुसार हैं। कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय ने दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के माध्यम से वरिष्ठ

प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2), (3) और (4) की प्रयोज्यता से छूट दी है।

एसटीसी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सीएमडी सहित पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक की शर्तें सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं। गैर–कार्यकारी अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामित) कोई पारिश्रमिक अथवा बैठने का शुल्क नहीं लेते हैं। गैर–कार्यकारी अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को उनके द्वारा भाग ली गई प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के लिए ₹ 20,000/– की बैठक फीस का भुगतान किया जाता है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित सीमा के भीतर है।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09.11.2023 को आयोजित बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें डॉ. रोहिणी संजय कचोले अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार असेरी और श्री मंजीत कुमार राजदान समिति के सदस्य हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशकों की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक बैठक दिनांक 09.11.2023 को आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

5.3 हितधारक संबंध समितिः

कंपनी के पास बोर्ड स्तर पर एक "हितधारक संबंध समिति" है, जो शेयरधारकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित विभिन्न मामलों से निपटती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, तुलनपत्र की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

दिनांक 09.11.2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री मंजीत कुमार राजदान अध्यक्ष हैं, डॉ. रोहिणी संजय कचोले और डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे समिति के सदस्य हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति की एक बैठक दिनांक 09.02.2024 को आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

5.4 निदेशक मंडल की सीएसआर समितिः

समिति के संदर्भ की शर्तों में बोर्ड को एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना शामिल है, जो कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी, ऐसी गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की धनराशि की सिफारिश करेगी और समय–समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

सीएसआर समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में किया गया, जिसमें डॉ. भीम सिंह, अध्यक्ष और श्री मंजीत कुमार राजदान और डॉ. रोहिणी संजय कचोले समिति के सदस्य थे।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक डॉ. भीम सिंह के त्यागपत्र के बाद, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.03.2024 को आयोजित बैठक में सीएसआर समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें डॉ. रोहिणी संजय कचोले को अध्यक्ष, श्री मंजीत कुमार राजदान और श्री अशोक कुमार असेरी को समिति का सदस्य बनाया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निदेशकों की सीएसआर समिति की एक बैठक दिनांक 10.08.2023 को आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

5.5 जोखिम प्रबंधन समितिः

जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21 के प्रावधानों के अनुसार हैं, (समय–समय पर यथा संशोधित) किया जाता है, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में बाजार पूंजीकरण के आधार पर निर्धारित प्रत्येक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना आवश्यक है।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 09.11.2023 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक – वित्त को अध्यक्ष, डॉ. भीम सिंह, श्री अशोक कुमार असेरी डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे को समिति के सदस्य, श्री सुरेश कुमार मीणा (संयुक्त महाप्रबंधक) को जोखिम प्रबंधन समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक डॉ. भीम सिंह के इस्तीफे के बाद, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11.03.2024 को आयोजित बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसमें श्री अशोक कुमार असेरी को अध्यक्ष, श्री विवेक अतुल भुस्कुटे, श्री मंजीत कुमार राजदान और डॉ. रोहिणी संजय कचोले को समिति का सदस्य, श्री सुरेश कुमार मीणा (संयुक्त महाप्रबंधक) को जोखिम प्रबंधन समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें क्रमशः दिनांक 10.08.2023 और दिनांक 31.01.2024 को आयोजित की गईं, जिनमें सभी सदस्यों ने भाग लिया।

5.6 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ धारा 149(6) के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की जानी आवश्यक है, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ गैर–स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की जा सके, कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के प्रदर्शन की समीक्षा की जा सके और कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह

की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया जा सके, जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक दिनांक 27.03.2024 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की गई थी। श्री मंजीत राजदान और श्री नरेश धनराजभाई केला को छोड़कर सभी स्वतंत्र निदेशक बैठक में शामिल हुए।

6 निदेशकों का पारिश्रमिक

6.1 दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार था:

(क) कार्यात्मक निदेशक:

(आंकड़े ₹ में)

क्रमांक	नाम	वेतन डीए सहित	अन्य सुविधाएं और लाभ	पी.एफ + पेंशन	प्रावधान (2021–22)	कुल
2	श्री हरदीप सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री कपिल कुमार गुप्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

श्री हरदीप सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार और श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक (वित्त) एमएमटीसी लिमिटेड दोनों ही अतिरिक्त आधार पर क्रमशः सीएमडी और निदेशक (वित्त) का प्रभार संभाल रहे हैं और इसलिए, एसटीसी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं।

(ख) अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

गैर–कार्यकारी गैर–सरकारी निदेशक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 20,000/– की दर से बैठने की फीस का भुगतान कर रहे हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण दिया गया है:–

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	सिटिंग फीस(₹ लाख में)
1.	श्री सतीश कुमार चावला	2.4
2.	श्री अशोक कुमार असेरी	2.2
3.	डॉ. रोहिणी संजय कचोले	1.6
4.	श्री दिवाकर शेट्टी कौप	2.2
5.	डॉ. भीम सिंह	1.4
6.	श्री मंजीत कुमार राजदान	1.6
7.	डॉ. विवेक अतुल भुस्कुटे	2.2
8.	श्री. नरेश धनराजभाई केला	1.2

6.2 स्टॉक विकल्प

कंपनी ने अपने निदेशकों/कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

6.3 निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

निदेशकों में से कोई भी कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं रखता है।

6.4 सेवा अनुबंध, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को आमतौर पर कार्यभार संभालने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पदधारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। प्रदर्शन के आधार पर, पूर्णकालिक निदेशक का कार्यकाल सेवानिवृत्ति की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है।

स्वतंत्र निदेशकों को आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों की सेवाओं के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएमडी और निदेशक (वित्त)–अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर कार्यात्मक निदेशकों के पद रिक्त थे।

7. अनुपालन अधिकारी

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री विपिन त्रिपाठी	दिनांक 20.12.2019 – से सतत्

अनुपालन अधिकारी मुख्य रूप से लागू सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और प्रबंधन, हितधारकों और नियामक प्राधिकरणों के बीच इंटरफेस है।

8 निवेशकों की शिकायतों का निवारण

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों, सुझावों और शिकायतों को शीघ्रता से समाधान करती है और आमतौर पर तथ्यों अथवा अन्य कानूनी बाधाओं पर विवाद के मामले को छोड़कर 7–10 दिनों के भीतर मुद्दों को हल करती है।

आमतौर पर, शेयर हस्तांतरण के लिए कोई भी अनुरोध 15 दिनों से अधिक लंबित नहीं होता है, सिवाय उन मामलों के जो विवादित अथवा विचाराधीन हैं। शेयरों के डी–मटेरियलाइजेशन के सभी अनुरोधों को भी इसी तरह संसाधित किया जाता है और निवेशकों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को 10 कार्य दिवसों के भीतर पुष्टि की जाती है।

वर्ष के दौरान, शेयरधारकों से कोई शिकायत / प्रश्न / पत्राचार प्राप्त नहीं हुआ। 31 मार्च, 2024 तक कोई शिकायत लंबित नहीं है।

8.1 शिकायतों का निपटान

निवेशक नीचे बताए गए तरीके से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं:

क्रमांक	शिकायत की प्रकृति	संपर्क कार्यालय	कृत कार्रवाई
1	भौतिक रूप में शेयरों के लिए – पता, स्थिति(स्टेटस), बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश में परिवर्तन शेयरों, बोनस शेयरों आदि का हस्तांतरण/प्रेषण।	एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड एफ–65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 टेलीफोन नं.91–11 41406149/50/51/52 फैक्स: 91 – 41709881. वेबसाइट: www.mcsregistrars.com ई–मेल: admin@mcsregistrars.com	सादे कागज पर पत्र जिसमें शिकायत की प्रकृति, फोलियो संख्या, मूल शेयर और अन्य दस्तावेज/उपकरणों को दर्ज करने की स्थिति के बारे में बताया गया हो।
2	डीमैट फॉर्म में शेयरों के लिए– पता, स्थिति, बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) जहां शेयरधारक अपना खाता बनाए रखता है।	डीपी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

9. स्वतंत्र निदेशकों का परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों के परिचय कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर निवेशक डेस्क में सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 46 के अंतर्गत प्रकटीकरण के अंतर्गत उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है स्वतंत्र निदेशकों को दिए जाने वाले परिचय कार्यक्रमों का विवरण (लिंक: http://www.stclimited.co.in/sites/default/files/DFPID 150722. pdf)

10. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी अपने व्यवसाय को व्यावसायिक नैतिकता के मानकों के अनुसार संचालित करने और लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुरूप बोर्ड द्वारा बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया गया था। संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर रखी गई है।

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा संलग्न है।

10.1 इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता

समय–समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, बोर्ड ने दिनांक 11.02.2019 को आयोजित अपनी बैठक में संशोधित 'नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता – इनसाइडर ट्रेडिंग कोड' और साथ ही 'निष्पक्ष प्रकटीकरण और आचार संहिता – अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए अभ्यास और प्रक्रियाएं' (01.04.2019 से प्रभावी) को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) संशोधन विनियम, 2018 के अनुरूप मंजूरी दे दी है। संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीद और/अथवा बिक्री को रोकना है। इस संहिता के तहत, संहिता के तहत परिभाषित

'नामित व्यक्तियों' को ट्रेडिंग विंडो और अन्य निर्दिष्ट अवधि के बंद होने के दौरान कंपनी के शेयरों में डील करने से प्रतिबंधित सभी निदेशकों और नामित कर्मचारियों को संहिता में निर्धारित समय–समय पर संबंधित जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए, अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। सभी निदेशकों और नामित कर्मचारियों को संहिता में निर्धारित समय–समय पर संबंधित जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। संहिता को सभी निदेशकों और कर्मचारियों को परिचालित किया गया है और कंपनी की वेबसाइट: www.stclimited.co.in पर होस्ट किया गया है।

सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के विनियमन 3(5) के अनुसरण में, कंपनी को अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के बारे में सभी विवरणों को कैप्चर करने वाले संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) को बनाए रखना है और कंपनी के अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में तिमाही आधार पर अनुपालन प्रमाणपत्र दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करना है।

इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश और बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में, एसटीसी फिलहाल एक गैर–संचालन कंपनी के रूप में कार्य कर रही है और इसने अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियों को रोक दिया है तथा वित्त वर्ष 2023–24 से कंपनी के वित्तीय खाते गैर–चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं। एसटीसी, एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते, नियमित रूप से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करती है। कंपनी एसडीडी सॉफ्टवेयर को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिससे उक्त विनियमन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

10.2 सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 की अनुसूची II कॉर्पोरेट शासन के भाग बी में निर्दिष्ट विनियम 17(8) के अनुसार, वर्ष 2023–24 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रणों पर सीईओ / सीएफओ द्वारा प्रमाणन दिनांक 28.05.2024 को बोर्ड को प्रस्तुत किया गया था और चूंकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद रिक्त था और इस संबंध में, उस समय प्रशासनिक मंत्रालय से सीएमडी के पद पर नियुक्ति अथवा विस्तार के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. सहायक कंपनी

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी, एसटीसीएल लिमिटेड है। उक्त सहायक कंपनी एक बोर्ड प्रबंधित कंपनी है, जिसके बोर्ड के पास अपने हितधारकों के सर्वोत्तम हित में कंपनी का प्रबंधन करने के अधिकार और दायित्व हैं। बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

(i)	श्री हरदीप सिंह, एडीजीएफटी एवं सीएमडी, एसटीसी	अध्यक्ष
(ii)	श्री वी.के. सिंह	प्रबंध निदेशक
(iii)	श्री अनूप सिंह, उप सचिव	निदेशक

सहायक कंपनी के प्रदर्शन की रिपोर्ट समय–समय पर बोर्ड को दी जाती है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24 के अनुसार, सहायक कंपनी 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनी' नहीं है। 'गैर–महत्वपूर्ण सहायक कंपनी' पर लागू कॉर्पोरेट शासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

12. आम सभा की बैठकें

कंपनी की वार्षिक आम बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय यानी जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित ऐसी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

बैठक की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	दिनांक और समय
वार्षिक आम बैठक	2022.23	21.09.2023 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)
वार्षिक आम बैठक (स्थगित)	2021.22	07.10.2022 (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)
वार्षिक आम बैठक	2021.22	30.09.2022 प्रातः 11:00 बजे (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)–कोरम की अनुपलब्धता के कारण, एजीएम को दिनांक 07.10.2023 तक स्थगित कर दिया गया
वार्षिक आम बैठक	2020.21	दिनांक 24.11.2021 – 02:00 अपराह्न (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

- पिछली वार्षिक आम बैठक में पेश किए गए सभी प्रस्तावों को ई–वोटिंग के माध्यम से सदस्यों के अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया था।
- पिछले तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठकों में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था।

13. खुलासे

सेबी विनियम के विनियम 23 के तहत, सभी संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, सभी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ कुछ अनुबंध/व्यवस्था के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यदि ये लेनदेन नियमों के तहत निर्धारित सीमा को पार करते हैं, तो विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने पर एक नीति तैयार की है। बोर्ड द्वारा दिनांक 27.05.2022 को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 23 के अनुसार 'स्पष्ट सीमा' को शामिल करके 'संबंधित पार्टी लेनदेन नीति' में संशोधन किया गया।

- आरपीटी नीति वेब लिंकः http://www.stclimited.co.in/content/related-party-transactions-policy पर उपलब्ध है।
- कंपनी के पास 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति' है जो वेब लिंक http://www.stclimited.co.in/content/policy-determining-material-subsidiaries पर उपलब्ध है।
- वर्ष के दौरान, निदेशकों अथवा प्रबंधन अथवा सहायक कंपनी अथवा रिश्तेदारों के साथ कोई महत्वपूर्ण प्रकृति का लेनदेन नहीं हुआ, जिससे कंपनी के साथ हितों का टकराव होने की संभावना हो।
- वार्षिक रिपोर्ट में खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" का विवरण प्रकट किया गया है।
- वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है।
- कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।
- निदेशकों को समय–समय पर डीपीई और स्कोप द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।
- कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस खाते या दावा रहित सस्पेंस खाते में कोई शेयर नहीं है।

14. संप्रेषण के साधन

- **तिमाही/वार्षिक परिणाम** : कंपनी नियमित रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को गैर–लेखापरीक्षित और लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना देती है। ये वित्तीय परिणाम आमतौर पर देश भर में व्यापक प्रसार वाले प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। परिणाम शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाते हैं।
- **सीमित समीक्षा रिपोर्ट** : कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त संबंधित तिमाही(यों) के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की 'सीमित समीक्षा रिपोट' समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंज(ओं) में दाखिल की जाती है।
- समाचार विज्ञप्तिः आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- **वेबसाइट** : कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in में एक अलग सेक्शन है जहाँ शेयरधारकों की जानकारी उपलब्ध है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न और कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट आदि भी उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **वार्षिक रिपोर्ट** : वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ, लेखापरीक्षित वार्षिक खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, शेयरधारकों के लिए जानकारी सहित कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को प्रसारित की जाती है।

15. शेयरधारकों की जानकारी

15.1 आगामी वार्षिक आम बैठक – तिथि, समय और स्थान

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27.09.2024 को अपराह्न 03:30 बजे पर जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110001 में आयोजित की जानी तय हुई है।

15.2 वित्तीय वर्ष और कैलेंडर :

कंपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष अपनाती है। तिमाही खातों को बोर्ड द्वारा नीचे दर्शाई गई तिथियों पर अपनाया जाता है:

तिमाही के लिए तिमाही परिणामों को अपनाना	वित्तीय परिणामों को अपनाने की अंतिम तिथि
30 जून, 2024	14 अगस्त, 2024
30 सितंबर, 2024	14 नवंबर, 2024
31 दिसंबर, 2024	14 फरवरी, 2025
31 मार्च, 2025 (लेखापरीक्षित)	30 मई, 2025

15.3 बुक क्लोजर अवधि :

सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक और लाभांश, यदि कोई हो, के उद्देश्य से 20.09.2024 से शुक्रवार 27.09.2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

15.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध

कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

नाम, पता और संपर्क विवरण	सुरक्षा कोड	सुरक्षा का प्रकार
दि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400 001 टेलीफोन : 022–22721233 / 4 फैक्स : 022–22723121 / 3719 / 2037 / 2039 ई–मेल : info@bseindia.com वेबसाइट : www.bseindia.com	512531	इक्विटी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर 1, जी–ब्लॉक, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051. टेलीफोन : 022–26598100–8114 फैक्स : 022–26598237 / 38 ई–मेल : cc_nse@nse.co.in वेबसाइट : www.nseindia.com	एसटीसीआईएनडीआईए–ईक्यू	इक्विटी

15.5 सूचीबद्धता शुल्क

वर्ष 2024–25 से संबंधित सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

15.6 एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टडी शुल्क का भुगतान स्टॉक कोडः आईएनई655A01013

कंपनी ने दिनांक 31.03.2024 तक फोलियो / आईएसआईएन स्थिति (पोजीशन) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वार्षिक कस्टडी शुल्क का भुगतान किया है।

15.7 शेयर बाजार डेटा : पिछले वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रत्येक महीने के दौरान उच्च / निम्न और बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के साथ तुलना

महीना	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज				बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज				निफ्टी	सेंसेक्स
	उच्च मूल्य (₹ में)	कम कीमत (₹ में)	समापन मूल्य (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या में)	उच्च मूल्य (₹ में)	कम कीमत (₹ में)	समापन मूल्य (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या में)		
अप्रैल 2023	85.6	65.65	73.6	28.32	85.8	66.1	73.1	319501	18065	61112.44
मई 2023	80.85	68.85	73	18.04	80.86	70.05	73.31	96254	18534.4	62622.24
जून 2023	82.8	73.15	78.85	11.97	82.65	73.65	78.38	65021	19189.05	64718.56
जुलाई 2023	92.45	77.35	90.05	29.27	92.45	77.25	89.66	178999	19753.8	66527.67
अगस्त 2023	121.65	87.5	105.4	93.89	121.5	87.37	105.53	420243	19253.8	64831.41

सितम्बर 2023	143.75	106.35	125.75	185.8	143.25	106.45	126	1371895	19638.3	65828.41
अक्टूबर 2023	177.8	109	121	248.05	177.65	108.2	121.3	1623066	19079.6	63874.93
नवम्बर 2023	122.85	111.6	113.15	21.76	122.65	110.1	113.15	309862	20133.15	66988.44
दिसम्बर 2023	150.1	113.15	137.4	95.27	148.05	114.25	137.45	732940	21731.4	72240.26
जनवरी 24	187.45	135.4	171.6	171.8	187.3	135.7	171.7	12.92	21725.7	71752.11
फ़रवरी2024	201.5	151.15	153.1	115.7	201.5	151.55	153.1	22.95	21982.8	72500.3
मार्च 2024	159.7	116	124.05	31.1	159.6	117.1	124.2	4.76	22326.9	73651.35

स्रोत : बीएसई और एनएसई की वेबसाइटें

15.8 एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स की तुलना में कंपनी के शेयर मूल्य का प्रदर्शन (परफॉर्मेंस):

(i) एनएससी निफ्टी तथा एसटीसी शेयर मूल्य

एनएससी निफ्टी तथा एसटीसी शेयर मूल्य

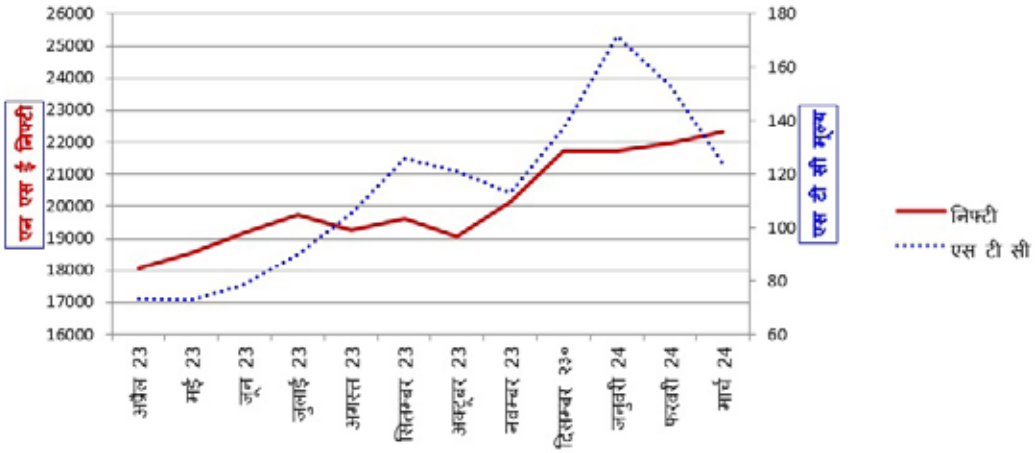

(ii) बीएससी निफ्टी तथा एसटीसी शेयर मूल्य

बीएससी निफ्टी तथा एसटीसी शेयर मूल्य

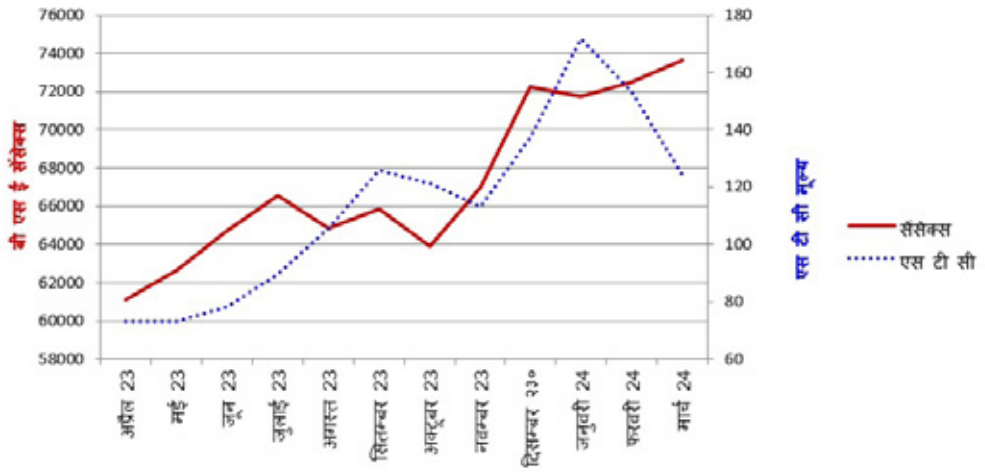

16 शेयर ट्रांसफर सिस्टम

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड भौतिक शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस है। कंपनी के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाता है। भौतिक रूप में ट्रांसफर के लिए प्राप्त शेयरों को आमतौर पर शेयर सर्टिफिकेट के साथ वैध शेयर ट्रांसफर डीड जमा करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर प्रोसेस किया जाता है। दिनांक 31.03.2024 तक कोई शेयर ट्रांसफर अनुरोध लंबित नहीं था। सेबी द्वारा दिनांक 01.04.2019 से प्रत्यक्ष रूप में शेयर ट्रांसफर बंद कर दिया गया है।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 40(9) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के उचित अनुपालन की पुष्टि करने वाले अभ्यासशील कंपनी सचिव से प्रमाण पत्र, सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 1996 के अनुसार शेयरों के समय पर डीमैटरियलाइज़ेशन के प्रमाण पत्र छमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, 'शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के समाधान' पर रिपोर्ट यह पुष्टि करते हुए कि कंपनी की कुल जारी पूंजी प्रत्यक्ष रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए डीमैटरियलाइज़्ड शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है, तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखी जाती है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत की जाती है।

16.1 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	1	54000000	90
म्यूचुअल फंड / यूटीआई	1	100	0.0002
बीमा कंपनियाँ	3	351491	0.5858
विदेशी संस्थागत निवेशक	4	33409	0.0557
कॉर्पोरेट निकाय	122	354881	0.5915
इंडियन पब्लिक	22497	4835985	8.06
अनिवासी भारतीय	179	57753	0.096
एनबीएफसी	1	325	0.0005
न्यास (ट्रस्ट)	3	13836	0.0231
आईईपीएफ प्राधिकरण	1	45633	0.0761
एचयूएफ	575	231755	0.3863
क्लियरिंग सदस्य	24	74832	0.124
कुल	**23411**	**60000000**	**100.00**

16.2 31 मार्च, 2024 तक शीर्ष 10 शेयरधारक

नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	54000000	90.0000
विनीत नाहटा	440929	0.7349
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	281961	0.469935
अनिल एल शाह	63902	0.1065
सिंघल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	56400	0.094
संदीप कुमार सिंघी	49500	0.0825
निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण	45633	0.0761
काली कृपा एग्रो इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	41027	.0684
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	40936	.0682
एन.ए. कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	40000	0.0667
प्रवीणचंद नाहर	33100	0.552
वी वी ए होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	32100	0.0535
हसुमती शांतिलाल मेमाया	32000	.0533

16.3 31 मार्च, 2024 तक आकार के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

श्रेणी (शेयरों की संख्या)	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरधारकों की कुल संख्या	शेयरधारकों का %
1–500	1771584	2.9526	21826	93.2297
501–1000	703790	1.1730	887	3.7888
1001–2000	566020	0.9434	373	1.5933
2001–3000	303222	0.5054	118	0.5040
3001–4000	129871	0.2165	36	0.1538
4001–5000	253713	0.4229	53	0.2264
5001–10000	511697	0.8528	70	0.2990
100001 और इससे अधिक	55760103	92.9335	48	0.2050
कुल	**60000000**	**100.0000**	**23411**	**100.0000**

16.4 कॉर्पोरेट लाभ

लाभांश इतिहास

वर्ष	अंतरिम/अंतिम	दर (:)	प्रति शेयर (%)	धनराशि (₹ लाख में)
2013–14	शून्य			
2014–15	शून्य			
2015–16	शून्य			
2016–17	शून्य			
2017–18	शून्य			
2018–19	शून्य			
2019–20	शून्य			
2020–21	शून्य			
2021–22	शून्य			
2022–23	शून्य			
2023–24	शून्य			

16.5 अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

(क) अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का हस्तानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसार, देय तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए दावा न किए गए और भुगतान न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में अंतरित करना आवश्यक है, वर्ष के दौरान, भुगतान न किए गए/अदावा किए गए लाभांश से संबंधित धनराशि का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में कोई अंतरण नहीं किया गया था।

(ख) अवैतनिक शेयरों का स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार, समय–समय पर संशोधित आईईपीएफ नियम, 2016 के साथ पठित, कंपनी को उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के नाम पर हस्तानांतरित करना अनिवार्य है, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोई भी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित नहीं किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक, आईईपीएफ प्राधिकरण के पास कुल 45633 शेयर पड़े हैं।

(ग) आईईपीएफ प्राधिकरण से दावेदारों की वापसी

कोई भी व्यक्ति, जिसके शेयर, दावा न किए गए लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर, वापसी के लिए देय आवेदन धनराशि, या उस पर ब्याज, आंशिक शेयरों की बिक्री आय, वरीयता शेयरों की ऋणमुक्ति आय, इत्यादि को निधि में अंतरित कर दिया गया है, धारा 124 की उप–धारा (6) के प्रावधान के तहत शेयरों का दावा कर सकता है अथवा धारा 125 की उप–धारा (3) के खंड (ए) के तहत अथवा धारा 125 की उप–धारा (3) के प्रावधान के तहत, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण को वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध फॉर्म आईईपीएफ–5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके केंद्र सरकार के परामर्श से समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

16.6 शेयरों का विभौतिकीकरण (डीमैटेरियलाइजेशन) और चल निधि (लिक्विडिटी)

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का %
सीडीएसएल	56933237	94.887	94.4523
एनएसडीएल	3059393	5.099	5.53475
फिजिकल	7370	0.0123	0.012953
कुल	**60000000**	**100.00**	**100.00**

कंपनी के शेयर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड दोनों की डिपॉजिटरी प्रणाली में व्यापार के लिए उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2024 तक, 59992630 इक्विटी शेयर, जो शेयरधारिता का 99.98% हिस्सा हैं, डीमैटरियलाइज्ड थे।

16.7 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय उपकरण

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किए गए हैं।

16.8 शेयरधारकों के पत्राचार के लिए पते

ये ऊपर 8.1 में दिए गए हैं।

17. जोखिम प्रबंधन

व्यापार प्रस्तावों पर विचार करते समय जोखिम मूल्यांकन की प्रक्रिया में और अधिक निष्पक्षता जोड़ने के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया। जोखिम प्रबंधन ढांचा किसी व्यवसाय प्रस्ताव में शामिल जोखिम को कुल जोखिम स्कोर के रूप में मापता है, जिसे उपलब्ध जोखिम शमन उपायों के साथ तुलनात्मक रूप से देखा जाता है।

18. हेजिंग

कंपनी ने अस्थिर वस्तुओं/बाजार की स्थिति में कोई जोखिम नहीं लिया। वर्ष के दौरान, एसटीसी निधि(फंड) से जुड़े लेन–देन के संबंध में आगे की विदेशी मुद्रा कवर लेने की आवश्यकता वाले दिशानिर्देश लागू थे। हालाँकि, कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया।

19. व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी ने बोर्ड की मंजूरी से व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की थी और इसे 10 मई, 2012 से लागू किया गया था। हालाँकि, वैधानिक संशोधनों का अनुपालन करने और ऊपर उल्लिखित विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप सतर्कता तंत्र बनाने के लिए, व्हिसल ब्लोअर नीति को संशोधित किया गया और निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 28.05.2019 को अपनाया गया।

संशोधित श्व्हिसल–ब्लोअर नीतिश कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर उपलब्ध है।

20. सांविधिक लेखा परीक्षकों के शुल्क का विवरण

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक हिस्सा है, उसको समेकित आधार पर भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क निम्नानुसार है:

सेवा का प्रकार	**वर्ष 2023–24**
वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क	₹ 3,60,000+जीएसटी
कर लेखापरीक्षा शुल्क	₹ 1,80,000+ जीएसटी
अन्य (तिमाही समीक्षा लेखापरीक्षा शुल्क सहित)	₹ 3,51,000 + जीएसटी

21. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतें	0
2	वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	1
3	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	0

22. अन्य खुलासे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा विनियमन 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं थे, जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है।

कंपनी द्वारा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी इकाई के सभी ऋण साधनों अथवा किसी सावधि जमा कार्यक्रम अथवा सूचीबद्ध इकाई की किसी योजना अथवा प्रस्ताव के लिए, चाहे वह भारत में हो अथवा विदेश में, कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं की गई थी, साथ ही उसमें कोई संशोधन भी नहीं किया गया था।

23. अनुसूची–II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताओं को अपनाना

कंपनी, जहां भी संभव हो, अनुसूची–II के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की जांच कर रही है।

24. डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश

एसटीसी के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट शासन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश, 2010 को अनिवार्य आधार पर अपनाया है।

25. तिमाही कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कंपनी नियमित रूप से विनियमन 27 के अनुसार तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई को निर्धारित प्रारूप में कॉर्पोरेट शासन पर एक त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

26. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मेसर्स परवीन रस्तोगी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा आयोजित सचिवीय लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमन, सेबी दिशानिर्देश, डीपीई दिशानिर्देश और पूंजी बाजार से संबंधित सभी अन्य संबंधित नियमों और विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करता है । बोर्ड और प्रबंधन द्वारा नोट किए गए सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देता है, निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनता है और इसके साथ संलग्न है।

27. लेखापरीक्षकों/अभ्यासरत कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी के कार्यकरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र, जो सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों (डीपीई दिशा–निर्देश) के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है, निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

आचार संहिता

सेवा में,

निदेशक मंडल,

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

विषयः आचार संहिता–सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V वार्षिक रिपोर्ट के पैरा डी में निर्दिष्ट विनियम 34(3) के अंतर्गत घोषणा

प्रिय महोदय/महोदया,

यह प्रमाणित किया जाता है किः

1. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V वार्षिक रिपोर्ट के पैरा डी में निर्दिष्ट विनियम 17(5) और विनियम 34(3) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई है।
2. उपर्युक्त आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट www.stclimited.co.in पर भी अपलोड की गई है।
3. सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन की उक्त आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है।

हस्ता./–
(हरदीप सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.07.2024

अनुपालन प्रमाण-पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II कॉर्पोरेट शासन के भाग-बी में निर्दिष्ट विनियम 17(8) के तहत सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में :

निदेशक मंडल ,

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हम अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि :

एसटीसी की वर्तमान स्थिति और परिस्थितियों के कारण, जबकि एसटीसी कोई व्यवसाय नहीं कर रही है, इसकी कोई व्यावसायिक आय नहीं है और तदनुसार इसका भविष्य अनिश्चित है, इसके अलावा एसटीसी लिमिटेड को अपनी गतिविधियों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने के लिए कहा गया है और इसे भारत सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अलग कर दिया गया है। इसलिए, एसटीसी अपने खातों को गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार कर रही है और परिणामस्वरूप, एक चालू संगठन / सतत् व्यवसाय पर लागू लेखांकन नियंत्रण और नीतियां एसटीसी लिमिटेड पर लागू नहीं हो सकती हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षकों के उचित मार्गदर्शन के साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय आवश्यक सावधानी बरती गई है। एसटीसी की लगभग 90% शेयरधारिता भारत सरकार के पास है और एसटीसी मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करना जारी रखती है। एसटीसी को वर्तमान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इसके बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक और सीएमडी नहीं हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चूंकि, एसटीसी लिमिटेड के भविष्य की संभावनाएं अनिश्चित हैं, इसलिए इसके लेखांकन व्यवहारों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। एसटीसी लिमिटेड अपने खातों को गैर-सतत् व्यवसाय के आधार पर तैयार कर रही है और बोर्ड/लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत अनुमोदित वित्तीय विवरण तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, जिसमें इसकी परिसंपत्तियाँ, देनदारियाँ, राजस्व, व्यय, कर्मचारी संबंधी जानकारी और अन्य प्रासंगिक जानकारी घोषित की जाती है। लागू वैधानिक अनुपालनों का पालन किया जा रहा है।

क. लेखापरीक्षकों ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार है

1. इन वक्तव्यों में कोई भी असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे वक्तव्य नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
2. ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. लेखापरीक्षकों ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए किसी भी ऐसे लेन-देन को चिह्नित नहीं किया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो ।

ग. लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने में यदि कोई कमी है, तो उसका उल्लेख किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है, उनके बारे में बताया है।

घ. कृपया ध्यान में लाया जाए कि:

1. संदर्भित वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन।
2. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किए गए परिवर्तनों को छोड़कर वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन; तथा
3. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, सिवाय उन मामलों के जिनका खुलासा खातों में किया गया है, जिनके बारे में हमें जानकारी मिली थी और उनमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और लेखा टिप्पणियों में उजागर किया गया है।

हस्ता./	हस्ता./
बी.एस.राव	**के.के. गुप्ता**
(मुख्य वित्त अधिकारी)	(निदेशक-वित्त)

स्थान: नई दिल्ली
28.05.2024

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण–पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(3)
और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के सदस्य
जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए सीआईएन–L74899DL1956GOI002674 वाले और जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001 में पंजीकृत कार्यालय दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जाँच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और पोर्टल www.mca.gov.in पर आवश्यक समझे गए सत्यापन (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए अनुसार कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने अथवा जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्र.सं.	निदेशक के नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति तिथि	कंपनी में सेवा समाप्ति की तिथि
1.	नरेश धनराजभाई केला	01176450	30/03/2022	
2.	विपुल बंसल	02687229	22/12/2021	
3.	कपिल गुप्ता	08751137	03/06/2020	
4.	सतीश कुमार चावला	09400987	30/11/2021	
5.	अशोक कुमार असेरी	09405164	03/12/2021	
6.	रोहिणी संजय कचोले	09405874	01/12/2021	
7.	दिवाकर शेट्टी कूप	09407538	30/11/2021	
8.	भीम सिंह	09407618	01/12/2021	12/02/2024
9.	मंजीत कुमार राजदान	09413663	02/12/2021	
10.	विवेक अतुल भुस्कुटे	09417992	02/12/2021	
11.	आरती भटनागर	10065528	13/03/2023	
12.	हरदीप सिंह	09778990	28/04/2023	

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के साथ किया है।

परवीन रस्तोगी एंड कंपनी के लिए
(कंपनी सचिव)

परवीन कुमार रस्तोगी
(मालिक)
एम. नं.: एफ4764
कॉप. नं.: 26582
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नं. 5486/2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08/08/2024
यूडीआईएन: F004764F000964789

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक **IV**

कॉर्पोरेट शासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
जवाहर व्यापार भवन,
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

1. हमने हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) में निर्धारित और मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सार्वजनिक दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार, दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में लिस्टिंग विनियमों और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

3. हमारी जिम्मेदारी लिस्टिंग विनियमों और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सेबी लिस्टिंग विनियमों और कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (i) और अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है:

   वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के प्रावधानों के अनुसार संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) का अनुपालन नहीं कर रही थी।

4. दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा तैयार की गई कॉर्पोरेट शासन 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट शासन के संबंध में विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित ("सूचीबद्धता विनियम") ('लागू मानदंड') की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई में निर्धारित विवरण शामिल हैं। यह रिपोर्ट कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक रूप से प्रस्तुत करने और कंपनी के शेयरधारकों को भेजने के लिए आवश्यक है।

5. हम आगे बताते हैं कि ऐसा अनुपालन प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन ने कंपनी के मामलों को जिस दक्षता अथवा प्रभावशीलता के साथ संचालित किया है।

6. यह रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को संबोधित है और उन्हें केवल लिस्टिंग विनियमों के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है और इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी अन्य उद्देश्य अथवा किसी अन्य पक्ष के लिए कोई दायित्व या देखभाल का कोई कर्तव्य स्वीकार अथवा ग्रहण नहीं करते हैं जिसे यह दिखाया गया है या जिसके हाथों में यह आ सकता है। इस रिपोर्ट की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस रिपोर्ट को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

परवीन रस्तोगी एंड कंपनी के लिए
(कंपनी सचिव)

परवीन कुमार रस्तोगी
(मालिक)
एम. नं.: एफ4764
कॉप. नं.: 26582
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नं. 5486/2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 08/08/2024
यूडीआईएन: F004764F000964866

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

फॉर्म एमआर–3

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम–2014 के नियम–9 के अनुसार}

सेवा में,

सदस्य,

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमने सीआईएन **L74899DL1956GOI002674** वाले दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहार के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बुक, पेपर, मिनट बुक, फॉर्म तथा रिटर्न दाखिल करने और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के आपके सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर।

हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष ('लेखापरीक्षा अवधि') को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधान का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इसके तरीके और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन सीमा तक उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद हैं :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और दाखिल रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमः

(ii) प्रतिभूति अनुबंध(विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम

(iii) निक्षेपागार(डिपॉजिटरी) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमन एवं उपनियमः

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष ओवरसीज निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक, जहां तक लागू होः

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992('सेबी अधिनियम') के तहत लागू सीमा तक निम्नलिखित विनियमन और दिशा–निर्देश निर्धारित हैंः–

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ['सेबी (एलओडीआर)']

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर्स) विनियमन, 2011

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियमन, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियमन, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियमन, 2015

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)

(ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियमन, 1993 तथा जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहकों के साथ व्यवहार।

(vi) सार्वजनिक उद्यम विभाग ('डीपीई दिशानिर्देश') द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश।

(vii) कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों और कंपनी सचिव विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाणपत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आमतौर पर उन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो कंपनी पर लागू होते हैं, जिनमें सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि शामिल हैं, कंपनी पर उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों/विनियम के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक,

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीकरण समझौते,

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक इत्यादि के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बशर्ते निम्नलिखित अवलोकन किए गए हों: –

कंपनी ने सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटा बेस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र और बीएसई लिमिटेड द्वारा 16 मार्च, 2023 को जारी परिपत्र शामिल हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों और अन्य सभी प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची(एजेंडा) और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठकों में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत रूप से दर्ज और हस्ताक्षरित बैठक के विवरण के अनुसार, बोर्ड के निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए तथा कोई असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप उसके पास पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जिनसे लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां की हैं:

कृते परवीन रस्तोगी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)

परवीन कुमार रस्तोगी
सीपी नं 26582
एम.नं.एफ 4764
पीआर सं. : 5486/2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25/07/2024
यूडीआईएन: F004764F000825421

यह रिपोर्ट को मेरे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

घटना तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. हमारी लेखापरीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और खाता बही की सत्यता और उपयुक्तता के साथ–साथ विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, जैसा कि कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. इस लेखापरीक्षा में कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है, क्योंकि वे सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखापरीक्षक(ओं) की एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(ओं) में टिप्पणियों, यदि कोई हो, तो उसके साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से ।
7. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
8. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों को संचालित करने की दक्षता अथवा प्रभावशीलता के बारे में।

कृते परवीन रस्तोगी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)

परवीन कुमार रस्तोगी
सीपी नं 26582
एम.नं.एफ 4764
पीआर सं. : 5486/2024

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25/07/2024
यूडीआईएन: F004764F000825421

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र.सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी ने सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) के अनुसार स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटा बेस की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें सेबी द्वारा जारी विभिन्न परिपत्र और बीएसई लिमिटेड द्वारा 16 मार्च, 2023 को जारी परिपत्र शामिल हैं।	एसटीसी एक सूचीबद्ध सरकारी कंपनी होने के नाते नियमित रूप से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 का अनुपालन करती है। कंपनी एसडीडी सॉफ्टवेयर को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिससे उक्त विनियमन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

मुख्य अंश: दस वर्षों पर एक नज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
परिचालन परिणाम										
बिक्री										
निर्यात	-	-	-	-	11.32	10.50	265.54	788.86	1,110.47	1,884.27
आयात	-	-	-	12.13	2,536.10	8,437.49	10,216.50	6,381.69	8,735.29	12,041.81
घरेलू	-	-	-	234.51	382.55	445.24	343.00	581.61	633.40	471.13
कुल	**-**	**-**	**-**	**246.64**	**2,929.97**	**8,893.23**	**10,825.04**	**7,752.16**	**10,479.16**	**14,397.21**
लाभ										
व्यापार	-	-	-	4.84	8.64	14.92	26.06	35.03	33.11	101.64
कर से पहले	52.46	37.11	(48.60)	(51.23)	(113.63)	(897.12)	32.25	(148.37)	22.70	31.40
कर के बाद	52.21	32.89	(93.97)	(51.23)	(113.63)	(881.08)	37.52	(165.54)	17.86	26.19
ओवरहेड्स(नोट 1)	45.79	46.23	53.11	96.50	102.58	135.22	130.74	134.66	134.61	131.76
ब्याज व्यय (शुद्ध)	(15.80)	(8.14)	(7.85)	(7.76)	(22.83)	91.38	(90.18)	(78.23)	(75.31)	(55.74)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल मूल्य(नेट वर्थ)										
शेयर पूंजी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
रिजर्व	(133.88)	(204.07)	(257.57)	(169.20)	(121.51)	(8.64)	870.81	831.25	996.79	978.92
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	881.42	884.60	884.60	884.60	884.60	884.60	884.60	872.05	884.62	897.51
कुल	**(955.30)**	**(1,028.67)**	**(1,082.17)**	**(993.80)**	**(946.11)**	**(833.24)**	**46.21**	**19.20**	**172.17**	**141.41**
बैंक उधार	806.23	806.23	806.23	806.23	806.23	1,024.24	1,769.59	1,657.08	1,439.44	1,304.14
कार्यशील पूंजी(नोट 2)										
मालसूची(मालसूची)	0.06	0.06	0.07	0.04	0.22	0.16	0.25	39.70	0.42	5.50
व्यापार प्राप्तियां	1,069.60	1,069.46	1,066.92	138.25	171.09	120.67	2,220.89	2,112.49	2,640.98	2,425.25
अन्य (नेट)	(1,344.13)	(1,222.17)	(1,292.98)	(1,009.70)	(969.33)	(912.44)	(2,165.03)	(1,988.23)	(2,477.75)	(2,108.23)
कुल	**(274.47)**	**(152.65)**	**(225.99)**	**(871.41)**	**(798.02)**	**(791.61)**	**56.11**	**163.96**	**163.65**	**322.52**
नियोजित पूंजी	(73.88)	(144.07)	(197.57)	(109.20)	(61.51)	51.36	930.81	891.25	1,056.78	1,038.71
महत्वपूर्ण अनुपात										
व्यापार(ट्रेडिंग) लाभ : बिक्री (%)	-	-	-	1.96	0.29	0.17	0.24	0.45	0.32	0.71
कर पूर्व लाभ : बिक्री (%)	-	-	-	(20.77)	(3.88)	(10.09)	0.30	(1.91)	0.22	0.22
कर पूर्व लाभ : नेटवर्थ (%)	-	-	-	5.15	12.01	107.67	69.79	(772.76)	13.18	22.20
बिक्री : नियोजित पूंजी (गुना)	-	-	-	(2.26)	(47.63)	173.15	11.63	8.70	9.92	13.86
मालसूची : बिक्री (%)	-	-	-	0.02	0.01	0.00	0.00	0.51	0.00	0.04
व्यापार प्राप्य : बिक्री (%)	-	-	-	56.05	5.84	1.36	20.52	27.25	25.20	16.85
ओवरहेड्स : बिक्री (%)	-	-	-	39.13	3.50	1.52	1.21	1.74	1.28	0.92

नोट 1: ओवरहेड्स में वर्ष 2011-12 से आगे का किराया संबंधी व्यय शामिल नहीं है

नोट 2: वर्ष 2011-12 से गैर चालू मदों को छोड़ दिया गया है, और वित्त वर्ष 2021-22 से आगे, गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर लेखांकन नीति में बदलाव के कारण, सभी गैर-चालू परिसंपत्तियों और गैर-चालू देनदारियों को चालू परिसंपत्तियों और चालू देनदारियों के रूप में समूहीकृत किया गया है।

नोट 3 : वर्ष 2017-18 के आंकड़े इंड-एएस के अनुसार हैं।

पृथक (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणाम 2023-24

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्य दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए पृथक नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित पृथक वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स (जिन्हें आगे "पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) शामिल हैं।

विशेषक राय

हमारी राय में और विशेषक राय के आधार पैराग्राफ में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के कारण, विशेषक राय को छोड़कर उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 यथा संशोधित ("इंड एएस") के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांत हैं, जो 31 मार्च 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके शुद्ध लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और उसके नकदी प्रवाह के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विशेषक राय का आधार

1. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

   i. पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4(ए) का संदर्भ लें, निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में कंपनी के नाम पर शीर्षक विलेखों की अनुपलब्धता है:

      क) लीजहोल्ड भवन(बिल्डिंग)

      i. जवाहर व्यापार भवन में पट्टे पर दी गई भूमि जिसकी कीमत 55,929 लाख रुपये है।

      ii. अरबिंदो मार्ग स्थित हाउसिंग कॉलोनी में पट्टे पर दी गई (लीजहोल्ड) भूमि का मूल्य 12,394 लाख रुपये है।

      iii. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मैलेट बंदर में प्लॉट जिसकी कीमत 11.67 लाख रुपये है।

      ख) फ्रीहोल्ड भवन(बिल्डिंग)

      i. एशियाई खेल गांव परिसर में डीडीए द्वारा 2720 लाख रुपये की लागत से 8 आवासीय फ्लैट आवंटित किए गए।

      ii. मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 7 अपार्टमेंट, जिनकी कीमत 1918 लाख रुपये है।

      इसके अलावा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मैलेट बंदर में प्लॉट की लीज़ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और ज़मीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर सर्टिफिकेट निष्पादित किया गया है। लेकिन इसे अभी भी बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार, बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है। इसका लाभ और हानि खाते के विवरण पर भी परिणामी प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैलेट बंदर में स्थापित 14.84 लाख रुपये की लागत वाले फार्म टैंक भी जहां हैं, वहीं के आधार पर सौंप दिए गए हैं। कंपनी ने इसके लिए कोई डेबिट नोट जारी नहीं किया है और इस प्रकार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को 14.84 लाख रुपये से अधिक दिखाया जा रहा है।

      इसके अलावा, कंपनी ने दिनांक 31.03.2024 तक समाप्त अवधि के लिए इंड एएस 116 के अनुसार लीजहोल्ड संपत्तियों के मूल्य का परिशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया और कंपनी के लाभ पर परिणामी प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का कंपनी से पूर्ण डेटा के अभाव में आकलन नहीं किया जा सका।

      ii. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए और एशियाई खेलों के दौरान सड़क को चौड़ा करने के लिए एलएंडडीओ द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के साथ-साथ कंपनी द्वारा भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) को अपनी आवासीय कॉलोनी के लिए बेचे गए फ्लैट/भूमि के क्षेत्र के विरुद्ध स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में मूल्य/क्षेत्र का समायोजन न करने के लिए नोट संख्या 4 देखें। प्रबंधन डीएमआरसी और संबंधित विभागों के साथ पत्राचार कर रहा है।

      इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर विवरण दिया गया और कंपनी के लाभ पर परिणामी प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का कंपनी के पूर्ण डेटा के अभाव में आकलन नहीं किया जा सका।

2. व्यापार प्राप्य

नोट संख्या 9 के अनुसार 1,69,688.11 लाख रुपए की सभी व्यापारिक प्राप्तियां 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। कंपनी ने 62,727.62 लाख रुपये की धनराशि के खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है और 1,06,960.49 लाख रुपये की एक अन्य धनराशि को "क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह मुकदमेबाजी के अधीन है। नोट संख्या 9 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित लेनदारों को इन व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली के बाद ही भुगतान किया जाएगा, हालांकि अधिकांश मामलों में समझौते त्रिपक्षीय नहीं होते हैं।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई वसूली नहीं हुई है और विभिन्न फोरम पर लंबित कानूनी मामलों का कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इस प्रकार व्यापार प्राप्तियों को इन व्यापार प्राप्तियों को वसूलने के लिए किए जाने वाले व्यय को घटाकर प्राप्त मूल्य पर नहीं बताया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक इन व्यापार प्राप्तियों के लिए कोई शेष धनराशि की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसकी वास्तविकता और प्रभाव, यदि कोई हो तो उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमारा मानना है कि 1,69,688.11 लाख रुपये की सभी व्यापारिक प्राप्तियां वसूली के लिए संदिग्ध मानी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये की संदिग्ध ऋण धनराशि के लिए कम प्रावधान हुआ है। इस प्रकार खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,06,960.49 लाख रुपये से कम बताया गया है और लाभ और हानि खाते के विवरण पर परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये से लाभ को अधिक दर्शाया गया है।

इसके अलावा मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) के मामले में, नोट संख्या 39.4, भाग संख्या 4 के तहत, जिन्होंने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें एसटीसी के विनिमय पत्र के लिए विदेशी खरीदार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार किया गया। हालांकि, विदेशी खरीदारों ने निर्यात बिलों के प्रति भुगतान करने में चूक की और परिसमापन में चले गए। विदेशी खरीदारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52786 लाख रुपये की धनराशि स्वीकार की गई है। एक अन्य विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर से बकाया धनराशि के विरुद्ध एसटीसी के पक्ष में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 6247 लाख रुपये की डिक्री पारित की गई है। वर्तमान तिथि के अनुसार, आरपीएल परिसमापन में चला गया है और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। यह मामला सीबीआई द्वारा भी जांच के अधीन है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी/उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी 47647 लाख रुपये का दावा करते हुए मामले में एक पक्ष बनाया गया है। आरपीएल के अलावा अन्य मामलों के लिए नोट संख्या 39 का भी संदर्भ लें, क्योंकि ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और/या सीबीआई की जांच के अधीन हैं और हम वित्तीय विवरणों पर उनकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियां

वर्तमान में, खाता बही के अनुसार, इसके विदेशी खरीदारों से 3,149.35 लाख अमेरिकी डॉलर(यूएसडी) और 20.90 लाख यूरो प्राप्त होने हैं और इसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 41.49 लाख अमेरिकी डॉलर और 0.04 लाख पाउंड देय हैं। संक्षेप में, एसटीसी के वित्तीय मामलों में विदेशी खरीदार और लेनदार हैं जिनका वित्त वर्ष 2023-24 में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, कंपनी ने अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियों की अग्रणीत धनराशियों का पुनर्मूल्यांकन न करके भारतीय लेखा मानक 21 (विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में) का अनुपालन नहीं किया है, जो मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं।

इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका पता लगाने में असमर्थ हैं।

4. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

नोट संख्या 12 देखें, कंपनी के पास 1616.96 लाख रुपये का एमएटी क्रेडिट है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा एमएटी क्रेडिट को वापस करने का मुद्दा भी उठाया गया था। लेकिन अभी भी एमएटी क्रेडिट को वापस नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप लाभ को 1616.96 लाख रुपये और वर्तमान परिसंपत्तियों को 1616.96 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है।

5. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

i. नोट संख्या 14 देखें - "शुल्कों और करों के संबंध में गैर-प्रावधान के लिए अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां, सीएसटी (कोयला) की धनराशि 6.89 लाख रुपये है जो कि वसूली योग्य नहीं है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।"

ii. नोट संख्या 11 देखें - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य दावे: 3 वर्षों से अधिक समय से वसूली योग्य दावों के संबंध में गैर-प्रावधानीकरण के लिए, जिसकी धनराशि 3148.42 लाख रुपये है, जहां कंपनी के प्रबंधन द्वारा कोई वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

यह भारतीय लेखा मानक-36 का अनुपालन नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इन सभी वर्तमान परिसंपत्तियों को प्राप्ति मूल्यों के बजाय उनकी अग्रणीत धनराशि पर दर्शाया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को 3148.42 लाख रुपये अधिक तथा लाभ को 3148.42 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है।

6. प्रावधान

भूमि एवं विकास कार्यालय - नई दिल्ली से प्राप्त कुल मांग 13,283 लाख रुपये (मार्च, 2004 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए) में से 4,743 लाख रुपये की मांग का प्रावधान न करने के लिए नोट संख्या 38 देखें, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 4,743 लाख रुपये की अधिकता और देनदारियों में कमी दिखाई गई है। हालाँकि, इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, कंपनी ने उक्त मांग धनराशि (लगभग 10% की दर से गणना की जाने वाली) पर अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है। मामला एल एंड डीओ कार्यालय के साथ पत्राचार में है और खातों में वर्ष 2023-24 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. व्यापार देय

नोट संख्या 21 देखें, 1,11,775.72 लाख रुपये की सभी व्यापार देयताएं बिना किसी शेष धनराशि की पुष्टि के हैं और 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं।

इन पार्टियों को कोई धनराशि देय नहीं है क्योंकि ये आपूर्तिकर्ता हैं जिन्होंने एसटीसी के साथ कानूनी समझौता किया है जिसके तहत जब तक खरीदार से धनराशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कोई धनराशि देय नहीं है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन व्यापार देयताओं के लिए कोई उपचार नहीं दिया है और इस सीमा तक, देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

8. सांविधिक बकाया

जीएसटी

नोट संख्या 14 देखें, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी द्वारा जीएसटी इनपुट प्राप्य और देय शेष धनराशि का मिलान नहीं किया गया है। जीएसटी इनपुट 64.73 लाख रुपये - दावा योग्य नहीं है लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कंपनी का लाभ उसी धनराशि से अधिक दिखाया गया है।

स्रोत पर कर कटौती

आयकर रिटर्न जमा करते समय काटे गए टीडीएस का मिलान फॉर्म 26एएस के साथ किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट की तिथि तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सुधार विवरण प्रस्तुत करने हेतु लंबित 8.89 लाख रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. अन्य अवलोकन

i. नोट संख्या 24 देखें, ग्राहक के क्रेडिट में यू.पी सरकार को देय 603 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने यू.पी सरकार पर कई अन्य दावे किए हैं और तदनुसार यू.पी. सरकार से 3382.23 लाख रुपये की बकाया धनराशि वसूली योग्य है, जिसके लिए 10 मार्च, 2014 को डेबिट नोट जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त दावे को आज तक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि इसका अंतिम संग्रह निश्चित नहीं था। यू.पी. सरकार द्वारा उक्त दावे की स्वीकार्यता के बारे में जानकारी के अभाव में, हम कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, तो उसका पता लगाने में असमर्थ हैं।

ii. निम्नलिखित अवलोकनों का प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है: -

क. मुकदमेबाजी के अंतर्गत मामलों और विवादों तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत आने वाली धनराशियों का संदर्भ लें, क्योंकि अधिकांश मामले विचाराधीन हैं , इसलिए इन मामलों पर देनदारियों और ब्याज दायित्व (यदि कोई हो) का परिमाणन करना संभव नहीं है।

मुकदमेबाजी के मामलों, उनकी वर्तमान स्थिति और प्रावधान, यदि कोई हो, तो उसकी आवश्यकता और कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में नोट संख्या 38 का संदर्भ लें; इसके अलावा, कंपनी के पिछले परिचालनों ने इसे व्यापक मुकदमेबाजी और तीसरे पक्ष से संविदात्मक दावों के जोखिम में डाल दिया है, जिसमें मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि हुई है, जिसका पूरी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है। संभावित परिणामों की सीमा, इन मामलों से निपटने वाले कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विभिन्न दावों के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण, प्रावधान के रूप में बयानों में दर्ज की जाने वाली अंतिम देनदारियों की धनराशि, यदि कोई हो, तो उसका पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. जवाहर व्यापार भवन स्थित संपत्ति के सह-स्वामी एचएचईसी और सीजीएसटीसीआईसी से वसूली योग्य दावों का संदर्भ लें, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एसटीसी को 31 मार्च 2024 तक 2258.98 लाख रुपये (एचएचईसी के लिए 602.59 लाख रुपये और सीसीआईसी के लिए 1656.39 लाख रुपये) के अपने हिस्से का खर्च नहीं चुकाया है। बताया जाता है कि यह मामला एचएचईसी और सीसीआईसी के साथ पत्राचार के अधीन है।

ग. उधारी

नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में कंपनी द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस (एमओटीएस) प्रस्ताव का ज्ञापन अभी भी प्रगति पर है

एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है ।

उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। उधारी पर एमओटीएस कार्यवाही और ब्याज देयता का प्रभाव परिमाणित नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है ।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है (योग्य राय के लिए आधार सहित)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

पृथक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

पृथक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी पृथक वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब भी हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलतबयानीहै, तो हमे इस मामले के बारे में शासन के प्रभारी को सूचित करना आवश्यक हे।

पृथक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन पृथक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में है, जो कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और आवेदन; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।

प्रबंधन ने निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर ये वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है । हालांकि, यह बताना जरूरी है कि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी में कोई पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नहीं है और कंपनी केवल स्वतंत्र निदेशकों और अतिरिक्त प्रभार पर निदेशक (वित्त) की सहायता से काम कर रही है।

पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पृथक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान की और उनका आकलन किया, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित किया, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्त्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त की जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया गया।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के गैर-चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया, क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी देखा गया कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हालाँकि, कंपनी के वित्तीय विवरण गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून अथवा विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, तथा कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुलग्नक "ए" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक बयान देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   i. हमने "विशेषक राय के लिए आधार" में संदर्भित मामलों को छोड़कर सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं - जिसका प्रभाव आंशिक रूप से अनिश्चित है, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे। और यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा तथा वित्तीय विवरणों पर ऐसी सूचना का प्रभाव।

ii. हमारी राय में, "विशेषक राय के लिए आधार" में संदर्भित मामलों को छोड़कर कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

iii. तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, खाता बही के अनुरूप हैं।

iv. हमारी राय में, यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट विशेषक राय के आधार को छोड़कर उपर्युक्त पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

v. हमारी राय में, उपरोक्त पैराग्राफ "गोइंग कंसर्न के संबंध में भौतिक अनिश्चितता" के अंतर्गत वर्णित गोइंग कंसर्न मामले का कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

vi. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनी होने के कारण अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होंगे;

vii. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक विशेषक राय व्यक्त करती है।

viii. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होंगे; और

ix. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संशोधित किया गया है :

क. कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा नहीं कर पाई है, वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 और 39 देखें।

ख. कंपनी के पास व्युत्पन्न(डेरिवेटिव) अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई भी पूर्वानुमानित लाभ हो।

ग. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारी संचित लाभ के कारण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई अंतरण नहीं किया है। इसलिए, कंपनी द्वारा अंतरित की जाने वाली धनराशि में देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

घ.

i) कंपनी के प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, उसने हमें बताया है कि, उनके खातों में टिप्पणियों में दर्शाए गए के अलावा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत किया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') सहित किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम, उधार अथवा निवेशित (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थी') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा अथवा निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा अथवा इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

ii) कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, उसने हमें बताया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्था ('वित्तपोषण पार्टी') सहित किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से अथवा समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज की गई हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, वित्तपोषण पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

(iii) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी महत्त्वपूर्ण गलत बयान है।

ङ. वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

च. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की विशेषता है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित होती है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रासंगिक नहीं है।

3. हम अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर, कंपनी की बही और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुलग्नक-सी में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या 504134

यूडीआईएन: 24504134BKEGUE9821

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक 'ए'

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 का संदर्भ लें।

1. स्थायी परिसंपत्तियां

क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों (निपटान के लिए रखी गई संपत्तियां) के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा "निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों" का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं:

स्थान	विवरण	जिनके नाम पर धारित	लेखापरीक्षा अवलोकन	सकल ब्लॉक/ पुनर्मूल्यांकित धनराशि (करोड़ में)	शुद्ध ब्लॉक (करोड़ में)
नई दिल्ली	टॉलस्टॉय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में पट्टे(लीज) पर भूमि। क्षेत्रफल : 2.599 एकड़	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा विलेख का निष्पादन 1975 से लंबित है। इसके अलावा, कुल क्षेत्रफल में से, 714.60 वर्गमीटर भूमि का भौतिक कब्ज़ा अब एसटीसी के पास नहीं है (अर्थात मेट्रो के निर्माण के लिए डीएमआरसी द्वारा 388.91 वर्गमीटर और एशियाई खेलों के दौरान सड़क को चौड़ा करने के लिए एनडीएमसी द्वारा 325.69 वर्गमीटर अधिग्रहित) तथा इसका मूल्य एफएआर/एफएएस में अपलोड नहीं किया गया है। भौतिक स्थिति के अंतर्गत क्षेत्र का मापन अभी किया जाना है।	581.88	559.29
नई दिल्ली	एसटीसी/एमएमटीसी हाउसिंग कॉलोनी, अरबिंदो मार्ग , नई दिल्ली क्षेत्रफल: 16.17 एकड़	भारत के राष्ट्रपति	हाउसिंग कॉलोनी के लिए आवंटित पट्टा विलेख (कुल भूमि के 50% हिस्से के लिए 32.33 एकड़) का निष्पादन अभी भी लंबित है। इसके अलावा, एसटीसी द्वारा अपने हिस्से से एचएचईसी को अपनी हाउसिंग कॉलोनी के लिए दिए गए क्षेत्र के रिकॉर्ड/विवरण को एफएआर/एफएएस में समायोजित किया जाना है। कंपनी की भौतिक स्थिति के तहत क्षेत्र का मापन अभी किया जाना है।	125.57	123.94
नई दिल्ली	ए.जी.वी.सी., खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली में फ्लैट्स। क्षेत्रफल: 8 फ्लैट, 14424 वर्गमीटर एफटीएस	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा/हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अभी भी लंबित है।	27.45	27.20
मुंबई	7 फ्लैट (नोट संख्या 4 का फुटनोट देखें) क्षेत्रफल: 7997 वर्गमीटर	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा/हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अभी भी लंबित है।	29.35	19.18
मुंबई	मैलेट बंदर क्षेत्रफल: लगभग 11586.96 वर्गमीटर	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा विलेख 2016 से समाप्त हो चुका है और कंपनी ने प्लॉट अभ्यर्पित कर दिया है, प्रमाण पत्र दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित किया जा रहा है।	36.72	11.67

उपर्युक्त सभी संपत्तियां प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं। प्रबंधन द्वारा कोई वैध कारण नहीं बताया जा सका कि एसटीसी के नाम पर स्वामित्व विलेख(टाइटल डीड) क्यों नहीं बनाई गई।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान सिवाय परिसंपत्ति की हानि के अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसे अब निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्ति अथवा अमूर्त परिसंपत्ति अथवा दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ.) अहमदाबाद के 1, मुंबई के 18 और कोलकाता के 2 फ्लैटों के मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि फोटोकॉपी और सत्य प्रतियां कंपनी के पास उपलब्ध हैं।

च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है अथवा लंबित नहीं है।

2. मालसूची और कार्यशील पूंजी सीमाएँ

चूंकि कंपनी के पास कोई व्यापार योग्य मालसूची नहीं है, इसलिए यह मद लागू नहीं है।

हालाँकि, कंपनी के पास स्टेशनरी/स्टोर और स्पेयर्स का स्टॉक है, जिसका कोई महत्वपूर्ण मूल्य नहीं है और कंपनी द्वारा इसका प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है।

3. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई भी सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii) (ए), (बी) और (सी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आने वाली पार्टियों को कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है अथवा कोई गारंटी अथवा सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

5. कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (V) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

6. हमें बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत कंपनी की सेवाओं के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

7. सांविधिक बकाया धनराशि:

क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा खाता बही की जांच के आधार पर, कंपनी नियमित रूप से अविवादित सांविधिक बकाया धनराशि जमा करती है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, माल और सेवाकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक बकाया शामिल हैं जो कंपनी पर लागू हो सकते हैं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक, उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई भी अविवादित सांविधिक बकाया बकाया नहीं है।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बही के अनुसार, बिक्रीकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, सेवाकर, माल और सेवाकर और उपकर के बकाया हैं जो किसी विवाद के कारण कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 तक जमा नहीं किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं (वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 38 (ii) देखें)

सांविधि का नाम	देय धनराशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	धनराशि (करोड़ में)
बिक्री कर एवं सीमा शुल्क				
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2011-12	सीईएसटीएटी, अहमदाबाद	1.69
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	-	आयुक्त (अपील), मुंबई	0.06
सीमा शुल्क अधिनियम	सीमा शुल्क	2017-18	सीईएसटीएटी, चेन्नई	4.16
बिक्रीकर	बिक्रीकर	1986-87	केरल उच्च न्यायालय	0.50
उड़ीसा बिक्रीकर अधिनियम	बिक्रीकर	1988-89	आयुक्त (अपील), उड़ीसा	0.01
बिहार बिक्रीकर अधिनियम	बिक्रीकर	1989-90	बिक्रीकर अपीलीय न्यायाधिकरण	0.01
केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम	सीएसटी, पश्चिम बंगाल	2003-04	संयुक्त आयुक्त, बिक्रीकर	0.23

सांविधि का नाम	देय धनराशि की प्रकृति	वह अवधि जिससे धनराशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है	धनराशि (करोड़ में)
पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम / केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम	डब्ल्यूबीवैट	2011-12	संयुक्त आयुक्त,	0.02
	सीएसटी, पश्चिम बंगाल		वाणिज्यिक कर	
केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम	केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम	1993-94	माननीय असम उच्च न्यायालय	0.02
		1994-95		
		1995-96		
महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिनियम	बिक्रीकर	1992-93	महाराष्ट्र बिक्रीकर न्यायाधिकरण	0.74
महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिनियम	बीएसटी, सीएसटी और एमवैट	1993-94	संयुक्त आयुक्त, बिक्रीकर	47.69
		2000-01		
		2003-04		
		2006-07		
महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिनियम	बीएसटी, सीएसटी और एमवैट	2004-05	संयुक्त आयुक्त, बिक्रीकर	390.36
		2009-10		
		2011-12		
महाराष्ट्र बिक्रीकर अधिनियम	अनुबंध पर टीडीएस	2012-13	बिक्रीकर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई	0.21
टीएनजीएसटी/एएसटी/सीएसटी	बिक्रीकर	1974-75, 1975-76, 1985-86 to 1987-88, 1989-90 & 1991-92	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय	0.83
सेवाकर				
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	2005-06 - 2006-07	सीईएसटीएटी (स्टे ग्रांटेड)	7.29
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	01.04.2012-31.03.2015	सीईएसटीएटी	4.37
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	2007-08 - 2016-17	सीईएसटीएटी	6.02
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	01.04.2011-31.03.2012	सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण	0.13
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	01.10.2004-31.03.2011	सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली	16.54
वित्त अधिनियम, 1994	सेवाकर	01.04.2015-30.06.2017	संयुक्त आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई	1.24
प्रमाणपत्र बकाया देयता				
बीपीडीआरए	प्रमाणपत्र बकाया देयता	1971-72,1976-77 to 1978-79	संबंधित विभाग	**0.0633**

8. कंपनी के पास खाता बही में दर्ज करने के लिए कोई भी ऐसा लेन-देन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित अथवा प्रकट किया गया हो।

9. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक को ऋण/उधार के पुनर्भुगतान में चूक की है (हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के नोट संख्या 20 और विशेषक राय के आधार सेक्शन को देखें)। हालाँकि, कंपनी पर वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार बकाया है, लेकिन सरकार अथथवा ऋण-पत्र(डिबेंचर) धारकों से बकाया नहीं है।

कंपनी द्वारा चूक की गई राशि और चूक की अवधि का ऋणदाता-वार विवरण निम्नानुसार है-

बैंकों का नाम	किस्तों की धनराशि और अतिदेय ब्याज*	दिनांक 31.03.2024 तक डिफ़ॉल्ट की अवधि (दिनों में)
सिंडिकेट बैंक	280.71	2191 दिन
इंडियन ओवरसीज बैंक	188.02	2191 दिन
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	140.72	2222 दिन
इंडियन बैंक	94.81	2222 दिन
एक्ज़िम बैंक	74.43	2738 दिन
बैंक ऑफ बड़ौदा	26.27	2110 दिन
यूबीआई (कुमिली)	1.28	2222 दिन
कुल	**806.24****	

* दिनांक 31.12.2018 तक अतिदेय ब्याज बुक किया गया है

** लीड बैंक के दिनांकित 27 जून, 2019 के पत्र के माध्यम से ऋणदाता बैंकों के साथ धनराशि को क्रिस्टलीकृत कर दिया गया।

10. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर,

    क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश अथवा ऋण उपकरणों और सावधि ऋणों सहित आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जाती है।

    ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62 के प्रावधानों के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा निजी प्लेसमेंट नहीं किया है ।

11. i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण और कंपनी के खाता बही तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा पद्धतियों के अनुसार, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की बात सामने आई है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से मुकदमा चल रहा है।

    हमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई और अन्य निकायों द्वारा विभिन्न फोरमों पर 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एसटीसी के कर्मचारियों द्वारा दूसरों के साथ धोखाधड़ी की गई है। प्रबंधन द्वारा कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ये मामले न्यायालय में विचाराधीन बताए गए हैं ।

    ii. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है ।

    iii. वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

12. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांकित 5 जून, 2015 के अनुसार धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xi) कंपनी पर लागू नहीं है।

13. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए ऐसी कंपनियों से संबंधित आदेश का पैराग्राफ 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

14. हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरणों में विवरण प्रदर्शित किए गए हैं। (नोट संख्या 47 देखें)

15. कंपनी के रिकार्डों तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है, इसलिए उपर्युक्त खंड लागू नहीं होता।

16. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है ।

17. हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकद हानि नहीं हुई है, लेकिन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि हुई थी।

18. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हर वर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

19. हमारे विचार के अनुसार, चूंकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन बंद कर दिए हैं और गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। व्यापार प्राप्तियों और बैंक से लिए गए 80,623 लाख रुपये के उधार के संबंध में कई कानूनी मामले हैं, जो लंबे समय से एनपीए हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र(बैलेंस शीट) की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है।

20. चूँकि कंपनी का संचित घाटा बहुत ज़्यादा है और यह कोई चालू व्यवसाय नहीं है, इसलिए इसे सीएसआर पर कोई धनराशि खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में कोई धनराशि अंतरित करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, आदेश के उक्त खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या 504134

यूडीआईएन: 24504134BKEGUE9821

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक 'बी'

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 के खंड (vii) का संदर्भ लें।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के साथ दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानी गई, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों को भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था।

हमारी लेखापरीक्षा (ऑडिट) में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करे, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं (आईएफसीएफआर)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण की अवहेलना करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय

रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, इसके परिणामस्वरूप स्थितियों में बदलाव अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

विशेषक राय का आधार

क) कंपनी "प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली", पेरोल सॉफ्टवेयर और "छुट्टी प्रबंधन प्रणाली" का प्रबंधन कर रही है, जो एक दूसरे के साथ-साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस नहीं हैं। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैली प्राइम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में समय-समय पर मैन्युअल अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।

ख) जहां तक देयताओं/वसूली योग्य दावों/प्रतिभूति जमाओं का संबंध है, लेखांकन बही खातों की प्रभावी जांच का अभाव देखा जाता है, क्योंकि उन्हें अद्यतन नहीं किया जाता है।

ग) स्थायी परिसम्पत्ति अनुसूची एवं रजिस्टर (बिक्री हेतु रखी गई सम्पत्तियां) के रखरखाव के तरीके को मजबूत करने की आवश्यकता है।

घ) उचित अनुबंध प्रबंधन का अभाव देखा गया है। अनुबंधों के पूरा होने के बावजूद कंपनी द्वारा ईएमडी/सुरक्षा जमा को अभी भी बहीखातों में रोक कर रखा जा रहा है।

ङ.) समय पर किराया/पट्टा(लीज़) समझौतों के नवीनीकरण पर नियंत्रण का अभाव है। ऐसे कई समझौते हैं जिन्हें लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है।

च) व्यापार प्राप्य और विक्रेता शेष की शेष पुष्टि में लेखांकन नीति का अप्रभावी कार्यान्वयन देखा गया है। व्यापार प्राप्य खाते में बकाया शेष धनराशि का ग्राहकों की पुस्तिका में मिलान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन ग्राहकों के लिए शेष धनराशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की जाती है और उपलब्ध नहीं है।

छ) चूंकि कंपनी में कोई भी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नहीं है, तथा कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की भी कमी है, इसलिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले सभी निर्णय और मामले स्थगित रखे जाते हैं, तथा कंपनी में अप्रभावी प्रबंधन नियंत्रण है।

'भौतिक त्रुटियां' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, या कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक त्रुटियों के विवरण को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जा सकेगा।

विशेषक राय

हमारी राय में, कंपनी के पास, नियंत्रण मानदंडों के उपलब्धि उद्देश्यों पर ऊपर वर्णित भौतिक त्रुटियों के प्रभावों को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है।

हमने, यथासंभव, कंपनी के 31 मार्च, 2024 के पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की भौतिक त्रुटियों पर विचार किया है, और इन भौतिक त्रुटियों के कारण कंपनी के पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या 504134

यूडीआईएन: 24504134BKEGUE9821

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु अनुलग्नक 'सी'

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पृथक(स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों पर दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3 का संदर्भ लें ।

1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को प्रोसेस करने के साथ-साथ वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, तो उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी "प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली", पेरोल सॉफ्टवेयर और "छुट्टी प्रबंधन प्रणाली" का रखरखाव कर रही है, जो एक दूसरे के साथ-साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस नहीं करते हैं। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में समय-समय पर मैन्युअल अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन अथवा कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं ? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।	ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि की छुट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है ।
3.	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	कंपनी ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के साथ दिनांक 31.12.2018 तक 1,90,624 लाख रुपये तय किए गए हैं। दिनांक 29.03.2019 को जेएलएफ के लीडर केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) को 110000 लाख रुपये का आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है (90,000 लाख रुपये) और दिनांक 27.05.2019 को 2,00,000 लाख रुपये ।
		अधिक जानकारी के लिए नोट संख्या 20 देखें।
		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को केन्द्र/राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-

(सीए रुचि अग्रवाल)

भागीदार

सदस्यता संख्या 504134

यूडीआईएन: 24504134BKEGUE9821

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 28.05.2024

अनुपालना प्रमाण-पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पृथक (स्टैंडअलोन) इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-
(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 504134
यूडीआईएन: 24504134BKEGUE9821
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च 2024 तक तुलनपत्र (बैलेंस शीट)

(₹ लाख में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	-	-
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	-	-
(ग) निवेश संपत्ति	6	-	-
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	7	-	-
ङ.) वित्तीय परिसंपत्तियां :			
(i) निवेश	8	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	9	-	-
(iii) ऋण	10	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	-	-
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	-	-
(छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14	-	-
उप योग		**-**	**-**
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	15	4.70	5.82
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां :			
(i) निवेश	8	1.04	1.04
(ii) व्यापार प्राप्य	9	106,960.49	106,946.18
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	20,059.47	859.25
(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	17	-	-
(v) ऋण	10	3,536.49	3,574.61
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	17,895.38	30,149.24
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13	1,022.50	2,654.87
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,173.46	1,167.51
(ङ.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	1,616.96	1,367.36
(च) बिक्री/निपटान के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियां		86,808.02	87,127.71
उप योग		**239,078.51**	**233,853.59**
कुल संपत्ति		**239,078.51**	**233,853.59**
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	6,000.00	6,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	19	(13,388.34)	(20,406.63)
उप योग		**(7,388.34)**	**(14,406.63)**
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	20	-	-
(ii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई की बकाया राशि		-	-
(iii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई के अलावा अन्य बकाया	21	-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	22	-	-
(ख) प्रावधान	23	-	-
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	24	-	-
उप योग		**-**	**-**
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	20	80,623.24	80,623.24
(ii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई		-	-
(iii) व्यापार देयताएं - अन्य	21	111,775.72	111,708.55
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	22	38,659.12	38,999.68
(ख) प्रावधान	23	14,499.90	16,029.29
(ग) अन्य चालू देयताएं	24	908.87	899.46
उप योग		**246,466.85**	**248,260.22**
कुल शेयर और देनदारियां		**239,078.51**	**233,853.59**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 59, लेखों का अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
ii)	परिचालन से राजस्व	25	-	-
ii)	अन्य आय	26	9,581.41	8,503.78
	कुल आय		**9,581.41**	**8,503.78**
खर्च				
i)	उपभोग की गई सामग्री की लागत	27	-	-
ii)	व्यापार में स्टॉक की खरीद	28	-	-
iii)	एफजी, व्यापार में स्टॉक और डब्ल्यूआईपी की मालसूची में परिवर्तन	29	-	-
iv)	कर्मचारी लाभ खर्चे	30	3,234.49	3,475.06
v)	वित्तीय लागत	31	193.62	193.94
(vi)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	32	-	-
vii)	अन्य खर्चों	33	1,344.14	1,147.87
	कुल व्यय		**4,772.25**	**4,816.87**
असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ			4,809.16	3,686.91
	असाधारण मदें - व्यय/(आय)	34	(436.40)	(24.18)
कर पूर्व लाभ			**5,245.56**	**3,711.09**
	कर व्यय	35		
	(i) वर्तमान कर		793.25	421.95
	(ii) पिछले वर्षों से संबंधित कर		(768.35)	-
	(iii) आस्थगित कर		-	-
चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ			**5,220.66**	**3,289.14**
	बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)		-	-
	बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		-	-
कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ			-	-
i.	**वर्ष का लाभ**		**5,220.66**	**3,289.14**
ii.	**अन्य व्यापक आय**			
i)	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		2,115.51	2,061.45
	घटाएँ: उपरोक्त पर आयकर		-	-
ii)	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	अन्य व्यापक आय		**2,115.51**	**2,061.45**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		7,336.17	5,350.59
	प्रति इक्विटी शेयर आय :			
	(1) बेसिक		12.23	8.92
	(2) डाइल्यूट		12.23	8.92

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 59, लेखों का अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :				
	कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		**5,245.56**		**3,711.09**
	समायोजन:				
	-ऋण पर ब्याज	-			
	-मूल्यह्रास	-		-	
	-ऋण/अग्रिम/दावों/देनदारियों/परिसंपत्तियों का शुद्ध राइट बैक	(436.92)		(23.10)	
	-किराये पर दी गई संपत्ति से संबंधित आय/व्यय	(7,691.94)		(7,334.58)	
	- सावधि जमा/निवेश पर ब्याज आय	(1,677.51)		(985.54)	
	-परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	0.52		-	
	-परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(9,805.85)	(1.08)	(8,344.30)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ		**(4,560.29)**		**(4,633.21)**
	समायोजन:				
	-व्यापार और अन्य प्राप्य		44.77		(1,534.49)
	-मालसूची		1.12		1.24
	-व्यापार और अन्य देयताएं		169.81		2.58
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		**(4,344.59)**		**(6,163.88)**
	भुगतान किया गया आयकर / (वापसी)		(2,132.57)		-
	परिचालन गतिविधियों में उत्पन्न/प्रयुक्त शुद्ध नकदी (क)		**(2,212.02)**		**(6,163.88)**
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
	-स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		-		-
	- अचल संपत्तियों की बिक्री		1.81		4.12
	- टी-बिल/जमा से प्राप्त आय		92.19		(180.98)
	-प्राप्त ब्याज		1,677.51		985.54
	-किराये पर दी गई संपत्तियां (शुद्ध)		7,691.94		7,334.58
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)		**9,463.45**		**8,143.26**
ग.	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
	-ऋण में वृद्धि		-		-
	-ब्याज का भुगतान किया		-		-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)		**-**		**-**
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (ए+बी+सी)		**7,251.43**		**1,979.38**
	नकद एवं नकदी समतुल्य का समाधान				
	तुलनपत्र(बैलेंस शीट) के अनुसार समापन नकदी एवं बैंक शेष		28,734.51		21,483.08
	बैलेंस शीट के अनुसार आरंभिक नकदी एवं बैंक शेष		21,483.08		19,503.70
	नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं बैंक शेष		**7,251.43**		**1,979.38**
	बैलेंस शीट के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य*		28,734.51		21,483.08
	घटाएँ: गैर-परिवर्तनीय बैंक जमा		8,675.04		20,623.83
	नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		20,059.47		859.25
	नकद और नकद समतुल्य में अवैतनिक लाभांश शामिल है		-		-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 59, लेखों का अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(i) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाखों में)	अंकित मूल्य (रु.)	धनराशि
1 अप्रैल, 2023 तक शेष धनराशि	600	10	6,000
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	**600**	**10**	**6,000**
वर्ष 2023-24 के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष धनराशि	**600**	**10**	**6,000**

विवरण	शेयरों की संख्या (लाखों में)	अंकित मूल्य (रु.)	धनराशि
1 अप्रैल, 2022 तक शेष धनराशि	600	10	6,000
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	600	10	6,000
2022-23 के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक शेष धनराशि	**600**	**10**	**6,000**

(ii) अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	भंडार और अधिशेष						कुल
	सामान्य रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	विनिमय उतार-चढ़ाव रिजर्व	बोनस रिजर्व	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	5,987.16	100.00	(115,603.83)	649.53	0.33	88,460.18	(20,406.63)
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	7,336.17	-	-	-	7,336.17
कोई अन्य शुल्क	-	-	-	-	-	(317.88)	(317.88)
31 मार्च, 2024 को शेष धनराशि	**5,987.16**	**100.00**	**(108,267.66)**	**649.53**	**0.33**	**88,142.30**	**(13,388.34)**
1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि	**5,987.16**	**100.00**	**(120,954.43)**	**649.53**	**0.33**	**88,460.18**	**(25,757.23)**
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	5,350.60	-	-	-	5,350.60
कोई अन्य शुल्क		-		-	-		-
31 मार्च, 2023 को शेष धनराशि	**5,987.16**	**100.00**	**(115,603.83)**	**649.53**	**0.33**	**88,460.18**	**(20,406.63)**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. कॉर्पोरेट जानकारी:

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। कंपनी सरकार/सरकारों या प्राइवेट प्रार्टियों की ओर से चावल, गेहूं, चीनी, दालें, खाद्य तेल, उर्वरक, कोयला, सर्राफा इत्यादि की थोक वस्तुओं का आयात और निर्यात जैसे व्यापारिक व्यवसायमें लगी हुई हैं।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

i) अनुपालन विवरण:

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

ii) माप का आधार:

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों और बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2021 की 639वीं बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि एसटीसी को फिलहाल गैर-संचालन कंपनी के रूप में जारी रखा जाएगा और वित्त वर्ष 2021-22 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर खाते तैयार किए जाएंगे। इसे दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उचित परिवर्तन किए गए हैं।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय:

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन ने ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्राएँ और वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जहाँ आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों में संशोधन को भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

आकलन और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसा कि संबंधित लेखांकन नीतियों में कहा गया है) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, वे इस प्रकार हैं:

क. परिसंपत्तियों की क्षति.

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन ।

ग. परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान और मापन।

घ. उचित मूल्यों और अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का मापन

ङ. यह पता लगाने के लिए निर्णय की आवश्यकता है कि क्या यह संभव है या नहीं कि कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

iv) परिचालन चक्र एवं चालू एवं गैर-चालू का वर्गीकरण:

कंपनी व्यापारिक(ट्रेडिंग) व्यवसाय में थी, और कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं था; हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि को "परिचालन चक्र" के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, चालू देनदारियों और चालू परिसंपत्तियों में गैर-चालू वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों का वर्तमान हिस्सा शामिल है। प्रशासनिक मंत्रालय और बोर्ड के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लंबित अनुबंधों को छोड़कर और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देनदारियों का निपटान करने के लिए आवश्यक होने तक कोई और व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होंगी। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से, 12 महीने का एक सामान्य परिचालन चक्र अपनाया गया है।

v) कार्यात्मक मुद्रा:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

3.1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

क) वित्त वर्ष 2020-21 तक, पीपीई की एक वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जा रही थी, यदि यह संभावना हो कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई की एक वस्तु की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य क्रय करों सहित क्रय मूल्य, वसूली योग्य कर, व्यापार छूट और रियायतें घटाने के बाद।

ii. पीपीई को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत।

iii. वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का आरंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी ने या तो पीपीई प्राप्त करते समय या किसी विशेष अवधि के दौरान मालसूची तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए पीपीई का उपयोग करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन किया था।

ख) पीपीई के किसी आइटम से संबंधित बाद के व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता था जब इससे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभ में उसके पहले से निर्धारित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती थी। पीपीई के मौजूदा आइटमों पर अन्य सभी व्यय, जिनमें दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और रखरखाव व्यय शामिल हैं, उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किए गए थे, जिसके दौरान ऐसे व्यय किए गए थे।

ग) पीपीई की मदों की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत धनराशि के बीच अंतर के रूप में मापा गया और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई।

घ) कंपनी ने संक्रमण की तिथि से पीपीई के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है।

ङ) वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि पीपीई से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ सामान्य व्यवसाय के दौरान कंपनी को नहीं मिलेंगे। इसलिए, पीपीई को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में किसी भी कमी को संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाए गए रिजर्व की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में चार्ज किया गया है। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ अथवा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.2. अमूर्त संपत्ति:

क) वित्त वर्ष 2020-21 तक सभी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी गई थी जब कंपनी ने परिसंपत्ति को नियंत्रित किया था, यह संभावना थी कि संबंधित परिसंपत्तियों के साथ अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ एक से अधिक आर्थिक अवधि के लिए कंपनी में प्रवाहित होंगे, और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ख) अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा गया। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, कर वसूली योग्य कटौती के बाद, व्यापार छूट, छूट, और परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल थी। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से घटाकर संचित परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर ले जाया गया।

ग) सभी अमूर्त परिसंपत्तियों (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) को संक्रमण की तिथि से वहन मूल्य पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि अमूर्त परिसंपत्तियों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ सामान्य व्यवसाय के दौरान कंपनी को नहीं मिलेंगे। इसलिए, अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में कोई भी परिवर्तन उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लगाया गया है, जिस सीमा तक संबंधित परिसंपत्ति के लिए रिजर्व बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकन धनराशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ अथवा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.3. संपत्ति मे निवेश करे:

निवेश संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन्हें किराया कमाने और/अथवा पूंजी वृद्धि के लिए रखा जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 तक, निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जा रहा था। इसके बाद, निवेश संपत्ति को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर बताया जा रहा था। इसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जा रहा था। निपटान पर किसी भी लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जा रही थी।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में किराया अर्जित करने में सक्षम न हो। इसलिए, निवेश संपत्तियों को अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर रखा गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में किसी भी कमी को संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाए गए रिजर्व की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में चार्ज किया गया है। पुनर्मूल्यांकन राशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4. अवमूल्यन और परिशोधन:

वित्त वर्ष 2020-21 तक, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया था, जिसमें नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल लागत का 5% का अवशिष्ट मूल्य रखा गया था:

i. अमूर्त वस्तुओं का 2.5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रास/परिशोधन किया गया।

ii. स्थायी पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन नहीं किया गया।

iii. यदि कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत जीवन अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, तो इसे तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया था और मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऐसी परिसंपत्तियों और अनुमानित उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	वर्ष में अनुमानित जीवन
1	घटक: एचवीएसी संयंत्र	
क)	चिल्लर इकाई	15
ख)	पाइपिंग वर्क	15
ग)	एयर हैंडलिंग कार्य	10
घ)	अन्य घटक	15

iv. पट्टा अवधि के दौरान पट्टाधारित परिसंपत्तियों का परिशोधन किया गया।

प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की गई।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और पीपीई तथा अमूर्त संपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इस पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाएगा और इस तरह के पुनर्वर्गीकरण के कारण होने वाली हानि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में उस सीमा तक लगाया गया है, जिस सीमा तक संबंधित संपत्ति के लिए रिजर्व बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को लाभ या हानि में लगाया जाता है।

स्थायी पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जो समाप्ति के मामले में कंपनी के कानूनी अधिकारों पर आधारित है, और वहन धनराशि में किसी भी परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में उस सीमा तक चार्ज किया गया है, जिस सीमा तक रिजर्व संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को लाभ अथवा हानि में चार्ज किया जाता है।

3.5. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति :

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वसूली योग्य धनराशि उसकी वहन धनराशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन धनराशि उसकी वसूली योग्य धनराशि तक कम हो जाती है। क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ अथवा हानि में तुरंत पहचाना जाता है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित धनराशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षतिग्रस्तता हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है।

वसूली योग्य धनराशि उचित मूल्य से निपटान की लागत घटाकर तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

जब कोई हानि बाद में उलट जाती है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन धनराशि को उसकी वसूली योग्य धनराशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन धनराशि उस वहन धनराशि से अधिक न हो जो पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए कोई हानि न पहचाने जाने पर निर्धारित की गई होती। क्षतिग्रस्तता हानि के उलट होने को लाभ अथवा हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित धनराशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में हानि के उलट होने को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन धनराशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस नकदी-उत्पादक इकाई की वसूली योग्य धनराशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

अनिश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों तथा उपयोग के लिए अभी उपलब्ध न होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति के लिए कम से कम वार्षिक रूप से जांच की जाती है, तथा जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो इसकी जांच की जाती है।

3.6. पट्टे:

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी, भारतीय लेखा मानक 116 "पट्टे" के लेखांकन के लिए लागू था: -

1. पट्टेदार के रूप में:-

क. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार:-

- प्रारंभिक मान्यता और उपचार - पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति को वृद्धिशील उधार दर में निहित ब्याज दर पर छूट वाले पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- अनुवर्ती मापन और उपचार- आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में मूल्यह्रास आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। यदि स्वामित्व पट्टे की अवधि के अंत में कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है अथवा यदि यह निश्चित है कि कंपनी द्वारा खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। किसी भी अन्य मामले में, आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, पर किया जाता है। आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में एक प्रभार के रूप में दर्शाया जाता है।
- वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह संभावना है कि कंपनी द्वारा लीज पर ली गई संपत्तियां तुलन-पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर सरेंडर की जा सकती हैं। इसलिए, आरओयू परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन का फिर से अनुमान लगाया गया है और तदनुसार मूल्यह्रास की फिर से गणना की गई है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के कारण संचित मूल्यह्रास में कोई भी बदलाव लाभ अथवा हानि में मान्यता प्राप्त है।

ख. पट्टा देयता: -

- प्रारंभिक मान्यता और उपचार - पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी पट्टे में निहित ब्याज दर अथवा वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है।
- बाद की माप और उपचार- लीज देयता की वहन धनराशि लीज देयता पर अर्जित ब्याज की धनराशि से बढ़ जाएगी। लीज देयता के लिए किए गए भुगतानों के कारण वहन धनराशि कम हो जाएगी। लीज देयता पर ब्याज व्यय, वित्त लागत का एक घटक होने के नाते, लाभ और हानि खाते में एक प्रभार के रूप में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

2. पट्टादाता के रूप में:-

यदि पट्टे में स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और लाभ पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि पट्टे में स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और लाभ पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं होते हैं, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1. वित्तीय पट्टा: -

i) परिसंपत्ति की पहचान- वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर धनराशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन में परिवर्तन द्वारा बढ़ाया / घटाया जाता है। मूल्यांकन में किसी भी वृद्धि / कमी को लाभ अथवा हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

ii.) आय की पहचान - पट्टे की अवधि में वित्त आय, पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित है।

2. परिचालन पट्टा(लीज़): -

i. परिसंपत्ति की पहचान- परिचालन पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसलिए, ऐसी परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अथवा मूल्यह्रास धनराशि में से जो भी कम हो, उस पर बहाल किया गया है।

ii. आय की पहचान- परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को या तो सीधी रेखा के आधार पर अथवा किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। पट्टादाता को एक अन्य व्यवस्थित आधार लागू करना होगा यदि वह आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

iii. व्ययों की पहचान- पट्टा आय अर्जित करने से जुड़े व्यय, जैसे मूल्यह्रास को व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

3.7 मालसूची :

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर रखा जाता है। लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

क) मालसूची का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

ख) पारगमन माल का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या सीआईएफ लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूची की लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागत शामिल होती है, जिसमें उन्हें वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए वसूली योग्य करों को घटाकर विनिर्माण ओवरहेड्स शामिल होते हैं।

घ) शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान, मालसूची से वसूली जाने वाली अपेक्षित धनराशि के बारे में अनुमान के समय उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है।

3.8 राजस्व मान्यता:

इंड एएस 115 ग्राहक अनुबंधों से राजस्व की पहचान तथा ऐसे राजस्व की पहचान की मात्रा तथा समय पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करता है।

माल, वस्तुओं और किसी भी अन्य उत्पाद की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

i. न तो स्वामित्व के साथ जुड़ी हुई सीमा तक प्रबंधकीय भागीदारी जारी रहती है और न ही बेचे गए माल पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है।

ii. माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

iii. राजस्व की मात्रा विश्वसनीय रूप से मापी जाती है।

iv. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

v. लेन-देन के संबंध में हुई अथवा होने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

vi. यदि उत्पादों और वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व के संबंध में कोई व्यापार छूट और मात्रा छूट है, तो उसे राजस्व से घटा दिया जाता है।

vii. किसी निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व को उस निष्पादन दायित्व को आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय विचार के शुद्ध) की धनराशि पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूट और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय विचार से शुद्ध है।

क) परिचालन गतिविधियों से राजस्व:

- परिचालन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व में विभिन्न व्यापारिक लेन-देन से संबंधित राजस्व शामिल है जिसमें कंपनी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करती है, कमोडिटी मालसूची रखती है। ये राजस्व मुख्य रूप से उर्वरकों, खाद्यान्नों, धातुओं और अन्य उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होते हैं।
- परिचालन(ऑपरेटिंग) लेनदेन पर मार्जिन : परिचालन लेनदेन पर मार्जिन में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व भी शामिल है जिसमें कंपनी प्रिंसिपल अथवा एजेंट के रूप में कार्य करती है। अपनी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से, कंपनी अपने ग्राहकों को कमोडिटी/बुलियन और अन्य उत्पादों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करती है और सहमति के अनुसार एक निश्चित मार्जिन लेती है।
- कंपनी आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं और ग्राहकों के बीच अनुबंधों के समापन और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उत्पादों की डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करती है। ऐसी गतिविधियों से राजस्व तब पहचाना जाता है जब अनुबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं / माल समझौतों के अनुसार तीसरे पक्ष/ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है।

  इंड एएस 115 ने राजस्व पहचान के लिए पांच-चरणीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया - अनुबंध की पहचान करना; अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचान करना; लेनदेन मूल्य का निर्धारण करना; उस लेनदेन मूल्य को निष्पादन दायित्वों में आवंटित करना; और अंततः उन निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के बाद राजस्व की पहचान करना।

i. लाभांश और ब्याज आय

लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

ii. दावा

दावों (बकाया धनराशि पर ब्याज सहित) को लागत पर मान्यता दी जाती है, जब उसके अंतिम संग्रह के संबंध में उचित निश्चितता होती है।

iii. वास्तविक प्राप्ति पर राजस्व मान्यता

आय और व्यय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित के जिन्हें नकद आधार पर मान्यता दी जाती है:

क) निर्यात लाभ

ख) सरकारी खाते में संभाले गए मदों से प्राप्तहोने वाला ब्याज ।

3.9 विदेशी मुद्राएँ:

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्राओं में लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय की समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान अथवा अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय विनिमय अंतर की सीमा के जिसे विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है जो सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 11 अप्रैल, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय लाभ अथवा हानि जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से संबंधित हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागतों के रूप में मापा जाता है, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके दर्ज की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं का अनुवाद उस तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है, जब उचित मूल्य मापा गया था। उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं के अनुवाद पर होने वाले लाभ अथवा हानि को आइटम (यानी, उन वस्तुओं पर अनुवाद अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ अथवा हानि को ओसीआई अथवा लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है, उन्हें क्रमशः ओसीआई अथवा लाभ और हानि विवरण में भी मान्यता दी गई है) के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ अथवा हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है

3.10 उधार लेने की लागत:

वित्तीय लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल होते हैं, जिस सीमा तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

उधार लेने की लागत में उधार की व्यवस्था के संबंध में किए गए ब्याज और सहायक लागतों का परिशोधन शामिल है।

अधिग्रहण और निर्माण योग्य परिसंपत्ति हेतु सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लागत, जिसे अपने इच्छित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उसको संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है, जब वे घटित होती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

3.11 कर्मचारी लाभ:

i. भुगतान किए जाने की उम्मीद वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में उनकी बिना छूट वाली धनराशि पर मान्यता दी जाती है जिसमें वे गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर बीमांकिक गणना के लिए अनुमानों के आधार पर व्यय किए जाते हैं।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:

क. परिभाषित अंशदान योजना: परिभाषित अंशदान योजना के तहत कर्मचारियों के लाभ, जिसमें भविष्य निधि (अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित) और पेंशन निधि (एलआईसी में परिभाषित अंशदान के माध्यम से प्रशासित) शामिल हैं, उसको कंपनी द्वारा उस अवधि में योजना में योगदान करने के लिए बिना छूट के दायित्व के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। इसका भुगतान अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधियों को किया जाता है।

ख. परिभाषित लाभ योजना:

i. उपदान(ग्रेच्युटी), छुट्टी नकदीकरण और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें एक्चुरियल लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) शामिल है, वित्तीय स्थिति के विवरण में तुरंत परिलक्षित होता है, जिस अवधि में वे घटित होते हैं, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त प्रभार अथवा क्रेडिट के साथ। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ अथवा हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

3.12 वित्तीय साधन :

गैर व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनमें नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम, इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश और पात्र चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं;

II. वित्तीय देयताएं, जिनमें दीर्घ एवं अल्पावधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देयताएं, पात्र चालू एवं गैर-चालू देयताएं शामिल हैं।

प्रारम्भिक पहचान

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई लेनदेन लागतों को भी मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान तब समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए गए हों और न ही उन्हें बरकरार रखा गया हो, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी पहचाना जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

उत्तरवर्ती साधन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को नीचे वर्णित तरीके से मापा जाता है:

i. नकद और नकद के समान

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकदी और नकदी समकक्षों में बैंकों में हाथ में नकदी और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल हैं जो बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर है, जो मांग पर चुकाए जाने योग्य हैं और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू देनदारियों के भीतर उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ii. लिक्विड म्यूचुअल फंड, इक्विटी सिक्योरिटीज (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा) में निवेश का मूल्यांकन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। इन उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उनमें होने वाले परिवर्तन, महत्वपूर्ण नुकसानों के अलावा, लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं और करों के बाद इक्विटी में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि हानि होती है, तो उसे इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है, तो इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ अथवा हानि को आय विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

iii. ऋण और प्राप्य

ऋण और प्राप्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जिनके निश्चित अथवा निर्धारित भुगतान हैं जिन्हें सक्रिय बाज़ार में उद्दत नहीं किया जाता है। उन्हें चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्य शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई, जो वित्तीय परिसंपत्तिके अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागत के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। ऋण और प्राप्तियां में व्यापार प्राप्तियां, बिना बिल वाली आय और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक संकेंद्रण, ग्राहक ऋण पात्रता और वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की संग्रहणीयता या अन्यथा का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, तो अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता हो सकती है।

iv. प्रतिभूति जमा

प्रतिभूति जमा को शुरू में उचित मूल्य और प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों के आधार पर मान्यता दी जाती है, तथा बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसमें से किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि को घटा दिया जाता है।

v. व्यापार एवं अन्य देयताएं

व्यापार और अन्य देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर पहचान की जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन धनराशि उचित मूल्य के करीब होती है।

vi. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश:

कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश का लेखा-जोखा रखती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनियों में निवेश अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। ऐसे निवेश जहां कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशित व्यक्ति के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन इन नीतियों पर न तो नियंत्रण है और न ही संयुक्त नियंत्रण है। एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होते हैं, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णयों के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ तब क्षतिग्रस्त होती हैं जब वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है कि वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक पहचान के बाद हुई एक अथवा अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप, निवेश के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए, सुरक्षा के उचित मूल्य में इसकी लागत से नीचे एक महत्वपूर्ण अथवा लंबे समय तक गिरावट को हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- जारीकर्ता अथवा प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे ब्याज अथवा मूलधन भुगतान में चूक अथवा देरी;
- यह सम्भावना हो सकती है कि उधारकर्ता दिवालियापन अथवा वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश कर जाएगा; या वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार गायब हो जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्तियों की कुछ श्रेणियों, जैसे कि व्यापार प्राप्य, के लिए परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत आधार पर हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्राप्य के पोर्टफोलियो के लिए हानि के वस्तुरक साक्ष्य में कंपनी के भुगतान एकत्र करने का पिछला अनुभव, शून्य दिनों की औसत क्रेडिट अवधि के बाद पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतानों की संख्या में वृद्धि, साथ ही राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक स्थितियों में अवलोकनीय परिवर्तन शामिल हो सकते हैं जो प्राप्य पर डिफ़ॉल्ट से संबंधित हैं।

लागत पर वहन की जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की धनराशि को परिसंपत्तियों की वहन धनराशि और समान वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वर्तमान बाजार दर पर छूटे हुए अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। इस तरह की हानि की भरपाई बाद की अवधि में नहीं की जाएगी।

वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रणीत धनराशि को व्यापार प्राप्य को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि से कम किया जाता है; संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए भत्ता खाते के उपयोग के माध्यम से ऐसी हानि कम हो जाती है। जब किसी व्यापार प्राप्य को अप्राप्य माना जाता है, तो उसे भत्ता खाते के विरुद्ध लिख दिया जाता है। भत्ता खाते के विरुद्ध पहले लिखी गई अथवा जमा की गई धनराशियों की बाद की वसूली। भत्ता खाते की वहन धनराशि में परिवर्तन को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, यदि बाद की अवधि में, क्षति हानि की राशि कम हो परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, यदि, बाद की अवधि में, हानि की मात्रा कम हो जाती है और यह कमी वस्तुगत रूप से हानि की पहचान के बाद होने वाली घटना से संबंधित हो सकती है, तो पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को लाभ अथवा हानि के माध्यम से इस सीमा तक उलट दिया जाता है कि जिस तिथि को क्षति को उलट दिया जाता है, उस समय निवेश की अग्रणीत धनराशि उस परिशोधित लागत से अधिक नहीं होती है जो उस स्थिति में होती यदि क्षति की पहचान नहीं की जाती।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान तब रद्द कर देती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और उसके बाद परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफलों को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें बरकरार रखती है और हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने बरकरार हित और भुगतान की जाने वाली धनराशि के लिए संबंधित देयता को मान्यता देती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है और प्राप्त आय के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की सम्पूर्णता में मान्यता पर, परिसंपत्तियों की अग्रणीत धनराशि तथा प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की धनराशि और संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी तथा इक्विटी में संचित किया गया था, उनके बीच के अंतर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

3.13 कराधान :

कर संबंधी व्यय:-

अवधि के लिए कर संबंधी व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में कर को अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

1. वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए देय/प्राप्त करने योग्य स्वीकृत कर तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय अथवा प्राप्त करने योग्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है। इसे रिपोर्टिंग दर पर अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों और हानि का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियों की भरपाई केवल तभी की जाती हैं, यदि कंपनी;

क. मान्यता प्राप्त धनराशियों को समायोजित करने(सेट ऑफ) के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के रूप में और

ख. इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना है, या फिर परिसंपत्तियों की वसूली करना है और साथ ही देयताओं का निपटान करना है।

2. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत धनराशियों और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन धनराशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी अथवा आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना बन गई है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के साथ सहसंबंध में मान्यता दी जाती है, चाहे वह लाभ अथवा हानि में हो, अन्य व्यापक आय में हो अथ्वा सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रमुख घटकों का ब्यौरा, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान करने के बाद प्राप्त किया गया है, जहां कंपनी के पास देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को समायोजित (सेट ऑफ) करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां समान शासकीय कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

दिनांक 31.03.21 तक मान्यता प्राप्त डी.टी.एल. के अतिरिक्त डी.टी.ए. को आगे नहीं बढ़ाया गया है तथा इसके अतिरिक्त, लेखांकन के गैर-चालू व्यवसाय आधार को देखते हुए किसी डी.टी.ए. को मान्यता नहीं दी जाएगी।

3.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सामान्य:

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देयताएं:

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन लेखा-टिप्पणियों में उनका खुलासा किया जाता है, जब कंपनी पर अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य में होने वाली घटनाओं के घटित होने अथवा न

होने पर निर्भर करता है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं या जब दायित्वों की धनराशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है अथवा नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

जहाँ कोई इकाई किसी दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होती है, वहाँ दायित्व का वह भाग जिसे अन्य पक्षों द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उसे आकस्मिक दायित्व माना जाता है। इकाई दायित्व के उस भाग के लिए प्रावधान को मान्यता देती है जिसमें आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसी आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और नोटों में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभ का आगमन संभावित हो जाता है अथवा यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का आगमन होगा तो ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

संदिग्ध ऋण/अग्रिम/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान किया जाता है, जहाँ बकाया धनराशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होती है। तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया (सरकारी बकाया को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि धनराशि प्रबंधन अनुमान के अनुसार वसूली योग्य न मानी जाए।

3.15 प्रति शेयर आय:

प्रति इक्विटी मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मन्दित आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

3.16 खंड जानकारी:

मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय खंडों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनकी राजस्व वृद्धि और परिचालन आय के आधार पर किया जाता है।

कंपनी ने अपने परिचालन खंडों को निर्यात, आयात और घरेलू के रूप में पहचाना है। परिसंपत्ति और देयता का उपयोग कंपनियों के व्यवसाय में किया जाता है, जो भी परिचालन खंड पहचाने नहीं गए हैं उन्हें असंबद्ध परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दिखाया गया है।

हस्ता./-
के. के. गुप्ता
डीआईआर-एफ-एमएमटीसी
डीआईएन - 08751137

हस्ता./-
एस. के. चावला
एसटीसी स्वतंत्र निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन - 09400987

हस्ता./-
बी.एस. राव
सीएफओ कंपनी सचिव

हस्ता./-
विपिन त्रिपाठी
एसीएस -29378

4 सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास और परिशोधन				संचित हानि				निवल ब्लॉक
	01 अप्रैल, 12023 तक सकल वहन मूल्य	अतिरिक्त (एडीशन्स)	बिक्री/ निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	01 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यह्रास	अतिरिक्त (एडीशन्स)	बिक्री/ निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	01 अप्रैल, 2024 तक संचित मूल्यह्रास	01 अप्रैल, 2023 तक	अतिरिक्त (एडीशन्स)	बिक्री/ निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों में स्थानांतरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक वहन मूल्य
मूर्त संपत्ति - फ्रीहोल्ड													
भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मोटर वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और संचार उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विद्त स्थापना और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निपटान हेतु रखी गई अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (क)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
मूर्त संपत्ति - पट्टा										**-**	**-**		**-**
भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सड़कें, पुलिया और सीवरेज आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उपयोग का अधिकार (इंड एएस 116)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* - दिनांक 01.04.2021 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर लेखांकन नीति के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत पहले से समूहीकृत सभी संपत्तियां अब "निपटान के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति" में स्थानांतरित कर दी गई हैं और एसटीसी की अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को वहन मूल्यों पर दिखाई गई हैं, वर्तमान शीर्षक के आधार पर दिनांक 30.09.2023 को उचित मूल्य है: जेवीबी - 81,145 लाख रुपये, एसटीसीएचसी - 48,267 लाख रुपये और अन्य - 26,188 लाख रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से 318 लाख रुपये की हानि वसूल की गई।

(क) निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में शीर्षक/लीज विलेख निष्पादन हेतु लंबित है:-

i. पट्टा-भूमि:-

- लीज होल्ड भूमि में एल एंड डीओ द्वारा दिनांक 05.12.1975 को "लीज के लिए समझौता ज्ञापन" के तहत कार्यालय भवन यानी जनपथ, नई दिल्ली में जवाहर व्यापार भवन के निर्माण के लिए आवंटित 2.599 एकड़ भूमि शामिल है, जिसके लिए कंपनी के नाम पर लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुई है।
- लीज होल्ड भूमि में 16.17 एकड़ भूमि (एसटीसी और एमएमटीसी के संयुक्त नाम पर आवंटित कुल भूमि 32.33 एकड़ का 50% हिस्सा) शामिल है, जिसे तत्कालीन एलएंडबी विभाग/डीडीए ने 05.02.1968 को अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली में हाउसिंग कॉलोनी के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से आवंटित किया था। कंपनी के नाम पर आवंटित लीजहोल्ड भूमि के 50% क्षेत्र का सीमांकन करने वाला लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
- लीजहोल्ड भूमि में मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (जहाँ एसटीसी का टैंक फार्म इंस्टॉलेशन है) में एक प्लॉट शामिल है, जिसके लिए लीज़ अवधि समाप्त हो गई है और 12.11.2021 को सरेंडर प्रमाणपत्र निष्पादित किया गया है। मैलेट बंदर में स्थापित टैंकों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और परिसंपत्तियों को इस समझ के साथ सौंप दिया गया है कि उनका मूल्य समायोजित किया जाएगा और एसटीसी को भुगतान किया जाएगा। इसलिए, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा।

ii. फ्रीहोल्ड बिल्डिंग:-

- फ्रीहोल्ड बिल्डिंग में डीडीए द्वारा दिनांक 30.05.1984 के आवंटन पत्र के तहत आवंटित एशियाई खेल गांव परिसर (एजीवीसी) में स्थित आवास निर्माण शामिल है, जिसे जहां है जैसा है के आधार पर ओटीएस के तहत निपटान के लिए चिह्नित किया गया है।
- फ्री होल्ड बिल्डिंग में मुंबई में 7 अपार्टमेंट शामिल हैं (जिनमें से 2 वैलेस अपार्टमेंट ग्रांट रोड पर, 3 मंदार अपार्टमेंट पर, 1 श्यामसदन, खार (पश्चिम) पर और 1 लास पालमास, मालाबार हिल्स पर स्थित हैं), जिन्हें ओटीएस के तहत जहां है वहीं के आधार पर निपटान के लिए चिह्नित किया गया है।

(ख). निम्नलिखित भूमियों के लिए क्षेत्रफल और मूल्य के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए मुआवजे की धनराशि और दस्तावेजों का निष्पादन अभी भी लंबित है: -

(i) एलएंडडीओ द्वारा एसटीसी को (जवाहर व्यापार भवन) टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित कुल लीजहोल्ड भूमि में से 325.685 वर्ग मीटर भूमि एनडीएमसी द्वारा एशियाई खेलों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने के लिए ली गई तथा 388.91 वर्ग मीटर भूमि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो/मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए ली गई। कंपनी ने दोनों क्षेत्रों को कम करने के लिए एलएंडडीओ के साथ मामला उठाया है तथा मामले में अंतिम परिणाम आने के बाद इसके क्षेत्र और मूल्य के संबंध में रिकॉर्ड को अचल संपत्ति रजिस्टर/अनुसूची में अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में एलएंडडीओ के साथ नियमित आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) 12 अगस्त 1991 को संपन्न 436वीं बोर्ड बैठक(मीटिंग) में "जवाहर व्यापार भवन बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस" की बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके अनुसार 67,418 वर्ग फीट का कुल ऑफिस स्थान सीसीआईसी और एचएचईसी को बेचा गया। इस प्रकार, सीसीआईसी और एचएचईसी अपने कब्जे वाली संपत्ति तक सीमित सह-स्वामी हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक अतिरिक्त विनियामक जानकारी

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

तुलनपत्र(बैलेंस शीट) में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	के नाम पर स्वामित्व विलेख(डीड)	क्या टाइटल विलेख(डीड) धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तिथि से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
पीपीई		-	-	-	-	
संपत्ति मे निवेश करे						
बिक्री/निपटान के लिए रखी गई संपत्ति	भूमि एवं भवन					
	टॉलस्टॉय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में लीज होल्ड भूमि।	58,188	भारत के राष्ट्रपति	प्रमोटर	1975	
	एसटीसी/ एमएमटीसी हाउसिंग कॉलोनी, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली	12,557	भारत के राष्ट्रपति	प्रमोटर	1965	
	एजीवीसी, खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली में फ्लैट।	2,745	भारत के राष्ट्रपति	प्रमोटर	1984	

5 पूंजीगत कार्य-प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2023 को शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ (समायोजन)*	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 को शेष
कार्यालय का भवन	-	-	-	-
संयंत्र उपकरण	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछला वर्ष (वित्त वर्ष-2022-23) (नेट)	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

6 संपत्ति मे निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड		पट्टे पर दिया		कुल
	भूमि	भवन	भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2023 को सकल वहन मूल्य	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन*	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन*	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक हानि	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन*	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक वहन मूल्य	-	-	-	-	-
पिछला वर्ष (वित्त वर्ष-2021-22) (नेट)	-	-	-	-	-

निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियाँ (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	8,669.62	8,307.49
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	(977.68)	(972.91)
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से लाभ	7,691.94	7,334.58
मूल्यह्रास	-	-
निवेश संपत्तियों से लाभ	7,691.94	7,334.58

7 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक संचित परिशोधन	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक संचित परिशोधन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक वहन मूल्य	-	-	-
पिछला वर्ष (वित्त वर्ष-2022-23) (नेट)	-	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

8. निवेश

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	वर्तमान		
	दीर्घकालिक		
	अनकोटेड निवेश		
	इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश ~ सहायक कंपनी *		
	एसटीसीएल लिमिटेड (100% होल्डिंग)		
	1,50,000 (प्रत्येक 100 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	282.00	282.00
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	**282.00**	**282.00**
	निवल	-	-
	इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश ~ संयुक्त उद्यम **		
	एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड.		
	1,00,000 (प्रत्येक 10 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	10.00	10.00
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	**10.00**	**10.00**
	निवल	-	-
	अन्य		
	सी लैक एग्रो वेंचर्स लिमिटेड	10.00	10.00
	1,00,000 (प्रत्येक 10 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	**10.00**	**10.00**
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	-	-
	निवल		
	महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास	10.00	10.00
	10,000 (प्रत्येक 100 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	**10.00**	**10.00**
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	**-**	**-**
	निवल		
	आंध्र प्रदेश व्यापार संवर्धन निगम लिमिटेड	**1.00**	**1.00**
	100 (प्रत्येक 1000/- रुपये के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर)	**-**	**-**
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	**1.00**	**1.00**
	निवल		
	सिंधु पुनर्वास#	**0.13**	**0.13**
	4 (प्रत्येक 1000/- रुपये के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर)	**0.09**	**0.09**
	घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	**0.04**	**0.04**
	निवल	**1.04**	**1.04**
	कुल		

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त, 2013 की अपनी बैठक में एसटीसी की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स एसटीसीएल लिमिटेड को बंद करने को मंजूरी दी है। तदनुसार, सहायक कंपनी ने दिनांक 26.11.2013 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समापन याचिका दायर की है। हालांकि, सहायक कंपनी के बैंकरों ने भी ऐसी समापन याचिका के खिलाफ याचिका दायर की है क्योंकि उनकी बकाया धनराशि वसूली के लिए लंबित है। मामला अभी भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, सहायक कंपनी (एसटीसी की 100% सहायक कंपनी) में निवेश की पूरी धनराशि 282 लाख रुपये (282 लाख रुपये) (1 रुपये का नाममात्र मूल्य बनाए रखते हुए) प्रदान की गई है क्योंकि सहायक कंपनी का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है।

** संयुक्त उद्यम कंपनी (एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) में 10 लाख रुपये का निवेश भी पूरी तरह से किया गया है, क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ पूरी तरह से खत्म हो गया है।

#नाममात्र मूल्य रु. 4000/-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

9 व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य	-	-
ख. व्यापार प्राप्य		
कुल (क+ख)	-	-

वर्तमान		
क. संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्य		
ख. व्यापार प्राप्य		
i. सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	-
iii. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना **	106,960.49	106,946.18
iv. ऋण हानि	62,727.62	62,727.62
उप योग	**169,688.11**	**169,673.80**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	62,727.62	62,727.62
	106,960.49	106,946.18
कुल (ख)	**106,960.49**	**106,946.18**
कुल (क+ख)	**106,960.49**	**106,946.18**

** 1,69,688.11 लाख रुपये की कुल व्यापार प्राप्य धनराशि में से 1,06,960.49 लाख रुपये "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि वाले" भी विवाद/मुकदमेबाजी के अधीन हैं (प्रमुख कानूनी मामलों के विवरण के लिए नोट संख्या 39 देखें)।

व्यापार प्राप्य जिसके विरुद्ध विवाद/कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, को "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" वाला माना गया है। कंपनी का मानना है कि भले ही अंततः कोई धनराशि वसूल न हो पाए, लेकिन ऋण जोखिम के लिए किसी ऋण हानि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋणदाता को कंपनी द्वारा केवल उस सीमा तक भुगतान किया जाएगा, जितनी राशि देनदारों से वसूल की जाती है।

(₹ लाख में)

विवरण	व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया भुगतान					
	6 महीने से कम	महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षतिग्रस्त	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छे माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	106960.49	106960.49
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	62,727.62	62,727.62

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

10 ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. सुरक्षा जमा		
कुल (क)	-	-
ख. संबंधित पक्षों को ऋण		
(ख)	-	-
ग. कर्मचारियों को ऋण		
कुल (क+ख+ग)	-	-
वर्तमान		
क. सुरक्षा जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	3,288.65	3,254.43
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	7.13	7.13
उप योग	**3,295.78**	**3,261.56**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	7.13	7.13
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन-एसडी	-	-
कुल (क)	**3,288.65**	**3,254.43**
ख. संबंधित पक्षों को ऋण		
(ख)	-	-
ग. कर्मचारियों को ऋण		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है *	43.47	74.25
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	5.09	5.05
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
जोड़ें: अर्जित ब्याज	199.28	240.88
उप कुल	**247.84**	**320.18**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन	-	-
कुल (ग)	**247.84**	**320.18**
कुल (क+ख+ग)	**3,536.49**	**3,574.61**
देय धनराशि :		
निदेशक	-	-
अन्य अधिकारी	-	-
उन फर्मों/कंपनियों से देय धनराशि जिनमें निदेशक भागीदार/सदस्य/निदेशक हैं	-	-
*** मोटर कार और घर की संपत्ति के दृष्टिबंधन के विरुद्ध सुरक्षित**		

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

11 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
गैर-वर्तमान		
क. 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमा:		
ख. वसूली योग्य दावे		
ग. जमा	-	-
घ. अन्य विविध अग्रिम		
कुल (क+ख+ग+घ)	-	-
वर्तमान		
क. अर्जित ब्याज:		
- 3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	47.85	35.15
ख. सावधि जमा		
- अन्य जमा (फ्लेक्सी जमा)	1,100.10	1,192.29
ग. जमा/टी बिल पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	217.83	166.10
घ. ट्रेजरी बिलों में निवेश	8,675.04	20,623.83
उप योग	**10,040.82**	**22,017.37**
ङ. वसूली योग्य दावे		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	152.43	152.43
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	3,465.39	3,747.85
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	3,148.42	3,143.27
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	2,954.57	2,953.78
उप योग	**9,720.81**	**9,997.33**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	2,954.57	2,953.78
(ङ.)	6,766.24	7,043.55
च. प्रतिभूति जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
iii. क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	1,088.32	1,088.32
iv. ऋण हानि	569.96	569.96
उप योग	**1,658.28**	**1,658.28**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**569.96**	**569.96**
(च)	**1,088.32**	**1,088.32**
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**17,895.38**	**30,149.24**
कुल (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां)**	**17,895.38**	**30,149.24**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

12 आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं निम्नलिखित के कारण हैं: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. आस्थगित कर देयता	-	-
ख. आस्थगित कर संपत्ति	-	-
ग. एमएटी क्रेडिट पात्रता	**1,616.96**	**1,367.36**
शुद्ध आस्थगित कर (देयताएं)/ संपत्तियां	**1,616.96**	**1,367.36**

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान स्थगित कर शेष में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल 2023 तक शेष धनराशि	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त
प्रारंभिक जमा	**1,367.36**	**-**
वर्ष के दौरान वृद्धि	269.14	-
वर्ष के दौरान विलोपन	(19.55)	(19.55)
जमा शेष	**1,616.96**	**19.55**

भविष्य के वर्षों में कंपनी को मान्यता प्राप्त एमएटी क्रेडिट उपलब्ध होगा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
2014-15 (वित्तीय वर्ष 31.03.2025 तक उपलब्ध ऋण)	401.08	401.08
2016-17 (वित्तीय वर्ष 31.03.2027 तक उपलब्ध ऋण)	758.82	758.82
2017-18 (वित्तीय वर्ष 31.03.2028 तक उपलब्ध ऋण)	187.91	187.91
2022-23 (वित्तीय वर्ष 31.03.2038 तक उपलब्ध ऋण)	-	19.55
2023-24 (वित्तीय वर्ष 31.03.2039 तक उपलब्ध ऋण)	269.14	-
कुल	**1,616.96**	**1,367.36**

13 कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियां		
कुल	**-**	**-**
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ		
टीडीएस सहित अग्रिम कर	2,091.20	14,825.61
टीडीएस	-	-
वर्तमान कर देयताएं	**-**	**-**
देय आयकर/प्रावधान	1,068.70	12,170.74
कुल	**1,022.50**	**2,654.87**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

14 अन्य परिसंपत्तियाँ (गैर-वित्तीय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. पूंजीगत अग्रिम	-	-
ख. अन्य विविध अग्रिम	-	-
ग. सुरक्षा जमा	-	-
घ. उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत	-	-
ङ. आस्थगित उचित मूल्यांकन हानि- प्राप्य जमा	-	-
च. वसूली योग्य दावे	-	-
कुल (क से च)	-	-
वर्तमान		
क. पूंजीगत अग्रिम		
i. सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	25.53	25.53
iii. क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
iv. ऋण हानि	-	-
उप योग	**25.53**	**25.53**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
ख. व्यापार अग्रिम	**25.53**	**25.53**
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	0.58	0.83
उप योग	9,121.19	9,121.19
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**9,121.77**	**9,122.02**
(ख)	9,121.19	9,121.19
	0.58	**0.83**
ग. सुरक्षा जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	137.58	137.59
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	421.86	419.86
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	135.33	135.33
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	138.14	138.14
उप योग	**832.91**	**830.92**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	138.14	138.14
(ग)	**694.77**	**692.78**
घ. अन्य		
प्रीपेड खर्चे	-	-
टीए अग्रिम	0.02	0.02

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यय के लिए अग्रिम	43.97	45.94
जीएसटी इनपुट	398.30	392.13
वैट प्राप्य - इनपुट/सेवा कर क्रेडिट	6.90	6.90
अन्य	0.05	0.04
जमा	3.34	3.34
(घ)	**452.58**	**448.37**
	-	-
ङ. उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत	-	-
च. आस्थगित उचित मूल्यांकन हानि- प्राप्य जमा		
छ. वसूली योग्य दावे	-	-
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.32	417.54
III. संदिग्ध	**0.32**	**417.54**
उप योग	0.32	417.54
घटाएँ: खराब और संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	-	-
(छ)		
ज. अन्य विविध अग्रिम	-	-
i. सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	-
iii. क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	26.26	26.26
iv. ऋण हानि	**26.26**	**26.26**
उप योग	**26.26**	**26.26**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध दावों के लिए भत्ता (ज)	**-**	**-**
कुल (क से ज)	**1,173.46**	**1,167.51**

15. मालसूची

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. हैंडलिंग एजेंट/स्थानीय एजेंट सहित व्यापार में स्टॉक	-	-
ख. स्टोर और स्पेयर्स	3.20	4.62
ग. ढीले उपकरण	-	-
घ. पैकिंग सामग्री	-	-
ङ. स्टेशनरी	1.50	1.20
च. अन्य	-	-
कुल	**4.70**	**5.82**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

16 नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
हाथ में नकदी	-	-
चेक, ड्राफ्ट हाथ में	-	-
टिकटें और स्टाम्प पेपर*	0.09	0.09
बैंकों के पास शेष धनराशि	**-**	**-**
- नकद क्रेडिट खाता - डेबिट बैलेंस	-	-
- चालू खाते	1,027.72	22.40
- विदेशी मुद्रा में चालू खाता - ईईएफसी	-	-
उप योग	**1,027.81**	**22.49**
अन्य बैंक बैलेंस		
- 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा*	19,031.66	836.76
- 3 महीने या उससे कम परिपक्वता वाली अन्य जमा	-	-
उप योग	**19,031.66**	**836.76**
कुल	**20,059.47**	**859.25**

* 19031.66 लाख रुपये की सावधि जमा धनराशि 3 महीने से पहले ही परिपक्व हो गई।

17 बैंक बैलेंस

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. बैंकों के पास शेष राशि		
- अवैतनिक लाभांश शेष खाता	-	-
- मार्जिन मनी/अंडर लियन के रूप में	-	-
3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं में	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

18 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अधिकृत		
इक्विटी शेयर		
10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	20,000.00	20,000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः भुगतान किया गया		
इक्विटी शेयर		
10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर	6,000.00	6,000.00
	6,000.00	**6,000.00**
शेयर पूंजी का समाधान:		
विवरण	**31 मार्च 2024 तक**	**31 मार्च 2023 तक**
इक्विटी शेयर खोलना	**600.00**	**600.00**
जोड़ें: - शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयर पूंजी	**-**	**-**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर खोलना	**60.00**	**60.00**
जोड़ें: - शेयरों की संख्या, अवधि के दौरान जारी/सब्सक्राइब की गई शेयर पूंजी	-	-
जमा शेष	60.00	60.00
कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर		
शेयरधारक का नाम		
- भारत के राष्ट्रपति (90% शेयरधारिता)	54,000,000	54,000,000
- अन्य	-	-

जारी और सब्सक्राइब किए गए इक्विटी शेयरों को कोई अंतर अधिकार प्राप्त नहीं होता।

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या**	कुल शेयरों का %**
भारत के राष्ट्रपति	54,000,000	90%
कुल	**54,000,000**	

19 अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष धनराशि	5,987.16	5,987.16
घटाएँ: मुख्यालय को हस्तांतरित प्रारंभिक शेष धनराशि	-	-
जोड़ें: स्थायी परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण।	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष शेष से हस्तांतरित धनराशि	-	-
जमा शेष	**5,987.16**	**5,987.16**
पूंजी रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष धनराशि	100.00	100.00
जोड़ें: लाभांश	**-**	**-**
जमा शेष	100.00	100.00
प्रतिधारित कमाई		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	(131,552.50)	(116,935.98)
जोड़ें/घटाएँ : मुख्यालय को हस्तांतरित प्रारंभिक शेष राशि	15,948.67	(4,018.45)
जोड़ें: वर्ष का लाभ	5,220.66	3,289.15
बोनस रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
बोनस रिज़र्व में स्थानांतरण	-	-
पीपीई के घटकीकरण का समायोजन	**-**	**-**
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनः मापन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय, आयकर के बाद शुद्ध	2,115.51	2,061.45
जमा शेष	(108,267.66)	(115,603.83)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पुनर्मूल्यांकन भंडार		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	**88,460.18**	**88,460.18**
घटाएँ: स्थायी परिसंपत्तियों पर क्षति	(317.88)	-
अन्य समायोजन जोड़ें	-	-
जमा शेष	88,142.30	88,460.18
विनिमय उतार-चढ़ाव भंडार		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	649.53	649.53
जोड़ें: कोई अन्य परिवर्तन	-	-
जमा शेष	649.53	649.53
बोनस रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	0.33	0.33
बोनस रिज़र्व में स्थानांतरण (सेट ऑन)	-	-
बोनस रिजर्व से स्थानांतरण (सेट ऑफ)	-	-
जमा शेष	0.33	0.33
कुल	**(13,388.34)**	**(20,406.63)**

20 उधारी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कुल	-	-
मौजूदा	-	-
I. सावधि ऋण:		
II. कार्यशील पूंजी ऋण:	-	-
क. बैंकों से		
- नकद ऋण	80,623.24	80,623.24
ख. दूसरों से	**-**	**-**
कुल	**80,623.24**	**80,623.24**

"बैंक को देय ब्याज राशि का भुगतान करने में कंपनी द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू की है और सिंडिकेट बैंक ने भी एनसीएलटी कार्यवाही शुरू की है। कंपनी ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के साथ 31.12.18 तक 1,90,624 लाख रुपये की राशि तय की गई है। केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) को 110000 लाख रुपये का आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जेएलएफ के नेता ने 29.03.2019 को (90,000 लाख रुपये) और 27.05.2019 को (2,00,000 लाख रुपये) भुगतान किया है।

जेएलएफ के नेता ने 11.12.2019 को एसटीसी के खिलाफ एनसीएलटी कार्यवाही वापस ले ली है। इसके अलावा, एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इन अद्यतनों से मंत्रालय और आयात को सूचित कर दिया गया है।

सभी शुल्क जो संतुष्ट नहीं हैं वे बैंक के साथ ओटीएस से संबंधित हैं। चूंकि ओटीएस पर बैंकों के साथ हस्ताक्षर होना बाकी है। जब तक बैंकों के साथ ओटीएस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक इसे संशोधित/संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। एमसीए से संतुष्ट नहीं हुए शुल्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	एसआरएन	चार्ज आईडी	चार्ज धारक का नाम	निर्माण की तिथि	राशि ₹
1	C59225391	10254506	बैंक ऑफ बड़ौदा,	03/12/2010	₹ 1000000000
2	B79593042	10199318	इंडियन बैंक	07/01/2010	₹ 2000000000
3	G30982516	10092378	एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	27/06/2007	₹ 1562700000
4	C62289897	10042121	सिंडिकेट बैंक	26/02/2007	₹ 11000000000
5	B09241910	10016914	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	26/07/2006	₹ 3000000000
6	A81935678	90064488	इलाहाबाद बैंक	27/10/2003	₹ 5000000000
7	C00519710	80058988	इंडियन ओवरसीज बैंक	27/08/2003	₹ 12000000000
8	C00521716	80038272	इंडियन ओवरसीज बैंक	27/08/2003	₹ 6000000000
9	A40679888	80007453	विजया बैंक 2	22/01/2003	₹ 4000000000

(₹ लाख में)

बैंकों का नाम	चूक की गई राशि (मूलधन और उस पर ब्याज)	डिफ़ॉल्ट की तिथि
सिंडिकेट बैंक	280.71	31.03.2018
इंडियन ओवरसीज बैंक	188.02	31.03.2018
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	140.72	28.02.2018
इंडियन बैंक	94.81	28.02.2018
एक्जिम बैंक	74.43	01.10.2016
बैंक ऑफ बड़ौदा	26.27	20.06.2018
यूबीआई (कुमिली)	1.28	28.02.2018
31.03.2024 तक शेष धनराशि*	**806.23**	

21 व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क) बिल स्वीकृतियां	-	-
ख) व्यापार देयताएं	-	-
ग) अन्य	-	-
कुल (क)	-	-
मौजूदा		
क) बिल स्वीकृतियां	-	-
क) व्यापार देयताएं	111,775.72	111,708.55
ग) अन्य	**-**	**-**
कुल (ख)	**111,775.72**	**111,708.55**
कुल (क+ख)*	**111,775.72**	**111,708.55**

उपरोक्त में व्यापार देय शामिल है, जिसका भुगतान केवल बैक टू बैक भुगतान व्यवस्था के कारण बकाया प्राप्तियों से वसूली पर किया जाना है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	487.32	1,05,721.27	1,06,268.60
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	5,567.12	5,567.12

22 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कुल	**-**	**-**
मौजूदा		
क. ग्राहकों से अग्रिम राशि	2,901.42	3,428.87
ख. क्रेडिट पर ग्राहक	6,486.94	6,484.47
ग. अन्य देयताएं	-	-
- प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बकाया देयताएं	23,178.36	23,043.21
- प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बकाया देयताएं (पीपी)	-	
- जमा	4,222.15	4,116.34
- सुरक्षा जमाराशि:		
: सहायक कंपनी	-	-
: अन्य	309.08	310.21
- सुरक्षा जमा (उचित मूल्य समायोजन)	-	-
- बयाना राशि जमा	494.37	537.69
घ. कर्मचारियों का बकाया:		
- वेतन एवं भत्ते	267.14	270.77
- अन्य व्यय	797.47	792.20
- कर्मचारियों को उपार्जन आधार पर देय राशि	-	12.84
- एसटीसी कर्मचारी संघ	0.49	0.52
- एसटीसी अधिकारी संघ	0.53	1.39
- एसटीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन	0.07	0.06
- वेतन बचत योजना	0.29	0.30
- थ्रिफ्ट सोसायटी	-	-
- अप्रदत्त वेतन	0.81	0.81
कुल	**38,659.12**	**38,999.68**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

23. प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
मौजूदा		
क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अर्ध वेतन अवकाश का नकदीकरण	346.12	366.41
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	8,662.05	10,058.45
अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण	743.75	914.78
उपहार	7.38	30.89
प्रदर्शन संबंधी वेतन	0.67	0.67
उप योग (क)	**9,759.97**	**11,371.20**
बी. अन्य प्रावधान		
आकस्मिक व्यय	4,728.81	4,646.97
अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	11.12	11.12
उप योग (ख)	**4,739.93**	**4,658.09**
कुल(क+ख)	**14,499.90**	**16,029.29**

24 अन्य देयताएं (गैर-वित्तीय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कॉर्पोरेट कार्यालय खाता शेष	-	-
एचओआर - नकद	-	-
एचओआर -अन्य	-	-
कुल	-	-
मौजूदा		
क. ग्राहकों से अग्रिम राशि	-	-
क (i) ब्याज मुक्त अग्रिम फॉर्म पीएसएफएमसी	-	-
ख. क्रेडिट पर ग्राहक*	605.69	605.69
ग. अन्य देयताएं:-		
- प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बकाया देयताएं	4.61	5.96
- जमा	46.57	46.57

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
घ. धनप्रेषण:		
- वृत्ति कर	0.14	0.03
स्रोत पर आयकर कटौती	36.58	37.80
- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	156.75	150.82
- भविष्य निधि में योगदान	44.24	36.71
- कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान - 95	1.36	1.66
- कर्मचारी पेंशन निधि में योगदान	12.93	14.22
कुल	**908.87**	**899.46**

इसमें यू.पी को देय 603 लाख रुपये की धनराशि शामिल है, सरकार ब्याज और वहन शुल्क के दावों के विरुद्ध समायोज्य है, जो 3,382.23 लाख रुपये की धनराशि है, जो यूपीजीईडब्ल्यूसी से (i) आयात मूल्य और 9555.285 मीट्रिक टन लेमन तुअर की जोखिम बिक्री पर प्राप्त धनराशि के अंतर और (ii) ब्याज और वहन शुल्क के कारण बकाया है, और एसटीसी लगातार यू.पी सरकार के साथ वसूली के मामले का अनुसरण कर रहा है और एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए दिनांक 28.01.2022 को अपनी याचिका दायर की है। मामला दिनांक 12.04.2023 को सुनवाई के लिए आया। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

25. परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन से राजस्व		
(क) बिक्री		
(ख) अन्य परिचालन राजस्व	-	-
कुल	**-**	**-**

26. अन्य कमाई

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) ब्याज आय:-	-	-
कर्मचारियों को अग्रिम राशि	5.73	13.65
मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखी गई/ग्रहणाधिकार के अधीन जमाराशि	1.87	6.79
अन्य बैंक जमा	76.14	42.60
वित्तीय संस्थाओं एवं उनकी सहायक कंपनियों के पास सावधि जमा:	-	-
निवेश पर ब्याज	1,601.37	942.94
आयकर रिफंड	88.16	-
अन्य विविध रुचि	0.84	1.71
उप योग	**1,774.11**	**1,007.69**
(ख) विविध आय:-		
लाभांश आय-अन्य (सकल)	-	-
सुरक्षा जमा जब्त	-	-
कर्मचारियों से प्राप्त किराया	5.55	5.23
अन्य प्राप्तियां	-	-
उप योग	**5.55**	**5.23**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(ग) किराये की आय:-	-	-
किराये पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराया	7,831.50	7,494.79
किरायेदारों से सामान्य सेवाओं के लिए वसूली	838.12	812.70
उप योग	**8,669.62**	**8,307.49**
घटाएँ: संपत्ति को किराये पर देने से संबंधित व्यय		
भूमि एवं विकास कार्यालय शुल्क @25%	-	-
संपत्ति कर/नगरपालिका कर	702.91	711.44
जमीन का किराया	1.80	39.50
बीमा प्रीमियम	9.95	10.22
रखरखाव शुल्क	132.61	125.55
प्रशासनिक व्यय	130.41	86.20
उप योग	**977.68**	**972.91**
शुद्ध किराया आय (ग)	**7,691.94**	**7,334.58**
(घ) अन्य प्राप्तियां:-		
वस्तु मदों के अलावा अन्य विनिमय में अंतर	13.14	(90.45)
विविध गैर-व्यापार प्राप्तियां	96.67	246.73
आस्थगित कर्मचारी अग्रिमों की परिशोधन आय	**-**	**-**
आस्थगित सुरक्षा जमा की परिशोधन आय	**-**	**-**
उप योग	**109.81**	**156.28**
कुल	**9,581.41**	**8,503.78**

27 उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सामग्री का प्रारंभिक बैलेंस	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी	-	-
घटाएँ: सामग्री का समापन शेष	-	-
कुल	**-**	**-**

28. स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निर्यात खरीद	-	-
आयात खरीद	-	-
घरेलू खरीद	-	-
कुल	**-**	**-**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

29. मालसूची में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. तैयार माल		
वर्ष की शुरुआत में	-	-
घटाएं : वर्ष के अंत में	-	-
(क)	-	-
स्टॉक-इन-ट्रेड		
वर्ष की शुरुआत में	-	-
घटाएं : वर्ष के अंत में	-	-
(ख)	-	-
मालसूची में बदलाव	**-**	**-**

30. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	1,792.51	1,806.81
अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	16.92	96.36
अर्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण	0.34	19.13
भविष्य निधि	146.79	157.86
कर्मचारी पेंशन योजना 95 (ईपीएस 95)	14.61	18.36
कल्याण व्यय:		
- नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (ओपीडी)	19.94	24.49
- नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (आईपीडी)	118.16	143.08
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (ओपीडी)	-	-
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (आईपीडी)	87.39	128.93
- एक्चुरियल देयता पर चिकित्सा व्यय	684.79	708.17
- अन्य	16.19	13.49
उपदान(उपदान)	41.69	64.83
पेंशन	118.79	129.49
वीआरएस अनुग्रह राशि - (चालू वर्ष - मृत्यु मामला)	112.66	136.48
उप योग	**3,170.78**	**3,447.48**
(ख) निदेशकों को पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	-	2.89
अर्जित छुट्टी अवकाश का नकदीकरण	48.91	8.72
कल्याण व्यय:		
- नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (ओपीडी)	-	-
- अन्य	14.80	15.77
पेंशन	-	0.20
उप योग	63.71	27.58
कुल	**3,234.49**	**3,475.06**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

31. वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर	-	-
टीडीएस/टीसीएस	-	-
वैट/सेवा कर/जीएसटी	0.85	0.01
अन्य वित्तीय प्रभार	192.77	193.93
कुल	**193.62**	**193.94**

32. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास		
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	-	-
संयंत्र और मशीनरी	**-**	**-**
उप योग	-	-
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास :		
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	-	-
पट्टा-भूमि	**-**	**-**
उप योग	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन		
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
अन्य	**-**	**-**
उप योग	-	-
हानि		
उप योग	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

33. अन्य खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) अन्य परिचालन व्यय		
एल/सी बातचीत और बैंक शुल्क	-	-
गोदाम, प्लॉट, टैंक किराया	-	-
उप योग	-	-
(ख) प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	12.93	12.22
दरें एवं कर:		
- नगर निगम को संपत्ति कर	256.23	205.19
- अन्य	0.45	0.53

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और पानी का शुल्क	103.80	93.63
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	5.37	4.20
डाक, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर और टेलेक्स	0.75	1.91
टेलीफोन	8.40	8.78
मरम्मत		
- भवन	-	-
- संयंत्र और मशीनरी	-	-
- अन्य	1.09	0.54
यात्रा खर्च	18.90	16.51
आवास कॉलोनी व्यय	56.65	46.46
सेवा वाहन व्यय	11.55	4.20
बीमा प्रीमियम	13.80	16.26
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक		
- वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	3.60	3.00
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.80	1.50
- प्रमाणन शुल्क	3.51	3.51
मानव संसाधन विकास व्यय	0.76	-
सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	16.44	19.47
परिवहन व्यय	0.81	0.39
कार्यालय भवन का रखरखाव	31.81	29.88
विविध कार्यालय व्यय	108.43	69.48
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का समायोजन नहीं किया जाएगा	4.46	68.55
उप योग	**661.54**	**606.21**
(ग) व्यापार व्यय		
कानूनी और व्यावसायिक व्यय	543.57	310.18
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय (पिछले वर्ष)	-	-
विज्ञापन एवं प्रचार	4.78	7.22
कमोडिटी वस्तुओं के अलावा अन्य विनिमय में उतार-चढ़ाव	75.44	146.53
बैंक शुल्क	0.15	0.22
मनोरंजन व्यय	7.30	3.03
अन्य व्यापार व्यय	51.36	74.48
उप योग	**682.60**	**541.66**
(घ) परिशोधन व्यय		
आस्थगित कर्मचारी अग्रिमों का परिशोधन व्यय	-	-
आस्थगित सुरक्षा जमा का परिशोधन व्यय	-	-
कुल	**1,344.14**	**1,147.87**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

34. असाधारण वस्तुएं

(₹ in Lacs)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) व्यय		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर नुकसान	0.52	-
परिसंपत्तियों की क्षति पर हानि	-	-
कुल (क)	0.52	-
(ख) राइट ऑफ्स		
व्यापार प्राप्तियां**	**-**	**-**
दावा	2.78	-
कुल (ख)	2.78	-
(ग) संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम एवं निवेश के लिए प्रावधान		
व्यापार प्राप्तियां	-	-
दावा	1.42	4.38
कुल (ग)	1.42	4.38
(घ) आय		
पीपीई की बिक्री पर लाभ	-	1.08
पिछले वर्षों में सृजित देयताएं रिटर्न बैक के रूप में:		
- सांविधिक	-	-
- अन्य	23.40	27.48
संदिग्ध वसूली गई राशि के लिए रिटर्न बैक:		
-व्यापार प्राप्तियां	-	-
-दावे	414.44	-
संदिग्ध राशियों के लिए रिटर्न ऑफ का प्रावधान:		
-व्यापार प्राप्तियां	2.78	-
-दावे	0.50	-
दावा न किए गए क्रेडिट शेष को रिटर्न बैक	441.12	28.56
-दावे	(436.40)	(24.18)
कुल (घ)	**441.12**	**28.56**
कुल (क+ख+ग–घ)	**(436.40)**	**(24.18)**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

35 कर व्यय

क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर		
चालू वर्ष	793.25	421.95
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	(768.35)	-
कुल	**24.90**	**421.95**
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	-	-
कर की दर में परिवर्तन	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-
उप योग (ख)	**-**	**-**
कुल (क+ख)	**24.90**	**421.95**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कर		
विवरण	-	-
परिभाषित लाभ योजना बीमांकिक लाभ (हानि)	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

ख. कर घाटा आगे ले जाया गया

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	शेष वर्ष समाप्त
अप्रयुक्त कर घाटा जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्तियां मान्यता प्राप्त नहीं की गई हैं:		
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आगे बढ़ाया गया व्यावसायिक घाटा	14,855.43	
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आगे ले जाया गया व्यावसायिक घाटा	11,270.35	
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आगे ले जाया गया व्यावसायिक घाटा	8,928.07	
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आगे बढ़ाया गया व्यावसायिक घाटा	58,105.19	
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आगे बढ़ाया गया व्यावसायिक घाटा	10,725.62	
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आगे बढ़ाया गया व्यावसायिक घाटा	2,429.25	
अनवशोषित मूल्यह्रास	895.28	
कुल	**107,209.19**	

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

36 विदेशी मुद्रा जोखिम

(लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	विदेशी मुद्रा में राशि	धनराशि भारतीय रुपए में	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	विदेशी मुद्रा में राशि	धनराशि भारतीय रुपए में
क. प्राप्य :						
आईजीईडीसी ईरान	यूरो	11.58	990.52	यूरो	11.58	990.52
मुंबई शाखा	अमेरिकी डॉलर	2,956.40	131,400.92	अमेरिकी डॉलर	2,956.40	131,400.92
विभिन्न पार्टियाँ	अमेरिकी डॉलर	192.95	16,026.34	अमेरिकी डॉलर	192.95	15,798.66
विभिन्न पार्टियाँ	यूरो	9.32	836.41	यूरो	9.32	830.63
उप-योग (क)			149,254.19			149,020.73
ख. देय:						
विभिन्न पार्टियाँ	अमेरिकी डॉलर	41.49	3,420.95	अमेरिकी डॉलर	41.49	3,420.95
एम/एस रोसनब्लाट, लंदन	पौंड	0.04	4.63	अमेरिकी डॉलर	0.04	4.63
उप-योग (ख)			3,425.58			3,425.58

37 व्यापार देयताएं

कंपनी पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत आपूर्तिकर्ताओं का बकाया निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल धनराशि	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को देय उपरोक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, अदा नहीं किया गया	-	-
वर्ष के दौरान, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान (ब्याज के अलावा)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज (धारा 16 के अलावा)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के तहत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित और भुगतान न किया गया ब्याज	-	-
नोट: यह सूचना ऐसे विक्रेताओं के संबंध में दी गई है, जहां तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में पहचाना जा सकता है।		

38 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) प्रावधानों

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 को ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान रिटेन-बैक	दिनांक 31.03.2024 को क्लोजिंग बैलेंस
आकस्मिक व्यय	4,658.09	81.84	-	-	-	4,739.93
संदिग्ध व्यापार प्राप्य	62,727.62	-	-	-	0.00	62,727.62
संदिग्ध ऋण	9,147.45	-	-	-	-	9,147.45
संदिग्ध दावे	3,371.31	0.80	-	-	417.21	2,954.90
संदिग्ध जमाराशि	715.23	-	-	-	-	715.23
कुल	**80,619.70**	**82.64**	**-**	**-**	**417.22**	**80,285.12**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(ii) आकस्मिक देयताएं: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
(i) पक्षकारों के साथ न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले*	41,614.52	41,611.49
(ii) बिक्री कर/सेवा कर/वैट	48,548.84	48,548.84
(iii) आयकर	-	686.25
(iv) सीमा शुल्क	692.55	692.55
(v) अन्य**	11,209.08	11,209.08
कुल	**102,064.99**	**102,748.21**

* मेसर्स मेडिटेरेनियन शिपिंग ने दो अलग-अलग मामलों में मेसर्स मेहक ओवरसीज द्वारा विलंब शुल्क और भंडारण शुल्क का भुगतान न करने के लिए 729 लाख रुपये का दावा किया। ये मामले बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

** एलएंडडीओ द्वारा अपने पत्र संख्या एलएंडडीडीओ/एलएस2ए/9225/133 दिनांक 26 मार्च 2018 के माध्यम से वर्ष 2004-05 से लीज डीड की विभिन्न शर्तों का पालन न करने (एसटीसी द्वारा अपने किरायेदारों से प्राप्त सकल किराए का 25% जमा न करने सहित) के लिए 132.83 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी ने मांग पर विवाद किया है और मामला अभी तक सुलझाया जाना बाकी है। सीएजी लेखापरीक्षा के अवलोकन पर, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खातों बही में 8,540 लाख रुपये की पक्की देनदारी बनाई गई है। इसके अलावा, एसटीसी ने पत्र दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से एलएंडडीओ से आज की तिथि तक बकाया धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया और जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

*31.03.2024 तक के प्रावधान में कंपनी द्वारा भारतीय खरीदार मेसर्स मिलेनियम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विदेशी आपूर्तिकर्ता मेसर्स सिनर्जिक इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सर्विसेज (एसआईएमएस), सिंगापुर/मलेशिया से माल के आयात के लिए किए गए अनुबंध के संबंध में 12.70 करोड़ रुपये (एसटीसी के पास उपलब्ध 1.99 करोड़ रुपये की ईएमडी पर विचार करने के बाद) शामिल हैं। विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत थे। इसलिए, एसटीसी ने अपने बैंकर (इलाहाबाद बैंक) से इन एलसी के विरुद्ध विदेशी बैंक को भुगतान जारी न करने के लिए संपर्क किया। आपूर्तिकर्ता के विदेशी बैंक ने एलसी के विरुद्ध भुगतान जारी करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इलाहाबाद बैंक ने न्यायालय में डिक्रीटल धनराशि जमा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, इलाहाबाद बैंक ने एसटीसी के खाते को डेबिट कर दिया, अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद बैंक और मलय बैंक के बीच के मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इलाहाबाद बैंक के खिलाफ एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए मलय बैंक को डिक्री राशि (10,79,69,518.02 रुपये के साथ-साथ 9% प्रति वर्ष की दर से वसूली तक भविष्य का साधारण ब्याज) का भुगतान करना है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.11.2019 के निर्णय के बाद, एसटीसी को इलाहाबाद बैंक से दिनांक 16.01.2020 को एक दावा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सभी 4 एलसी के लिए 9.65% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज के साथ 16,21,60,914 रुपये की राशि थी (एसटीसी द्वारा 1 एलसी स्वीकार नहीं किया गया था एसटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीन एलसी दस्तावेजों के संबंध में 12.70 करोड़ (एसटीसी के पास उपलब्ध ईएमडी 1.99 करोड़ रुपये का शुद्ध) । चूंकि एसटीसी ने इलाहाबाद बैंक द्वारा की गई मांग का खंडन किया है, इसलिए शेष 3.93 करोड़ रुपये की धनराशि आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई गई है। इसके अलावा, भारतीय खरीदार (मेसर्स मिलेनियम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड) के ऋणदाता संस्थानों ने एनसीएलटी कार्यवाही शुरू की है। एसटीसी ने एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के आदेशों का पालन करते हुए 14.91 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए अपना दावा भी परिसमापक के समक्ष दायर किया था, जो कि परिसमापक के समक्ष दावा दायर करने की तिथि पर बैंक द्वारा एसटीसी से दावा की गई राशि के समान है। हालांकि, परिसमापक ने दिनांक 26.05.2020 के ईमेल के माध्यम से एसटीसी के 14.91 करोड़ रुपये की धनराशि के दावे को खारिज कर दिया है। एसटीसी ने एनसीएलटी, चंडीगढ़ के समक्ष परिसमापक के फैसले के खिलाफ अपील की है। माननीय एनसीएलटी बेंच ने अपने आदेश दिनांक 28.08.2023 के तहत मामले का निपटारा किया जिसमें उसने परिसमापक को एसटीसी के दावे पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। तदनुसार, परिसमापक ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2023 के जरिए सूचित किया कि उसने ईएमडी और संबंधित ब्याज को समायोजित करने के बाद 12,47,64,463.33 रुपये के लिए असुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में एसटीसी के दावे को स्वीकार कर लिया है। परिसमापक ने 20वीं हितधारक समिति की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया है कि एसटीसी को 20.45% वोटिंग शेयर प्रतिशत के साथ हितधारक समिति में असुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण 2 (डीआरटी 2), नई दिल्ली के समक्ष लगभग 17.40 करोड़ रुपये की धनराशि का दावा करते हुए आवेदन दायर किया मामला अभी बहस के चरण में है। एसटीसी ने सीबीआई नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी और सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा एफआईआर संख्या: RC2192022E0001 दिनांक 08.02.2022 दर्ज की गई है और मामले में जांच चल रही है।

(iii) मुकदमें निपटान:

1 मेसर्स जे.के. इंटरनेशनल (एक विदेशी आपूर्तिकर्ता) के पास वर्ष 2008-09 के दौरान दालों के आयात के लिए एसटीसी द्वारा अनुबंध को निरस्त करने के कारण दावा था। इस दावे को एसटीसी ने इस आधार पर विवादित किया था कि दालों के आयात का अनुबंध उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर था और उक्त मंत्रालय ने एसटीसी को उक्त अनुबंध के तहत किसी भी शेष मात्रा को निरस्त करने का निर्देश दिया था। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अवार्ड दिनांक 01.12.2009 से रु. 68.05 करोड़ प्लस ब्याज के लिए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में था। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष न्यायाधिकरण के पुरस्कार के खिलाफ अपील दायर की। निर्णय आपूर्तिकर्ता के पक्ष में रु. 57.03

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

करोड़ प्लस ब्याज की राशि का था, जिस पर एसटीसी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है। इस बीच, मेसर्स जे.के. इंटरनेशनल ने एसटीसी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत, एसटीसी ने जे.के. इंटरनेशनल को 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। मामले अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित हैं और बहस के चरण में हैं। मामले को अंतिम बार दिनांक 07.05.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि, समय की कमी के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई दिनांक 06.08.2024 को होनी है।

2 कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी मेसर्स एडलवाइस प्राइवेट लिमिटेड की जमाराशियों के विरुद्ध मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (पक्ष) से वसूलने योग्य 2,789 लाख रुपये की धनराशि विनियोजित की है। इसके कारण, पार्टी की होल्डिंग कंपनी ने मध्यस्थता का सहारा लिया था और उनके पक्ष में एसटीसी द्वारा मध्यस्थता की लागत को छोड़कर 2,789 लाख रुपये और 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वापस करने का निर्णय दिया गया था। इसके विरुद्ध एसटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस बीच, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एसटीसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 3,192 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। अपील लंबित रहने तक यह धनराशि उच्च न्यायालय में एफडी के रूप में सुरक्षा के रूप में रखी गई है। मेसर्स एडलवाइस ने बराबर धनराशि की बैंक गारंटी जमा करके यह धन वापस ले लिया महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण, नियमित मामलों की सुनवाई न होने के कारण मामला किसी निर्णायक चरण तक नहीं पहुंच पाया है। उपरोक्त मामले में एओआर से परामर्श के बाद, आरओ तत्काल सुनवाई आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में है ताकि उक्त मामले की उपस्थिति को नियमित किया जा सके और मामले का निर्णय इसकी योग्यता के आधार पर किया जा सके।

3 मेसर्स हेल्म ने लेनदेन में अंतर/कम धनराशि वसूलने के लिए एसटीसी द्वारा पीबीजी का आह्वान स्वीकार नहीं किया और दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को आईसीए, नई दिल्ली को भेज दिया। बहुमत मध्यस्थता पुरस्कार एसटीसी के पक्ष में नहीं था। इसके बाद, एसटीसी ने भारत सरकार के हितों की रक्षा के लिए कानूनी मंचों पर मामले लड़े, हालांकि, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने हेल्म के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसमें संकेत दिया गया कि मेसर्स हेल्म अनुबंध के तहत मात्रा को प्रतिबंधित करने या कम दर पर अतिरिक्त मात्रा की कीमत तय करने के लिए बाध्य नहीं था और अनुबंधित मूल्य पर अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करना अनुबंध के मुताबिक सही था। तदनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार, एसटीसी ने मेसर्स हेल्म को लगभग 92.05 करोड़ रुपये की मध्यस्थता धनराशि का भुगतान किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि केनरा बैंक (एसटीसी का बैंक जिसने एसटीसी के निर्देश पर हेल्म के पीबीजी को भुनाया था) उस अवधि के लिए उन्हें हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, जब वे पीबीजी धनराशि से वंचित थे यानी वर्ष 2009-2011, क्योंकि बहुमत मध्यस्थता पुरस्कार ने केनरा बैंक के उस अवधि के लिए ब्याज के दावे पर ध्यान नहीं दिया, जब वह पीबीजी की धनराशि के लिए जेब से बाहर था (वर्ष 2009-2011)। केनरा बैंक ने मेसर्स हेल्म और एसटीसी के खिलाफ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) में मध्यस्थता केस: डीआईएसी/5984(1)/01-23 शुरू किया। उक्त मध्यस्थता याचिका में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी अभय मनोहर सप्रे को पक्षों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया एसटीसी, वित्त विभाग से मध्यस्थता पुरस्कार की राशि और एसटीसी को हुए नुकसान के भुगतान का अनुरोध कर रही थी, क्योंकि उक्त लेनदेन कंपनी द्वारा वित्त विभाग की ओर से और उसके निर्देशों के अनुसार ही किया गया था।

(iv) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

यदि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा, तो आकस्मिक परिसंपत्ति के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा, जिसमें आकस्मिक परिसंपत्ति की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। यदि संभव हो, तो अनुमानित वित्तीय प्रभाव का भी खुलासा किया जाएगा।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
दावे*	18,736.90	16,755.15
अग्रिम धनराशि*	43,077.63	40,237.04
व्यापार प्राप्तियां*	140,877.97	269,734.49
अन्य **	125,469.38	125,469.38
कुल	**328,161.87**	**452,196.07**

*आकस्मिक परिसंपत्तियों में उन पक्षों के विरुद्ध दावे (मूलधन और ब्याज) शामिल हैं, जिनके लिए या तो प्रावधान किया गया है या उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ये सभी मामले विभिन्न स्तर के न्यायालयों में लंबित हैं। **अन्य में आयकर विभाग से निगम द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए वीएसवी योजना चुनने के संबंध में प्राप्त होने वाली 467 लाख रुपये की शुद्ध धनराशि शामिल है।

(v) एमओसी एंड आई ने दिनांक 19.03.2020 के पत्र के माध्यम से बताया कि डीपीई के परामर्श से मंत्रालय में विषय वस्तु की फिर से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 26.11.2008 के ओएम के माध्यम से जारी डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में किए गए संपूर्ण अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाए। तदनुसार, सभी 27 अधिकारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के अनुरोध के साथ दिनांक 01.04.2020 के नए मांग पत्र जारी किए गए। 27 अधिकारियों में से 9 अधिकारियों से वसूली

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

की गई है। छह (6) अधिकारियों ने विषय वसूली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; 2 मामलों में डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की गई और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, अन्य 11 अधिकारियों के संबंध में, कानून की अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया गया है।

39. प्रमुख कानूनी मामले (व्यापार प्राप्य)

1 "एसटीसी ने 2009-10 के दौरान मेसर्स कॉनरोस स्टील प्राइवेट लिमिटेड को एचआर कॉइल्स की आपूर्ति की थी। पार्टी ने 1205 लाख रुपये (एल/सी मूल्य 1,005 लाख रुपये और ब्याज और अन्य खर्च 200 लाख रुपये) के एक एल/सी के खिलाफ देय भुगतान करने में चूक की थी। एसटीसी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दीवानी आवेदन और आपराधिक शिकायत दर्ज की है। सहयोगी को बेची गई सामग्री एसटीसी के पास गिरवी रखी गई थी और सीडब्ल्यूसी की हिरासत में रखी गई थी। हालांकि, एक अन्य पीएसयू यानी मेसर्स मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) ने स्टॉक के स्वामित्व का दावा किया था, जिसके खिलाफ एसटीसी ने लोअर कोर्ट, पनवेल, मुंबई में घोषणात्मक मुकदमा दायर किया है। इस बीच, माननीय न्यायालय ने एमएसटीसी को गिरवी रखे गए स्टॉक की बिक्री करने और बिक्री की आय माननीय न्यायालय में जमा करने के लिए कहा था। तदनुसार, एमएसटीसी ने स्टॉक की ई-नीलामी की और बिक्री की आय 1,028 लाख रुपये न्यायालय में जमा की। माननीय न्यायालय के दिनांक 14.12.2020 के आदेश के अनुसार, एचआर कॉइल के उक्त स्टॉक को कस्टोडियन यानी सीडब्ल्यूसी द्वारा एच-1 बोलीदाता यानी मेसर्स राममंगल एंड संस को "जैसा है जहां है, कोई शिकायत नहीं के आधार पर" माननीय पनवेल न्यायालय की देखरेख में सौंप दिया गया है और प्राप्त राशि को माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश तक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर दिया है। इसके अलावा, ऋणदाता संस्थानों ने पार्टी के खिलाफ एनसीएलटी के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है, एसटीसी ने एनसीएलटी के समक्ष दिनांक 21.08.2018 को 2,870 लाख रुपये का अपना दावा दायर किया है। ओएल द्वारा सूचित किए अनुसार, कॉरपोरेट देनदार कॉनरोस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी की गई है और बिक्री आय का वितरण कॉरपोरेट देनदार के सुरक्षित लेनदारों को किया गया है। चूंकि प्राप्त राशि सुरक्षित लेनदारों के संपूर्ण बकाया का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए आईबीसी 2016 की धारा 53 के तहत वाटरफॉल तंत्र के अनुसार अन्य लेनदारों को वितरित करने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीयूएफई प्रावधानों के तहत मुकदमेबाजी एनसीएलटी में परिसमापक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार और अन्य पक्षों के तत्कालीन प्रबंधन के खिलाफ की जा रही है। यदि इस तरह के आवेदन के परिणामस्वरूप कोई वसूली होती है, तो कोड के प्रावधानों के अनुसार हितधारकों को आगे वितरण किया जाएगा।"

2 एसटीसी ने संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न पक्षों को सोने के आभूषणों का निर्यात किया था, जिसके विरुद्ध 1,61,705,695 अमेरिकी डॉलर यानी 78,765 लाख रुपये की वसूली बकाया है। एसटीसी ने एक्जिम बैंक से 90 प्रतिशत बिलों की छूट दी थी और संबंधित भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को 83.5 प्रतिशत का भुगतान किया था। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौतों के अनुसार, स्थानीय आपूर्तिकर्ता विदेशी खरीदारों से धन प्रेषण के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि विदेशी खरीदारों ने वर्ष 2008-09 के बाद से चूक करना शुरू कर दिया, इसलिए एसटीसी ने बकाया राशि वसूलने के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्यवाही शुरू की, जो अभी भी लंबित है। हालांकि, अधिकांश भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ समापन आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं। 44,546 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है

3 अन्य व्यापार प्राप्तियों में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न विदेशी खरीदारों को विभिन्न कृषि वस्तुओं के निर्यात के कारण 4,192 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं, जो विभिन्न समझौतों के तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ता मेसर्स मेहक ओवरसीज से की गई खरीद से हैं, जिसके खिलाफ व्यापार प्राप्तियों के तहत दिखाई देने वाले 4,192 लाख रुपये का संबंधित क्रेडिट बैलेंस व्यापार देय के तहत देय है। इसके अलावा, कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए एसटीसी द्वारा मेसर्स मेहक ओवरसीज लिमिटेड (एमओपीएल) को दी गई 7,533 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही 2013-14 के दौरान लिखी जा चुकी है। चूंकि पार्टी रिफंड करने में विफल रही है, इसलिए एसटीसी ने पार्टी के खिलाफ विभिन्न कानूनी कदम उठाए हैं। मामला सीबीआई द्वारा भी जांच के दायरे में है।

4 व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) से विदेशी खरीदारों को फार्मा उत्पादों के निर्यात के कारण 56,844 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं। आरपीएल ने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें विदेशी खरीदारों द्वारा एसटीसी के विनिमय पत्र की पूर्व स्वीकृति मिलने पर स्वीकार भी कर लिया गया। विदेशी खरीदार यानी मेसर्स लोबेन ट्रेडिंग और मेसर्स स्वीटलैंड ने निर्यात पत्र के भुगतान में चूक की। एक विदेशी खरीदार यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक ने 52,786 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया है। विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से बकाया राशि के खिलाफ एसटीसी के पक्ष में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने 6,247 लाख रुपये का फैसला सुनाया है। वर्तमान तिथि तक वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी/उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी एक पक्ष बनाते हुए 47,647 लाख रुपये का दावा किया गया है।

5 गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रेनेसां कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापन के तहत) से पीईटी बोतल स्क्रैप सामग्री के आयात के लिए 3.22 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो एसटीसी के पास गिरवी रखे गए हैं। यह बकाया पिछले एलसी के संबंध में आयातित पीईटी बोतल स्क्रैप को न उठाने के खिलाफ है। एसटीसी मध्यस्थता में चला गया, जिसे एसटीसी के पक्ष में जीता गया। बकाया के खिलाफ खाता बही में 1.76 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। ओएल (श्री मनोज सहगल) को एनसीएलटी मुंबई ने 18 अक्टूबर, 2022 के अपने आदेश के जरिए नियुक्त किया है। एसटीसी ने ओएल के समक्ष वित्तीय लेनदार के रूप में 13,78,02,367/- रुपये (दिनांक 18.10.2022 तक) का अपना दावा दायर किया है। एसटीसी को पेट बोतल स्क्रैप के 764.40 मीट्रिक टन गिरवी रखे स्टॉक के निपटान के लिए ओएल की सहमति प्राप्त हो गई है और हमने अब एमएसटीसी को उनके पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से उक्त स्टॉक की बिक्री के लिए नियुक्त किया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

6 एसटीसी ने विदेश मंत्रालय के निर्देश के आधार पर मिस्र की सरकारी इकाई जनरल अथॉरिटी फॉर सप्लाई कमोडिटीज (जीएएससी) को वर्ष 2016-17 के दौरान 60,93,900 अमेरिकी डॉलर (4,065 लाख रुपये के बराबर) मूल्य के 19,980 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है। जीएएससी, मिस्र ने फ्यूमिगेशन और अन्य शुल्कों के कारण वाणिज्यिक चालान के कुल मूल्य से मनमाने ढंग से 6,03,357.75 अमेरिकी डॉलर (31 मार्च, 2019 तक 415 लाख रुपये के बराबर) की कटौती की और शेष धनराशि का भुगतान किया गया। हालांकि, एसटीसी ने उपरोक्त कटौती को विवादित किया है और इस मामले को विभिन्न मंचों यानी विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावासों में भी उठाया गया है। इसलिए, 415 लाख रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, चावल का उक्त निर्यात भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से की गई खरीद से था और एफसीआई के साथ समझौते के पैरा 14 के अनुसार, भुगतान मिस्र के क्रेता से बिक्री आय की प्राप्ति पर किया जाना है। तदनुसार, एसटीसी ने भी एफसीआई को उसी सीमा तक भुगतान नहीं किया है।" इसके बाद एफसीआई, एसटीसी और विदेश मंत्रालय की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विदेश मंत्रालय 415 लाख रुपये की देय धनराशि का भुगतान करेगा। एसटीसी अपनी जेब से भुगतान नहीं कर रहा है और प्राप्त होने पर धनराशि एफसीआई को दे दी जाएगी। हालांकि, दिनांक 08.10.2021 के पत्र के माध्यम से विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 27.12.2020 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ 27,97,96,833/- रुपये का पूर्ण और अंतिम निपटान कर लिया है। एसटीसी ने दिनांक 29.10.2021 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि एसटीसी उक्त निपटान से अवगत नहीं है और अनुरोध किया कि विवरण एसटीसी के साथ साझा किया जा सकता है। उक्त पत्र के नियमित अनुस्मारक विदेश मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं।

7 एसटीसी ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ईरानी गैस इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी (आईजीईडीसी, ईरान) को 2,87,324 लाख रुपये की कीमत की स्टील प्लेट्स का निर्यात किया था, जिसका अनुबंध जनवरी 2017 में समाप्त हो गया था। तुलनपत्र की तारीख तक 9,085 लाख रुपये का भुगतान अभी भी बकाया है। बकाया धनराशि का भुगतान आईजीईडीसी, ईरान द्वारा किया जाएगा। वर्तमान मामले में एसटीसी अपनी जेब से नहीं चुकाएगा, क्योंकि आईजीईडीसी से प्राप्त राशि बैक-अप आपूर्तिकर्ता मेसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड (अब मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड) को देय है और तदनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8 "व्यापार प्राप्तियों में पिछले वर्षों के दौरान मेट कोक की आपूर्ति के खिलाफ मेसर्स दानकुनी स्टील लिमिटेड से वसूलने योग्य 1,054 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए, आईआरपी के माध्यम से एनसीएलटी के साथ दावा दायर किया गया है। कंपनी ने पार्टी के खिलाफ कानूनी और आपराधिक मामले दायर किए हैं जो विचाराधीन हैं। 696 लाख रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त धनराशि फ्री होल्ड भूमि के बंधक द्वारा सुरक्षित है। बकाया धनराशि के लिए 358 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दानकुनी में बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए निविदा जारी की गई थी, हालांकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। एसटीसी के दावे की परिसमापक की स्वीकृति के आधार पर बकाया राशि की वसूली के लिए परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं, एसटीसी ने अपने पक्ष में 2,974.95 लाख रुपये का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। परिसमापन के मानदंडों के अनुसार आधिकारिक परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया प्रगति पर है। श्रीकाकुलम संयंत्र में पड़े 500 मीट्रिक टन मेट कोक को छोड़ने और उसके बाद उसकी बिक्री पर, परिसमापक ने 17.01.2024 को अपने अंतिम संचार के माध्यम से पुष्टि की कि बिक्री प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बिक्री आय धनराशि को आईबीसी 2016 की धारा 53 के अनुसार वितरित किया जाएगा।"

9 वसूली योग्य गैर-वर्तमान दावे में मेसर्स लिचेन मेटल्स (पार्टी) से 392 लाख रुपये शामिल हैं, जो एसटीसी द्वारा मेसर्स लिचेन मेटल्स को भुगतान किए गए कुल 3,187 लाख रुपये के विनिमय लाभ में से है, जो बुलियन की घरेलू आपूर्ति के लिए पार्टी द्वारा फॉरवर्ड कवर को रद्द करने के कारण हुआ था। इसके बाद, एसटीसी ने ऐसी राशि की वापसी की मांग की, जिसे पार्टी ने वापस करने से इनकार कर दिया। वापसी से इनकार करने पर, एसटीसी ने पार्टी की होल्डिंग कंपनी (मेसर्स एडलवाइस) से ली गई 2,795 लाख रुपये की जमा धनराशि को समायोजित किया और 392 लाख रुपये की वसूली योग्य शेष धनराशि छोड़ दी। हालांकि, होल्डिंग कंपनी ने पार्टी (यानी सहायक) के बकाए के खिलाफ एसटीसी द्वारा अपनी जमा धनराशि के समायोजन के खिलाफ मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था। मध्यस्थता पुरस्कार पार्टी की होल्डिंग कंपनी के पक्ष में था एडलवाइस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के पास 3,192 लाख रुपये लंबित हैं। अपील लंबित रहने तक यह धनराशि उच्च न्यायालय में एफडी के रूप में सुरक्षा के रूप में रखी गई थी। मेसर्स एडलवाइस द्वारा यह धन वापस ले लिया गया और 277 लाख रुपये की धनराशि शेष रह गई, जो समय के साथ अर्जित ब्याज की राशि है। एसटीसी कोलकाता ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एलडी रजिस्ट्रार मूल पक्ष उच्च न्यायालय कलकत्ता को निर्देश जारी करने के लिए याचिका जीए संख्या 3/2023 एपी संख्या 424/2019 दायर की है, ताकि याचिकाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता में रजिस्ट्रार के पीएल खाते में पड़े 277 रुपये में से कुछ राशि जारी की जा सके। यह मामला दिनांक 25.04.02023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जहां माननीय न्यायमूर्ति शेखर सराफ ने दो सप्ताह के भीतर विरोध में हलफनामा दायर करने और यदि कोई हो तो उसका जवाब एक सप्ताह बाद दायर करने का आदेश दिया है, इसके बाद विपरीत मामले में सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार किया जाएगा।

10 चूंकि सैमसंग इस मामले में एसटीसी द्वारा लगाए गए जुर्माने और उसके बाद एसटीसी द्वारा पीबीजी को भुनाने से सहमत नहीं था, इसलिए सैमसंग ने एसटीसी के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की और एसटीसी ने भी अपना जवाबी दावा दायर किया। मध्यस्थ के फैसले के अनुसार, सैमसंग एसटीसी से दिनांक 26.12.2016 से 8% की दर से ब्याज के साथ 15,62,430.88 अमरीकी डॉलर की राशि वापस पाने का हकदार है। एसटीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता फैसले के खिलाफ अपील दायर की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए मूलधन को जमा करने पर मामले में केवल सशर्त स्थगन दिया था। तदनुसार, एसटीसी ने अपने निर्देशों के अनुसार न्यायालय में लगभग 11.03 करोड़ रुपये जमा कराए। उर्वरक विभाग ने आज तक उक्त लेनदेन में उनके द्वारा लगाया गया जुर्माना वापस नहीं लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से शेष जवाबी दलीलों के लिए मामले को दिनांक 09.05.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि मामले को स्थगित कर दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख 22.05.2024 है। एसटीसी ने डीओएफ से अनुरोध

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

किया था कि वह एसटीसी पर डीओएफ द्वारा लगाए गए जुर्माने को वापस ले और मामले में एसटीसी द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति करे क्योंकि उक्त लेनदेन कंपनी द्वारा डीओएफ की ओर से और उसके निर्देशों के अनुसार ही किया गया था।

11 एसटीसी को 2016-17 के दौरान एनडीएमसी से वर्ष 1999-2000 से 2016-17 तक की अवधि के लिए संपत्ति कर के रूप में 8,002 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई और इसे सीसीआईसी और एचएचईसी को आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है। 8,002 लाख रुपये की कुल मांग में से, एसटीसी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 2,212 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसके विरुद्ध सीसीआईसी ने 115 लाख रुपये का अपना हिस्सा चुकाया है। हालांकि, एचएचईसी ने अपना हिस्सा नहीं चुकाया है, इसलिए 2,212 लाख रुपये के भुगतान में से एचएचईसी के हिस्से की सीमा तक प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

12 अग्रिम धनराशि में मेसर्स मेट्रो मशीनरी ट्रेडर्स (एमएमटी), नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली 8,739 लाख रुपये की धनराशि शामिल है, जिसमें मेसर्स एमएमटी और उसके भागीदारों से वसूल की जाने वाली 36,271 लाख रुपये की आकस्मिक संपत्ति शामिल नहीं है, जिसके खिलाफ कंपनी ने आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया है। कंपनी 1 मई 2006 से पुरस्कार की प्राप्ति तक 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 10,974 लाख रुपये के लिए अपने पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। पार्टी और उसके भागीदारों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी थी और उनके आवेदनों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। मेसर्स एमएमटी और उसके भागीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दिनांक 03.07.2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसका एसटीसी द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस बीच, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22.09.2023 और 30.10.2023 के आदेशों के माध्यम से एसटीसी को कुल 19,20,96,705/- रुपये जारी किए हैं, जो बिक्री कर रिफंड के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा किए गए थे। उपरोक्त के मद्देनजर, चल रहे मामलों को अंतिम परिणाम के समय देनदारों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

13 5 लाख रुपये (आकस्मिक संपत्तियों को छोड़कर) की व्यापारिक प्राप्तियां मेसर्स बालासोर अलॉयज, व्यापार सहयोगी से प्राप्त होने वाली हैं। विभिन्न कानूनी मामले यानी एन.ए. अधिनियम की धारा 138 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नई दिल्ली में माननीय न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, जिनका एसटीसी द्वारा ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। एसटीसी को कुल मिलाकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांक 23.03.2017 के अंतरिम पुरस्कार के अनुसार 5,855 लाख रुपये मिले हैं। यद्यपि मध्यस्थता समाप्त हो गई और न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए, लेकिन पुरस्कार को आईसीए द्वारा जुलाई 2023 में तभी प्रकाशित किया गया जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर बीएएल ने अपना उचित हिस्सा चुकाया। एसटीसी को आईसीए से दिनांक 04.07.2023 को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एसटीसी के पक्ष में 1,848.76 लाख रुपये के पुरस्कार की सत्य प्रतिलिपि थी, साथ ही पुरस्कार के अनुसार 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी था। एसटीसी द्वारा बालासोर न्यायालय (डीलिंग अधिवक्ता द्वारा सलाह के अनुसार क्षेत्राधिकार के अनुसार) के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को पुरस्कार के अनुसार राशि के लिए मध्यस्थ पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है और इसे दिनांक 11.12.2023 को स्वीकार कर लिया गया है। एसटीसी द्वारा इस मामले को पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और मामले की अगली तारीख 28.06.2024 है।

14 एसटीसी ने दालों की 15% सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न खातों के तहत डीओसीए से 22,172 लाख रुपये के अपने बकाया की वसूली के लिए एएमआरसीडी के समक्ष दिनांक 15.06.2021 को अपनी याचिका दायर की। एएमआरसीडी ने दिनांक 29.05.2022 के आदेश के तहत एसटीसी के 9,734 लाख रुपये और 3,012 लाख रुपये के दावों को खारिज कर दिया और 1,425 लाख रुपये की सीमा तक एसटीसी के 1,880 लाख रुपये के दावे को स्वीकार कर लिया। हालांकि, मेसर्स जेके इंटरनेशनल से संबंधित एसटीसी के 7,546 लाख रुपये के दावे पर, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, एसटीसी को अदालत के फैसले के बाद, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एएमआरसीडी के समक्ष मामले को नए सिरे से उठाने के लिए कहा गया है। एसटीसी, एसटीसी को 1425 लाख रुपये की धनराशि जारी करने के लिए डीओसीए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

40 प्रतिबद्धताएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
पूंजी प्रतिबद्धताएँ :		
पीपीई	95.89	102.44
अमूर्त संपत्ति	-	6.37
कुल	**95.89**	**108.80**
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-

41 भारतीय लेखा मानक 107 - वित्तीय साधनों के संबंध में प्रकटीकरण

41.1 श्रेणियों और उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार वित्तीय उपकरण

क) स्तर 1 - स्तर 1 पदानुक्रम में सक्रिय बाजारों में उद्दत कीमतों (असमायोजित) का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

ख) स्तर 2 - स्तर 2 पदानुक्रम में स्तर 1 में शामिल उद्दत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

ग) स्तर 3 - स्तर 3 पदानुक्रम में ऐसे इनपुट का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अअवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार थे:

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	पदानुक्रम स्तर	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (संदर्भ नोट संख्या 8)		1.04	-	-	1.04	1.04
नकद एवं नकद समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या 16)		20,059.47	-	-	20,059.47	20,059.47
नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष (संदर्भ नोट संख्या 17)		-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या 9)		106,960.49	-	-	106,960.49	106,960.49
कर्मचारी ऋण (संदर्भ नोट संख्या 10)		247.85	-	-	247.85	247.85
प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट संख्या 10)		3,288.65	-	-	3,288.65	3,288.65
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट संख्या 11)		17,895.38	-	-	17,895.38	17,895.38
कुल		**148,452.88**	**-**	**-**	**148,452.88**	**148,452.88**
वित्तीय देयताएं:						
व्यापार देय (संदर्भ नोट संख्या 21)		111,775.72	-	-	111,775.72	111,775.72
उधार (संदर्भ नोट संख्या 20 और 22)		80,623.24	-	-	80,623.24	80,623.24
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या 22)		38,659.12	-	-	38,659.12	38,659.12
कुल		**231,058.08**	**-**	**-**	**231,058.08**	**231,058.08**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(ख) 31 मार्च, 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	पदानुक्रम स्तर	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (संदर्भ नोट संख्या 8)	3	1.04	-	-	1.04	1.04
नकद एवं नकद समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या 16)	3	859.25	-	-	859.25	859.25
बैंक बैलेंस (संदर्भ नोट संख्या 17)	3	-	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या 9)	3	106,946.18	-	-	106,946.18	106,946.18
कर्मचारी ऋण (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	320.19	-	-	320.19	320.19
प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	3,254.43	-	-	3,254.43	3,254.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट संख्या 11)	3	30,149.24	-	-	30,149.24	30,149.24
कुल		**141,530.32**	**-**	**-**	**141,530.32**	**141,530.32**
वित्तीय देयताएं:						
व्यापार देय (संदर्भ नोट संख्या 21)	3	111,708.55	-	-	111,708.55	111,708.55
उधार (संदर्भ नोट संख्या 20 और 22)	3	80,623.24	-	-	80,623.24	80,623.24
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या 22)	3	38,999.67	-	-	38,999.67	38,999.67
कुल		**231,331.47**	**-**	**-**	**231,331.47**	**231,331.47**

व्यापार प्राप्य, नकदी और नकदी समतुल्य, उधार (अल्पकालिक ऋण), व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

41.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ उसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और धन जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, संवेदनशीलता विश्लेषण
बाजार जोखिम- ब्याज दर	परिवर्तनीय ब्याज दर पर दीर्घकालिक उधार	संवेदनशीलता का विश्लेषण
बाजार जोखिम- सुरक्षा मूल्य में उतार-चढ़ाव	म्यूचुअल फंड निवेश	संवेदनशीलता का विश्लेषण
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, वित्तीय उपकरण।	आयु विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग
धन जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

क) बाजार जोखिम

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जिससे कंपनी को विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से यूएसडी और यूरो से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और रिपोर्टिंग तिथि पर आईएनआर के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है।

(क) दिनांक 31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर (समान भारतीय रुपये में)	यूरो (समतुल्य भारतीय रुपये में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य भारतीय रुपये में)	कुल
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	1,47,427.26	1,826.94	-	1,49,254.19
माल भाड़ा विलंब शुल्क/प्रेषण प्राप्य				-
दुसरे प्राप्य				-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**1,47,427.26**	**1,826.94**	**-**	**1,49,254.19**
विदेशी मुद्रा ऋण देय				-
व्यापार देयताएं	3,420.95	-	4.63	3,425.58
विदेशी मुद्रा में देय कुल राशि	**3,420.95**	**-**	**4.63**	**3,425.58**
शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**1,44,006.31**	**1,826.94**	**(4.63)**	**1,45,828.61**

(ख) दिनांक 31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	अमेरिकी डॉलर (समान भारतीय रुपये में)	यूरो (समतुल्य भारतीय रुपये में)	अन्य मुद्राएं (समतुल्य भारतीय रुपये में)	कुल
नकद और नकद समतुल्य				-
व्यापार प्राप्य	1,47,199.58	1,821.16	-	1,49,020.73
माल भाड़ा विलंब शुल्क/प्रेषण प्राप्य				-
अन्य प्राप्य				-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**1,47,199.58**	**1,821.16**	**-**	**1,49,020.73**
विदेशी मुद्रा ऋण देय				-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज				-
व्यापार देयताएं	3,420.95	-	4.63	3,425.58
विदेशी मुद्रा में देय कुल धनराशि	**3,420.95**	**-**	**4.63**	**3,425.58**
शुद्ध परिसंपत्तियां/(देयताएं)	**1,43,778.63**	**1,821.16**	**(4.63)**	**1,45,595.15**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

संवेदनशीलता

विनिमय दर में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित वित्तीय साधन से उत्पन्न होती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वृद्धि - % में	नगण्य अथवा कोई प्रभाव नहीं	
कमी - % में		

ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम परिवर्तनशील दरों के साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधारों से उत्पन्न होता है, जो कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 के दौरान, कंपनी के उधार INR में मूल्यवर्गित हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति कंपनी के उधारों का जोखिम निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिवर्तनीय दर उधार	-	-
निश्चित दर उधार	80,623.24	80,623.24
कुल उधार	80,623.24	80,623.24

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ या हानि उधार से होने वाले उच्च/निम्न व्यय के प्रति संवेदनशील है। तालिका लाभ या हानि पर ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशित करती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज दरें- (%) तक वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं	
ब्याज दरें- (%) तक कमी		

iii) प्रतिभूति मूल्य में उतार-चढ़ाव का जोखिम

कंपनी का प्रतिभूति मूल्य जोखिम, म्युचुअल फंडों में कंपनी के निवेश से उत्पन्न होता है तथा बैलेंस शीट में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संवेदनशीलता

नीचे दी गई तालिका कंपनी के लाभ या हानि पर निवेश में निश्चित प्रतिशत की वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशित करती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज दरें- (%) तक वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं	
ब्याज दरें- (%) तक कमी		

ख) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों और बिल न किए गए राजस्व से है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों से क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन निम्नलिखित पैराग्राफ में अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों से अलग से किया गया है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
व्यापार प्राप्तियां	169,688.11	169,673.81
बिल न किया गया राजस्व	-	-

सहायक कंपनी के नोट

व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व दोनों सुरक्षित और असुरक्षित हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। भारतीय लेखा मानक 109 को अपनाने के कारण, कंपनी हानि हानि अथवा लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स उपलब्ध बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों जैसे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग और ग्राहकों के लिए कंपनी के ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखता है।

ऋण जोखिम जोखिम

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्य और बिल रहित प्राप्य की आयु का विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	कुल	हानि	कुल	हानि
बकाया नहीं	-	-	-	-
6 महीने तक का बकाया	-	-	-	-
छह महीने से अधिक परंतु एक वर्ष से अधिक नहीं	-	-	-	-
एक वर्ष से अधिक	169,688.11	62,727.62	169,673.81	62,727.62
कुल	**169,688.11**	**62,727.62**	**169,673.81**	**62,727.62**

व्यापार प्राप्य तब क्षतिग्रस्त होते हैं जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य के लिए किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी मानती है कि समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए क्षतिग्रस्त और देय सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाली हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष बैंक हैं। हम ऐसे बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋण गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारत सरकार के बहुमत के स्वामित्व में हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति/गारंटी के विरुद्ध सुरक्षित होता है जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कोई हानि प्रावधान नहीं हैं। हम उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि पर अच्छी ऋण गुणवत्ता वाला मानते हैं (ध्यान दें कि यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई हानि प्रावधान किए गए हैं तो जानकारी प्रदान की जानी चाहिए)

ग) धन जोखिम

हमारी धन आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के धन के मुख्य स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष, परिचालन से उत्पन्न नकदी और बैंकों से ऋण सुविधाएं हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर अपनी धन आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि धन आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होने वाले कर्मचारी बकाया शामिल हैं। हम अपनी अल्पावधि धन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक धन आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के अघोषित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो कि कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए अपेक्षित प्रारंभिक तिथि पर आधारित है। तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	111,775.72	-	-	-	111,775.72
अल्पावधि उधार	-	80,623.24	-	-	-	80,623.24
अन्य वित्तीय देयताएं	-	38,659.12	-	-	-	38,659.12
कुल	**-**	**231,058.08**	**-**	**-**	**-**	**231,058.08**

(ख) 31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	111,708.55	-	-	-	111,708.55
अल्पावधि उधार	-	80,623.24	-	-	-	80,623.24
अन्य वित्तीय देयताएं	6.32	38,993.36	-	-	-	38,999.67
कुल	**6.32**	**231,325.15**	**-**	**-**	**-**	**231,331.47**

42. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-21 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण

लाभ-हानि विवरण में डेबिट/क्रेडिट की गई विनिमय अंतर (शुद्ध) राशि रु. 62.30 लाख (पिछले वर्ष आय रु. -236.98 लाख)

43. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उधार लागत के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के साथ पूंजीकृत धनराशि क्रमशः शून्य रुपये और शून्य रुपये है।

44. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की क्षति" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों पर 318 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की हानि का आकलन किया। नोट 32 देखें।

45. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-108 के संबंध में प्रकटीकरण: "परिचालन खंड"

परिचालन खंड

1) निर्यात
2) आयात
3) घरेलू

खंडों की पहचान

मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय खंडों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खंड प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के अनुरूप मापा जाता है। परिचालन खंडों की पहचान उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है और उन्हें भारतीय लेखा मानक में निर्दिष्ट मात्रात्मक मानदंडों के अनुसार पहचाना गया है।

खंड राजस्व और परिणाम

वे व्यय और आय जो किसी भी व्यवसाय खंड से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें अनाबंटित व्यय (आबंटित आय को घटाकर) के रूप में दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ खंडित करें

खंड परिसंपत्तियों में परिचालन खंडों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी परिचालन परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और इनमें मुख्य रूप से पीपीई, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य और मालसूची शामिल हैं। खंड देयता में मुख्य रूप से व्यापार देय और अन्य देयताएँ शामिल हैं। सामान्य परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें किसी भी खंड में आवंटित नहीं किया जा सकता है, उन्हें गैर-आवंटित परिसंपत्तियों और देयताओं के भाग के रूप में दिखाया जाता है।

अंतरखंड स्थानान्तरण

अंतरखंड कीमतों पर आमतौर पर लागत, बाजार मूल्य और व्यावसायिक जोखिम के संदर्भ में खंडों के बीच बातचीत की जाती है। अंतरखंड हस्तांतरण पर लाभ या हानि को कंपनी स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है।

(क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	निर्यात	आयात	घरेलू	आवंटित नहीं की गई	कुल
1	**खंड राजस्व**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1(क)	बाह्य बिक्री	-	-	-	-	-
1(ख)	अंतर खंड राजस्व	-	-	-	-	-
	खंड राजस्व (1(क) +1 (ख))	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**खंड परिणाम**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 (क)	असंबद्ध कॉर्पोरेट व्यय असंबद्ध आय से घटाया गया	-	1.88	-	(3,250.90)	(3,249.01)
3 (ख)	ब्याज व्यय	73.05	-	-	-	73.05
3 (ग)	ब्याज आय	-	-	-	(1,633.19)	(1,633.19)
	कुल [3(क)+3(ख)+3(ग)]	**73.05**	**1.88**	**-**	**(4,884.09)**	**(4,809.16)**
4	**सामान्य गतिविधियों से कर-पूर्व लाभ [(2)-3(क),(ख) एवं (ग)]**	**(73.05)**	**(1.88)**	**-**	**4,884.09**	**4,809.16**
5	असाधारण मद(आइटम)	-	-	-	(436.41)	(436.41)
6	आयकर	-	-	-	24.91	24.91
7	**कर के बाद शुद्ध लाभ (4)- (5) -(6)**	**(73.05)**	**(1.88)**	**-**	**5,295.59**	**5,220.66**
8	**संयुक्त उद्यम के परिणामों में रुचि**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	**अन्य सूचना :**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9 (क)	खंड परिसंपत्तियाँ	9,085.56	96,182.58	-	133,810.36	239,078.51
9 (ख)	खंड देयताएं	11,330.71	107,308.55	-	127,827.59	246,466.85
9 (ग)	पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-
9 (घ)	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
9 (ङ.)	मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय	73.05	-	-	-	73.05

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

(ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	निर्यात	आयात	घरेलू	आवंटित नहीं की गई	कुल
1	**खंड राजस्व**	-	-	-	-	-
1(क)	बाह्य बिक्री	-	-	-	-	-
1(ख)	अंतर खंड राजस्व	-	-	-	-	-
	खंड राजस्व [1(क) +1 (ख)]	-	-	-	-	-
2	**खंड परिणाम**	-	-	-	-	-
3 (क)	असंबद्ध कॉर्पोरेट व्यय असंबद्ध आय से घटाया गया	-	1.55	-	(2,777.75)	(2,776.19)
3 (ख)	ब्याज व्यय	72.85	-	-	-	72.85
3 (ग)	ब्याज आय	-	-	-	(983.58)	(983.58)
	कुल [3(क)+3(ख)+3(ग)]	72.85	1.55	-	(3,761.31)	(3,686.92)
4	**सामान्य गतिविधियों से कर-पूर्व लाभ [(2)-3(क),(ख) एवं (ग)]**	(72.85)	(1.55)	-	3,761.30	3,686.91
5	असाधारण आइटम	-	-	-	(24.18)	(24.18)
6	आयकर	-	-	-	421.95	421.95
7	**कर के बाद शुद्ध लाभ [(4)-(5)-(6)]**	(72.85)	(1.55)	-	3,363.54	3,289.14
8	**संयुक्त उद्यम के परिणामों में रुचि**	-	-	-	-	-
9	**अन्य सूचना :**	-	-	-	-	-
9 (क)	खंड परिसंपत्तियाँ	9,078.38	96,149.06	-	128,626.16	233,853.59
9 (ख)	खंड देयताएं	11,323.53	105,286.56	-	131,650.14	248,260.22
9 (ग)	पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-
9 (घ)	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
9 (ङ)	मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय	72.85	-	-	-	72.85

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

प्रमुख ग्राहक (10% से अधिक राजस्व वाला ग्राहक)	निर्यात	आयात	घरेलू
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
कुल मुनाफा	**शून्य**		
प्रमुख ग्राहक का नाम :			
कुल राजस्व का %			

नोट संख्या 46 :

भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रकटीकरण

(i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

क. पेंशन

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना बनाई

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

है। इस संबंध में एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन वीडीए का 9% है और ट्रस्ट के फंड का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। कोई कर्मचारी 15 वर्ष पूरे होने से पहले कंपनी छोड़ता है तो केवल वही कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि कर्मचारी 15 वर्ष पूरे होने से पहले कंपनी छोड़ता है तो उसे केवल कर्मचारी अंशदान और ब्याज देय होगा। हालांकि, यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है जो समान पेंशन योजना वाले अन्य सीपीएसई में शामिल होते हैं।

(i) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। वर्ष के लिए निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। (इस खाते पर व्यय के लिए नोट 30 देखें) कंपनी का दायित्व ऐसा निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करना है।

ख. उपदान(ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है, जो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकता है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका में बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में ग्रेच्युटी की स्थिति और मान्यता प्राप्त राशियों को दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	31.03.2024	31.03.2023
वर्तमान	382.59	433.40
गैर-वर्तमान	982.94	1,131.17
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**1,365.53**	**1,564.57**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	प्रारंभिक जमा	1,564.57	1,713.40	1,533.68	1,518.36	31	195
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	39.42	51.17			39	51
(ii)	पिछली सेवा लागत						
(iii)	ब्याज लागत (आय)	115.00	119.94	94.69	105.67	210	226
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि (i+ii+iii)	**154.41**	**171.11**	**94.69**	**105.67**	**249.11**	**276.78**
ग	**ओसीआई में शामिल:**						
	पुनर्मापन हानि (लाभ):						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	9.99	-29.46			10	(29)
(ii)	अनुभव समायोजन	-62.33	-5.09			(62)	(5)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल					-	-
	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल धनराशि (i+ii+iii)	**-52.34**	**-34.54**	**-**	**-**	**-52.34**	**-34.54**
घ	**अन्य**						
ङ.	कोष में दिया गया अंशदान	-	-	30.89	195.03		
च	भुगतान किये गये लाभ	-301.11	-285.39	-301.11	-285.39	-	
छ	अधिग्रहण समायोजन	-	-		-	-	
ज	**अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)**	**1,365.53**	**1,564.57**	**1,358.16**	**1,533.68**	**227.66**	**437.27**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:- (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
(क)	**बैंक में शेष धनराशि**		
	एसबीआई	0.02	0.00
	यस बैंक	-	-
	आईडीबीआई	0.11	0.31
	कुल (क)	**0.13**	**0.31**
(ख)	**समूह उपदान (ग्रेच्युटी) पारंपरिक निधि योजना**	**-**	
	बजाज आलियांज	80.25	82.44
	एसबीआई लाइफ	0.00	0.12
	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस	14.31	22.62
	कुल (ख)	**94.57**	**105.18**
	कुल योग (क+ख)	**94.70**	**105.49**

ग. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ़) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी पैनल में शामिल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य-रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों को एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका पीआरएमबी की स्थिति और बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को दर्शाती है:

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्तमान	704.87	708.35
गैर-वर्तमान	7,957.19	9,350.11
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**8,662.05**	**10,058.46**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**10,058.46**	**11,377.80**			**10,058.46**	**11,377.80**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	32.88	34.78				34.78
(ii)	पिछली सेवा लागत						
(iii)	ब्याज लागत (आय)	739.30	796.45				796.45
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**772.18**	**831.23**			**772.18**	**831.23**
ग	**ओसीआई में शामिल:**						
	पुनर्मापन हानि (लाभ):						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	(2,081.20)	(2,027.51)			(2,081.20)	(2,027.51)
(ii)	अनुभव समायोजन						-
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल						
	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2,081.20)**	**(2,027.51)**	**-**	**-**	**(2,081.20)**	**(2,027.51)**
घ	अन्य						
ङ	भुगतान किये गये लाभ	(87.39)	(123.06)			(87.39)	(123.06)
च	**अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ)**	**8,662.05**	**10,058.46**	**-**	**-**	**8,662.05**	**10,058.46**

घ. छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी (ईएल) और अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो सालाना क्रमशः 30 दिन और 20 दिन का होता है। अनुशासनात्मक आधार के अलावा सेवानिवृत्ति/सेवा से समाप्ति के समय छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन (ईएल और एचपीएल संयुक्त) तक सीमित होगी। त्यागपत्र पर ईएल का 50% अधिकतम 150 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। सेवा में रहते हुए वर्ष में दो बार 15 दिनों का न्यूनतम शेष छोड़कर ईएल का नकदीकरण किया जा सकता है।

अर्जित छुट्टी (₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	31.03.2024	31.03.2023
वर्तमान	98.23	180.24
गैर-वर्तमान	645.52	734.54
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**743.75**	**914.78**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**914.78**	**910.62**	**-**	**-**	**914.78**	**910.62**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
(i)	वर्तमान सेवा लागत	39.78	46.48			39.78	46.48
(ii)	पिछली सेवा लागत						
(iii)	ब्याज लागत (आय)	67.24	63.74			67.24	63.74
ग	**पुनर्मापन हानि (लाभ):**						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	(98.15)	(25.28)			(98.15)	(25.28)
(ii)	अनुभव समायोजन	8.06	3.67			8.06	3.67
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल						
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि (ख+ग)	16.92	88.62	-	-	16.92	88.62
घ	**अन्य**						
ङ	भुगतान किये गये लाभ	(187.94)	(84.46)			(187.94)	(84.46)
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ)	743.75	914.78	-	-	743.75	914.78

चिकित्सा अवकाश (₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	31.03.2024	31.03.2023
वर्तमान	73.05	69.04
गैर-वर्तमान	273.07	297.37
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**346.12**	**366.41**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**366.41**	**369.14**	**-**	**-**	**366.41**	**369.14**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	15.27	16.52			15.27	16.52
(ii)	पिछली सेवा लागत	-	-				
(iii)	ब्याज लागत (आय)	26.93	25.84			26.93	25.84
ग	**पुनर्मापन हानि (लाभ):**						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	3.11	(9.13)			3.11	(9.13)
(ii)	अनुभव समायोजन	(44.98)	(14.09)			(44.98)	(14.09)
(iii)	जनसांख्यिकीय धारणा						

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

क्र.सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
(iv)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल						
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल धनराशि (ख+ग)	0.34	19.13	-	-	0.34	19.13
घ	अन्य						
ङ.	भुगतान किये गये लाभ	(20.63)	(21.87)			(20.63)	(21.87)
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ.)	346.12	366.41	-	-	346.12	366.41

ङ. अन्य लाभ

कंपनी में लगातार सेवा देने वाले नियमित कर्मचारियों को 15/25/30/35/38 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनके द्वारा दी गई लंबी सेवा के लिए सेवा पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से सेवा पुरस्कार भी सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है, जो अधिकतम 30,000/- रुपये तक हो सकता है। कार्मिक प्रभाग परिपत्र दिनांक 13.06.2017 के तहत इसे बंद कर दिया गया है।

च बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं निम्नलिखित थीं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1	छूट की दर	7.35%	7.35%
2	भविष्य में वेतन वृद्धि	8%	8.00%
3	चिकित्सा लागत में वृद्धि	8%	8%

i. छूट दर, देयता अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए प्रासंगिक लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार पैदावार पर आधारित है।

ii. वेतन वृद्धि दर कंपनी का वेतन वृद्धि के संबंध में दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है तथा इसमें प्रासंगिक लेखा अवधि में उपलब्ध कराए गए अनुसार मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii. चिकित्सा लागत वृद्धि दर, कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है, जो कि मुद्रास्फीति, अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक आधार पर लागत वृद्धि के रूप में प्रासंगिक लेखा अवधि में प्रदान किया गया है।

छ संवेदनशीलता का विश्लेषण

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक में रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित रूप से संभव परिवर्तन से, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित होगा:

31.03.2024 तक

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	उपहार	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
		(वित्त पोषित)	(गैर वित्तपोषित)		
छूट की दर	0.50%	(34.86)	(469.41)	(28.21)	(10.93)
	-0.50%	37.18	490.65	30.54	11.74
वेतन वृद्धि दर	0.50%	7.57	-	30.00	11.54
	-0.50%	(8.61)	-	(28.17)	(10.91)
चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.50%	-	500.75	-	-
	-0.50%	-	(487.51)	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

31.03.2024 तक

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	उपहार	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
		(वित्त पोषित)	(गैर वित्तपोषित)		
छूट की दर	0.50%	(39.81)	(552.63)	(33.56)	(12.28)
	-0.50%	42.50	576.92	36.41	13.22
वेतन वृद्धि दर	0.50%	10.83	-	35.83	13.01
	-0.50%	(11.64)	-	(33.54)	(12.27)
चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.50%	-	592.61	-	-
	-0.50%	-	(565.65)	-	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना एक्चुरियल द्वारा नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

ज जोखिम का खतरा

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार कंपनी को निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

1 **वेतन में वृद्धि-** वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर की धारणा में वृद्धि से भी देयता में वृद्धि होगी।

2 **निवेश जोखिम- यदि योजना वित्तपोषित है तो परिसंपत्तियों-देयताओं का बेमेल होना तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल का अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम होना, देयता को प्रभावित कर सकता है।**

3 **छूट की दर-** आगामी मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

4 **मृत्यु दर और विकलांगता-** वास्तविक मृत्यु एवं विकलांगता के मामले, मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक साबित होने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

5 **निकासी** वास्तविक निकासी, अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होना तथा बाद के मूल्यांकन में निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

झ. परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफाइल

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

भुगतान का वर्ष	उपहार	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
	(वित्त पोषित)	(गैर वित्तपोषित)		
1 वर्ष से कम	382.59	704.87	98.23	73.05
1-2 वर्ष के बीच	192.80	761.61	87.16	44.15
2-3 वर्ष के बीच	102.84	799.12	58.74	19.18
3-4 वर्ष के बीच	48.58	829.08	26.24	9.97
4-5 वर्ष के बीच	44.18	867.18	24.31	8.55
5 वर्ष से अधिक	594.54	4,700.20	449.08	191.21

परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

31.03.2024 तक (₹ लाख में)

भुगतान का वर्ष	उपहार	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
	(वित्त पोषित)	(गैर वित्तपोषित)		
1 वर्ष से कम	433.40	69.04	180.24	708.35
1-2 वर्ष के बीच	151.61	34.82	75.73	781.35
2-3 वर्ष के बीच	210.51	35.79	86.43	800.40
3-4 वर्ष के बीच	100.51	22.00	53.25	843.82
4-5 वर्ष के बीच	51.28	10.08	27.84	898.70
5 वर्ष से अधिक	617.27	194.49	491.30	6,025.84

47. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण"

क. उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम

(i) सहायक कंपनियां: एसटीसीएल लिमिटेड.

(ii) संयुक्त उद्यम: एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड"

(iii) अन्य: सीलैक एग्रो वेंचर्स लिमिटेड

(iv) दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पेंशन ट्रस्ट

(v) दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट

(vi) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ग्रेच्युटी ट्रस्ट"

ख. उल्लेखनीय प्रभाव वाले व्यक्ति (निदेशक)

नाम	पदनाम	अभ्युक्तियाँ
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक	वित्त (एमएमटीसी)	एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार, 03.06.2020 से प्रभावी
श्री ए.एन.ए. जयकुमार	निदेशक-विपणन	30.04.2022 तक
सुश्री आरती भटनागर	सरकारी नामिती निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री विपुल बंसल	सरकारी नामिती निदेशक	22.12.2021 से प्रभावी
श्री शशांक प्रिया	सरकारी नामिती निदेशक	13.08.2019 से प्रभावी 10.01.2023 तक
श्री मंजीत कुमार राजदान	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री सतीश कुमार चावला	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री दिवाकर शेट्टी कौप	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री विवेक अतुल भुस्कुटे	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	02.12.2021 से प्रभावी
डॉ. रोहिनी संजय कचोले	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	01.12.2021 से प्रभावी
श्री अशोक कुमार असेरी	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	03.12.2021 से प्रभावी
श्री नरेश धनराजभाई केल्ला	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.03.2022 से प्रभावी

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

नाम	पदनाम	अभ्युक्तियाँ
श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.04.2023 से प्रभावी
श्री बी.एस. राव	मुख्य वित्त अधिकारी	12.02.2022 से प्रभावी
श्री विपिन कुमार त्रिपाठी	कंपनी सचिव	20.12.2019 से प्रभावी

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

घ. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है और इसमें अधिकांश शेयर हैं (नोट संख्या 18 देखें), भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएँ जिन पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है या जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग संस्था और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट लागू की है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेन-देन है, उनमें उर्वरक और रसायन मंत्रालय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

i) संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख में)

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम कंपनियां	सहायक		संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	
विवरण	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
प्राप्त किराया (रु. लाख में)	2.40	2.40	शून्य	

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को परिलब्धियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	58.55	62.93
- रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ	85.66	179.34
- समाप्ति लाभ	-	-
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	**10.08**	**19.26**
कुल	**154.29**	**261.53**

विवरण	एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट		एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन ट्रस्ट		एसटीसी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए एसटीसी अंशदान				112.82	-	-
वर्ष के अंत में एसटीसी के पास बकाया शेष		12.81	12.93	9.42	7.38	30.90

एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सरकारी विभाग/सरकारी संस्था का नाम	इकाई के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	एसबीआई व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	183.25	183.25
2	एसबीआई आईएफबी शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	729.68	729.68
3	एसबीआई सीएजी शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	643.02	643.02
4	एसबीआई ओवरसीज शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	921.99	921.99
5	विशेष सुरक्षा समूह	सरकारी	किराया+सीएमसी	31.44	31.44
6	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन	सरकारी	किराया+सीएमसी	731.82	788.49
7	आईआरसीटीसी	सरकारी	किराया+सीएमसी	18.92	19.24
8	प्रशासन सुधार और लोक प्रशासन विभाग	सरकारी	किराया+सीएमसी	1,592.13	1,479.09
9	आर्थिक मामलों का विभाग	सरकारी	किराया+सीएमसी	1,880.01	1,470.39
10	एनसीएलटी	सरकारी	किराया+सीएमसी	344.24	317.49
11	ओएनजीसी	सरकारी	किराया+सीएमसी	-	210.99
12	वायु गुणवत्ता सूचकांक आयोग	सरकारी	किराया+सीएमसी	678.33	678.33
13	क्षमता निर्माण आयोग	सरकारी	किराया+सीएमसी	912.39	831.70

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

ii) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ऋण के लिए वसूली योग्य धनराशि :		
- सहायक कंपनियों से	शून्य	
- संयुक्त उद्यमों से		
- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से	3.47	4.09
- अन्य से		
ऋण के अलावा वसूली योग्य धनराशि :		
- सहायक कंपनियों से	**0.02**	**0.02**
- संयुक्त उद्यमों से	शून्य	
- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से		
- रोजगार के बाद लाभ योजना से		
देय धनराशि		
- सहायक कंपनियों से	शून्य	
- संयुक्त उद्यमों से		
- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से		
- अन्य से		

iii) व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन :

विवरण	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
शून्य			

iv) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों तथा बाजार दरों पर किया जाता है।

48. भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरण' का प्रकटीकरण'

क) सहायक कंपनियों में निवेश:

कंपनी का नाम	इसके निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
एसटीसीएल लिमिटेड	भारत	100%	100%

ख) संयुक्त उद्यम संस्थाओं/सहयोगियों में निवेश:

कंपनी का नाम	इसके निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
		March 31, 2024	March 31, 2023
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड			
रिचफील्ड एक्वाटेक लिमिटेड.	पिछले वर्षों में निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया गया है		
ब्लू गोल्ड मैरीटेक लिमिटेड.			
नेशनल टेनरी कंपनी लिमिटेड.			
इंडोपिरिन ग्लव्स लिमिटेड.			

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

49 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 116 "पट्टे" के संबंध में प्रकटीकरण

49.1 पट्टेदार के रूप में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए लगाया गया मूल्यह्रास	-	-
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय (12 महीने से कम)	-	-
पट्टों के लिए कुल नकद प्रवाह	-	-
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वृद्धि	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार की अग्रणीत धनराशि	-	-

49.2 पट्टादाता के रूप में

क) गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार प्राप्त किए जाएँगे:

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
1 वर्ष से कम समय में	शून्य	
1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच		
5 वर्ष से अधिक समय के बाद		

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त भुगतान

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
आय-उत्पादक संपत्ति	7,334.58	-
खाली संपत्ति		
स्वयं अधिगृहीत संपत्ति		

50. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क) बेसिक ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10	10
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि) (क)	7,336.17	5,350.59
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	600.00	600.00
बेसिक ईपीएस (क/ख)	**12.23**	**8.92**

ख) डाइल्यूट ईपीएस

डाइल्यूट ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि) (क)	7,336.17	5,350.59
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या(ख)	600.00	600.00
डाइल्यूट ईपीएस (क/ख)	**12.23**	**8.92**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

51. लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i) इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	600.00	600.00
(ii) वर्ष के अंत में लाभांश की मान्यता नहीं दी गई।	-	-

52. सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
वर्तमान/गैर-वर्तमान वित्तीय/गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां	शून्य	
पहला चार्ज/फ्लोटिंग चार्ज	कंपनी की व्यापार प्राप्य धनराशि	

53. प्रकटीकरण

निम्नलिखित अनुपातों का प्रकटीकरण किया जाना है:-

(क) चालू अनुपात,	0.62	0.59
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात,	(33.36)	(17.23)
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात,	0.07	0.05
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	-	-
(ङ) मालसूची टर्नओवर अनुपात	-	-
(च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात	-	-
(छ) व्यापार देयता कारोबार अनुपात	-	-
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	-	-
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात	-	-
(ट) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	(0.74)	(0.27)
(ठ) निवेश पर प्रतिफल	-	-

1. चालू अनुपात: चालू परिसंपत्तियाँ/देयताएँ, चालू परिसंपत्तियों में मालसूची, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य, ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। चालू देनदारियों में उधार, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य चालू देनदारियाँ शामिल हैं
2. ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण/इक्विटी, ऋण में शेयरधारक निधि के अलावा कुल देयताएं शामिल हैं
3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ईबीआईटी/उधार + ब्याज
4. इक्विटी पर रिटर्न: शुद्ध लाभ/शेयरधारक निधि
5. मालसूची टर्नओवर अनुपात: बेचे गए सोने की कीमत/ औसत मालसूची
6. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: शुद्ध ऋण बिक्री/ औसत व्यापार प्राप्य
7. व्यापार देयता कारोबार अनुपात: क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देयता
8. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: कारोबार / शेयरधारक निधि
9. शुद्ध लाभ अनुपात : शुद्ध लाभ / कारोबार
10. नियोजित पूंजी पर रिटर्न: ईबीआईटी/शेयरधारक निधि + दीर्घकालिक ऋण
11. निवेश पर लाभ : रिटर्न / निवेश की लागत

54. प्रकटीकरण

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण अथवा अग्रिम धनराशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटर निदेशक	शून्य	
केएमपी	3.47	4.09
संबंधित पार्टियों	शून्य	

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों पर टिप्पणियाँ (नोट्स टू अकाउंट्स)

55. शेष धनराशि की पुष्टि और समाधान

प्राप्य एवं देय धनराशि का बैलेंस (कुछ मामलों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सहित) पुष्टि/समाधान के अधीन है

56. गैर-चालू व्यवसाय

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय और बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2021 की 639वीं बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, यह संकल्प लिया गया है कि एसटीसी को फिलहाल एक गैर-संचालन कंपनी के रूप में जारी रखा जाए और वित्त वर्ष 2021-22 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर खाते तैयार किए जाएं। परिचालन जारी रखने की अनिश्चितता के कारण, कंपनी ने किराया संतुलन रिजर्व, प्री-पेड और पूर्व अवधि के खर्चों का प्रावधान नहीं किया है।

57. "एसटीसी के पास एमबीपीटी से संबंधित मैलेट बंदर में एक भूखंड का पट्टा था, जो दिनांक 17.10.2016 को समाप्त हो गया था। एसटीसी ने शुरू में पट्टे के विस्तार की मांग की, लेकिन बाद में गैर-व्यवहार्यता और व्यापार गतिविधियों को रोकने के निर्णय के कारण भूखंडों को अभ्यर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद, उक्त भूखंड को अभ्यर्पण कर दिया गया और दिनांक 12.11.2021 को अभ्यर्पण प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया। एमबीपीटी ने माननीय संपदा अधिकारी के समक्ष एसटीसी के खिलाफ दो मामले दायर किए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बैठक के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था, और लंबित मुद्दों/विवादों (यदि कोई हो) को एएमआरसीडी तंत्र के प्रावधानों के तहत फिर से सुलझाया जाएगा। मैलेट बंदर में स्थापित एमबीपीटी को सौंपी गई परिसंपत्तियों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और खेतों, मशीनरी वे लीव, पाइपलाइनों और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य को एसटीसी के बकाया देय धनराशि के प्रति समायोजित किया जाएगा। एसटीसी नियमित रूप से एमबीपीटी से मूल्यांकन पर अद्यतन जानकारी मांग रहा है। कानूनी सलाहकार और जीएसटी सलाहकार की राय के अनुसार, एसटीसी अंतर किराया यानी एसटीसी द्वारा पट्टे की अवधि से परे कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजे के विरुद्ध भुगतान की गई धनराशि के समायोजन के बाद दिनांक 30.07.1984 के पट्टा समझौते के खंड संख्या 24 के अनुसार प्रतिमाह 9.20 लाख रुपये के हिसाब से लागू जीएसटी के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एमबीपीटी के साथ सुलह लंबित है। तदनुसार, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा।

58. "ग्राहकों के साथ अनुबंधों और व्यापार प्राप्तियों से राजस्व के मापन के लिए लेखांकन नीतियों पर भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के गैर-अनुपालन के उदाहरण" पर दिनांक 29.03.2023 के सचिव-एनएफआरए (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण) के परिपत्र संख्या एनएफ-25011/1/2023-ओ/ओ के अनुसार बोर्ड द्वारा दिनांक 08.11.2023 को संशोधित और अनुमोदित किया गया है, जिसे विधिवत रूप से बदल दिया गया है और क्रमशः नोट संख्या 3.8 और 3.12 में शामिल किया गया है। चूंकि एसटीसी में ऐसा कोई लेनदेन नहीं है, इसलिए लेखांकन नीति में उक्त परिवर्तनों के कारण दिनांक 01.04.2022, 31.03.2023 और दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय आंकड़े प्रभावित नहीं हुए हैं।

59. वित्तीय विवरणों में धनराशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार लाख रुपये (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी धनराशियाँ लाख रुपये में पूर्णांकित होने के कारण वित्तीय विवरणों में नहीं दिखाई दे सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। डेटा का पुनः समूहीकरण/पुनर्व्यवस्थीकरण केवल वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति के विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और इससे एसटीसी की कानूनी स्थिति प्रभावित नहीं होती है। एसटीसी लागू कानूनों के तहत अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
क.	**विशेषक राय का आधार**	
1	**बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ** i. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4(ए) का संदर्भ लें, निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में समूह के नाम पर स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है: **क) लीजहोल्ड बिल्डिंग** i. जवाहर व्यापार भवन में लीजहोल्ड भूमि जिसकी कीमत 55,929 लाख रुपये है। ii. अरबिंदो मार्ग स्थित हाउसिंग कॉलोनी में लीजहोल्ड भूमि, जिसकी कीमत 12,394 लाख रुपये है। iii. मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट, कीमत 11.67 लाख रुपये है। **ख) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग** i. एशियाई खेल गांव परिसर में डीडीए द्वारा 2720 लाख रुपये की लागत से 8 आवासीय फ्लैट आवंटित किए गए। ii. मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 7 अपार्टमेंट, जिनकी कीमत 1918 लाख रुपये है	**क. लीजहोल्ड पुरानी बिल्डिंग** (i और ii) समझौता ज्ञापन (एमओए) उपलब्ध हैं। लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है। एलएंडडीओ और डीडीए को कुछ बकाया धनराशि देय है। एमओसीएंडआई के निर्देशों के तहत इसे निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एमओसीएंडआई भी इस मामले को सीधे एलएंडडीओ के साथ उठा रहा है। एक बार निष्पादित होने के बाद शीर्षक विलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। iii. लीजहोल्ड भूमि में मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (जहां एसटीसी का टैंक फार्म इंस्टॉलेशन है) में एक प्लॉट शामिल है, जिसके लिए लीज अवधि समाप्त हो गई है और दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर सर्टिफिकेट निष्पादित किया गया है। मैलेट बंदर में स्थापित टैंकों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और परिसंपत्तियों को इस समझ के साथ सौंप दिया गया है कि उनका मूल्य समायोजित किया जाएगा और एसटीसी को भुगतान किया जाएगा। इसलिए, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा। **ख) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग** i. डीडीए से आवंटन पत्र उपलब्ध हैं। ii. रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत मुहर लगी प्रमाणित सत्य प्रतियां उपलब्ध हैं।
	इसके अलावा, मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट की लीज़ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और ज़मीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर सर्टिफिकेट निष्पादित किया गया है। लेकिन इसे अभी भी बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार, बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है। इसका लाभ और हानि खाते के विवरण पर भी परिणामी प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया जाएगा। इसके अलावा मैलेट बंदर में स्थापित 14.84 लाख रुपए की लागत वाले फार्म टैंक भी जहां है वहीं के आधार पर सौंप दिए गए हैं। दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके लिए कोई डेबिट नोट जारी नहीं किया है और इस प्रकार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को 14.84 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इसके अलावा, समूह ने दिनांक 31.03.2024 तक समाप्त अवधि के लिए इंड एएस 116 के अनुसार लीजहोल्ड परिसंपत्तियों के मूल्य का परिशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का समूह से पूर्ण डेटा के अभाव में आकलन नहीं किया जा सका।	एसटीसी के पास एमबीपीटी से संबंधित मैलेट बंदर में एक भूखंड का पट्टा था, जो दिनांक 17.10.2016 को समाप्त हो गया था। एसटीसी ने शुरू में पट्टे के विस्तार की मांग की, लेकिन बाद में गैर-व्यवहार्यता और व्यापार गतिविधियों को रोकने के निर्णय के कारण भूखंडों को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद, उक्त भूखंड को सरेंडर कर दिया गया और दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया। एमबीपीटी ने माननीय संपदा अधिकारी के समक्ष एसटीसी के खिलाफ दो मामले दायर किए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बैठक के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था, और लंबित मुद्दों/विवादों (यदि कोई हो) को एएमआरसीडी तंत्र के प्रावधानों के तहत फिर से सुलझाया जाएगा। मैलेट बंदर में स्थापित एमबीपीटी को सौंपी गई परिसंपत्तियों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और फार्मों, मशीनरी वे लीव, पाइपलाइनों और अन्य संपत्तियों के मूल्य को एसटीसी के बकाया देय धनराशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। एसटीसी नियमित रूप से एमबीपीटी से मूल्यांकन पर अद्यतन जानकारी मांग रहा है।
		कानूनी सलाहकार और जीएसटी सलाहकार की राय के अनुसार, एसटीसी अंतर किराया यानी एसटीसी द्वारा पट्टे की अवधि से परे कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजे के खिलाफ भुगतान की गई धनराशि के समायोजन के बाद प्रति माह 9.20 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि दिनांक 30.07.1984 के पट्टा समझौते के खंड संख्या 24 के अनुसार लागू जीएसटी के साथ है। एमबीपीटी के साथ सुलह लंबित है। तदनुसार, सुलह के बाद उचित उपचार किया जाएगा।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	ii. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए तथा एशियाई खेलों के दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए एलएंडडीओ द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के साथ-साथ समूह द्वारा भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) को अपनी आवासीय कॉलोनी के लिए बेचे गए फ्लैट/भूमि क्षेत्र के विरुद्ध स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में मूल्य/क्षेत्र का समायोजन न किए जाने के लिए नोट संख्या 4 देखें। प्रबंधन डीएमआरसी तथा संबंधित विभागों के साथ पत्राचार कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर विवरण दिया गया और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का आकलन समूह से प्राप्त पूर्ण आंकड़ों के अभाव में नहीं किया जा सका।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया जा रहा है। एल एंड डीओ द्वारा एसटीसी को (जवाहर व्यापार भवन) टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित कुल लीजहोल्ड भूमि में से 325.685 वर्ग मीटर भूमि एनडीएमसी द्वारा एशियाई खेलों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने के लिए ली गई तथा 388.91 वर्ग मीटर भूमि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो/मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए ली गई। कंपनी ने दोनों क्षेत्रों में कमी के लिए एल एंड डीओ के साथ मामला उठाया है तथा मामले में अंतिम परिणाम आने के बाद इसके क्षेत्र और मूल्य के संबंध में रिकॉर्ड को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर/अनुसूची में अद्यतन किया जाएगा। इस संबंध में एल एंड डीओ के साथ नियमित आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीसी के बोर्ड के दिनांक 31.01.1975 के निर्णय के अनुसार, 64 फ्लैट एचएचईसी को बेचे गए। आवश्यक लेखा-जोखा वर्ष 76-1975 में ही कर लिया गया था।
2	**व्यापार प्राप्य** नोट संख्या 9 के अनुसार 1,72,511.66 लाख की धनराशि के सभी व्यापार प्राप्य 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। समूह ने 65,551.17 लाख रुपये की धनराशि के खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है और 1,06,960.49 लाख रुपये की एक अन्य धनराशि को "क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह मुकदमेबाजी के अधीन है। नोट संख्या 9 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित लेनदारों को इन व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली के बाद ही भुगतान किया जाएगा, हालांकि अधिकांश मामलों में समझौते त्रिपक्षीय नहीं हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई वसूली नहीं हुई है और विभिन्न मंचों पर लंबित कानूनी मामलों का कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इस प्रकार व्यापार प्राप्य को इन व्यापार प्राप्य को वसूलने के लिए होने वाली लागत को घटाकर प्राप्त मूल्य पर नहीं बताया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक इन व्यापार प्राप्यों के लिए कोई शेष धनराशि की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, यदि कोई हो। हमारा मानना है कि 1,72,511.66 लाख रुपए धनराशि की सभी व्यापारिक प्राप्तियों को वसूली के लिए संदिग्ध मानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये की धनराशि के संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान हुआ है। इस प्रकार खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,06,960.49 लाख रुपये से कम बताया गया है और लाभ तथा हानि खाते के विवरण पर परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये का लाभ अधिक बताया गया है।	कुल प्राप्य व्यापार में से रु. 1,69,688.11 लाख रुपये शामिल हैं। 62,727.62 लाख रुपये के विवाद/मुकदमेबाजी के कारण "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" हो रही है। कंपनी का मानना है कि भले ही अंततः कोई धनराशि वसूल न हो पाए, लेकिन ऋण जोखिम के लिए किसी ऋण हानि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋणदाता को कंपनी द्वारा केवल उस सीमा तक भुगतान किया जाएगा, जितनी धनराशि देनदारों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा, यह पिछले कई वर्षों से जारी एक व्यापारिक व्यवस्था है। चूंकि एसटीसी ने पहले ही न्यायालय में अपना दावा दायर कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय के निर्णय के बाद आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक लेन-देन के पूरा होने के बाद व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और देयताओं के शेषों का मिलान किया जा रहा है और पार्टी के साथ खातों का निपटान किया जा रहा है। हालाँकि, मुकदमे के तहत व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के संबंध में पुष्टि इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा एसटीसी के खिलाफ किया जा सकता है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	इसके अलावा मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) के मामले में, नोट संख्या 39.4, पार्ट नंबर 4 के तहत, जिन्होंने एसटीसी पर विनिमय पत्र तैयार किए थे, जिन्हें एसटीसी के विनिमय पत्र के लिए विदेशी खरीदार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि, विदेशी खरीदारों ने निर्यात बिलों के खिलाफ भुगतान करने में चूक की और परिसमापन में चले गए। विदेशी खरीदारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52786 लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है। एक अन्य विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर से बकाए के खिलाफ एसटीसी के पक्ष में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 6247 लाख रुपये का डिक्री पारित किया गया है। वर्तमान तिथि तक, आरपीएल परिसमापन में चला गया है और आधिकारिक परिसमापक को माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है। 47647 लाख रुपये। आरपीएल के अलावा अन्य मामलों के लिए नोट संख्या 39 का भी संदर्भ लें, क्योंकि ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और/या सीबीआई की जांच के अधीन हैं और हम वित्तीय विवरणों पर उनकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) से विदेशी खरीदारों को फार्मा उत्पादों के निर्यात के कारण 56,844 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं। आरपीएल ने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें विदेशी खरीदारों द्वारा एसटीसी के विनिमय पत्र की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार भी कर लिया गया। विदेशी खरीदारों यानी लोबेन ट्रेडिंग और मेसर्स स्वीटलैंड ने निर्यात बिलों के भुगतान में चूक की। विदेशी खरीददारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52,786 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया गया है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से बकाया राशि के विरुद्ध एसटीसी के पक्ष में 6,247 लाख रुपये का आदेश पारित किया गया है। वर्तमान तिथि तक, आरपीएल परिसमापन में चला गया है और माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा भी की जा रही है। चूंकि यह एक के बाद एक लेन-देन था और इसमें एसटीसी का पैसा शामिल नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी मामले में एक पक्ष बनाते हुए 47,647 लाख रुपये का दावा किया गया है, जिसका एसटीसी पर्याप्त रूप से बचाव कर रहा है।
3	**विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियां** वर्तमान में, लेखा बही के अनुसार, इसके विदेशी खरीदारों से 3,149.35 लाख अमेरिकी डॉलर और 20.90 लाख यूरो प्राप्त होने हैं और इसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 41.49 लाख अमेरिकी डॉलर और 0.04 लाख पाउंड देय हैं। संक्षेप में, एसटीसी के वित्तीय मामलों में विदेशी खरीदार और लेनदार हैं जिनका वित्त वर्ष 2023-24 में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, ग्रुप ने अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियों का की अग्रणीत धनराशियों का पुनर्मूल्यांकन न करके भारतीय लेखा मानक 21 (विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में) का अनुपालन नहीं किया है, जो मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं। इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। कंपनी ने बैलेंस शीट की तारीख पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में IND AS 21 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालाँकि, यह मुकदमेबाजी के मामलों से संबंधित है और पिछले वर्षों में पूरी तरह से प्रदान किया गया था और वहन राशि विवाद में है। कंपनी ने प्राप्य और देय दोनों के लिए ऐसे बकाया शेष के लिए कानूनी मामले दायर किए हैं। एसटीसी और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच संचार। ऋणदाता बैंक केवल तभी तस्वीर में आएंगे जब वाणिज्य और उद्योग विभाग एसटीसी के बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति / अनुसमर्थन देगा। ऋणदाता बैंकों के संघ द्वारा दायर कार्यवाही अभी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में चल रही है। डीआरटी में सुनवाई की अंतिम तिथि 19.04.2023 थी जिसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। डीआरटी में सुनवाई की अगली तारीख 26.07.2023 है। कानूनी सलाहकार की राय और दिनांक 23.05.2023 की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय इस मामले को बंद करने या ऋणदाता बैंकों के साथ एकमुश्त निपटान के लिए आईबीसी के माध्यम से लेना चाहेगा जिसे एसटीसी द्वारा पूरा किया जाएगा। तदनुसार इस संबंध में दिनांक 06.07.2023 का एक पत्र मंत्रालय को भेजा गया।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन</th><th>प्रबंधन का जवाब</th></tr>
<tr><td>4</td><td>आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

नोट संख्या 12 देखें, ग्रुप के पास 1616.96 लाख रुपये का एमएटी क्रेडिट है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी लेखापरीक्षकों(ऑडिटरों) द्वारा एमएटी क्रेडिट को वापस करने का मुद्दा भी उठाया गया था। लेकिन अभी भी एमएटी क्रेडिट को वापस नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप लाभ को 1616.96 लाख रुपये और चालू परिसंपत्तियों को 1616.96 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है।</td><td>एमएटी का क्रेडिट कंपनी द्वारा आगामी वर्ष(वर्षों) में उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

<table><tr><th>वित्तीय वर्ष जिसमें एमएटी क्रेडिट बनाया गया था</th><th>धनराशि (रु. लाख में)</th></tr><tr><td>15-2014 (वित्तीय वर्ष 31.03.2025 तक ऋण उपलब्ध)</td><td>401.08</td></tr><tr><td>17-2016 (वित्तीय वर्ष 31.03.2027 तक ऋण उपलब्ध)</td><td>758.82</td></tr><tr><td>18-2017 (वित्तीय वर्ष 31.03.2028 तक ऋण उपलब्ध)</td><td>187.91</td></tr><tr><td>24-2023 (वित्तीय वर्ष 31.03.2039 तक ऋण उपलब्ध)</td><td>269.15</td></tr><tr><td>कुल</td><td>1,616.96</td></tr></table>
आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार 1616.96 लाख रुपये के एमएटी क्रेडिट को कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ी हुई किराये की आय और लंबित ओटीएस के कारण उत्पन्न हो सकती है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अन्य चालू परिसंपत्तियां

i. नोट संख्या 14 देखें - "शुल्कों और करों के संबंध में गैर-प्रावधान के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियां, सीएसटी (कोयला) की धनराशि 6.89 लाख रुपये है जो कि वसूली योग्य नहीं है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।"

ii. नोट संख्या 11 देखें- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य दावे : 3 वर्षों से अधिक समय से वसूली योग्य दावों के संबंध में प्रावधान न करने के लिए, जिसकी धनराशि रु. 3152.94 लाख है, जहां समूह के प्रबंधन द्वारा कोई वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। यह भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन है क्योंकि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी चालू परिसंपत्तियों को प्राप्ति मूल्यों के बजाय उनकी अग्रणीत धनराशि पर दर्शाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को रु. 3152.94 लाख और लाभ को रु. 3152.94 लाख तक अधिक दिखाया गया है।</td><td>यह मामला वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 6.89 लाख रुपये के बिक्री कर (सीएसटी-कोयला) रिफंड धनराशि से संबंधित है, बिक्री कर विभाग द्वारा वर्ष 2015 में अंतिम मूल्यांकन पर रिफंड का आदेश जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरओ और सीओ अधिकारी जल्द से जल्द रिफंड के लिए बिक्री कर विभाग के साथ मामला उठाएंगे।

माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में लिचेन मेटल्स के मामले में 391.99 लाख रुपये का कानूनी मामला।

289.76 लाख रुपये अल्पाइन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 29.08.2022 को डेबिट की गई धनराशि से संबंधित है और मामला मुकदमेबाजी में है। एनडीओएच 09.09.2024 है।

विभिन्न न्यायालयों में 2466.67 लाख रुपये के कानूनी मामले लंबित हैं।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
6	**प्रावधान** भूमि एवं विकास कार्यालय - नई दिल्ली से प्राप्त कुल मांग 13,283 लाख रुपये (मार्च, 2004 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए) में से 4,743 लाख रुपये की मांग का प्रावधान न करने के लिए नोट संख्या 38 देखें, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 4,743 लाख रुपये की अधिकता और देनदारियों में कमी दिखाई गई है। हालाँकि, इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, समूह ने उक्त मांग धनराशि (लगभग 10% की दर से गणना की जाने वाली) पर अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है। मामला एलएंडडीओ कार्यालय के साथ पत्राचार में है और खातों में वर्ष 2023-24 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	एल एंड डी ओ द्वारा अपने पत्र संख्या एल एंड डीडीओ/एलएस2ए/9225/133 दिनांक 26 मार्च, 2018 के माध्यम से 2004-05 से लीज डीड की विभिन्न शर्तों का पालन न करने (एसटीसी द्वारा अपने किरायेदारों से प्राप्त सकल किराये का 25% जमा न करने सहित) के लिए 132.83 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी ने मांग पर विवाद किया है और मामला अभी तक सुलझा नहीं है। सीएजी ऑडिट के अवलोकन पर, 8,540 लाख रुपये की फर्म देयता दर्ज की गई है। आज की तिथि तक अद्यतन मांग प्राप्त करने के उद्देश्य से एसटीसी ने दिनांक 18.05.2022 को एल एंड डी ओ से संपर्क किया, जिसमें एल एंड डी ओ द्वारा सूचित किया गया कि इस तरह की मांग बढ़ाने के संबंध में मूल्यांकन के उनके अपने पैरामीटर हैं। इसके अलावा वाणिज्य विभाग ने भी अपने पत्र दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से एल एंड डीओ के साथ इस मुद्दे को उठाया है। इस संबंध में एल एंड डीओ से जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एसटीसी जेवीबी के लिए एल एंड डीओ और हाउसिंग कॉलोनी के लिए डीडीए के साथ लगातार संपर्क में है। यदि आगे कोई मांग आती है तो आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
7	**व्यापार देयताएं** नोट संख्या 21 देखें, 1,11,886.89 लाख रुपये की सभी व्यापार देयताएं बिना किसी शेष धनराशि की पुष्टि के हैं और 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। इन पार्टियों को कोई धनराशि देय नहीं है क्योंकि ये आपूर्तिकर्ता हैं जिन्होंने एसटीसी के साथ कानूनी समझौता किया है जिसके तहत जब तक खरीदार से धनराशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कोई धनराशि देय नहीं है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन व्यापार देयताओं के लिए कोई उपचार नहीं दिया है और इस सीमा तक, देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। प्रत्येक लेनदेन के पूरा होने के बाद व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और देनदारियों के शेष का मिलान किया जा रहा है और पार्टी के साथ खातों का निपटान किया जा रहा है। हालाँकि, मुकदमे के तहत व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के संबंध में पुष्टि इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा एसटीसी के खिलाफ किया जा सकता है।
8	**सांविधिक बकाया** ***जीएसटी*** नोट संख्या 14 देखें, 31 मार्च, 2024 तक समूह द्वारा जीएसटी इनपुट प्राप्य और देय शेष धनराशि का मिलान नहीं किया गया है। जीएसटी इनपुट 64.73 लाख रुपये - दावा योग्य नहीं है लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समूह का लाभ उसी धनराशि से अधिक दिखाया गया है।	क्यू-1 के दौरान आरओ-वार जीएसटी इनपुट का अप्रत्यक्ष कर प्रकोष्ठ शुद्ध और जीएसटी पोर्टल के साथ सामंजस्य प्रक्रियाधीन है। अधिकांश जीएसटी इनपुट शेष शाखाओं से संबंधित हैं और दिसंबर, 2020 के दौरान शाखाओं के बंद होने पर शेष धनराशि सीओ को हस्तांतरित कर दी गई थी।
9.	***स्रोत पर कर कटौती*** आयकर रिटर्न जमा करते समय काटे गए टीडीएस का मिलान फॉर्म 26एएस के साथ किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट की तिथि तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुधार विवरण प्रस्तुत करने के लिए लंबित 8.89 लाख रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	इस मामले को प्रत्यक्ष कर सलाहकार के समक्ष उठाया गया है। तथा दिनांक 15.07.2024 को 4.42 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष धनराशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
10	***अन्य अवलोकन*** i. नोट संख्या 24 देखें, ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि में उत्तर प्रदेश सरकार को देय 603 लाख रुपये शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई अन्य दावे किए हैं और तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से 3382.23 लाख रुपये की बकाया धनराशि वसूली योग्य है, जिसके लिए 10 मार्च, 2014 को डेबिट नोट जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त दावे को आज तक समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि इसका अंतिम संग्रह निश्चित नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त दावे की स्वीकार्यता के बारे में जानकारी के अभाव में, हम समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। यू.पी सरकार को देय 603 लाख रुपए की धनराशि यूपीजीईडब्लूसी से बकाया दावों के विरुद्ध समायोज्य है, जो (i) आयात मूल्य के अंतर और 9555.285 मीट्रिक टन लेमन तुअर की जोखिम बिक्री पर प्राप्त धनराशि और (ii) ब्याज एवं वहन शुल्क के कारण है, जो 3,911 लाख रुपए है, जो विवाद में है और आकस्मिक परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, एसटीसी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वसूली के मामले पर लगातार काम कर रहा है और अब एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से अपने विवाद के समाधान के लिए दिनांक 28.01.2022 को अपनी याचिका दायर की है। यूपीजीईडब्ल्यूसी ने अपने दिनांक 20.12.2023 और दिनांक 17.02.2024 के पत्रों के माध्यम से एसटीसी के दावे के संबंध में उनके तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार कुछ विवरणों का अनुरोध किया था, जिसे एसटीसी ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। एएस एंड एफए, डीओसी द्वारा दिनांक 18.01.2024 को भी इस मामले की समीक्षा की गई थी। निर्देशों के अनुरूप, एसटीसी नियमित रूप से यूपीजीईडब्ल्यूसी के साथ संपर्क बनाए हुए है और एसटीसी के दावे पर उनका जवाब/फीडबैक मांग रहा है, ताकि मामले को एएमआरसीडी के समक्ष आगे बढ़ाया जा सके। यूपीजीईडब्ल्यूसी से जवाब का इंतजार है।
	निम्नलिखित अवलोकनों का प्रभाव पता नहीं लगाया जा सका है: - क. मुकदमेबाजी के मामलों और विवादों तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत आने वाली धनराशियों का संदर्भ लें , क्योंकि अधिकांश मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए इन मामलों में देयताओं और ब्याज दायित्व (यदि कोई हो) का परिमाणन करना संभव नहीं है। मुकदमेबाजी के मामलों, उनकी वर्तमान स्थिति और प्रावधान, यदि कोई हो, की आवश्यकता और कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में नोट संख्या 38 का संदर्भ लें; इसके अलावा, समूह के पिछले संचालन ने इसे व्यापक मुकदमेबाजी और तीसरे पक्ष से संविदात्मक दावों के जोखिम में डाल दिया है, जिसमें मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि हुई है, जिसका पूरी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है। संभावित परिणामों की सीमा, इन मामलों से निपटने वाले कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विभिन्न दावों के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण, प्रावधान के रूप में बयानों में दर्ज की जाने वाली अंतिम देनदारियों की धनराशि, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।	चूंकि अधिकांश मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए मुकदमेबाजी के चरण में सटीक मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष -2023 24 में इसकी समीक्षा की गई है। मुकदमेबाजी/जांच आदि के तहत मामलों को आकस्मिक देयता के तहत उचित रूप से प्रकट किया जा रहा है। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसकी योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। चल रहे मुकदमे के परिणाम के आधार पर लेखा पुस्तकों में उपयुक्त उपचार किया जाएगा। तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन के मामले में, उसकी उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	ख. जवाहर व्यापार भवन में संपत्ति के सह-स्वामी एचएचईसी और सीसीआईसी से वसूली योग्य दावों का संदर्भ लें, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एसटीसी को अपने हिस्से का खर्च नहीं चुकाया है, जिसकी धनराशि 31 मार्च, 2024 तक 2258.98 लाख रुपये (एचएचईसी के लिए 602.59 लाख रुपये और सीसीआईसी के लिए 1656.39 लाख रुपये) है। कहा जाता है कि यह मामला एचएचईसी और सीसीआईसी के साथ पत्राचार के अधीन है।	एसटीसी लंबे समय से लंबित भुगतान की वसूली के लिए सीसीआईसी और एचएचईसी से संपर्क कर रहा है। हालांकि, बकाया भुगतान अभी भी जारी है। इस संबंध में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति से एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से मामले को उठाने के निर्देश प्राप्त हुए। तदनुसार, एसटीसी ने अपने पत्र दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से सीसीआईसी से बकाया धनराशि की वसूली से संबंधित मामले को एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से समाधान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (एमओसीएंडआई) को भेजा। इसके बाद, दिनांक 10.07.2024 को एएसएंडएफए, एमओसीएंडआई के साथ एक बैठक आयोजित की गई और एएसएंडएफए को मामले की जानकारी दी गई। मामला प्रक्रियाधीन है। एचएचईसी से वसूली के संबंध में, एचएचईसी ने दिनांक 02.02.2024 और दिनांक 06.02.2024 के पत्र(पत्रों) के माध्यम से जवाहर व्यापार भवन (जेवीबी) में 4.5% कार्यालय स्थान और एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी, मालवीय नगर, नई दिल्ली में 64 स्टाफ क्वार्टरों में क्रमशः अपने हिस्से को वापस करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक एचएचईसी की लेखा बही के अनुसार एसटीसी को देय 10.28 करोड़ रुपये (लगभग) के बकाया के बदले में शून्य लागत पर है। मामला प्रक्रियाधीन है। सीसीआईसी के संबंध में प्राप्त निर्देश निम्नानुसार हैं: - इस मामले को एएमआरसीडी के समक्ष उठाना - एसटीसी सीसीआईसी के लिए अलग विद्त कनेक्शन का अनुरोध करेगा। - एसटीसी के शीर्ष प्रबंधन को इस मुद्दे के समाधान के लिए सीसीआईसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ मामला उठाने के लिए कहा गया।
	ग. उधारी नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में समूह द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस (एमओटीएस) प्रस्ताव का ज्ञापन अभी भी प्रगति पर है एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है। उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। एमओटीएस कार्यवाही और उधार पर ब्याज देयता का प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।	कंपनी द्वारा बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान न करने के कारण एसटीसी को एनपीए घोषित कर दिया गया। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 19.08.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है। उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। ओटीएस कार्यवाही और उधार पर ब्याज देयता का प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वैधानिक लेखापरीक्षक का अवलोकन</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td></td><td>स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'</td><td></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं:
<table>
<tr><th>स्थान</th><th>विवरण</th><th>जिनके नाम पर धारित</th><th>लेखापरीक्षा अवलोकन</th><th>सकल ब्लॉक/ पुनर्मूल्यांकित धनराशि (करोड़ में)</th><th>शुद्ध ब्लॉक (करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>(i) नई दिल्ली</td><td>टॉलस्टॉय मार्ग, जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली में पट्टे(लीज) पर भूमि।
क्षेत्रफल : 2.599 एकड़</td><td>भारत के राष्ट्रपति</td><td>पट्टा विलेख का निष्पादन 1975 से लंबित है। इसके अलावा, कुल क्षेत्रफल में से, 714.60 वर्गमीटर भूमि का भौतिक कब्जा अब एसटीसी के पास नहीं है (अर्थात मेट्रो के निर्माण के लिए डीएमआरसी द्वारा 388.91 वर्गमीटर और एशियाई खेलों के दौरान सड़क को चौड़ा करने के लिए एनडीएमसी द्वारा 325.69 वर्गमीटर अधिग्रहित) तथा इसका मूल्य एफएआर/एफएएस में अपलोड नहीं किया गया है। भौतिक स्थिति के अंतर्गत क्षेत्र का मापन अभी किया जाना है।</td><td>581.88</td><td>559.29</td></tr>
<tr><td>(ii) नई दिल्ली</td><td>एसटीसी/ एमएमटीसी हाउसिंग कॉलोनी, अरबिंदो मार्ग , नई दिल्ली
क्षेत्रफल: 16.17 एकड़</td><td>भारत के राष्ट्रपति</td><td>हाउसिंग कॉलोनी के लिए आवंटित पट्टा विलेख (कुल भूमि के 50% हिस्से के लिए 32.33 एकड़) का निष्पादन अभी भी लंबित है। इसके अलावा, एसटीसी द्वारा अपने हिस्से से एचएचईसी को अपनी हाउसिंग कॉलोनी के लिए दिए गए क्षेत्र के रिकॉर्ड/विवरण को एफएआर/एफएएस में समायोजित किया जाना है। कंपनी की भौतिक स्थिति के तहत क्षेत्र का मापन अभी किया जाना है।</td><td>125.57</td><td>123.94</td></tr>
</table></td><td>(i) समझौता ज्ञापन (एमओए) उपलब्ध है। लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है। एल एंड डीओ को कुछ बकाया राशि देय है। हालाँकि, एमओसी एंड आई के निर्देशों के तहत इसे निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एमओसी एंड आई भी सीधे एल एंड डीओ के साथ मामले को उठा रहा है। एक बार निष्पादित होने के बाद शीर्षक विलेख उपलब्ध करा दिए जाएँगे।

(ii) समझौता ज्ञापन (एमओए) उपलब्ध है। लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुई है। डीडीए को कुछ बकाया राशि देय है। हालाँकि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार निष्पादित होने के बाद टाइटल डीड उपलब्ध करा दी जाएगी।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	वैधानिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर

(ii) नई दिल्ली	ए.जी.वी.सी., खेल गांव मार्ग, नई दिल्ली में फ्लैट्स। क्षेत्रफल: 8 फ्लैट, 14424 वर्गमीटर एफटीएस	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा/हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अभी भी लंबित है।	27.45	27.20
(iv) मुंबई	7 फ्लैट (नोट संख्या 4 का फुटनोट देखें) क्षेत्रफल: 7997 वर्गमीटर	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा/हस्तांतरण विलेख का निष्पादन अभी भी लंबित है।	29.35	19.18
(v) मुंबई	मैलेट बंदर क्षेत्रफल: लगभग 11586.96 वर्गमीटर	भारत के राष्ट्रपति	पट्टा विलेख 2016 से समाप्त हो चुका है और कंपनी ने प्लॉट अभ्यर्पित कर दिया है, प्रमाण पत्र दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित किया जा रहा है	36.72	11.67

उपरोक्त सभी संपत्तियां प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं। प्रबंधन द्वारा कोई वैध कारण नहीं पाया जा सका कि एसटीसी के नाम पर टाइटल डीड क्यों निष्पादित नहीं की गई।

(iii) डीडीए से आवंटन पत्र उपलब्ध हैं।

(iv) रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत मुहर लगी प्रमाणित सत्य प्रतियां उपलब्ध हैं।

(v) एसटीसी के पास एमबीपीटी से संबंधित मैलेट बंदर में एक भूखंड का पट्टा था, जो 17.10.2016 को समाप्त हो गया था। एसटीसी ने शुरू में पट्टे के विस्तार की मांग की, लेकिन बाद में गैर-व्यवहार्यता और व्यापार गतिविधियों को रोकने के निर्णय के कारण भूखंडों को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद, उक्त भूखंड को आत्मसमर्पण कर दिया गया और 12.11.2021 को आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया। एमबीपीटी ने माननीय संपदा अधिकारी के समक्ष एसटीसी के खिलाफ दो मामले दायर किए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बैठक के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था, और लंबित मुद्दों/विवादों (यदि कोई हो) को एएमआरसीडी तंत्र के प्रावधानों के तहत सुलझाया जाएगा। मैलेट बंदर में स्थापित एमबीपीटी को सौंपी गई संपत्तियों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है।

कानूनी सलाहकार और जीएसटी सलाहकार की राय के अनुसार, एसटीसी को अंतर किराया चुकाना होगा, यानी एसटीसी द्वारा लीज अवधि से परे कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजे के खिलाफ भुगतान की गई राशि के समायोजन के बाद 30.07.1984 के लीज समझौते के खंड संख्या 24 के अनुसार प्रति माह 9.20 लाख रुपये लागू जीएसटी के साथ। एमबीपीटी के साथ सुलह लंबित है। तदनुसार, सुलह के बाद उचित उपचार किया जाएगा।

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वैधानिक लेखापरीक्षक का अवलोकन</th><th>प्रबंधन का उत्तर</th></tr>
<tr><td>2.</td><td>घ) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जिसे अब निपटान के लिए रखी गई संपत्ति या अमूर्त संपत्ति या दोनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है) का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है, सिवाय संपत्ति की हानि के।</td><td>IND-AS 16 के अनुसार, एसटीसी ने लागत मॉडल को चुना है, तदनुसार, परिसंपत्ति के रूप में मान्यता के बाद, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को उसकी लागत में से किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर रखा जाएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मूल्यांकन किया जा चुका है और हानि का आरोपण किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>ङ) 1 अहमदाबाद, 18 मुंबई फ्लैटों के मूल स्वामित्व विलेख कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि फोटोकॉपी और सत्य प्रतियां कंपनी के पास उपलब्ध हैं।</td><td>अहमदाबाद के एक फ्लैट की फिल्म फोटो तथा मुम्बई के 18 फ्लैटों की रजिस्ट्रार द्वारा मुहर लगी प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध हैं।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंक को ऋण/उधार के पुनर्भुगतान में चूक की है (हमारे ऑडिट रिपोर्ट के नोट संख्या 20 और योग्य राय के आधार अनुभाग देखें)। हालाँकि, कंपनी पर वित्तीय संस्थानों से ऋण/उधार बकाया है, लेकिन सरकार या डिबेंचर धारकों से बकाया नहीं है।
कंपनी द्वारा चूक की गई राशि और चूक की अवधि का ऋणदाता-वार विवरण निम्नानुसार है-
<table>
<tr><th>बैंकों का नाम</th><th>राशि और बकाया ब्याज</th><th>31.03.2024 तक डिफ़ॉल्ट की अवधि (दिनों में)</th></tr>
<tr><td>सिंडिकेट बैंक</td><td>280.71</td><td>2191 दिन</td></tr>
<tr><td>इंडियन ओवरसीज बैंक</td><td>188.02</td><td>2191 दिन</td></tr>
<tr><td>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया</td><td>140.72</td><td>2222 दिन</td></tr>
<tr><td>इंडियन बैंक</td><td>94.81</td><td>2222 दिन</td></tr>
<tr><td>एक्ज़िम बैंक</td><td>74.43</td><td>2738 दिन</td></tr>
<tr><td>बैंक ऑफ बड़ौदा</td><td>26.27</td><td>2110 दिन</td></tr>
<tr><td>यूबीआई (कुमिली)</td><td>1.28</td><td>2222 दिन</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>806.24</td><td></td></tr>
</table></td><td>कंपनी द्वारा बैंकों को देय ब्याज राशि का भुगतान न करने के कारण एसटीसी को एनपीए घोषित कर दिया गया। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है।
एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 19.08.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है।
उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। उधारी पर ओटीएस कार्यवाही और ब्याज देयता का प्रभाव मात्राबद्ध नहीं है।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>i. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत जानकारी और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की बात सामने आई है, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से मुकदमा चल रहा है।
हमें बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में सीबीआई और अन्य निकायों द्वारा विभिन्न मंचों पर 10 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें एसटीसी के कर्मचारियों द्वारा दूसरों के साथ धोखाधड़ी की गई है। प्रबंधन द्वारा कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि ये मामले न्यायालय में विचाराधीन बताए गए हैं।</td><td>जांच/कानूनी मामले विभिन्न चरणों में हैं और उनके परिणाम के आधार पर प्रावधान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>हमारे विचार के अनुसार, चूंकि कंपनी ने अपने व्यावसायिक परिचालन बंद कर दिए हैं और गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर भौतिक अनिश्चितता मौजूद है। व्यापार प्राप्तियों और बैंक से लिए गए 80,623 लाख रुपये के उधार के संबंध में कई कानूनी मामले हैं, जो लंबे समय से एनपीए हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है।</td><td>मुकदमेबाजी/जांच आदि के तहत मामलों को आकस्मिक देयता के तहत उचित रूप से प्रकट किया जा रहा है। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसकी योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। चल रहे मुकदमे के परिणाम के आधार पर लेखा पुस्तकों में उपयुक्त उपचार किया जाएगा।
तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन के मामले में, उसकी उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	वैधानिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'	
क.	कंपनी "प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली", पेरोल सॉफ्टवेयर और "छुट्टी प्रबंधन प्रणाली" का रखरखाव कर रही है, जो एक दूसरे के साथ-साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर से भी जुड़े नहीं हैं। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैली ईआरपी, लेखांकन सॉफ्टवेयर में समय-समय पर मैन्युअल लेखांकन प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। होल्डिंग कंपनी द्वारा वर्तमान में बनाए गए विभिन्न सॉफ़्टवेयर का आपस में जुड़ना केवल ईआरपी कार्यान्वयन के मामले में ही संभव हो सकता है। अनिश्चित वित्तीय स्थिति और होल्डिंग कंपनी की गैर-जारी चिंता की स्थिति के कारण, ऐसा कार्यान्वयन एक दूर की संभावना है। हालाँकि, टैली सॉफ़्टवेयर में लेखांकन प्रविष्टियों के संबंध में मैन्युअल हस्तक्षेप सॉफ़्टवेयर में उपलब्ध आंतरिक जाँच द्वारा प्रतिबंधित है।
ख.	जहां तक देयताओं/वसूली योग्य दावों/प्रतिभूति जमाओं का संबंध है, लेखांकन बहीखातों की प्रभावी जांच का अभाव देखा जाता है, क्योंकि उन्हें अद्यतन नहीं किया जाता है।	यह टिप्पणी पिछले वर्षों से दोहराई जा रही है। कुछ मामलों में जहां मामला अदालत में मुकदमेबाजी/ विचाराधीन है ।
ग.	अचल सम्पत्ति अनुसूची एवं रजिस्टर के रखरखाव के तरीके को मजबूत करने की आवश्यकता है।	कंपनी इसे मजबूत करने की प्रक्रिया में है।
घ.	उचित अनुबंध प्रबंधन का अभाव देखा गया है। अनुबंधों के पूरा होने के बावजूद कंपनी द्वारा ईएमडी/सुरक्षा जमा को अभी भी बहीखातों में रोक कर रखा जा रहा है।	उचित अनुबंध प्रबंधन है और प्रत्येक अनुबंध के पूरा होने के बाद ईएमडी/सुरक्षा जमाराशि का निपटान अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है। सुरक्षा जमाराशि और ईएमडी के संबंध में, जो अनुबंध नहीं किए जा सके, कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 और उसके बाद से एसटीसी को गैर-संचालन कंपनी बनाने के निर्णय के परिणामस्वरूप इसे वापस करने की प्रक्रिया में है।
ङ.	समय पर किराया/लीज़ समझौतों के नवीनीकरण पर नियंत्रण का अभाव। ऐसे कई अनुबंध हैं जिन्हें लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है।	आईआरसीटीसी को छोड़कर सभी किराए/लीज़ समझौतों को किरायेदारों के साथ नवीनीकृत कर दिया गया है। आईआरसीटीसी के साथ समझौते के नवीनीकरण का काम नियमित आधार पर किया जा रहा है।
च.	व्यापार प्राप्य और विक्रेता शेष की शेष पुष्टि में लेखांकन नीति का अप्रभावी कार्यान्वयन देखा गया है। व्यापार प्राप्य खाते में बकाया शेष राशि का ग्राहकों की पुस्तकों में मिलान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन ग्राहकों के लिए शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया जा रहा है। प्रत्येक लेनदेन के पूरा होने के बाद व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और देनदारियों के संतुलन का मिलान किया जा रहा है और पार्टी के साथ खातों का निपटान किया जा रहा है।
छ.	चूंकि कंपनी में कोई भी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नहीं है, तथा कंपनी में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की भी कमी है, इसलिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले सभी निर्णय और मामले स्थगित रखे जाते हैं, तथा कंपनी में अप्रभावी प्रबंधन नियंत्रण है।	सीएमडी/एमडी तथा अन्य कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्तियां मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से की जाती हैं, इसलिए एसटीसी तथा एसटीसीएल लिमिटेड में रिक्त बोर्ड स्तर के पदों को भरने का मामला नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय के साथ उठाया जाता रहा है, जिसके लिए एसटीसी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार मंत्रालय को विभिन्न पत्र भेजे जाते रहे हैं। एसटीसी के सीएमडी का पद अतिरिक्त प्रभार के आधार पर भरा गया है और निदेशक (वित्त) अतिरिक्त आधार पर एसटीसी का प्रभार संभालते रहेंगे। 2023-24 के दौरान, एसटीसी के बोर्ड में सीएमडी, निदेशक (वित्त), 2 सरकारी नामित निदेशक और 8 स्वतंत्र निदेशक थे।

क्र. सं.	वैधानिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
		एसटीसी के निदेशक मंडल की मंजूरी से सीओएसओ और कॉमसो नामक दो समितियों का गठन किया गया है। सीओएसओ 5 लाख रुपये तक के वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों पर विचार-विमर्श करता है और निर्णय लेता है तथा सीओएसओ के दायरे में न आने वाले मामलों को कॉमसो द्वारा लिया जाता है। इसलिए मामलों/मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी निर्णय रोका नहीं जा रहा है। इसके अलावा, एसटीसीएल लिमिटेड के बोर्ड का गठन भी एसटीसीएल लिमिटेड में अध्यक्ष और एमडी की नियुक्ति के साथ पूरा हो गया है और वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए उनके खातों को एसटीसीएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।
	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'	
1.	कंपनी "परफॉरमेंस मैनेजमेंट सिस्टम", पेरोल सॉफ्टवेयर और "लीव मैनेजमेंट सिस्टम" का रखरखाव कर रही है, जो एक दूसरे के साथ-साथ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी जुड़े नहीं हैं। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, टैली ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में समय-समय पर मैन्युअल अकाउंटिंग प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। होल्डिंग कंपनी द्वारा वर्तमान में बनाए गए विभिन्न सॉफ़्टवेयर का आपस में जुड़ना केवल ईआरपी कार्यान्वयन के मामले में ही संभव हो सकता है। अनिश्चित वित्तीय स्थिति और होल्डिंग कंपनी की गैर-जारी चिंता की स्थिति के कारण, ऐसा कार्यान्वयन एक दूर की संभावना है। हालाँकि, टैली सॉफ़्टवेयर में लेखांकन प्रविष्टियों के संबंध में मैन्युअल हस्तक्षेप सॉफ़्टवेयर में उपलब्ध आंतरिक जाँच द्वारा प्रतिबंधित है।
2.	कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। कंपनी ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के साथ 31.12.2018 तक 1,90,624 लाख रुपये तय किए गए हैं। 29.03.2019 को जेएलएफ के नेता केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) को 110000 लाख रुपये का आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है (90,000 लाख रुपये) और 27.05.2019 को 20,000 लाख रुपये का आंशिक भुगतान किया जा चुका है। अधिक जानकारी के लिए नोट संख्या 20 देखें।	कंपनी द्वारा बैंकों को देय ब्याज राशि का भुगतान न करने के कारण एसटीसी को एनपीए घोषित कर दिया गया। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 19.08.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है। उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। उधारी पर ओटीएस कार्यवाही और ब्याज देयता का प्रभाव मात्राबद्ध नहीं है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एंव कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/15(7)/वार्षिक लेखा परीक्षा/एसटीसी/
एसएफ़एस(2023-24)/2024-25/122-127
दिनांक: 18 JUL 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जवाहर व्यापार भवन, तोल्स्टोय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस.ए.पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : + 91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, Email : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 28 मई, 2024 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

(एस. अह्लादिनी पांडा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले)

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 जुलाई 2024

प्रपत्र एओसी-1

(कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग "ए" सहायक कंपनियाँ

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

31 मार्च, 2024 तक **(₹ लाख में)**

क्रमांक	विवरण	ब्यौरा
1	सहायक कंपनी का नाम	एसटीसीएल लिमिटेड
2	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि स्वामित्व(होल्डिंग) कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग है।	स्वामित्व(होल्डिंग) कंपनी के समान
3	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर मुद्रा और विनिमय दरों की रिपोर्टिंग।	भारतीय रुपए
4	शेयर पूंजी	1500
5	रिजर्व और अधिशेष	-456087.63
6	कुल परिसंपत्तियां	195.30
7	कुल देनदारियाँ	456132.92
8	निवेश	-
9	कारोबार(टर्नओवर)	-
10	कर से पहले लाभ	-113.43
11	कर के लिए प्रावधान	0
12	कराधान के बाद लाभ	-113.43
13	प्रस्तावित लाभांश	-
14	शेयरधारिता का %	100

नोट:-

1. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका संचालन अभी शुरू होना बाकी है। शून्य
2. उन सहायक कंपनियों के नाम जिनका वर्ष के दौरान परिसमापन किया गया या बेचा गया। शून्य

भाग "ख" : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित विवरण।

31 मार्च, 2024 तक

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र तिथि	उपलब्ध नहीं है
2	वर्ष के अंत में सहायक कंपनी सहित कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यम के शेयर- सं.	2,00,000
3	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की धनराशि (रु.)	20,00,000
4	स्वामित्व(होल्डिंग) का विस्तार %	50
5	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका वर्णन	उपलब्ध नहीं है
6	कंपनी की निवल संपत्ति	उपलब्ध नहीं है
7	सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने का कारण	लेखापरीक्षित(ऑडिटेड) खाते उपलब्ध नहीं हैं
8	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	उपलब्ध नहीं है
9	वर्ष के लिए लाभ/हानि	
	(i) समेकन में विचार किया गया	उपलब्ध नहीं है
	(ii) समेकन में विचार नहीं किया गया	उपलब्ध नहीं है

नोट: मेसर्स रिचफील्ड एक्वाटेक लिमिटेड, ब्लू गोल्ड मैरिच लिमिटेड, नेशनल टैनरी कंपनी लिमिटेड और इंडोपिरिन ग्लव्स लिमिटेड के साथ निवेश पिछले वर्षों में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ये सभी कंपनियाँ निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

समेकित वित्तीय परिणाम
2023-24

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("मूल कंपनी") और उसकी सहायक कंपनी "एसटीसीएल लिमिटेड" के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की, मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी को सामूहिक रूप से "दि ग्रुप" कहा जाता है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) शामिल हैं।

विशेषक राय

हमारी राय में और विशेषक राय के आधार पैराग्राफ में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के कारण, विशेषक राय को छोड़कर उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015, ("इंड एएस") और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ 31 मार्च, 2024 तक समूह के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके शुद्ध लाभ और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन एवं उसके नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

विशेषक राय हेतु आधार

1. बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

i. समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4(ए) का संदर्भ लें, निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में समूह (दि ग्रुप) के नाम पर स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं हैं:

(क) लीजहोल्ड बिल्डिंग

i. जवाहर व्यापार भवन में पट्टे पर दी गई भूमि की कीमत 55,929 लाख रुपये है।

ii. अरबिंदो मार्ग पर हाउसिंग कॉलोनी में लीजहोल्ड भूमि का मूल्य 12,394 लाख रुपये है।

iii. मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट की कीमत 11.67 लाख रुपये है।

(ख) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग

i. एशियाई खेल गांव परिसर में डीडीए द्वारा 2720 लाख रुपये की लागत से 8 आवासीय फ्लैट आवंटित किए गए।

ii. मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 7 अपार्टमेंट, जिनकी कीमत 1918 लाख रुपये है।

इसके अलावा, मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट की लीज़ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और ज़मीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। समर्पण प्रमाणपत्र(सरेंडर सर्टिफिकेट) दिनांक 12.11.2021 को निष्पादित किया गया है। लेकिन इसे अभी भी बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार, बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है। इसका लाभ और हानि खाते के विवरण पर भी परिणामी प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया जाएगा।

इसके अलावा मैलेट बंदर में स्थापित फार्म टैंकों की कीमत 14.84 लाख रुपये है, जिन्हें जहां है, वहीं के आधार पर सौंप दिया गया है। दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसके लिए कोई डेबिट नोट नहीं बनाया है और इस प्रकार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को 14.84 लाख रुपये से अधिक दिखाया जा रहा है।

इसके अलावा, समूह ने दिनांक 31.03.2024 तक समाप्त अवधि के लिए इंड एएस 116 के अनुसार लीजहोल्ड संपत्तियों के मूल्य का परिशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का ओवरस्टेटमेंट हुआ है और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर परिणामी प्रभाव पड़ा, जिसकी समूह से पूर्ण डेटा के अभाव इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

ii. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए तथा एशियाई खेलों के दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए एल एंड डीओ द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के साथ-साथ समूह द्वारा भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) को अपनी आवासीय कॉलोनी के लिए बेचे गए फ्लैट/भूमि क्षेत्र के प्रति स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में मूल्य/क्षेत्र का समायोजन न किए जाने के लिए नोट संख्या 4 देखें। प्रबंधन डीएमआरसी तथा संबंधित विभागों के साथ पत्राचार कर रहा है।

इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का ओवरस्टेटमेंट हुआ है और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर परिणामी प्रभाव पड़ा, जिसकी समूह से पूर्ण डेटा के के अभाव में इसकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी।

2. व्यापार प्राप्य

नोट संख्या 9 के अनुसार 1,72,511.66 लाख रुपये की सभी व्यापारिक प्राप्तियां 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। समूह ने 65,551.17 लाख रुपये की धनराशि के खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है और 1,06,960.49 लाख रुपये की अन्य धनराशि को "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह मुकदमेबाजी के अधीन है। नोट संख्या 9 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित लेनदारों को इन व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली के बाद ही भुगतान किया जाएगा, हालांकि अधिकांश मामलों में समझौते त्रिपक्षीय नहीं होते हैं।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई वसूली नहीं हुई है और विभिन्न मंचों पर लंबित कानूनी मामलों का कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इस प्रकार इन व्यापार प्राप्य को पुनर्प्राप्त करने के लिए खर्च की जाने वाली लागत को घटाकर वसूली योग्य मूल्य पर नहीं बताया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक इन व्यापार प्राप्य के लिए कोई शेष धनराशि की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसकी वास्तविकता और प्रभाव, यदि कोई हो पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

हमारा मानना है कि 1,72,511.66 लाख रुपये की सभी व्यापारिक प्राप्तियां वसूली के लिए संदिग्ध मानी जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये की संदिग्ध ऋण धनराशि के लिए कम प्रावधान हुआ है। इस प्रकार खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,06,960.49 लाख रुपये से कम बताया गया है तथा लाभ और हानि खाते के विवरण पर परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये से लाभ को अधिक दर्शाया गया है ।

इसके अलावा मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) के मामले में, नोट संख्या 39.4, भाग संख्या 4 के तहत, जिन्होंने एसटीसी पर विनिमय बिल जारी किए, जिन्हें एसटीसी के विनिमय बिलों के लिए विदेशी खरीदार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार किया गया। हालांकि, विदेशी खरीदारों ने निर्यात बिलों के प्रति भुगतान करने में चूक की और परिसमापन(लिक्विडेशन) में चले गए। विदेशी खरीदारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52,786 लाख रुपये की धनराशि स्वीकार की गई है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा एक अन्य विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग पीटीई. लिमिटेड, सिंगापुर से बकाया के प्रति एसटीसी के पक्ष में लगभग 6247 लाख रुपये का आदेश(डिक्री) पारित किया गया है। वर्तमान तिथि के अनुसार, आरपीएल परिसमापन में चला गया है और माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। यह मामला सीबीआई द्वारा भी जांच के अधीन है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी/उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी मामले में एक पक्ष बनाते हुए 47,647 लाख रुपये का दावा किया गया है। आरपीएल के अलावा अन्य मामलों के लिए नोट संख्या 39 का भी संदर्भ लें, क्योंकि ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और /या सीबीआई की जांच के अधीन हैं और हम वित्तीय विवरणों पर उनकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

3. विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियाँ

वर्तमान में, खातों की पुस्तकों के अनुसार, इसके विदेशी खरीदारों से 3,149.35 लाख अमेरिकी डॉलर और 20.90 लाख यूरो प्राप्त होने हैं और इसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 41.49 लाख अमेरिकी डॉलर और 0.04 लाख पाउंड देय हैं। संक्षेप में, एसटीसी के वित्तीय मामलों में विदेशी खरीदार और लेनदार हैं जिनका वित्त वर्ष 2023-24 में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

इस प्रकार, समूह ने अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियों की अग्रणीत धनराशियों का पुनर्मूल्यांकन न करके भारतीय लेखा मानक 21 (विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में) का अनुपालन नहीं किया है, जो मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं।

इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

4. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

नोट संख्या 12 देखें, समूह के पास 1616.96 लाख रुपये का एमएटी क्रेडिट है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी लेखापरीक्षकों द्वारा एमएटी क्रेडिट को वापस लने का मुद्दा भी उठाया गया था। लेकिन अभी भी एमएटी क्रेडिट को वापस नहीं लिया गया है और इसके परिणामस्वरूप लाभ को 1616.96 लाख रुपये और चालू परिसंपत्तियों को 1616.96 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है।

5. अन्य चालू परिसंपत्तियां

i. नोट संख्या 14 देखें - "वसूली योग्य शुल्कों और करों के संबंध में गैर-प्रावधान के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियां, सीएसटी (कोयला) की धनराशि 6.89 लाख रुपये है जो कि वसूली योग्य नहीं है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।"

ii. नोट संख्या 11 देखें - अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य दावे: 3 वर्षों से अधिक समय से वसूली योग्य दावों के संबंध में गैर-प्रावधानीकरण के लिए, जिसकी धनराशि 3152.94 लाख रुपये है, जहां समूह के प्रबंधन द्वारा कोई वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

यह भारतीय लेखा मानक-36 का अनुपालन नहीं है क्योंकि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इन सभी चालू परिसंपत्तियों को प्राप्ति मूल्यों के बजाय उनकी वहन धनराशि पर दर्शाया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को 3152.94 लाख रुपये अधिक तथा लाभ को 3152.94 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है।

6. प्रावधान

भूमि एवं विकास कार्यालय - नई दिल्ली से प्राप्त कुल मांग 13,283 लाख रुपये (मार्च, 2004 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए) में से 4,743 लाख रुपये की मांग का प्रावधान न करने के लिए नोट संख्या 38 देखें, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 4,743 लाख रुपये की अधिकता और देनदारियों में कमी दिखाई गई है। हालाँकि, इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, समूह ने लगभग उक्त मांग धनराशि (10% की दर से गणना की जाने वाली) पर अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है। मामला एलएंडडीओ कार्यालय के साथ पत्राचार में है और खातों में वर्ष 2023-24 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

7. व्यापार देयताएं

नोट संख्या 21 देखें, 1,11,886.89 लाख रुपये की सभी व्यापार देयताएं बिना किसी शेष धनराशि की पुष्टि के हैं और 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं ।

इन पार्टियों को कोई धनराशि देय नहीं है क्योंकि ये आपूर्तिकर्ता हैं जिन्होंने एसटीसी के साथ कानूनी समझौता किया है जिसके तहत जब तक खरीदार से धनराशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कोई राशि धनदेय नहीं है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन व्यापार देयताओं के लिए कोई उपचार नहीं दिया है और इस सीमा तक, देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

8. सांविधिक बकाया

जीएसटी

नोट संख्या 14 देखें, 31 मार्च, 2024 तक समूह द्वारा जीएसटी इनपुट प्राप्य और देय शेष धनराशि का मिलान नहीं किया गया है। जीएसटी इनपुट 64.73 लाख रुपये - दावा योग्य नहीं है लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समूह का लाभ उसी धनराशि से अधिक दिखाया गया है।

स्रोत पर कर कटौती

आयकर रिटर्न जमा करते समय काटे गए टीडीएस का मिलान फॉर्म 26एएस के साथ किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट की तिथि तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सुधार विवरण प्रस्तुत करने हेतु लंबित 8.89 लाख रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9. अन्य अवलोकन

i. नोट संख्या 24 देखें, ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि में उत्तर प्रदेश सरकार को देय 603 लाख रुपये शामिल हैं । प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई अन्य दावे किए हैं और तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से 3382.23 लाख रुपये की बकाया धनराशि वसूली योग्य है, जिसके लिए 10 मार्च, 2014 को डेबिट नोट जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त दावे को आज तक समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि इसका अंतिम संग्रह निश्चित नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त दावे की स्वीकार्यता के बारे में जानकारी के अभाव में, हम समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।

ii. निम्नलिखित अवलोकनों का प्रभाव पता नहीं लगाया जा सका है: -

क. मुकदमेबाजी के अंतर्गत मामलों और विवादों तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत आने वाली राशियों का संदर्भ लें, क्योंकि अधिकांश मामले विचाराधीन हैं, इसलिए इन मामलों पर देनदारियों और ब्याज दायित्व (यदि कोई हो) का परिमाणन करना संभव नहीं है।

मुकदमेबाजी के मामलों, उनकी वर्तमान स्थिति और प्रावधान, यदि कोई हो, की आवश्यकता और कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में नोट संख्या 38 का संदर्भ लें; इसके अलावा, समूह के पिछले संचालन ने इसे व्यापक मुकदमेबाजी और तीसरे पक्ष से संविदात्मक दावों के जोखिम में डाल दिया है, जिसमें मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि हुई है, जिसका पूरी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है। संभावित परिणामों की सीमा, इन मामलों से निपटने वाले कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विभिन्न दावों के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण, प्रावधान के रूप में बयानों में दर्ज की जाने वाली अंतिम देनदारियों की धनराशि, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. जवाहर व्यापार भवन में संपत्ति के सह-स्वामी एचएचईसी और सीसीआईसी से वसूली योग्य दावों का संदर्भ लें, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एसटीसी को अपने हिस्से का खर्च नहीं चुकाया है, जो 31 मार्च 2024 तक 2258.98 लाख रुपये (एचएचईसी के लिए 602.59 लाख रुपये और सीसीआईसी के लिए 1656.39 लाख रुपये) है। बताया जाता है कि यह मामला एचएचईसी और सीसीआईसी के साथ पत्राचार के अधीन है।

ग. उधारी

नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में समूह द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस (एमओटीएस) प्रस्ताव का ज्ञापन अभी भी प्रगति पर है।

एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है ।

उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। एमओटीएस कार्यवाही और ब्याज देयता का प्रभाव मात्राबद्ध नहीं किया गया है।

सहायक कंपनी के संबंध में (जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है):

1. निपटान हेतु रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ

वित्तीय विवरणों के नोटों के नोट संख्या 4 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि निपटान के लिए गैर-चालू संपत्तियां रखी गई। नोट संख्या 3.1(ई) के अनुसार खातों के नोटों में यह आगे कहा गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर (गैर-चालू व्यवसाय धारणा) तैयार किए गए हैं और चालू परिसंपत्तियों को निपटान के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, निपटान के लिए रखी गई सभी परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों पर रखा गया है। हालांकि, निपटान के लिए रखी गई सभी गैर-चालू परिसंपत्तियां यानी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वसूली योग्य मूल्य के लिए किसी भी रिपोर्ट के अभाव में दिनांक 31.03.2024 को खातों की पुस्तकों के अनुसार उनके संबंधित ऐतिहासिक मूल्यों/वहन मूल्यों पर बताई गई हैं, न कि वसूली के आधार पर। यह लेखांकन नीति का गैर-अनुपालन है, और हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा इंड एएस-105 की आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया है

इंड एएस-105 के अनुसार, "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद किए गए परिचालन"। इसके लिए आवश्यक है कि बिक्री के लिए रखे जाने वाले मानदंडों को पूरा करने वाली परिसंपत्तियों को वहन धनराशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर मापा जाना चाहिए और तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बंद किए गए परिचालनों के परिणाम को भी लाभ और हानि के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हालांकि, 31 मार्च, 2024 तक बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का कोई उचित मूल्य आकलन नहीं किया गया है। इस प्रकार, समूह पर लागू इंड एएस-105 का भी अनुपालन नहीं किया है।

2. उधारी

नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में एसटीसीएल द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसीएल को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाताओं के संघ ने वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्ज़ा अपने हाथ में ले लिया है और बकाया धनराशि की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही शुरू की है और कानूनी कार्यवाही डीआरटी के समक्ष लंबित है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक उधार पर देय ब्याज का हिसाब लगाया है और अन्य वित्तीय देनदारियों को उधार पर अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाया है, लेकिन देय नहीं है।

कंपनी ने बैंकों के संघ से लिए गए नकद ऋण और पैकिंग ऋण अग्रिमों पर वित्त वर्ष 2018-19 से ब्याज नहीं दिया है, क्योंकि पिछले वर्षों में दिए गए ब्याज की तुलना में ब्याज की मौजूदा दर कम है और कंपनी को बैंकों से शेष धनराशि की पुष्टि नहीं मिली है। ब्याज का प्रावधान न किए जाने के कारण, बैंक देनदारियों में परिणामी कमी के साथ नुकसान को 72,33,91,30,982 रुपये कम करके दिखाया गया है। हालाँकि, कंपनी ने खाता संख्या 39.3 के नोटों में उपरोक्त धनराशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया है।

3. अन्य चालू परिसंपत्तियां

नोट संख्या 14(एफ) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी ने 13,96,838/- रुपए के सर्विस टैक्स क्रेडिट प्राप्य और 7,91,704/- रुपए के वैट क्रेडिट प्राप्य को चालू परिसंपत्ति के रूप में माना है। हालाँकि, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, पिछली कर व्यवस्था के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए कंपनी जीएसटी के तहत उक्त इनपुट टैक्स प्राप्य का दावा नहीं कर सकती है।

4. व्यापार देयताएं

1,11,16,772 रुपये की धनराशि शामिल है और इसमें किसी भी शेष धनराशि की पुष्टि नहीं है तथा इसे वर्ष 2007-08 से लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है।

5. सांविधिक बकाया

स्रोत पर कर कटौती

किरायेदारों द्वारा काटे गए टीडीएस के संबंध में, एसटीसीएल ने पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 26एएस में दर्शाई गई धनराशि के साथ टीडीएस का मिलान नहीं किया है, जो कि 36,20,783 रुपये है ।

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि आयकर (ट्रेसेज़) पोर्टल पर कुल 3,81,830 रुपये का टीडीएस डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, इस मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में भी नहीं दर्शाया गया है ।

चूक(डिफ़ॉल्ट) का वर्षवार विभाजन निम्नानुसार है: -

टीडीएस	लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्य टीडीएस	टीआरएसीईएस पोर्टल में प्रदर्शित टीडीएस चूक(डिफ़ॉल्ट)
वित्तीय वर्ष 2004-05	-	-
वित्तीय वर्ष 2005-06	4,71,742	-
वित्तीय वर्ष 2006-07	3,41,727	-
वित्तीय वर्ष 2007-08	-	32,690
वित्तीय वर्ष 2008-09	-	27,820
वित्तीय वर्ष 2009-10	-	1,98,060
वित्तीय वर्ष 2010-11	4,00,095	9,120
वित्तीय वर्ष 2011-12	3,49,348	450
वित्तीय वर्ष 2012-13	6,37,865	1,470
वित्तीय वर्ष 2013-14	5,33,337	50,230
वित्तीय वर्ष 2014-15	-	4,840
वित्तीय वर्ष 2015-16	-	2,620
वित्तीय वर्ष 2016-17	1,35,595	-
वित्तीय वर्ष 2017-18	35,430	240
वित्तीय वर्ष 2018-19	29484	-
वित्तीय वर्ष 2019-20	1,15,725	4,040
वित्तीय वर्ष 2020-21	92,224	24,650
वित्तीय वर्ष 2021-22	1,12,454	25,020
वित्तीय वर्ष 2022-23	1,82,295	580
वित्तीय वर्ष 2023-24	1,83,463	-
कुल योग	**36,20,783**	**3,81,830**

इसलिए, हम टीडीएस समाधान न किए जाने से संबंधित वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. नकद और बैंक बैलेंस

कंपनी ने वित्तीय विवरणों में बैंक बैलेंस दिखाया है, जिसके लिए बैलेंस की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विवरण(स्टेटमेंट) उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए निम्नलिखित बैंक खातों के बैलेंस बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं और इसलिए कंपनी ने ईईएफसी खाते में दिखाई देने वाले बैलेंस को भी फिर से नहीं दर्शाया है।

बैंक खाते	दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक बैलेंस(रु. में)
यूबीआई बीओडीआई – 29231	1,00,118
सिंडिकेट बैंक-ब्यदगी-12083074973	3,860
इंडियन बैंक-चेन्नई-सीए-758100344	14,818
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-00052-ईईएफसी	1,03,168

कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मार्जिन मनी को ग्रहणाधिकार के अंतर्गत दिखाया है, जिसके लिए बैलेंस की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नीचे दिए गए बैलेंस बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं।

बैंक खाते	दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक शेष (रु. में)
मार्जिन एफएलसी-60029	3,41,000
जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी	49,821
जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी1	5,29,120
टीडीआर - विजया बैंक	8,75,801

इसलिए, हम इस सावधि जमा, ईईएफसी खाता बैलेंस, बैंक बैलेंस और मार्जिन मनी के बारे में पूर्ण विवरण के अभाव में वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।

7. अन्य अवलोकन

1. वित्तीय विवरणों के नोट्स(स्टेटमेंट्स) के नोट संख्या 55 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, व्यवसाय सहयोगी, प्रतिभूति जमा, अन्य लेनदार और ईएमडी के खातों में बैलेंस मुकदमेबाजी के अधीन है और पक्षों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

2. नोट संख्या 24(डी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात संवर्धन के लिए चिलीफ्टड्स प्रोसेसिंग सेंटर-ब्यादगी के लिए एएसआईडीई योजना के अंतर्गत वीआईटीसी (विश्वेश्वरैया औद्योगिक व्यापार केंद्र) से 1,20,00,000/- रुपये की धनराशि का अनुदान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान छिंदवाड़ा में स्टीम स्टरिलाइजेशन प्लांट के लिए 6,29,00,000/- रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई है। कंपनी ने जिन परिसंपत्तियों के लिए अनुदान प्राप्त किया था, उन पर डब्ल्यूडीवी पद्धति से मूल्यह्रास का परिशोधन किया है और उसे अनुदान से घटा दिया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 से कोई भी अनुदान परिशोधित नहीं किया गया है क्योंकि प्राप्त किए गए अनुदान के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का कब्जा ऋणदाताओं के संघ द्वारा ले लिया गया है।

   निपटान अथवा अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित शर्तों की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण में अनुदान के 1,10,09,432 रुपये के अशोधित हिस्से पर दिए गए उपचार पर राय देने में असमर्थ हैं ।

8. निम्नलिखित अवलोकनों का प्रभाव ज्ञात नहीं किया जा सका है:

i. मुकदमेबाजी के अंतर्गत मामलों और विवादों तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों के अंतर्गत आने वाली धनराशियों का संदर्भ लें, क्योंकि अधिकांश मामले विचाराधीन हैं, इसलिए इन मामलों पर देनदारियों और ब्याज दायित्व (यदि कोई हो) का परिमाणन करना संभव नहीं है।

ii. चालू व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

हम वित्तीय विवरणों के नोटों के नोट संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी के खाते इस धारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं कि कंपनी निम्नलिखित कारणों से चालू व्यवसाय नहीं है:

क. कंपनी के शेयरधारकों ने दिनांक 12.09.2013 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (ए) के अंतर्गत कंपनी को बंद करने को मंजूरी दे दी थी।

ख. वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने दिनांक 26.08.2013 के पत्र के माध्यम से कंपनी को बंद करने तथा कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत करा दिया था।

ग. कंपनी ने दिनांक 26.11.2013 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समापन याचिका दायर की थी।

   तदनुसार, कंपनी ने परिसमापन आधार पर खाते तैयार किए हैं, अर्थात, परिसंपत्तियों का वसूली योग्य आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जबकि बैंकों द्वारा कंपनी के खिलाफ उनके बकाया और अन्य सभी देनदारियों की वसूली के लिए शुरू किए गए कानूनी मामलों के मद्देनजर बैंक के प्रति देनदारियों को बुक वैल्यू पर बताया गया है।

   ये घटनाएँ अथवा स्थितियाँ दर्शाती हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसायके रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है ।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है (योग्य राय के लिए आधार सहित)।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

मामले का महत्व (सहायक कंपनी के संबंध में) (जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, नीचे पुन: प्रस्तुत है)

1. वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट संख्या 22 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि बैंकों को देय मूल धनराशि पर 33,78,29,51,647/- रुपये का ब्याज बैंकों द्वारा दायर ऋण वसूली न्यायाधिकरण आवेदन में बताई गई ब्याज दरों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कोई ब्याज प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले वर्षों में दिए गए ब्याज की तुलना में ब्याज की प्रचलित दर बहुत कम है और बैंकों से खातों की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

2. वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट संख्या 58 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि, ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है, उन्हें संदिग्ध ऋणों के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद कोई अतिरिक्त ब्याज/लाभ का अतिरिक्त मार्जिन स्वीकृत प्राप्त नहीं है। चूंकि पूरा प्रावधान पहले ही कर दिया जाएगा, इसलिए प्रावधान को कम करके उसे लाभ और हानि खाते (नोट संख्या 34) में जमा किया जाएगा। पुस्तकों के अनुसार बकाया शेष धनराशि की पूरी प्राप्ति के बाद ही, ब्याज/लाभ का अतिरिक्त मार्जिन नकद आधार पर स्वीकृत प्राप्त होगी।

3. नोट संख्या 39(iii) (एफ, जी और एच) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने दिनांक 20.07.2011 तक डीआरटी में कंसोर्टियम बैंकों द्वारा किए गए दावे के अनुसार ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया है और बैंकों द्वारा डीआरटी आवेदन में उल्लिखित दरों पर आगे ब्याज प्रदान किया जाता है। बैंकों द्वारा उनके बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट में दर्शाए गए अतिरिक्त ब्याज/दंडात्मक ब्याज/परिसमाप्त नुकसान की धनराशि 165,83,94,543/- रुपये (नोट 39 में शामिल) को आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है। हालांकि, नोट में दर्शाए गए आकस्मिक देयता में केवल वे बैंक शामिल हैं जिन्होंने अपना बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट दिया है।

4. वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट संख्या 20(बी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कहा गया है कि, बैंकों के प्रति कुल देयता ब्याज सहित 46,84,61,891 रुपये है जो वर्ष 2008-09 से हस्तांतरित एलसी/पैकिंग क्रेडिट के संबंध में सात बैंकों के संघ और यूको बैंक को देय है। बैंकों से बकाया ब्याज की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कंपनी ने यूको बैंक और अन्य बैंकों के संघ द्वारा दायर डीआरटी आवेदन में बताई गई दरों पर दावा किए गए ब्याज को देय माना है। नकद ऋण/अल्पकालिक ऋण सात बैंकों और यूको बैंकों के संघ द्वारा दिनांक 20.07.2011 को दायर डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) आवेदन के अनुसार है। उपर्युक्त ऋण को संघ के बैंकों और यूको बैंक द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने बैंकों के पक्ष में चालू परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार बनाया है और बैंकरों के पक्ष में छिंदवाड़ा (3.239 हेक्टेयर), ब्यादगी (5 एकड़), सिद्धपुरा (2.20 एकड़) और मडिकेरी (0.50 एकड़) में स्थित अचल संपत्ति के दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। प्रतिभूति के रूप में दी गई एसटीसीएल की अचल संपत्तियों को देखते हुए, कुल अग्रिमों में से अनुमानित धनराशि रु 1,82,69,500/- को सुरक्षित माना जा सकता है। बैंक और यूको बैंक के संघ ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी के साथ अलग से मामले दर्ज किए हैं, जिसमें यूको बैंक वसूली मामले के संबंध में, डीआरटी ने 148,18,29,854.77 रुपये की वसूली के लिए दिनांक 29.09.2015 को एक आदेश पारित किया है, हालांकि, कंपनी ने डीआरटी आदेश को डीआरएटी, चेन्नई में चुनौती दी है। बैंकर ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा, उपर्युक्त के आधार पर, बैंकरों ने दो कब्जे के नोटिस जारी किए हैं, एक दिनांक 26.10.2011 को बयादगी में स्थित फैक्ट्री भूमि और भवन पर और दूसरा दिनांक 17.11.2011 को छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश में स्थित फैक्ट्री भूमि और भवन पर। इसके अलावा, एसबीआई के नेतृत्व में बैंक के संघ ने बयादगी और छिंदवाड़ा में भूमि, भवन और संयंत्र और मशीनरी का प्रत्यक्ष कब्ज़ा ले लिया है ।

5. सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में निवेश के संबंध में वित्तीय विवरणों(स्टेटमेंट्स) के नोट्स के नोट संख्या 8.2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उल्लेख है:

   संयुक्त उद्यम कंपनी को घाटा हुआ है और 31 मार्च, 2013 तक इसका संचयी घाटा 30,13,372/- रुपये है और उसके बाद की अवधि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, कंपनी ने पिछले वर्षों तक अपने निवेश मूल्य में स्थायी कमी के लिए 7,53,343/- रुपये बट्टे खाते में डाल दिए हैं। एनएसएस सतपुड़ा के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण बाद की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं हैं। कंपनी बोर्ड ने दिनांक 24.10.2013 को आयोजित अपनी 142वीं बोर्ड बैठक में संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसएसएसएडीसीएल से वापसी के लिए मंजूरी दे दी।

6. नोट संख्या 39.3(एफ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि एसटीसीएल के प्रति मेसर्स शिव शंकर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड की मध्यस्थता याचिका दायर करने और मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने पर 26,55,114 रुपये की कानूनी फीस सहित 6,06,69,338 रुपये मेसर्स शिव शंकर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में दिए गए, एसटीसीएल ने मध्यस्थता पंच-निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है, जो सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष लंबित है।

7. नोट संख्या 4 और 20 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि बैंक से नकद ऋण अग्रिम कंपनी की परिसंपत्तियों पर परिपासु शुल्क द्वारा सुरक्षित हैं। ऋणदाताओं के संघ ने वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है और बकाया धनराशि की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। कानूनी कार्यवाही डीआरटी के समक्ष लंबित है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकरों के संघ ने परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष कब्जा ले लिया और एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी की कार्यवाही शुरू की। हालांकि, उस समय यह ज्ञात नहीं था कि बैंकों द्वारा उपर्युक्त परिसंपत्तियों की नीलामी/बोली किस मूल्य पर की जाएगी। इसलि इसलिए कंपनी ने 31 मार्च 2020 को बुक वैल्यू पर परिसंपत्तियों के मूल्य को कम कर दिया था और बैंकों के कंसोर्टियम से उधारी से भी इसे कम कर दिया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने वह सटीक मूल्य प्राप्त किया जिस पर परिसंपत्तियों की नीलामी की गई थी, उपलब्ध कराया गया था। बैंकों के कंसोर्टियम से उधार बिक्री आय से कम हो गया है और परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ दर्ज किया गया है। कंपनी ने इन परिसंपत्तियों पर बनाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को प्रतिधारित आय में अंतररित कर दिया है।

8. नोट संख्या 13 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी के पास वित्त वर्ष 2004-05 से 36,20,783 रुपये का टीडीएस प्राप्य है, लेकिन यह आयकर प्राधिकरण द्वारा बकाया मांग और मुकदमेबाजी के अधीन है। इसलिए इसे वापस पाने की संभावना बहुत कम है। बकाया मांगों का खुलासा करते हुए एक विस्तृत नोट वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में भी दर्ज किया गया है।

9. नोट संख्या 39(iii) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी ने संयंत्र और मशीनरी की बिक्री पर 13,77,095 रुपये की आकस्मिक देयता के तहत जीएसटी देयता का उल्लेख किया है। बैंक से प्राप्त आय को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 के अनुसार ऋण के साथ समायोजित किया गया है, इसलिए ऋणदाता और बोलीदाता के बीच निष्पादित बिक्री विलेख कंपनी को उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसलिए कंपनी यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि संयंत्र और मशीनरी की बिक्री पर जीएसटी देयता कंपनी पर है अथवा बैंक पर है।

10. कंपनी ने पुष्टि की है कि उन्हें एलआईसी से निधि विवरण(फंड स्टेटमेंट) नहीं मिला है। इसलिए, योजना परिसंपत्ति(प्लान एसेट) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से गणना की गई वास्तविक वापसी और भुगतान किए गए लाभ का विवरण कंपनी द्वारा बीमांकिक(एक्चुअरीज) को दिए गए विवरण के अनुसार है। इसलिए नोट संख्या 46 में उल्लिखित उपदान(ग्रेच्युटी) से संबंधित खुलासे एलआईसी द्वारा निधि विवरण(फंड स्टेटमेंट) के अधीन हैं।

11. पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार वित्तीय विवरणों को पुनः प्रस्तुत करना।

क) नोट संख्या 26 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी ने सावधि जमा कर रखा है। एफडी पर मिलने वाला ब्याज फॉर्म 26एएस के अनुसार खातों की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है, क्योंकि बैंक खाता मार्च, 2023 के महीने में बंद कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों की पुस्तकों को बंद करने के समय, तिमाही-4 से संबंधित ब्याज 26एएस में एएस दिखाई नहीं दे रहा था। यह वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही-1 तक 26एएस में दिखाई दे रहा था।

ख) ब्यादगी और चिंदवाड़ा में स्थित परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त सटीक आय कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिसे वित्त वर्ष 2019-20 में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत नीलाम किया गया था, हालांकि इसे वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उपलब्ध कराया गया था, क्योंकि परिसंपत्तियों का बिक्री मूल्य बही मूल्य से अधिक है, इसने पूर्व अवधि की त्रुटि के रूप में विचार करते हुए पूर्व अवधि के आंकड़े को पुनः प्रस्तुत करके पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में 1,36,37,631 रुपये की धनराशि को प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया है।

12. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में बैंक बैलेंस दिखाया है, जिसके लिए बैलेंस की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विवरण(स्टेटमेंट) उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए निम्नलिखित बैंक खातों के बैलेंस बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं और इसलिए कंपनी ने ईईएफसी खाते में दिखाई देने वाले बैलेंस को भी फिर से नहीं दर्शाया है।

बैंक खाते	दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक बैलेंस(रु. में)
यूबीआई बोडी – 29231	1,00,118
सिंडिकेट बैंक-ब्यादगी-12083074973	3,860
इंडियन बैंक-चेन्नई-सीए-758100344	14,818
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-00052-ईईएफसी	1,03,168

13. कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मार्जिन मनी को ग्रहणाधिकार के अंतर्गत दिखाया है, जिसके लिए शेष धनराशि की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नीचे दिए गए बैलेंस बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं।

बैंक खाते	दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक बैलेंस(रु. में)
मार्जिन एफएलसी-60029	3,41,000
जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी	49,821
जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी1	5,29,120
टीडीआर - विजया बैंक	8,75,801

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

समूह का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सूचना में सम्मिलित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट, सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों अथवा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से प्रत्यक्ष रूप से असंगत है या अन्यथा प्रत्यक्ष रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब भी हमें ऐसी अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, तो हम उसे पढ़ते हैं और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे यह अपेक्षित है कि हम इस मामले की सूचना शासन के प्रभारी लोगों को दें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

समूह का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में, जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, (इक्विटी में परिवर्तन) और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा जाए। इस जिम्मेदारी में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; लेखांकन नीतियों के उचित कार्यान्वयन और रखरखाव का चयन और अनुप्रयोग; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं।

प्रबंधन ने निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर ये वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 31 मार्च, 2024 तक समूह में कोई पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नहीं है और समूह केवल स्वतंत्र निदेशकों और अतिरिक्त प्रभार पर निदेशक (वित्त) की सहायता से काम कर रहा है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से अथवा कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्ष(ऑडिट) के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलतबयानी के जोखिमों की पहचान की और उनका आकलन किया, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित किया, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त की जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया गया।
- लेखांकन के गैर-चालू व्यवसाय आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला गया तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं अथवा स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह की एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा अथवा, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं अथवा स्थितियों के कारण समूह एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी देखा गया कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

  हालाँकि, समूह के वित्तीय विवरण गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे वैशिष्ट्य और महत्वपूर्ण थे और इसलिए मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून अथवा विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है अथवा जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले:

हमने समूह के वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनी अर्थात् एसटीसीएल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा नहीं किया, जहाँ वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक 195.30 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति, 17.85 लाख रुपये का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 680.90 लाख रुपये की शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल धनराशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   i. हमने "योग्य राय के लिए आधार" में संदर्भित मामलों को छोड़कर सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं - जिनका प्रभाव आंशिक रूप से अनिश्चित है, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे और यदि नहीं, तो इसका ब्यौरा और वित्तीय विवरणों पर ऐसी जानकारी का प्रभाव।

   ii. हमारी राय में, "योग्य राय के आधार" में संदर्भित मामलों को छोड़कर, समूह द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न समूह से प्राप्त हुए हैं।

   iii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, अन्य व्यापक आय का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

   iv. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट अर्हताप्राप्त राय के आधार को छोड़कर, संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित, भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   v. हमारी राय में, उपर्युक्त पैराग्राफ "गोइंग कंसर्न के संबंध में भौतिक अनिश्चितता" के अंतर्गत वर्णित गोइंग कंसर्न मामले का समूह के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

   vi. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान समूह पर लागू नहीं होते हैं;

   vii. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है।

   viii. भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, समूह पर लागू नहीं होंगे; तथा

   ix. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार संशोधित किया गया है :

      क. समूह अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा नहीं कर पाया है, वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 और 39 देखें।

      ख. समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिससे कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित लाभ प्राप्त होता हो।

ग. वर्ष के दौरान, समूह ने भारी संचित लाभ के कारण निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई अंतरण नहीं किया है। इसलिए, समूह द्वारा अंतरित की जाने वाली धनराशि में देरी का सवाल ही नहीं उठता।

घ. i) मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों(स्टेटमेंट्स) की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, जिसने यह दर्शाया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में टिप्पणियों (नोटस) में प्रकट किए गए के अलावा, समूह द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') भी शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, मूल कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

ii) मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, जिसने हमें बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, मूल कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ('वित्तपोषण पक्ष') भी शामिल है, से कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मूल कंपनी या ऐसी कोई सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार नहीं देगी या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान नहीं करेगी।

(iii) हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किय गया है, उसमें कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

ङ. वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

च. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता बही बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनियों पर लागू है।

हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, मूल कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर (टैली प्राइम) का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित होती है।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रासंगिक नहीं है।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-
(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 504134
यूडीआईएन: 24504134BKEGUF9925

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैराग्राफ 2 के खंड (vii) का संदर्भ लें ।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन में 31 मार्च, 2024 तक दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("समूह") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

समूह का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो समूह की नीतियों का पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू हैं और दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और कार्य निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो-

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो उचित विवरण के साथ समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करें कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और समूह की प्राप्तियां और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) समूह की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं (आईएफसीएफआर)

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत अथवा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य

की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

विशेषक राय का आधार

क. एसटीसी "प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली", पेरोल सॉफ्टवेयर और "छुट्टी प्रबंधन प्रणाली" का रखरखाव कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ-साथ लेखांकन सॉफ्टवेयर से भी जुड़े नहीं हैं। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले टैली ईआरपी, लेखांकन सॉफ्टवेयर में समय-समय पर मैन्युअल लेखांकन प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।

ख. जहां तक देयताओं/वसूली योग्य दावों/प्रतिभूति जमाओं का संबंध है, लेखांकन बहीखातों की प्रभावी जांच का अभाव देखा जाता है, क्योंकि उन्हें अद्यतन नहीं किया जाता है।

ग. स्थायी परिसंपत्ति अनुसूची एवं रजिस्टर के रखरखाव के तरीके को मजबूत करने की आवश्यकता है।

घ. उचित अनुबंध प्रबंधन का अभाव देखा गया है। अनुबंधों के पूरा होने के बावजूद मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा ईएमडी/प्रतिभूति जमा को अभी भी बहीखातों में रोक कर रखा जा रहा है।

ङ. समय पर किराया/लीज़ समझौतों के नवीनीकरण पर नियंत्रण का अभाव। ऐसे कई समझौते हैं जिन्हें लंबे समय से नवीनीकृत नहीं किया गया है।

च. बैलेंस की शेष पुष्टि में लेखांकन नीति का अप्रभावी कार्यान्वयन देखा गया है। व्यापार प्राप्य खाते में बकाया शेष राशि का ग्राहकों की पुस्तकों में मिलान नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन ग्राहकों के लिए शेष धनराशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

छ. कुछ मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनी में कोई भी पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक नहीं हैं, तथा समूह में वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की भी कमी है, इसलिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले सभी निर्णय और मामले स्थगित रखे जाते हैं, तथा मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनी में अप्रभावी प्रबंधन नियंत्रण है।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, अथवा कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना है कि समूह के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका अथवा पता नहीं लगाया जा सकेगा।

सहायक कंपनी के संबंध में (जैसा कि सहायक कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट की गई है, नीचे पुन: प्रस्तुत है) :

i. कंपनी के पास व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य लेनदारों और व्यावसायिक सहयोगियों के समाधान के संबंध में समुचित आंतरिक नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप लेखा पुस्तकों में गलत विवरण हो सकता था।

ii. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित स्टीम स्टरलाइज़ेशन यूनिट का पट्टा किराया दिनांक 31.01.2015 से दिनांक 03.02.2018 को गैर-प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया था। कंपनी ने अपने बकाये की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

iii. कंपनी के निदेशक मंडल ने 27 जनवरी, 2006 को 107वें बोर्ड संकल्प के तहत कंपनी के प्रबंध निदेशक को कुछ शक्तियां सौंपी थीं। हालांकि, आज तक इसकी कोई समीक्षा नहीं की गई है। वर्तमान में, एक महाप्रबंधक कंपनी की गतिविधियों को देख रहा है और कंपनी के निदेशक मंडल को रिपोर्ट कर रहा है।

iv. कंपनी ने बैंकों के संघ से प्राप्त नकद ऋण और पैकिंग ऋण अग्रिमों पर वर्ष के दौरान ब्याज नहीं दिया है, क्योंकि पिछले वर्षों में दिए गए ब्याज की तुलना में ब्याज की प्रचलित दर कम है और कंपनी को बैंकों से शेष धनराशि की पुष्टि नहीं मिली है। ब्याज का प्रावधान न किए जाने के कारण, बैंक देनदारियों में परिणामी कमी के साथ, घाटे को 39,73,57,33,294 रुपये कम करके दिखाया गया है।

'भौतिक कमजोरी' वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कमी, अथवा कमियों का संयोजन है, जिससे यह उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक अथवा अंतरिम वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण को समय पर रोका अथवा पता नहीं लगाया जा सकेगा।

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों के संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण की अनिवार्यता पर विचार करते हुए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

विशेषक राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उपलब्धि उद्देश्यों पर ऊपर वर्णित भौतिक त्रुटियों के प्रभावों को छोड़कर, सभी भौतिक मामलों में, समूह के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

हमने, यथासंभव, समूह के 31 मार्च, 2024 के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक त्रुटियों पर विचार किया है, और इन भौतिक त्रुटियों से समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

कृते पीवीएआर एवं एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन नं. 005223सी

हस्ता./-
(सीए रुचि अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 504134
यूडीआईएन: 24504134BKEGUF9925

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च 2024 तक समेकित तुलन-पत्र (बैलेंस शीट)

(₹ लाख में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	-	-
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	-	-
(ग) निवेश संपत्ति	6	-	-
(घ) अन्य अमूर्त संपत्तियां	7	-	-
(ङ.) वित्तीय परिसंपत्तियां :			
(i) निवेश	8	-	-
(ii) व्यापार प्राप्य	9	-	-
(iii) ऋण	10	-	-
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	-	-
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	-	-
(छ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	14	-	-
उप योग		**-**	**-**
वर्तमान परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	15	4.70	5.82
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां :			
(i) निवेश	8	1.04	1.04
(ii) व्यापार प्राप्य	9	106,960.49	106,946.18
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	16	20,124.52	1,605.20
(iv) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	17	17.96	17.96
(v) ऋण	10	3,536.69	3,574.82
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	17,899.91	30,153.77
(ग) कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	13	1,058.71	2,689.24
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	1,241.96	1,249.26
(ङ.) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	12	1,616.96	1,367.36
(च) बिक्री/निपटान के लिए रखी गई गैर चालू परिसंपत्तियां		86,808.87	87,128.56
उप योग		**239,271.81**	**234,739.21**
कुल परिसंपत्तियां		**239,271.81**	**234,739.21**
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	6,000.00	6,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	19	(469,325.97)	(476,226.54)
उप योग		**(463,325.97)**	**(470,226.54)**
देयताएं			
गैर-वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	20	-	-
(ii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई		-	-
(iii) व्यापार देयताएं - अन्य	21	-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	22	-	-
(ख) प्रावधान	23	-	-
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	24	-	-
उप योग		**-**	**-**
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	20	198,125.94	198,686.94
(ii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई की बकाया राशि		-	-
(iii) व्यापार देयताएं - एमएसएमई के अलावा अन्य बकाया	21	111,886.89	111,819.72
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	22	377,015.39	377,355.95
(ख) प्रावधान	23	14,542.37	16,085.98
(ग) अन्य चालू देयताएं	24	1,027.19	1,017.16
उप योग		**702,597.78**	**704,965.75**
कुल शेयर और देनदारियां		**239,271.81**	**234,739.21**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 70, खातों के अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते का समेकित विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	नोट नं.	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
आय				
i)	परिचालन से राजस्व	25	-	-
ii)	अन्य आय	26	9,599.26	8,523.24
	अन्य आय		**9,599.26**	**8,523.24**
खर्च				
i)	उपभोग की गई सामग्री की लागत	27	-	-
ii)	व्यापार में स्टॉक की खरीद	28	-	-
iii)	मालसूची में बदलाव	29	-	-
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	30	3,336.87	3,575.32
v)	वित्तीय लागत	31	193.62	193.94
vi)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	32	-	-
vii)	अन्य खर्चे	33	1,373.04	1,177.42
	कुल व्यय		**4,903.53**	**4,946.68**
असाधारण मदों और कर से पहले का लाभ			**4,695.73**	**3,576.56**
	असाधारण मदें - व्यय/(आय)	34	(436.40)	(24.18)
कर पूर्व लाभ			**5,132.13**	**3,600.74**
	कर व्यय	35		
	(i) पिछले वर्षों से संबंधित कर		(768.35)	-
	(ii) वर्तमान कर		793.25	421.95
	(iii) आस्थगित कर		-	-
चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ			5,107.23	3,178.79
कर के बाद बंद किए गए परिचालन से लाभ			-	-
I	**वर्ष का लाभ**		**5,107.23**	**3,178.79**
II	**अन्य व्यापक आय**			
i)	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		2,111.22	2,062.52
	घटाएँ: उपरोक्त पर आयकर		-	-
ii)	वे वस्तुएँ जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			-
	अन्य व्यापक आय		2,111.22	2,062.52
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		7,218.45	5,241.31
	प्रति इक्विटी शेयर आय :			
	(1) बेसिक		**12.03**	**8.74**
	(2) डाइल्यूट		**12.03**	**8.74**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 70, खातों के अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :**				
	कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि)		**5,245.56**		**3,711.09**
	समायोजन:				
	- ऋण पर ब्याज	-			
	- मूल्यह्रास	-		-	
	- ऋण/अग्रिम/दावों/देनदारियों/परिसंपत्तियों का शुद्ध राइट बैक	(436.92)		(23.10)	
	- किराये पर दी गई संपत्ति से संबंधित आय/व्यय	(7,691.94)		(7,334.58)	
	- सावधि जमा/निवेश पर ब्याज आय	(1,677.51)		(985.54)	
	- परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	0.52		-	
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	(9,805.85)	(1.08)	(8,344.30)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	-	(8,363.77)	-	(554.12)
	समायोजन:		**(4,560.29)**		**(4,633.21)**
	- व्यापार और अन्य प्राप्य				
	- मालसूची		44.77		(1,534.49)
	- व्यापार और अन्य देयताएं		1.12		1.24
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन		169.81		2.58
	भुगतान किया गया आयकर / (वापसी)		**(4,344.59)**		**(6,163.88)**
	परिचालन गतिविधियों में उत्पन्न/प्रयुक्त शुद्ध नकदी (क)		(2,132.57)		-
ख.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		**(2,212.02)**		**(6,163.88)**
	- स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
	- अचल संपत्तियों की बिक्री		-		-
	- टी- बिल/जमा से प्राप्त आय		1.81		4.12
	- प्राप्त ब्याज		92.19		(180.98)
	- किराये पर दी गई संपत्तियां (शुद्ध)		1,677.51		985.54
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ख)		7,691.94		7,334.58
ग.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**		**9,463.45**		**8,143.26**
	- ऋण में वृद्धि				
	- ब्याज का भुगतान किया		-		-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)		-		-
	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ख+ग)		**-**		**-**
	नकद एवं नकदी समतुल्य का समाधान		7,251.43		1,979.38
	तुलनपत्र(बैलेंस शीट) के अनुसार समापन नकदी एवं बैंक शेष				
	बैलेंस शीट के अनुसार आरंभिक नकदी एवं बैंक शेष		28,734.51		21,483.08
	नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं बैंक शेष		21,483.08		19,503.70
	बैलेंस शीट के अनुसार नकद एवं नकद समतुल्य		**7,251.43**		**1,979.38**
	बैलेंस शीट के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य*		28,734.51		21,483.08
	घटाएँ: गैर- परिवर्तनीय बैंक जमा		8,675.04		20,623.83
	नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		20,059.47		859.25
	नकद और नकद समतुल्य में अवैतनिक लाभांश शामिल है		-		-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उनके साथ दिए गए नोट 1 से 59, खातों के अभिन्न अंग बनते हैं।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(i) इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या (लाखों में)	अंकित मूल्य (रु.)	धनराशि
अप्रैल, 2023 तक शेष धनराशि	600.00	10.00	6,000.00
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	**600.00**	**10.00**	**6,000.00**
2023-24 के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष धनराशि	**600.00**	**10.00**	**6,000.00**

विवरण	शेयरों की संख्या (लाखों में)	अंकित मूल्य (रु.)	धनराशि
1 अप्रैल, 2022 तक शेष(बैलेंस) धनराशि	600.00	10.00	6,000.00
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	600.00	10.00	6,000.00
2022-23 के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-
31 मार्च 2023 तक शेषधन राशि	**600.00**	**10.00**	**6,000.00**

(ii) अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष						कुल
	सामान्य रिजर्व	पूंजी रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	विनिमय उतार-चढ़ाव रिजर्व	बोनस रिजर्व	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	
1 अप्रैल, 2023 को शेष धनराशि	6,553.10	250.00	(572,574.96)	1,084.80	0.33	88,460.18	(476,226.54)
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	7,218.45	-	-	-	7,218.45
कोई अन्य शुल्क	-	-	-	-	-	(317.88)	(317.88)
31 मार्च 2024 को शेष धनराशि	**6,553.10**	**250.00**	**(565,356.51)**	**1,084.80**	**0.33**	**88,142.30**	**(469,325.97)**
1 अप्रैल, 2022 को शेष धनराशि	**6,553.10**	**250.00**	**(577,816.27)**	**1,084.80**	**0.33**	**88,460.18**	**(481,467.85)**
पूर्व अवधि त्रुटि के कारण शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2022 तक पुनः घोषित शेष धनराशि	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	5,241.31	-	-	-	5,241.31
कोई अन्य शुल्क		-	-	-	-		-
31 मार्च 2023 को शेष धनराशि	**6,553.10**	**250.00**	**(572,574.96)**	**1,084.80**	**0.33**	**88,460.18**	**(476,226.54)**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

1. कॉर्पोरेट जानकारी:

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसके शेयर भारत में दो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 110001 में स्थित है। कंपनी सरकार/सरकारों या प्राइवेट प्रार्टियों की ओर से चावल, गेहूं, चीनी, दालें, खाद्य तेल, उर्वरक, कोयला, सर्राफा इत्यादि की थोक वस्तुओं का आयात और निर्यात जैसे व्यापारिक व्यवसायमें लगी हुई हैं।

2. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार:

i) अनुपालन विवरण:

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के सभी भौतिक पहलुओं का अनुपालन करते हैं।

ii) माप का आधार:

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों और बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2021 की 639वीं बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, यह निर्णय लिया गया है कि एसटीसी को फिलहाल गैर-संचालन कंपनी के रूप में जारी रखा जाएगा और वित्त वर्ष 2021-22 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर खाते तैयार किए जाएंगे। इसे दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में उचित परिवर्तन किए गए हैं।

iii) महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय:

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन ने ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाई हैं जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करती हैं और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्राएँ और वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जहाँ आवश्यक हो, लेखांकन अनुमानों में संशोधन को भावी रूप से मान्यता दी जाती है।

आकलन और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र (जैसा कि संबंधित लेखांकन नीतियों में कहा गया है) जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, वे इस प्रकार हैं:

क. परिसंपत्तियों की क्षति.

ख. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का मापन तथा लागत के किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है, इसका मूल्यांकन ।

ग. परिभाषित लाभ दायित्वों की पहचान और मापन।

घ. उचित मूल्यों और अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का मापन

ङ. यह पता लगाने के लिए निर्णय की आवश्यकता है कि क्या यह संभव है या नहीं कि कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी।

iv) परिचालन चक्र एवं चालू एवं गैर-चालू का वर्गीकरण:

कंपनी व्यापारिक(ट्रेडिंग) व्यवसाय में थी, और कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं था; हालाँकि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के अनुसार 12 महीने की अवधि को "परिचालन चक्र" के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, चालू देनदारियों और चालू परिसंपत्तियों में गैर-चालू वित्तीय देनदारियों और परिसंपत्तियों का वर्तमान हिस्सा शामिल है। प्रशासनिक मंत्रालय और बोर्ड के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लंबित अनुबंधों को छोड़कर और परिसंपत्तियों को प्राप्त करने एवं देनदारियों का निपटान करने के लिए आवश्यक होने तक कोई और व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं होंगी। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 से, 12 महीने का एक सामान्य परिचालन चक्र अपनाया गया है।

v) कार्यात्मक मुद्रा:

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा है, और सभी मूल्य निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में हैं जब तक कि अन्यथा न कहा जाए।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:

3.1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई):

क) वित्त वर्ष 2020-21 तक, पीपीई की एक वस्तु की लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जा रही थी, यदि यह संभावना हो कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई की एक वस्तु की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य क्रय करों सहित क्रय मूल्य, वसूली योग्य कर, व्यापार छूट और रियायतें घटाने के बाद।

ii. पीपीई को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत।

iii. वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का आरंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी ने या तो पीपीई प्राप्त करते समय या किसी विशेष अवधि के दौरान मालसूची तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए पीपीई का उपयोग करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन किया था।

ख) पीपीई के किसी आइटम से संबंधित बाद के व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता था जब इससे मौजूदा परिसंपत्ति से भविष्य के लाभ में उसके पहले से निर्धारित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती थी। पीपीई के मौजूदा आइटमों पर अन्य सभी व्यय, जिनमें दिन-प्रतिदिन की मरम्मत और रखरखाव व्यय शामिल हैं, उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किए गए थे, जिसके दौरान ऐसे व्यय किए गए थे।

ग) पीपीई की मदों की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत धनराशि के बीच अंतर के रूप में मापा गया और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई।

घ) कंपनी ने संक्रमण की तिथि से पीपीई के वहन मूल्य को जारी रखने का निर्णय लिया है।

ङ.) वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि पीपीई से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ सामान्य व्यवसाय के दौरान कंपनी को नहीं मिलेंगे। इसलिए, पीपीई को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में किसी भी कमी को संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाए गए रिजर्व की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में चार्ज किया गया है। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ अथवा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.2. अमूर्त संपत्ति:

क) वित्त वर्ष 2020-21 तक सभी पहचान योग्य अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी गई थी जब कंपनी ने परिसंपत्ति को नियंत्रित किया था, यह संभावना थी कि संबंधित परिसंपत्तियों के साथ अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ एक से अधिक आर्थिक अवधि के लिए कंपनी में प्रवाहित होंगे, और परिसंपत्ति की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

ख) अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा गया। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, कर वसूली योग्य कटौती के बाद, व्यापार छूट, छूट, और परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल थी। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से घटाकर संचित परिशोधन और संचित क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर ले जाया गया।

ग) सभी अमूर्त परिसंपत्तियों (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) को संक्रमण की तिथि से वहन मूल्य पर दर्शाया गया है।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि अमूर्त परिसंपत्तियों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ सामान्य व्यवसाय के दौरान कंपनी को नहीं मिलेंगे। इसलिए, अमूर्त परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाया गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में कोई भी परिवर्तन उस सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में लगाया गया है, जिस सीमा तक संबंधित परिसंपत्ति के लिए रिजर्व बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकन धनराशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ अथवा हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.3. निवेश संपत्ति:

निवेश संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जिन्हें किराया कमाने और/अथवा पूंजी वृद्धि के लिए रखा जाता है। वित्त वर्ष 2020-21 तक, निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन-देन लागत सहित लागत पर मापा जा रहा था। इसके बाद, निवेश संपत्ति को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्तता हानि, यदि कोई हो, घटाकर बताया जा रहा था। इसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जा रहा था। निपटान पर किसी भी लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जा रही थी।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और परिसंपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह संभव है कि कंपनी व्यवसाय के सामान्य क्रम में किराया अर्जित करने में सक्षम न हो। इसलिए, निवेश संपत्तियों को अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों के आधार पर रखा गया है। ऐसे अनुमानों के कारण वहन धनराशि में किसी भी कमी को संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाए गए रिजर्व की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में चार्ज किया गया है। पुनर्मूल्यांकन राशि से अधिक अंतर को अन्य व्यापक आय के तहत लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4. अवमूल्यन और परिशोधन:

वित्त वर्ष 2020-21 तक, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया था, जिसमें नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर मूल लागत का 5% का अवशिष्ट मूल्य रखा गया था:

i. अमूर्त वस्तुओं का 2.5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रास/परिशोधन किया गया।

ii. स्थायी पट्टे पर दी गई भूमि का परिशोधन नहीं किया गया।

iii. यदि कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अंतर्गत जीवन अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, तो इसे तकनीकी रूप से योग्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया गया था और मूल लागत का 5% अवशिष्ट मूल्य रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। ऐसी परिसंपत्तियों और अनुमानित उपयोगी जीवन का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	वर्ष में अनुमानित जीवन
1	घटक: एचवीएसी संयंत्र	
क)	चिल्लर इकाई	15
ख)	पाइपिंग वर्क	15
ग)	एयर हैंडलिंग कार्य	10
घ)	अन्य घटक	15

iv. पट्टा अवधि के दौरान पट्टाधारित परिसंपत्तियों का परिशोधन किया गया।

प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की गई।

वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं और पीपीई तथा अमूर्त संपत्तियों को "बिक्री के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए इस पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया जाएगा और इस तरह के पुनर्वर्गीकरण के कारण होने वाली हानि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में उस सीमा तक लगाया गया है, जिस सीमा तक संबंधित संपत्ति के लिए रिजर्व बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को लाभ या हानि में लगाया जाता है।

स्थायी पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जो समाप्ति के मामले में कंपनी के कानूनी अधिकारों पर आधारित है, और वहन धनराशि में किसी भी परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में उस सीमा तक चार्ज किया गया है, जिस सीमा तक रिजर्व संबंधित परिसंपत्ति के लिए बनाया गया था। पुनर्मूल्यांकित धनराशि से अधिक अंतर को लाभ अथवा हानि में चार्ज किया जाता है।

3.5. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति :

यदि किसी परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वसूली योग्य धनराशि उसकी वहन धनराशि से कम होने का अनुमान है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन धनराशि उसकी वसूली योग्य धनराशि तक कम हो जाती है। क्षतिग्रस्तता हानि को लाभ अथवा हानि में तुरंत पहचाना जाता है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित धनराशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में क्षतिग्रस्तता हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना जाता है।

वसूली योग्य धनराशि उचित मूल्य से निपटान की लागत घटाकर तथा उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, वह है। उपयोग में मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन तथा परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है, जिसके लिए भावी नकदी प्रवाह के अनुमानों को समायोजित नहीं किया गया है।

जब कोई हानि बाद में उलट जाती है, तो परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) की वहन धनराशि को उसकी वसूली योग्य धनराशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस तरह कि बढ़ी हुई वहन धनराशि उस वहन धनराशि से अधिक न हो जो पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए कोई हानि न पहचाने जाने पर निर्धारित की गई होती। क्षतिग्रस्तता हानि के उलट होने को लाभ अथवा हानि में तुरंत मान्यता दी जाती है, जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति को पुनर्मूल्यांकित धनराशि पर नहीं रखा जाता है, जिस स्थिति में हानि के उलट होने को पुनर्मूल्यांकन वृद्धि के रूप में माना जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन धनराशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों को हानि हुई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस नकदी-उत्पादक इकाई की वसूली योग्य धनराशि का अनुमान लगाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है।

अनिश्चित उपयोगी अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों तथा उपयोग के लिए अभी उपलब्ध न होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति के लिए कम से कम वार्षिक रूप से जांच की जाती है, तथा जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो इसकी जांच की जाती है।

3.6. पट्टे:

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी, भारतीय लेखा मानक 116 "पट्टे" के लेखांकन के लिए लागू था: -

1. पट्टेदार के रूप में:-

क. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार:-

- प्रारंभिक मान्यता और उपचार - पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, उपयोग के अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति को वृद्धिशील उधार दर में निहित ब्याज दर पर छूट वाले पट्टे भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।
- अनुवर्ती मापन और उपचार- आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में मूल्यह्रास आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। यदि स्वामित्व पट्टे की अवधि के अंत में कंपनी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है अथवा यदि यह निश्चित है कि कंपनी द्वारा खरीद विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। किसी भी अन्य मामले में, आरओयू परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन अथवा पट्टे की अवधि जो भी कम हो, पर किया जाता है। आरओयू परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में एक प्रभार के रूप में दर्शाया जाता है।
- वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार पर तैयार किए गए हैं। यह संभावना है कि कंपनी द्वारा लीज पर ली गई संपत्तियां तुलन-पत्र की तिथि से 12 महीने के भीतर सरेंडर की जा सकती हैं। इसलिए, आरओयू परिसंपत्ति के अनुमानित जीवन का फिर से अनुमान लगाया गया है और तदनुसार मूल्यह्रास की फिर से गणना की गई है। इस तरह के पुनर्मूल्यांकन के कारण संचित मूल्यह्रास में कोई भी बदलाव लाभ अथवा हानि में मान्यता प्राप्त है।

ख. पट्टा देयता: -

- प्रारंभिक मान्यता और उपचार - पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी पट्टे में निहित ब्याज दर अथवा वृद्धिशील उधार दर पर छूट वाले पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापती है।
- बाद की माप और उपचार- लीज देयता की वहन धनराशि लीज देयता पर अर्जित ब्याज की धनराशि से बढ़ जाएगी। लीज देयता के लिए किए गए भुगतानों के कारण वहन धनराशि कम हो जाएगी। लीज देयता पर ब्याज व्यय, वित्त लागत का एक घटक होने के नाते, लाभ और हानि खाते में एक प्रभार के रूप में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

2. पट्टादाता के रूप में:-

यदि पट्टे में स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और लाभ पर्याप्त रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं, तो उसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि पट्टे में स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और लाभ पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं होते हैं, तो उसे परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

1. वित्तीय पट्टा: -

i) परिसंपत्ति की पहचान- वित्तीय पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर धनराशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन में परिवर्तन द्वारा बढ़ाया / घटाया जाता है। मूल्यांकन में किसी भी वृद्धि / कमी को लाभ अथवा हानि खाते में मान्यता दी जाती है ।

ii.) आय की पहचान - पट्टे की अवधि में वित्त आय, पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित है।

2. परिचालन पट्टा(लीज़): -

i. परिसंपत्ति की पहचान- परिचालन पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्तियों को पुस्तकों में पूंजीकृत किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसलिए, ऐसी परिसंपत्तियों को शुद्ध वसूली योग्य मूल्य अथवा मूल्यह्रास धनराशि में से जो भी कम हो, उस पर बहाल किया गया है।

ii. आय की पहचान- परिचालन पट्टों से प्राप्त पट्टा भुगतान को या तो सीधी रेखा के आधार पर अथवा किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। पट्टादाता को एक अन्य व्यवस्थित आधार लागू करना होगा यदि वह आधार उस पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि है जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम हो जाता है।

iii. व्ययों की पहचान- पट्टा आय अर्जित करने से जुड़े व्यय, जैसे मूल्यह्रास को व्यय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

3.7 मालसूची:

मालसूची को लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर रखा जाता है। लागत का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:

क) मालसूची का मूल्यांकन शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य अथवा लागत, जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

ख) पारगमन माल का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या सीआईएफ लागत, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ग) मालसूची की लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और अन्य लागत शामिल होती है, जिसमें उन्हें वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में किए गए वसूली योग्य करों को घटाकर विनिर्माण ओवरहेड्स शामिल होते हैं।

घ) शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें से पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य का अनुमान, मालसूची से वसूली जाने वाली अपेक्षित धनराशि के बारे में अनुमान के समय उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होता है।

3.8 राजस्व मान्यता:

इंड एएस 115 ग्राहक अनुबंधों से राजस्व की पहचान तथा ऐसे राजस्व की पहचान की मात्रा तथा समय पर पड़ने वाले प्रभावों को संबोधित करता है।

माल, वस्तुओं और किसी भी अन्य उत्पाद की बिक्री से प्राप्त राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

i. न तो स्वामित्व के साथ जुड़ी हुई सीमा तक प्रबंधकीय भागीदारी जारी रहती है और न ही बेचे गए माल पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है।

ii. माल के स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और लाभ खरीदार को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

iii. राजस्व की मात्रा विश्वसनीय रूप से मापी जाती है।

iv. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे।

v. लेन-देन के संबंध में हुई अथवा होने वाली लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

vi. यदि उत्पादों और वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व के संबंध में कोई व्यापार छूट और मात्रा छूट है, तो उसे राजस्व से घटा दिया जाता है।

vii. किसी निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व को उस निष्पादन दायित्व को आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय विचार के शुद्ध) की धनराशि पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य अनुबंध के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूट और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय विचार से शुद्ध है।

क) परिचालन गतिविधियों से राजस्व:

- परिचालन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व में विभिन्न व्यापारिक लेन-देन से संबंधित राजस्व शामिल है जिसमें कंपनी प्रिंसिपल के रूप में कार्य करती है, कमोडिटी मालसूची रखती है। ये राजस्व मुख्य रूप से उर्वरकों, खाद्यान्नों, धातुओं और अन्य उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होते हैं।
- परिचालन(ऑपरेटिंग) लेनदेन पर मार्जिन : परिचालन लेनदेन पर मार्जिन में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों से प्राप्त राजस्व भी शामिल है जिसमें कंपनी प्रिंसिपल अथवा एजेंट के रूप में कार्य करती है। अपनी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से, कंपनी अपने ग्राहकों को कमोडिटी/बुलियन और अन्य उत्पादों की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करती है और सहमति के अनुसार एक निश्चित मार्जिन लेती है।
- कंपनी आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं और ग्राहकों के बीच अनुबंधों के समापन और आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उत्पादों की डिलीवरी की सुविधा भी प्रदान करती है। ऐसी गतिविधियों से राजस्व तब पहचाना जाता है जब अनुबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं / माल समझौतों के अनुसार तीसरे पक्ष/ग्राहकों को आपूर्ति की जाती है।

इंड एएस 115 ने राजस्व पहचान के लिए पांच-चरणीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया - अनुबंध की पहचान करना; अनुबंध में निष्पादन दायित्वों की पहचान करना; लेनदेन मूल्य का निर्धारण करना; उस लेनदेन मूल्य को निष्पादन दायित्वों में आवंटित करना; और अंततः उन निष्पादन दायित्वों की पूर्ति के बाद राजस्व की पहचान करना।

i. लाभांश और ब्याज आय

लाभांश आय तब पहचानी जाती है जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

ii. दावा

दावों (बकाया धनराशि पर ब्याज सहित) को लागत पर मान्यता दी जाती है, जब उसके अंतिम संग्रह के संबंध में उचित निश्चितता होती है।

iii. वास्तविक प्राप्ति पर राजस्व मान्यता

आय और व्यय का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है, सिवाय निम्नलिखित के जिन्हें नकद आधार पर मान्यता दी जाती है:

क) निर्यात लाभ

ख) सरकारी खाते में संभाले गए मदों से प्राप्तहोने वाला ब्याज ।

3.9 विदेशी मुद्राएँ:

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्राओं में लेनदेन दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय की समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।

मौद्रिक मदों के निपटान अथवा बदलने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय विनिमय अंतर की सीमा के जिसे विदेशी मुद्रा उधार पर ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है जो सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, परिसंपत्तियों की लागत के रूप में पूंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 11 अप्रैल, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा उधार पर विनिमय लाभ अथवा हानि जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से संबंधित हैं, उन्हें ऐसी परिसंपत्तियों की वहन लागत में समायोजित किया जाता है।

गैर-मौद्रिक मदें, जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागतों के रूप में मापा जाता है, लेनदेन की तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके दर्ज की जाती हैं।

विदेशी मुद्रा में उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं का बदलने उस तिथि पर विनिमय दरों का उपयोग करके किया जाता है, जब उचित मूल्य मापा गया था। उचित मूल्य पर मापी गई गैर-मौद्रिक वस्तुओं के बदलने पर होने वाले लाभ अथवा हानि को आइटम (यानी, उन वस्तुओं पर अनुवाद अंतर जिनके उचित मूल्य लाभ अथवा हानि को ओसीआई अथवा लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है, उन्हें क्रमशः ओसीआई अथवा लाभ और हानि विवरण में भी मान्यता दी गई है) के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ अथवा हानि की मान्यता के अनुरूप माना जाता है

3.10 उधार लेने की लागत:

वित्तीय लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न विनिमय अंतर शामिल होते हैं, जिस सीमा तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

उधार लेने की लागत में उधार की व्यवस्था के संबंध में किए गए ब्याज और सहायक लागतों का परिशोधन शामिल है।

अधिग्रहण और निर्माण योग्य परिसंपत्ति हेतु सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार लागत, जिसे अपने इच्छित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उसको संबंधित परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में व्यय किया जाता है, जब वे घटित होती हैं।

अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है।

3.11 कर्मचारी लाभ:

i. भुगतान किए जाने की उम्मीद वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में उनकी बिना छूट वाली धनराशि पर मान्यता दी जाती है जिसमें वे गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर बीमांकिक गणना के लिए अनुमानों के आधार पर व्यय किए जाते हैं।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ:

क. परिभाषित अंशदान योजना: परिभाषित अंशदान योजना के तहत कर्मचारियों के लाभ, जिसमें भविष्य निधि (अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित) और पेंशन निधि (एलआईसी में परिभाषित अंशदान के माध्यम से प्रशासित) शामिल हैं, उसको कंपनी द्वारा उस अवधि में योजना में योगदान करने के लिए बिना छूट के दायित्व के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। इसका भुगतान अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित निधियों को किया जाता है।

ख. परिभाषित लाभ योजना:

i. उपदान(ग्रेच्युटी), छुट्टी नकदीकरण और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए प्रावधान, अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ii. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए देयता वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें एक्चुरियल लाभ और हानि, परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) शामिल है, वित्तीय स्थिति के विवरण में तुरंत परिलक्षित होता है, जिस अवधि में वे घटित होते हैं, उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त प्रभार अथवा क्रेडिट के साथ। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मापन तुरंत प्रतिधारित आय में परिलक्षित होता है और इसे लाभ अथवा हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

3.12 वित्तीय साधन :

गैर व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण

गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

I. वित्तीय परिसंपत्तियां जिनमें नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम, इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश और पात्र चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं;

II. वित्तीय देयताएं, जिनमें दीर्घ एवं अल्पावधि ऋण एवं उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देयताएं, पात्र चालू एवं गैर-चालू देयताएं शामिल हैं।

प्रारम्भिक पहचान

गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई लेनदेन लागतों को भी मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान तब समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित कर दिए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए गए हों और न ही उन्हें बरकरार रखा गया हो, वित्तीय परिसंपत्तियों को केवल तभी पहचाना जाता है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

उत्तरवर्ती साधन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों को नीचे वर्णित तरीके से मापा जाता है:

i. नकद और नकद के समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकदी और नकदी समकक्षों में बैंकों में हाथ में नकदी और बैंकों के साथ मांग जमा शामिल हैं जो बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर है, जो मांग पर चुकाए जाने योग्य हैं और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को चालू देनदारियों के भीतर उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ii. लिक्विड म्यूचुअल फंड, इक्विटी सिक्योरिटीज (सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा) में निवेश का मूल्यांकन उनके उचित मूल्य पर किया जाता है। इन उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है और उनमें होने वाले परिवर्तन, महत्वपूर्ण नुकसानों के अलावा, लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं और करों के बाद इक्विटी में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि हानि होती है, तो उसे इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। जब बिक्री के लिए उपलब्ध वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है, तो इक्विटी में पहचाने गए संबंधित संचयी लाभ अथवा हानि को आय विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

iii. ऋण और प्राप्य

ऋण और प्राप्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं जिनके निश्चित अथवा निर्धारित भुगतान हैं जिन्हें सक्रिय बाज़ार में उद्दत नहीं किया जाता है। उन्हें चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऋण और प्राप्य शुरू में उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं, साथ ही वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ अथवा हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई, जो वित्तीय परिसंपत्तिके अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागत के लिए जिम्मेदार हैं। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है। ऋण और प्राप्तियां में व्यापार प्राप्तियां, बिना बिल वाली आय और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं।

कंपनी ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न, ग्राहक संकेंद्रण, ग्राहक ऋण पात्रता और वर्तमान आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करके प्राप्य खातों की संग्रहणीयता या अन्यथा का अनुमान लगाती है। यदि किसी ग्राहक की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है, तो अतिरिक्त भत्ते की आवश्यकता हो सकती है।

iv. प्रतिभूति जमा

प्रतिभूति जमा को शुरू में उचित मूल्य और प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों के आधार पर मान्यता दी जाती है, तथा बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसमें से किसी भी क्षतिग्रस्तता हानि को घटा दिया जाता है।

v. व्यापार एवं अन्य देयताएं:

व्यापार और अन्य देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर पहचान की जाती है और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर वहन किया जाता है। इन वित्तीय साधनों के लिए, इन साधनों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण वहन धनराशि उचित मूल्य के करीब होती है।

vi. सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश:

कंपनी लागत पर सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश का लेखा-जोखा रखती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनियों में निवेश अधिग्रहण की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। ऐसे निवेश जहां कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशित व्यक्ति के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन इन नीतियों पर न तो नियंत्रण है और न ही संयुक्त नियंत्रण है। एक संयुक्त व्यवस्था जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों के पास संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होते हैं, उसे संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णयों के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हानि के संकेतकों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ तब क्षतिग्रस्त होती हैं जब वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है कि वित्तीय परिसंपत्ति की प्रारंभिक पहचान के बाद हुई एक अथवा अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप, निवेश के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह प्रभावित हुए हैं। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) इक्विटी निवेशों के लिए, सुरक्षा के उचित मूल्य में इसकी लागत से नीचे एक महत्वपूर्ण अथवा लंबे समय तक गिरावट को हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना जाता है।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- जारीकर्ता अथवा प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई;
- अनुबंध का उल्लंघन, जैसे ब्याज अथवा मूलधन भुगतान में चूक अथवा देरी;
- यह सम्भावना हो सकती है कि उधारकर्ता दिवालियापन अथवा वित्तीय पुनर्गठन में प्रवेश कर जाएगा; या वित्तीय कठिनाइयों के कारण उस वित्तीय परिसंपत्ति के लिए सक्रिय बाजार गायब हो जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्तियों की कुछ श्रेणियों, जैसे कि व्यापार प्राप्य, के लिए परिसंपत्तियों का व्यक्तिगत आधार पर हानि के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्राप्य के पोर्टफोलियो के लिए हानि के वस्तुरक साक्ष्य में कंपनी के भुगतान एकत्र करने का पिछला अनुभव, शून्य दिनों की औसत क्रेडिट अवधि के बाद पोर्टफोलियो में विलंबित भुगतानों की संख्या में वृद्धि, साथ ही राष्ट्रीय अथवा स्थानीय आर्थिक स्थितियों में अवलोकनीय परिवर्तन शामिल हो सकते हैं जो प्राप्य पर डिफ़ॉल्ट से संबंधित हैं।

लागत पर वहन की जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि की धनराशि को परिसंपत्तियों की वहन धनराशि और समान वित्तीय परिसंपत्ति के लिए वर्तमान बाजार दर पर छूटे हुए अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है। इस तरह की हानि की भरपाई बाद की अवधि में नहीं की जाएगी।

वित्तीय परिसंपत्ति की अग्रणीत धनराशि को व्यापार प्राप्य को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए सीधे हानि से कम किया जाता है; संबंधित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए भत्ता खाते के उपयोग के माध्यम से ऐसी हानि कम हो जाती है। जब किसी व्यापार प्राप्य को अप्राप्य माना जाता है, तो उसे भत्ता खाते के विरुद्ध लिख दिया जाता है। भत्ता खाते के विरुद्ध पहले लिखी गई अथवा जमा की गई धनराशियों की बाद की वसूली। भत्ता खाते की वहन धनराशि में परिवर्तन को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, यदि बाद की अवधि में, क्षति हानि की राशि कम हो परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, यदि, बाद की अवधि में, हानि की मात्रा कम हो जाती है और यह कमी वस्तुगत रूप से हानि की पहचान के बाद होने वाली घटना से संबंधित हो सकती है, तो पहले से मान्यता प्राप्त क्षति हानि को लाभ अथवा हानि के माध्यम से इस सीमा तक उलट दिया जाता है कि जिस तिथि को क्षति को उलट दिया जाता है, उस समय निवेश की अग्रणीत धनराशि उस परिशोधित लागत से अधिक नहीं होती है जो उस स्थिति में होती यदि क्षति की पहचान नहीं की जाती।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की पहचान तब रद्द कर देती है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और उसके बाद परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और प्रतिफलों को किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर देती है। यदि कंपनी स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित करती है और न ही उन्हें बरकरार रखती है और हस्तांतरित परिसंपत्ति को नियंत्रित करना जारी रखती है, तो कंपनी परिसंपत्ति में अपने बरकरार हित और भुगतान की जाने वाली धनराशि के लिए संबंधित देयता को मान्यता देती है। यदि कंपनी हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक बरकरार रखती है, तो कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है और प्राप्त आय के लिए संपार्श्विक उधार को भी मान्यता देती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की सम्पूर्णता में मान्यता पर, परिसंपत्तियों की अग्रणीत धनराशि तथा प्राप्त एवं प्राप्य प्रतिफल की धनराशि और संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे अन्य व्यापक आय में मान्यता दी गई थी तथा इक्विटी में संचित किया गया था, उनके बीच के अंतर को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

3.13 कराधान:

कर संबंधी व्यय:

अवधि के लिए कर संबंधी व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं। लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर, उस सीमा को छोड़कर जो अन्य व्यापक आय अथवा सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में कर को अन्य व्यापक आय अथवा इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

1. वर्तमान कर

वर्तमान कर में वर्ष के लिए देय/प्राप्त करने योग्य स्वीकृत कर तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय अथवा प्राप्त करने योग्य कर में कोई समायोजन शामिल होता है। इसे रिपोर्टिंग दर पर अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों और हानि का उपयोग करके मापा जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और देनदारियों की भरपाई केवल तभी की जाती हैं, यदि कंपनी;

क. मान्यता प्राप्त धनराशियों को समायोजित करने(सेट ऑफ) के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार के रूप में और

ख. इसका उद्देश्य या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना है, या फिर परिसंपत्तियों की वसूली करना है और साथ ही देयताओं का निपटान करना है।

2. आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत धनराशियों और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन धनराशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी अथवा आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना बन गई है कि भविष्य के कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की अनुमति देंगे।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देनदारी का निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है अथवा मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के साथ सहसंबंध में मान्यता दी जाती है, चाहे वह लाभ अथवा हानि में हो, अन्य व्यापक आय में हो अथ्वा सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रमुख घटकों का ब्यौरा, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार, आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का निपटान करने के बाद प्राप्त किया गया है, जहां कंपनी के पास देनदारियों के विरुद्ध परिसंपत्तियों को समायोजित (सेट ऑफ) करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां समान शासकीय कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए आय पर करों से संबंधित हैं।

दिनांक 31.03.21 तक मान्यता प्राप्त डी.टी.एल. के अतिरिक्त डी.टी.ए. को आगे नहीं बढ़ाया गया है तथा इसके अतिरिक्त, लेखांकन के गैर-चालू व्यवसाय आधार को देखते हुए किसी डी.टी.ए. को मान्यता नहीं दी जाएगी।

3.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सामान्य:

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर-पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देयताएं:

आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन लेखा-टिप्पणियों में उनका खुलासा किया जाता है, जब कंपनी पर अतीत की घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य में होने वाली घटनाओं के घटित होने अथवा न होने पर निर्भर करता है, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती हैं या जब दायित्वों की धनराशि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है अथवा नहीं। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

जहाँ कोई इकाई किसी दायित्व के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होती है, वहाँ दायित्व का वह भाग जिसे अन्य पक्षों द्वारा पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है, उसे आकस्मिक दायित्व माना जाता है। इकाई दायित्व के उस भाग के लिए प्रावधान को मान्यता देती है जिसमें आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित है, सिवाय अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों के जहाँ कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है। ऐसी आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और नोटों में तब प्रकट किया जाता है जब आर्थिक लाभ का आगमन संभावित हो जाता है अथवा यदि यह लगभग निश्चित है कि आर्थिक लाभ का आगमन होगा तो ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

संदिग्ध ऋण/अग्रिम/दावों के लिए प्रावधान

संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों के लिए प्रावधान किया जाता है, जहाँ बकाया धनराशि की अवधि के बावजूद वसूली की अनिश्चितता होती है। तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया (सरकारी बकाया को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है, जब तक कि धनराशि प्रबंधन अनुमान के अनुसार वसूली योग्य न मानी जाए।

3.15 प्रति शेयर आय:

प्रति इक्विटी मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मन्दित आय की गणना कंपनी के इक्विटी धारकों को देय शुद्ध लाभ को प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और सभी मन्दित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

3.16 खंड जानकारी:

मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय खंडों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनकी राजस्व वृद्धि और परिचालन आय के आधार पर किया जाता है।

कंपनी ने अपने परिचालन खंडों को निर्यात, आयात और घरेलू के रूप में पहचाना है। परिसंपत्ति और देयता का उपयोग कंपनियों के व्यवसाय में किया जाता है, जो भी परिचालन खंड पहचाने नहीं गए हैं उन्हें असंबद्ध परिसंपत्तियों/देयताओं के रूप में दिखाया गया है।

हस्ता./-
के. के. गुप्ता
डीआईआर-एफ-एमएमटीसी
डीआईएन - 08751137

हस्ता./-
एस. के. चावला
एसटीसी स्वतंत्र निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
डीआईएन - 09400987

हस्ता./-
बी.एस. राव
सीएफओ कंपनी सचिव

हस्ता./-
विपिन त्रिपाठी
एसीएस -29378

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लेखा नोट्स

4. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

(₹ लाख में)

	सकल ब्लॉक							अवमूल्यन और परिशोधन					संचित हानि		नेट ब्लॉक
	विवरण	01 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यह्रास	परिवर्धन	" निपटान/ समायोजन "	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य	01 अप्रैल 2023 तक संचित मूल्यह्रास	परिवर्धन	" निपटान/ समायोजन "	31 मार्च 2024 तक संचित मूल्यह्रास	01 अप्रैल 2023 तक	परिवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक वहन मूल्य	
मूर्त संपत्ति - फ्रीहोल्ड															
भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
मोटर वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट और संचार उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
विद्युत स्थापना और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
निपटान हेतु रखी गई अन्य परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कुल (क)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
मूर्त संपत्ति - पट्टा															
भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
सड़कें, पुलिया और सीवरेज आदि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
संयंत्र और मशीनरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
कुल (ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
कुल (क+ख)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
पिछले वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		

दिनांक 01.04.2021 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर लेखांकन नीति के आधार पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजीगत कार्य-प्रगति, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत पहले से समूहीकृत सभी संपत्तियां अब "निपटान के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति" में स्थानांतरित कर दी गई हैं और एसटीसी की अचल संपत्तियों के मूल्यांकन के अनुसार दिनांक 31.03.2021 को वहन मूल्यों पर दिखाई गई हैं, वर्तमान शीर्षक के आधार पर दिनांक 30.09.2023 को उचित मूल्य है: जेवीबी - 81,145 लाख रुपये, एसटीसीएचसी - 48,267 लाख रुपये और अन्य - 26,188 लाख रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से 318 लाख रुपये की हानि वसूल की गई। होल्डिंग कंपनी के नोट्स:-

(क) निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में शीर्षक/लीज विलेख निष्पादन हेतु

i. पट्टा-भूमि:-

▯ लीज होल्ड भूमि में एल एंड डीओ द्वारा दिनांक 05.12.1975 को "लीज के लिए समझौता ज्ञापन" के तहत कार्यालय भवन यानी जनपथ, नई दिल्ली में जवाहर व्यापार भवन के निर्माण के लिए आवंटित 2.599 एकड़ भूमि शामिल है, जिसके लिए कंपनी के नाम पर लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुई है।

▯ लीज होल्ड भूमि में 16.17 एकड़ भूमि (एसटीसी और एमएमटीसी के संयुक्त नाम पर आवंटित कुल भूमि 32.33 एकड़ का 50% हिस्सा) शामिल है, जिसे तत्कालीन एलएंडबी विभाग/डीडीए ने 05.02.1968 को अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली में हाउसिंग कॉलोनी के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन के माध्यम से आवंटित किया था। कंपनी के नाम पर आवंटित लीजहोल्ड भूमि के 50% क्षेत्र का सीमांकन करने वाला लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।

▯ लीजहोल्ड भूमि में मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (जहाँ एसटीसी का टैंक फार्म इंस्टॉलेशन है) में एक प्लॉट शामिल है, जिसके लिए लीज़ अवधि समाप्त हो गई है और दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर प्रमाणपत्र निष्पादित किया गया है। मैलेट बंदर में स्थापित टैंकों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और परिसंपत्तियों को इस समझ के साथ सौंप दिया गया है कि उनका मूल्य समायोजित किया जाएगा और एसटीसी को भुगतान किया जाएगा। इसलिए, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा।

ii. फ्रीहोल्ड भवन(बिल्डिंग):-

▯ फ्रीहोल्ड बिल्डिंग में एशियाई खेल गांव परिसर (एजीवीसी) में स्थित घर शामिल है, जिसे डीडीए द्वारा दिनांक 30.05.1984 के आवंटन पत्र के तहत आवंटित किया गया है, जिसे ओटीएस के तहत जहाँ है, वहीं के आधार पर निपटान के लिए चिह्नित किया गया है। संपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है।

▯ फ्री होल्ड बिल्डिंग में मुंबई में 7 अपार्टमेंट शामिल हैं (जिनमें से 2 वैलेस अपार्टमेंट ग्रांट रोड पर, 3 मंदार अपार्टमेंट पर, 1 श्यामसदन, खार (पश्चिम) पर और 1 लास पालमास, मालाबार हिल्स पर स्थित हैं), जिन्हें ओटीएस के तहत जहां है वहीं के आधार पर निपटान के लिए चिह्नित किया गया है। संपत्तियों का मूल्यांकन चल रहा है।

(ख) एलएंडडीओ द्वारा एसटीसी को (जवाहर व्यापार भवन) टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित कुल लीजहोल्ड भूमि में से 325.685 वर्ग मीटर भूमि एनडीएमसी द्वारा एशियाई खेलों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने के लिए ली गई तथा 388.91 वर्ग मीटर भूमि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो/मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए ली गई। कंपनी ने दोनों क्षेत्रों को कम करने के लिए एलएंडडीओ के साथ मामला उठाया है तथा मामले में अंतिम परिणाम आने के बाद इसके क्षेत्र और मूल्य के संबंध में रिकॉर्ड को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर/अनुसूची में अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में एलएंडडीओ के साथ नियमित आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) 12 अगस्त, 1991 को हुई 436वीं बोर्ड मीटिंग में "जवाहर व्यापार भवन बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस" की बिक्री के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके अनुसार 67,418 वर्ग फीट का कुल ऑफिस स्पेस सीसीआईसी और एचएचईसी को बेचा गया। इस प्रकार, सीसीआईसी और एचएचईसी अपने कब्जे वाली संपत्ति तक सीमित सह-स्वामी हैं।

5. पूंजीगत कार्य-प्रगति पर

(₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल 2023 तक शेष धनराशि	वर्ष के दौरान परिवर्धन/ (समायोजन)	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 तक शेष धनराशि
कार्यालय की इमारत	-	-	-	-
संयंत्र एवं उपकरण	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
पिछले वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**

6. निवेश संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	फ्रीहोल्ड		पट्टे पर दिया		कुल
	भूमि	भवन	भूमि	भवन	
1 अप्रैल, 2023 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 तक संचित मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक हानि	-	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक वहन मूल्य	-	-	-	-	-
पिछले वर्ष (निवल)	-	-	-	-	-

निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त धनराशियां

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेश संपत्तियों से प्राप्त किराये की आय	8,669.62	8,307.49
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	(977.68)	(972.92)
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से लाभ	**7,691.94**	**7,334.57**
मूल्यह्रास	-	-
निवेश संपत्तियों से लाभ	**7,691.94**	**7,334.57**

सहायक कंपनी के नोट्स:-

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की निवेश संपत्ति का उचित मूल्य बाहरी, स्वतंत्र संपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, जिनके पास उचित मान्यता प्राप्त पेशेवर योग्यताएं हैं और मूल्यांकन की जा रही संपत्ति के स्थान और श्रेणी में हालिया अनुभव है। कंपनी ने दिनांक 31.03.2024 तक अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त किए हैं और उचित मूल्य माप को स्तर III के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण [बाजार तुलनीय दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है जो समान संपत्तियों के लिए हाल के लेनदेन मूल्यों को दर्शाता

है/शुद्ध आय के पूंजीकरण की विधि, जहां संपत्तियों की सभी किराये की इकाइयों के बाजार किराये का आकलन किराये की इकाइयों में प्राप्त किराये के साथ-साथ पड़ोस में समान संपत्तियों के अन्य किराये के संदर्भ में किया जाता है। अपनाई गई पूंजीकरण दर इलाके में समान संपत्तियों के लिए मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा देखी गई उपज दरों के संदर्भ में बनाई गई है और संबंधित संपत्तियों/अन्य विधियों के लिए विशिष्ट कारकों के बारे में मूल्यांकनकर्ताओं के ज्ञान के आधार पर समायोजित की गई है। संपत्तियों के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, संपत्तियों का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग उनका वर्तमान उपयोग है।

7. अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
1 अप्रैल, 2023 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक सकल वहन मूल्य	-	-	-
1 अप्रैल, 2023 तक संचित परिशोधन	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक संचित परिशोधन	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक वहन मूल्य	-	-	-
पिछले वर्ष (नेट)	-	-	-

8. निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निवेश		
मौजूदा		
दीर्घकालिक		
गैर उद्धत (अनकोटेड) निवेश		
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश ~ सहायक कंपनी *		
एसटीसीएल लिमिटेड (100% होल्डिंग)		
1,50,000 (प्रत्येक 100 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)		
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि		
निवल	-	-
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश ~ संयुक्त उद्यम **		
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड		
2,00,000 (प्रत्येक 10 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	20.00	20.00
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	20.00	20.00
निवल	-	-
अन्य		
सी लैक एग्रो वेंचर्स लिमिटेड		
1,00,000 (प्रत्येक 10 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	10.00	10.00
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	10.00	10.00
निवल	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास		
10,000 (प्रत्येक 100 रुपये के पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर)	10.00	10.00
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	10.00	10.00
निवल	-	-
100 (प्रत्येक 1000/- रुपये के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर)	1.00	1.00
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	-	-
निवल	1.00	1.00
सिंधु पुनर्वास#	0.13	0.13
4 (प्रत्येक 1000/- रुपये के पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर)	0.09	0.09
घटाएँ: निवेश के मूल्य में हानि	0.04	0.04
निवल	**1.04**	**1.04**
कुल	**1.04**	**1.04**

होल्डिंग कंपनी के नोट

*केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त, 2013 की अपनी बैठक में एसटीसी की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स एसटीसीएल लिमिटेड को बंद करने को मंजूरी दी है। तदनुसार, सहायक कंपनी ने दिनांक 26.11.2013 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में समापन याचिका दायर की है। हालांकि, सहायक कंपनी के बैंकरों ने भी ऐसी समापन याचिका के खिलाफ याचिका दायर की है क्योंकि उनका बकाया धनराशि वसूली के लिए लंबित है। मामला अभी भी माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, सहायक कंपनी (एसटीसी की 100% सहायक कंपनी) में निवेश की पूरी धनराशि रु. 282 लाख (रु. 282 लाख) (1/- रुपये का नाममात्र मूल्य रखते हुए) प्रदान की गई है क्योंकि सहायक कंपनी का शुद्ध मूल्य पूरी तरह से खत्म हो गया है।

**संयुक्त उद्यम कंपनी (एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) में 10 लाख रुपये (10 लाख रुपये) का निवेश भी पूरी तरह से किया गया है, क्योंकि कंपनी का नेटवर्थ पूरी तरह से खत्म हो गया है।

सहायक कंपनी के नोट्स

प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2008-09 के दौरान, नैफेड(एनएएफईडी) द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया । दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एसटीसीएल लिमिटेड, यानी "एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

चूंकि संयुक्त उद्यम कंपनी घाटे में चल रही है और 31 मार्च, 2013 तक इसका संचयी घाटा 30,13,372 रुपये है, जबकि कुल शेयर पूंजी 40,00,000/- रुपये है, इसलिए कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान अपने निवेश मूल्य (लागत 10,00,000) में स्थायी कमी के लिए 7,53,343/- रुपये प्रदान किए हैं, क्योंकि एनएसएस सतपुड़ा का लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए पुस्तकों में आगे का भत्ता, यदि कोई हो, तो उसे मान्यता नहीं दी गई है। कंपनी बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2013 को आयोजित अपनी 142वीं बोर्ड बैठक में संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसएसएसएडीसीएल से वापसी के लिए मंजूरी दे दी।

9. व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. गैर-वर्तमान		
i. सुरक्षित ~ अच्छा माना गया *	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	-
iii. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना **	-	-
iv. ऋण हानि	-	-
उप योग	-	-
घटाएँ : खराब और संदिग्ध प्राप्य के लिए भत्ता	-	-
कुल (क)	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ख. वर्तमान		
i. सुरक्षित, अच्छा माना गया *	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	-
iii. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना **	106,960.49	106,946.18
iv. ऋण हानि	65,551.17	65,551.17
उप योग	**172,511.66**	**172,497.35**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	65,551.17	65,551.17
	106,960.49	106,946.18
कुल (ख)	**106,960.49**	**106,946.18**
कुल (क+ख)	**106,960.49**	**106,946.18**

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची (₹ लाख में)

विवरण	देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - ऋण क्षतिग्रस्त	-	-	-	-		-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छे माने जाते हैं	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	106,960.49	106,960.49
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण हानि	-	-	-	-	65,551.17	65,551.17

होल्डिंग कंपनी के नोट्स:

**1,72,511.66 लाख रुपये की कुल व्यापार प्राप्य धनराशि में से 1,06,960.49 लाख रुपये "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि वाले" भी विवाद/मुकदमेबाजी के अधीन हैं (प्रमुख कानूनी मामलों के विवरण के लिए नोट संख्या 39 देखें)।

व्यापार प्राप्य जिसके विरुद्ध विवाद/कानूनी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, को "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" वाला माना गया है। कंपनी का मानना है कि भले ही अंततः कोई धनराशि वसूल न हो पाए, लेकिन ऋण जोखिम के लिए किसी ऋण हानि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋणदाता को कंपनी द्वारा केवल उस सीमा तक भुगतान किया जाएगा, जितनी धनराशि देनदारों से वसूल की जाती है।

सहायक कंपनी के नोट्स:

सीडब्ल्यूसी प्रबंधन के अधीन उनके परिसर में स्टॉक की हाई सीज सेल और गिरवी के प्रति देनदारों में से एक से 2,07,78,442/- रुपये [ब्याज और व्यापार मार्जिन को छोड़कर] बकाया थे। चूंकि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए कंपनी ने देनदार द्वारा कंपनी के पक्ष में निष्पादित व्यक्तिगत कॉर्पोरेट गारंटी को लागू किया और एनआईएक्ट की धारा 138 के तहत मामले दर्ज किए। कंपनी ने पिछले वर्षों में 2,07,78,442/- रुपये का पूरा प्रावधान किया है।

दावों की वसूली के लिए दिनांक 30.09.2013 को आर्बिट्रल अवार्ड कंपनी के पक्ष में आया। देनदार ने मध्यस्थता निर्णय(आर्बिट्रल अवार्ड) को न्यायालय में चुनौती दी है और कंपनी ने अपनी आपत्ति दर्ज की है। पार्टी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 19,25,000/- रुपये की धनराशि का भुगतान किया है, जिसे पहले के प्रावधानों में उलट दिया गया है और 1,88,53,442/- का शेष रह गया है। एमसीएएल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें एमसीएएल और उसके निदेशकों के खिलाफ एसटीसीएल द्वारा दायर चेक बाउंस मामलों को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी और एसटीसीएल एमसीएएल द्वारा दायर याचिकाओं पर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में है।

एक अन्य देनदार आर. पियारेलाल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता (आरपीआईईएल) से 17,10,36,656 रुपये बकाया हैं। कंपनी ने स्टॉक को अनधिकृत रूप से उठाने के लिए आरपीआईईएल और सीएंडएफ एजेंट के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक निजी शिकायत दर्ज की है, जिसे बेंगलुरु में अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को भेज दिया गया है। चूंकि पुलिस द्वारा बी रिपोर्ट दायर की गई थी। कंपनी ने बी रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें फिर से जांच का अनुरोध किया गया है, जिसे न्यायालय ने दिनांक 21.12.2019 को अनुमति दी थी और आरोपी के खिलाफ नया आपराधिक मामला दर्ज किया गया है और मामला प्रगति पर है। कंपनी ने बिना भुगतान किए चेक की वापसी के लिए परक्राम्य लिखत(निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट)

अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई शुरू की है और मामला प्रगति पर है। इसके अलावा कंपनी ने आरपीएफपीएल के निदेशक द्वारा जारी व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया है और भुगतान न करने के खिलाफ कंपनी ने कोलकाता उच्च न्यायालय में वसूली का मुकदमा दायर किया है। दिनांक 23.03.2016 को मध्यस्थता निर्णय कंपनी के पक्ष में आया।

कंपनी ने शुरुआती वर्षों में 17,10,36,656/- रुपये का पूरा प्रावधान किया है। कंपनी ने उक्त देनदार के खिलाफ एनसीएलटी, कोलकाता के समक्ष आईबीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत एक याचिका भी दायर की है और इसके अलावा कंपनी वित्तीय लेनदारों के रूप में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य के साथ आईबीसी कार्यवाही में शामिल हुई है। समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया और लेनदारों की समिति ने रायथेम ओवरसीज ट्रेड लिमिटेड, जो पहले आरपीआईईएल थी, के परिसमापन का फैसला किया। एनसीएलटी, कोलकाता ने दिनांक 06.01.2021 को आईबीसी, 2016 की धारा 33(2) के तहत कॉर्पोरेट देनदार, रायथेम ओवरसीज ट्रेड लिमिटेड के परिसमापन और श्री अभिजीत जैन को परिसमापक के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद एसटीसीएल ने दिनांक 19.02.2021 को परिसमापक के समक्ष 39.26 करोड़ रुपये का दावा दायर किया और अगली तारीख का इंतजार है।

चेन्नई में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के परिसर में रखे स्टॉक की हाई सी सेल और गिरवी के बदले में एक अन्य देनदार से 8,96,18,184/- रुपए बकाया हैं (जिसके लिए पिछले वर्षों में प्रावधान किया गया था)। चूंकि भुगतान प्राप्त नहीं हुए थे। कंपनी ने एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत देनदार द्वारा निष्पादित व्यक्तिगत कॉर्पोरेट गारंटी का आह्वान किया। एसटीसीएल बकाया धनराशि की वसूली के लिए उपलब्ध स्टॉक के परिसमापन के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ संभावनाओं की खोज कर रहा है।

एसटीसीएल ने मध्यस्थता शुरू की थी और दिनांक 19.06.2016 को सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी क्योंकि मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी हो गई थी और दिनांक 20.06.2017 के आदेश के अनुसार एसटीसीएल के पक्ष में 8,96,18,184/- रुपये की धनराशि देने का निर्णय दिया गया था, हालांकि एसजीएसआरएमएल ने इस निर्णय को शहर के सिविल कोर्ट बैंगलोर में चुनौती दी है जो कि अभी चल रहा है। कंपनी द्वारा एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर मामला खारिज कर दिया गया है और कंपनी ने आदेश को चुनौती दी है और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है, मामला लंबित है।

एसटीसीएल ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अपने स्टीम यूटिलाइजेशन प्लांट के वाणिज्यिक संचालन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की। मेसर्स एटेक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कोल्लम (एटीईएम) सफल बोलीदाता था और एसटीसीएल लिमिटेड, एटीईएम और मसाला बोर्ड के बीच दिनांक 30/09/2013 को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा एटीईएम ने एसटीसीएल और स्पाइसेस बोर्ड को मासिक पट्टा धनराशि का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण स्पाइसेस बोर्ड ने एटीईएम द्वारा प्रदान की गई 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी का लाभ उठायाा। एटीईएम ने एसटीसीएल और स्पाइसेसा बोर्ड के खिलाफ मध्यस्थता शुरू की और केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति ए हरिप्रसाद को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया। मध्यस्थता की कार्यवाही पूरी होने के बाद एटीईएम का दावा खारिज कर दिया गया और एसटीसीएल के जवाबी दावे को आंशिक रूप से अनुमति दी गई खाता बही में दिखाई गई 17,13,570/- रुपये की धनराशि में केवल पट्टे की धनराशि शामिल है, लेकिन इसमें व्यावसायिक हानि, क्षति जैसी अन्य लागतें शामिल नहीं हैं।

10. ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. सुरक्षा जमा		
कुल (क)	-	-
ख. अन्य को ऋण		
(ख)	-	-
ग. कर्मचारियों को ऋण		
कुल (ग)	-	-
मौजूदा	-	-
क. सुरक्षा जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	3,288.65	3,254.43
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	7.13	7.13
उप योग	**3,295.78**	**3,261.56**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
घटाएँ: खराब और संदिग्ध जमा के लिए भत्ता	7.13	7.13
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन-एसडी	-	-
कुल (क)	**3,288.65**	**3,254.43**
ख. संबंधित पक्ष को ऋण		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	0.20	0.20
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
उप योग	**0.20**	**0.20**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
कुल (ख)	**0.20**	**0.20**
ग. कर्मचारियों को ऋण		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है *	43.47	74.25
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	5.09	5.05
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	-
जोड़ें: अर्जित ब्याज	199.28	240.89
उप योग	**247.84**	**320.19**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	-	-
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन (कर्मचारियों को ऋण)	-	-
कुल (ग)	**247.84**	**320.19**
कुल (क+ख+ग)	**3,536.69**	**3,574.82**

सहायक कंपनी के नोट्स:

संदिग्ध ऋण और अग्रिम धनराशि में लौह अयस्क चूर्ण की खरीद और उसके निर्यात के लिए सहयोगी शिपर्स को दिया गया अग्रिम शामिल है, जिसके लिए पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया है।

एक व्यावसायिक सहयोगी(बिजनेस एसोसिएट) से 12,64,02,768/- रुपये [ब्याज को छोड़कर] बकाया है, जो लगभग 29,400 मीट्रिक टन लौह अयस्क चूर्ण [हैंडलिंग और भंडारण हानि तथा लंबी भंडारण अवधि के खाते के अधीन] के स्टॉक के संबंध में है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार लगभग 3,38,10,000/- रुपये है। स्टॉक विजाग में सीएंडएफ एजेंट की निगरानी में हैं और कस्टोडियन शुल्क का दावा 1,66,95,220/- रुपये है। इसके अलावा बिजनेस एसोसिएट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिका दायर की, जिसे न्यायालय ने अनुमति नहीं दी और एफआरआईपीएल द्वारा एएंडसी अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर निषेधाज्ञा आवेदन को भी न्यायालय ने खारिज कर दिया।

6,85,78,122/- रुपये [ब्याज को छोड़कर] एक व्यावसायिक सहयोगी से बकाया थे, मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। एसटीसीएल के पक्ष में 8.00 करोड़ रुपये का मध्यस्थता निर्णय पास किया गया था, जिसे पार्टी ने बैंगलोर शहर के सिविल कोर्ट में चुनौती दी थी। एसटीसीएल ने अपील पर आपत्ति दर्ज की थी और मामले की सुनवाई के बाद मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ पार्टी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था। कंपनी द्वारा 8.00 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जब्त कर ली गई थी। इसके अलावा पार्टी ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है। हमने मौजूदा डेबिट बैलेंस में प्राप्त धन को समायोजित कर लिया है और इसलिए आज की तारीख में शेष धनराशि शून्य है।

एक अन्य व्यावसायिक सहयोगी से 12,38,13,723 रुपये [ब्याज को छोड़कर] बकाया है। कंपनी पार्टी के खिलाफ कानूनी/वसूली के मामले चला रही है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. 12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमा:	-	-
ख. वसूली योग्य दावे	**-**	**-**
ग. जमा	**-**	**-**
घ. अन्य विविध	-	-
कुल (क+ख+ग+घ)	**-**	**-**
मौजूदा		
क. अर्जित ब्याज:		
- 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	-	-
- 3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	47.85	35.15
- 3 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	**-**	**-**
ख. सावधि जमा - अन्य जमा (फ्लेक्सी जमा)	1,100.10	1,192.29
ग. जमाराशियों/टी बिलों पर अर्जित लेकिन देय नहीं ब्याज	217.83	166.10
घ. ट्रेजरी बिल	8,675.04	20,623.83
उप योग	**10,040.82**	**22,017.37**
ङ. वसूली योग्य दावे		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता	152.44	152.43
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	3,465.39	3,747.86
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	3,152.94	3,147.80
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	118,479.75	118,478.95
उप योग	**125,250.52**	**125,527.04**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	118,479.75	118,478.95
(ङ.)	**6,770.77**	**7,048.09**
च. सुरक्षा जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	1,088.32	1,088.32
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	569.96	569.96
उप योग	**1,658.28**	**1,658.28**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	**569.96**	**569.96**
(च)	**1,088.32**	**1,088.32**
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**17,899.91**	**30,153.77**
कुल (अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां)**	**17,899.91**	**30,153.77**

* ग्रहणाधिकार के अंतर्गत

** प्रमुख मामलों के विवरण के लिए नोट संख्या 39 देखें

सहायक कंपनी के नोट्स:

ऋण और अग्रिम में रु. 11,55,25,17,085/- [प्रतिभूति जमा/मार्जिन धनराशि का शुद्ध] शामिल है, जिसे व्यावसायिक सहयोगियों से प्राप्त होने वाले दावों के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने व्यावसायिक सहयोगियों की लागत और जोखिम पर व्यापारिक व्यापार के लिए धातु स्क्रैप- [निकेल/कॉपर स्क्रैप] के आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर ऋण पत्र जारी किए। सहयोगी/खरीदार ऋण पत्रों की देय तिथियों से पहले भुगतान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे और इसके परिणामस्वरूप कंपनी पर साख पत्र(एलसी) का हस्तांतरण हुआ। उपर्युक्त व्यावसायिक सहयोगी से देय शुद्ध धनराशि रु. 11,55,25,17,085/- है, जो 885 कंटेनरों में भरे कार्गो की लागत के रूप में है, जिनमें निकेल और कॉपर स्क्रैप होने का अनुमान था, जो दक्षिण कोरियाई और वियतनाम बंदरगाहों पर पड़े थे। भुगतान प्राप्त न होने के कारण, कंपनी द्वारा कुछ कंटेनर खोले गए, जिनमें निकेल और कॉपर स्क्रैप के स्थान पर आयरन स्क्रैप पाया गया। पोर्ट अधिकारियों द्वारा कंटेनरों की नीलामी की गई। कार्गो का आयरन/स्टील स्क्रैप के रूप में मूल्यांकन किए जाने और नीलामी बिक्री मूल्य 206 से 250 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के बीच होने के मद्देनजर, कंपनी ने विदेशी विक्रेता व्यापार सहयोगियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण एजेंसी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की हैं और भारत में दर्ज सभी आपराधिक शिकायतों को सीबीआई नई दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया है। सीबीआई ने मामले की जांच की और 7 दिसंबर, 2016 को XXI अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायाधीश और सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश बैंगलोर (सीसीएच -4) की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिसंबर 2011 में एसटीसीएल और उसके चार अधिकारियों, व्यापार सहयोगियों और एसटीसीएल के 8 बैंकरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। इसके अलावा विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, चेन्नई ने दिनांक 25.03.2014 को कंपनी को बुलाया जांच पूरी होने के बाद, विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशक चेन्नई ने एक आदेश पास किया, जिसका नाम था एसडीई/एसआरओ/बीजीजेडओ/01/2018(केआरयूबी) दिनांक 30.01.2018, जिसके तहत एसटीसीएल को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा) के प्रावधान और विशेष रूप से (फेमा) की धारा 10 (6) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और समर्पण विनियमन) 2000 के नियमन 6(1) के साथ पठित करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

इस आदेश के तहत ईडी ने 10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है और 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया है तथा उपर्युक्त आदेश के खिलाफ अपील तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति जब्ती) नई दिल्ली के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में होगी। एसटीसीएल ने दिनांक 09.03.2018 को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है, जिसमें एसटीसीएल के खिलाफ लगाए गए आरोपों और लगाए गए जुर्माने को हटाने की प्रार्थना की गई है। एसटीसीएल ने दिनांक 09.03.2018 को अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील संख्या एफई-12/सीएचएन/2018 के तहत अपील दायर की है और मामला प्रगति पर है।

कंपनी ने व्यावसायिक सहयोगियों से धनराशि की वसूली के लिए सिविल और आपराधिक कार्यवाही शुरू की है और इस संबंध में कंपनी ने व्यावसायिक सहयोगियों के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, जिसमें उनकी और समूह कंपनियों की 154 एकड़ भूमि शामिल है, जिसके लिए व्यावसायिक सहयोगियों ने प्रभार सृजन के लिए बैंकों के संघ के अग्रणी बैंक एसबीआई को मूल स्वामित्व विलेख प्रस्तुत कर दिए हैं।

कंपनी ने चेक का भुगतान न किए जाने के कारण उसे वापस लौटाने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत व्यापारिक सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है तथा मामला निपटान के लिए न्यायालय में लंबित है।

एफएमपीएल/एफईआईपीएल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी को खारिज किए जाने के बाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.04.2017 के अपने आदेश के तहत उन्हें फिर से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। उन्होंने मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 18.05.2017 को उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया था। हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए मध्यस्थता का पद छोड़ दिया और एसटीसीएल ने नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 06.09.2017 के अपने आदेश के तहत कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को मामले का फैसला सुनाने के लिए नियुक्त किया। कंपनी ने मध्यस्थता शुल्क जमा कर दिया है और मध्यस्थता कार्यवाही प्रगति पर है।

चूंकि अनुबंध के अनुसार क्रेताओं/सहयोगियों से भुगतान प्राप्त न होने के कारण इन लेन-देन में बिक्री संपन्न नहीं हुई है, इसलिए हस्तांतरित एल.सी. [खरीद-धातु स्क्रैप (आयात)] के लिए देय राशि को व्यापार सहयोगी के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और अनुबंध की शर्तों के अनुसार इसे 'व्यापार सहयोगी से प्राप्य दावा' के रूप में माना गया।

इस संबंध में, कंपनी ने व्यावसायिक सहयोगी की संपत्तियों पर न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। कंपनी ने जनवरी, 2012 के दौरान पंजाब में स्थित भूमि के मूल्य का आकलन करने के लिए सरकारी और बैंकों के पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की सेवाएं ली थीं। दिनांक 20.01.2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट से 2382.91 बीघा को एकड़ में परिवर्तित करते समय भूलवश इसे 578 एकड़ के रूप में दर्शाया गया, जबकि पिछले वर्ष के खातों में यह 501.66 एकड़ था (4.75 बीघा 1 एकड़ के बराबर, 20 बिस्वा 1 बीघा के बराबर)। इसके अलावा 2382.91 बीघा (501.66 एकड़) का मूल्यांकन दिनांक 20.01.2012 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 548.45 करोड़ रुपये था, जो दिनांक 02.12.2016 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार घटकर 400.28 करोड़ रुपये हो गया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

(धनराशि भारतीय रुपये में)

संपत्तियों का विवरण	औसत मूल्य	
व्यावसायिक सहयोगियों की अचल संपत्तियां :		
मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित 02.12.2016. के अनुसार भूमि [501.66 एकड़] पंजाब में स्थित है ।	4,002,800,000	
नई दिल्ली में स्थित कार्यालय भवन [9000 वर्गफुट]	296,900,000	
चेन्नई में स्थित भूमि [9 एकड़]	402,500,000	
मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित 18.06.2013 के अनुसार भूमि [29.951 एकड़] महाराष्ट्र में स्थित है ।	256,321,000	
गुजरात में स्थित भूमि [202.618 एकड़]	200,000,000	5,158,521,000.0
व्यावसायिक सहयोगियों की चल संपत्तियां :		
यूनिवर्सल पेवर्स प्राइवेट लिमिटेड, तूतीकोरिन के शेयर [45000]		169,800,000.0
कुल		**5,328,321,000.0**

प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आदेश संख्या एफ.सं. ईसीआईआर/बीजीसीओ/25-26/2009 दिनांकित 31.03.2018 के तहत एफएमपीएल/एफईआईपीएल और इसकी समूह कंपनियों की 39 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है।

एफएमपीएल/एफईआईपीएल और इसकी समूह कंपनियों की संपत्तियों पर एसटीसीएल/बैंकों के पक्ष में स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने और प्रभार सृजित करने के लंबित कार्य को देखते हुए, पर्याप्त एहतियात के तौर पर पूर्ण प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त लेन-देन में अनियमितताओं के मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही पर जांच रिपोर्ट के आधार पर, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 07.05.2014 के तहत तीन अधिकारियों को बर्खास्तगी, पांच अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति और एक अधिकारी को दो स्तर की वेतन वृद्धि में कटौती की सजा दी थी। दो बर्खास्त अधिकारियों द्वारा की गई अपील पर, अपीलीय प्राधिकारी, यानी एसटीसीएल के बोर्ड ने बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाया। इसके अलावा अन्य पांच अधिकारियों द्वारा की गई अपील पर विचार करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी ने 26 सितंबर, 2016 को आयोजित अपनी 154वीं बोर्ड बैठक में अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा।

वीएसएस के लिए आवेदन करने वाले दो कर्मचारियों को 4,52,929 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया था और जिसके लिए कंपनी ने वसूली का मुकदमा दायर किया है जो निपटान के लिए लंबित है।

12. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और देयताएं निम्नलिखित के कारण हैं: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. आस्थगित कर देयता		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	-	-
उप योग	**-**	**-**
ख. आस्थगित कर संपत्ति		
प्रावधान	-	-
उप योग	**-**	**-**
ग. एमएटी क्रेडिट पात्रता	**1,616.96**	**1,367.36**
शुद्ध आस्थगित कर (देयताएं)/ संपत्तियां	**1,616.96**	**1,367.36**

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान स्थगित कर शेष में परिवर्तन (₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2023 तक शेष धनराशि	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त
प्रारंभिक जमा	1,367.36	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	269.14	-
वर्ष के दौरान विलोपन	(19.55)	(19.55)
जमा शेष	**1,616.96**	**19.55**

भविष्य के वर्षों में कंपनी को मान्यता प्राप्तएमएटी क्रेडिट उपलब्ध होगा (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्ष 2014-15 (वित्तीय वर्ष 31.03.2025 तक ऋण उपलब्ध)	401.08	401.08
वर्ष 2016-17 (वित्तीय वर्ष 31.03.2027 तक ऋण उपलब्ध)	758.82	758.82
वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष 31.03.2028 तक ऋण उपलब्ध है)	187.91	187.91
वर्ष 2022-23 वित्तीय वर्ष 31.03.2038 तक क्रेडिट उपलब्ध है)	-	19.55
वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 31.03.2039 तक क्रेडिट उपलब्ध है)	269.14	-
कुल	**1,616.96**	**1,367.36**

13. कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ		
टीडीएस सहित अग्रिम कर	2,127.41	14,859.98
टीडीएस		
वर्तमान कर देयताएं		
देय आयकर/प्रावधान	1,068.70	12,170.74
कुल	**1,058.71**	**2,689.24**

14. अन्य परिसंपत्तियाँ (गैर-वित्तीय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. व्यापार अग्रिम	-	-
ख. अन्य विविध अग्रिम	-	-
ग. सुरक्षा जमा	-	-
घ. उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत	-	-
ङ. आस्थगित उचित मूल्यांकन हानि- प्राप्य जमा	-	-
च. वसूली योग्य दावे	-	-
कुल (क से च)	-	-
वर्तमान		
क. पूंजीगत अग्रिम		
i. सुरक्षित, अच्छा माना गया	-	-
ii. असुरक्षित अच्छा माना जाता है	25.53	25.53
iii. क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
iv. ऋण हानि	-	-
उप योग	**25.53**	**25.53**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	-	-
(क)	**25.53**	**25.53**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ख. व्यापार अग्रिम		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	1.15	1.15
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	0.58	0.83
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	9,121.19	9,121.19
उप योग	9,122.92	9,123.17
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	9,121.19	9,121.19
(ख)	**1.73**	**1.98**
ग. सुरक्षा जमा		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	137.58	137.59
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	436.60	434.65
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	135.33	135.33
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	138.14	138.14
उप योग	**847.65**	**845.71**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता	138.14	138.14
(ग)	**709.51**	**707.57**
घ. अन्य		
प्रीपेड खर्चे	-	-
टीए अग्रिम	0.02	0.02
व्यय के लिए अग्रिम	43.98	45.94
जीएसटी इनपुट	420.15	409.56
वैट प्राप्य - इनपुट/सेवा कर क्रेडिट	28.79	28.79
अन्य	8.91	26.53
जमा	3.34	3.34
(घ)	**505.19**	**514.18**
ङ. उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत	**-**	**-**
च. आस्थगित उचित मूल्यांकन हानि- प्राप्य जमा	-	-
छ. वसूली योग्य दावे		
I. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
II. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
III. ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होना	-	-
IV. क्रेडिट क्षतिग्रस्त	0.32	417.54
उप योग	**0.32**	**417.54**
घटाएँ: खराब और संदिग्ध दावों के लिए भत्ता	0.32	417.54
(छ)	-	-
कुल (क से छ)	**1,241.96**	**1,249.26**

विस्तृत जानकारी के लिए नोट संख्या 39 देखें

सहायक कंपनी के नोट्स:-

14,74,347 रुपये एसटीसीएल द्वारा वर्ष 2007-08 से पहले नागरिक आपूर्ति/निविदा कारोबार करते समय भुगतान की गई सुरक्षा जमा धनराशि से संबंधित हैं। यह धनराशि पिछले वर्षों में और चालू वर्ष में भी रखी गई थी, क्योंकि चूककर्ता व्यवसाय सहयोगी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।

2,00,000 रुपये की उपर्युक्त जमा धनराशि दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास लीज किराये के लिए जमा धनराशि से संबंधित है, 20,000 रुपये मासिक किराये के साथ दस महीने के किराये के लिए राशि रखी गई है।

एक उर्वरक कंपनी से 1,14,970/- रुपए बकाया हैं और यह एसटीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए उर्वरक वितरण व्यवसाय से संबंधित है। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि यह धनराशि वसूली योग्य है या नहीं और इस धनराशि को बनाए रखना है या बट्टे खाते में डालना है।

13,96,838/- रुपये का सेवा कर क्रेडिट और 7,91,704/- रुपये का वैट क्रेडिट जीएसटी व्यवस्था से पहले का है और चूंकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 148 के अनुसार संक्रमणकालीन क्रेडिट सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए कंपनी इस संबंध में एक विशेषज्ञ की राय लेना चाहती है और सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, खाता बही में इसे बनाए रखने या बट्टे खाते में डालने के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

कंपनियों की नीति के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में उपदान(ग्रेच्युटी) का मूल्यांकन किया जाता है। ऊपर दर्शाई गई धनराशि में 31 मार्च 2024 तक की शेष धनराशि के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष में किए गए भुगतान शामिल हैं।

15. मालसूची

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. हैंडलिंग एजेंट/स्थानीय एजेंट सहित व्यापार में स्टॉक	-	-
ख. स्टोर और स्पेयर्स	3.20	4.62
ग. पैकिंग सामग्री	-	-
घ. स्टेशनरी	1.50	1.20
कुल	**4.70**	**5.82**

16. नकद और नकद समतुल्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
हाथ में नकदी	0.15	0.07
हाथ में चेक, ड्राफ्ट		
टिकटें एवं स्टाम्प पेपर* (नकदी सहित)	0.09	0.09
बैंकों के पास शेष धनराशि		
- नकद क्रेडिट खाता - डेबिट बैलेंस	-	-
- चालू खाते	1,091.59	27.21
- विदेशी मुद्रा में चालू खाता - ईईएफसी	1.03	1.03
उप योग	**1,092.86**	**28.40**
अन्य बैंक बैलेंस		
- 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा*	19,031.66	1,576.80
उप योग	**19,031.66**	**1,576.80**
कुल	**20,124.52**	**1,605.20**

* 19031.66 लाख रुपये की सावधि जमा राशि 3 महीने से पहले ही परिपक्व हो गई।

17. बैंक बैलेंस

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मौजूदा		
क. बैंकों के पास शेष राशि		
- अदत्त लाभांश शेष खाता	-	-
- मार्जिन मनी/अंडर लियन के रूप में	**17.96**	**17.96**
- 3 महीने से अधिक और 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाओं में	**-**	**-**
कुल	**17.96**	**17.96**

सहायक कंपनी के नोट्स:-

17,95,742 रुपये तीसरे देश के व्यापारिक व्यापार के लिए बैंकों के साथ मार्जिन मनी से संबंधित हैं। चूंकि बैंकों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है और ओटीएस प्रस्ताव अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस धनराशि को बैंकों के पास शेष धनराशि के रूप में चालू परिसंपत्ति के तहत दिखाया गया है।

18. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अधिकृत		
इक्विटी शेयर		
10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर	2,000.00	2,000.00
जारी, सब्सक्राइब्ड और पूर्णतः भुगतान किया गया		
इक्विटी शेयर	**6,000.00**	**6,000.00**
10/- रुपये प्रति शेयर मूल्य के 6,00,00,000 इक्विटी शेयर	**6,000.00**	**6,000.00**

शेयर पूंजी का समाधान:

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयर खोलना	6,000.00	6,000.00
जोड़ें: - शेयरों की संख्या, वर्ष के दौरान जारी/अभिदत्त शेयर पूंजी	-	-
जमा शेष	6,000.00	6,000.00

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारक का नाम		
- भारत के राष्ट्रपति (90% शेयरधारिता)	54,000,000	54,000,000
- अन्य	-	-

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर				वर्ष 2021-22 दौरान
क्र. सं.	**प्रमोटर का नाम**	**शेयरों की संख्या****	**कुल शेयरों का %****	**% परिवर्तन**
1	भारत के राष्ट्रपति	54,000,000	90%	-
कुल		**54,000,000**		**-**

19. अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष धनराशि	6,553.10	6,553.10
घटाएँ: सीओ को अंतरित प्रारंभिक शेष धनराशि	-	-
जोड़ें: स्थायी परिसंपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के कारण सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि विवरण में अधिशेष शेष से अंतरित धनराशि	-	-
जमा शेष	**6,553.10**	**6,553.10**
पूंजी रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	250.00	250.00
जोड़ें: लाभांश		
जमा शेष	**250.00**	**250.00**
प्रतिधारित कमाई		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष धनराशि	(5,88,523.62)	(5,73,797.82)
जोड़ें/घटाएँ : सीओ को अंतरित प्रारंभिक शेष धनराशि	(15,948.67)	(4,018.44)
जोड़ें: वर्ष का लाभ	5,107.23	3,178.79
बोनस रिजर्व से स्थानांतरण	-	-
बोनस रिजर्व में स्थानांतरण	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व के पुनः मापन से उत्पन्न अन्य व्यापक आय, आयकर के बाद शुद्ध	2,111.22	2,062.52
जमा शेष	**(5,65,356.50)**	**(5,72,574.95)**
पुनर्मूल्यांकन भंडार (रिजर्व)		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष धनराशि	88,460.18	88,460.18
घटाएँ : स्थायी परिसंपत्तियों पर हानि	(317.88)	-
जोड़ें : अन्य समायोजन	-	-
जमा शेष	**88,142.30**	**88,460.18**
अन्य रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	1,084.80	1,084.80
जोड़ें: कोई अन्य परिवर्तन		
जमा शेष	**1,084.80**	**1,084.80**
बोनस रिजर्व		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष राशि	0.33	0.33
बोनस रिज़र्व में स्थानांतरण (सेट ऑन)	-	-
बोनस रिजर्व से स्थानांतरण (सेट ऑफ)	-	-
जमा शेष	**0.33**	**0.33**
कुल	**(4,69,325.97)**	**(4,76,226.54)**

सहायक कंपनी के नोट्स

क. कंपनी ने इस अवधि के दौरान सामान्य/आकस्मिक रिजर्व में कोई धनराशि अंतरित नहीं की है (पिछले वर्ष के दौरान अंतरण शून्य था)।
ख. आईटीएफजी 8 के अनुरूप, 1 अप्रैल, 2016 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व की राशि को अन्य इक्विटी में अलग मद के रूप में रखा गया है।
ग. कंपनी लंबे समय से आकस्मिक रिजर्व रख रही है। बोर्ड द्वारा मामले को मंजूरी मिलने के बाद आकस्मिक रिजर्व को बट्टे खाते में डालने का काम किया जाएगा।

20. उधारी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कुल	-	-
मौजूदा	-	-
I. सावधि ऋण:		
II. कार्यशील पूंजी ऋण:	-	-
क. बैंकों से		
- नकद ऋण	80,623.24	80,623.24
ख. अन्य से	-	-
कुल	**80,623.24**	**80,623.24**

"बैंक को देय ब्याज राशि का भुगतान करने में कंपनी द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू की है और सिंडिकेट बैंक ने भी एनसीएलटी कार्यवाही शुरू की है। कंपनी ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के साथ 31.12.18 तक 1,90,624 लाख रुपये की राशि तय की गई है। केनरा बैंक (ई-सिंडिकेट बैंक) को 110000 लाख रुपये का आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जेएलएफ के नेता ने 29.03.2019 को (90,000 लाख रुपये) और 27.05.2019 को (2,00,000 लाख रुपये) भुगतान किया है।

जेएलएफ के नेता ने 11.12.2019 को एसटीसी के खिलाफ एनसीएलटी कार्यवाही वापस ले ली है। इसके अलावा, एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तारीख 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इन अद्यतनों से मंत्रालय और आयात को सूचित कर दिया गया है।

सभी शुल्क जो संतुष्ट नहीं हैं वे बैंक के साथ ओटीएस से संबंधित हैं। चूंकि ओटीएस पर बैंकों के साथ हस्ताक्षर होना बाकी है। जब तक बैंकों के साथ ओटीएस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक इसे संशोधित/संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। एमसीए से संतुष्ट नहीं हुए शुल्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	एसआरएन	चार्ज आईडी	चार्ज धारक का नाम	निर्माण की तिथि	राशि ₹
1	C59225391	10254506,	बैंक ऑफ बड़ौदा,	03/12/2010	1000000000
2	B79593042	10199318,	इंडियन बैंक	07/01/2010	2000000000
3	G30982516	10092378,	एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	27/06/2007	1562700000
4	C62289897	10042121,	सिंडिकेट बैंक	26/02/2007	11000000000
5	B09241910	10016914,	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	26/07/2006	3000000000
6	A81935678	90064488,	इलाहाबाद बैंक	27/10/2003	5000000000
7	C00519710	80058988,	इंडियन ओवरसीज बैंक	27/08/2003	12000000000
8	C00521716	80038272,	इंडियन ओवरसीज बैंक	27/08/2003	6000000000
9	A40679888	80007453,	विजया बैंक 2	2/01/2003	4000000000

बैंकों का नाम	चूक की गई राशि (मूलधन और उस पर ब्याज)	डिफ़ॉल्ट की तिथि
सिंडिकेट बैंक	280.71	31.03.2018
इंडियन ओवरसीज बैंक	188.02	31.03.2018
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	140.72	28.02.2018
इंडियन बैंक	94.81	28.02.2018
एक्जिम बैंक	74.43	01.10.2016
बैंक ऑफ बड़ौदा	26.27	20.06.2018
यूबीआई (कुमिली)	1.28	28.02.2018
31.03.2024 तक शेष धनराशि*	**806.23**	

21. व्यापार देय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क) बिल स्वीकृतियां	-	-
ख) व्यापार देयताएं	-	-
कुल (क)	**-**	**-**
मौजूदा		
क) व्यापार देयताएं	1,11,886.89	1,11,819.72
कुल (ख)	1,11,886.89	1,11,819.72
कुल (क+ख)*	**1,11,886.89**	**1,11,819.72**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	-	-	487.32	1,08,832.44	1,06,319.77
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	5,567.12	5,567.12

होल्डिंग कंपनी के नोट्स:-

*** उपरोक्त में बैक टू बैक भुगतान व्यवस्था के कारण बकाया प्राप्तियों से वसूली पर ही भुगतान योग्य व्यापार शामिल है।**

"सहायक कंपनी का नोट

कंपनी द्वारा देय व्यापार देय राशि को वर्ष 2007-08 से लेखा पुस्तकों में दर्ज किया गया है। यदि किसी फोरम में कोई मुकदमा लंबित न हो या देय राशि सीमा अवधि पार कर गई हो तो उस राशि को बट्टे खाते में डालने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली जाएगी।"

22. अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. ग्राहक से अग्रिम राशि	-	-
ख. क्रेडिट पर ग्राहक	-	-
ग. अन्य देयताएं		
घ. कर्मचारियों का बकाया:	-	-
ङ. पट्टा देयता	-	-
कुल		
: अन्य	-	-
घटाएँ: सुरक्षा जमा देय समायोजन	-	-
- बयाना जमा राशि	-	-
घ. कर्मचारियों का बकाया:		
- वेतन और भत्ते	-	-
- अर्जित छुट्टियाँ	-	-
ङ. पट्टा देयता	-	-
कुल	-	-
मौजूदा		
क. ग्राहकों से अग्रिम राशि	2,901.42	3,428.87
ख. क्रेडिट पर ग्राहक	6,486.94	6,484.47
सी. दावा न किया गया लाभांश	-	-
घ. उधार पर अर्जित और देय ब्याज	3,37,829.52	3,37,829.52
प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बकाया देयताएं	23,178.36	23,043.19
- जमा	4,222.15	4,116.34
प्रतिभूति जमाराशि:		
: अन्य	307.08	308.21
- बयाना धनराशि जमा	570.67	613.99
ङ. कर्मचारियों का बकाया:		
- वेतन एवं भत्ते	267.14	270.77
- अन्य व्यय	797.47	792.20
- कर्मचारियों को उपार्जन आधार पर देय राशि	-	12.84
- एसटीसी कर्मचारी संघ	0.49	0.52
- एसटीसी अधिकारी संघ	0.53	1.40
- वेतन बचत योजना	0.29	0.30
- थ्रिफ्ट सोसायटी	-	-
- अप्रदत्त वेतन	0.81	0.81
- अन्य (मनोरंजन क्लब)	-	-
च. देय सीमा शुल्क	343.27	343.27
छ. एएसआईडीई अनुदान देय	109.18	109.18
कुल	**3,77,015.39**	**3,77,355.95**

सहायक कंपनी के नोट्स

सहायता अनुदान में स्पाइस पार्क, छिंदवाड़ा में स्टीम स्टरलाइजेशन यूनिट और ग्राइंडिंग एवं पैकिंग यूनिट की स्थापना के लिए एएसआईडीई योजना के तहत भारत सरकार से 'अनुदान' के रूप में प्राप्त 6,29,00,000/- रुपये शामिल हैं। कंपनी ने ईपीसीजी योजना के तहत 3% की रियायती सीमा शुल्क का लाभ उठाया है, जिससे निर्यात दायित्व के तहत स्टीम स्टरलाइजेशन मशीनरी का आयात करते समय 1,21,51,050/- रुपये की बचत हुई है, जो आठ वर्षों के भीतर बचाई गई शुल्क के मूल्य का आठ गुना है और यदि कंपनी निर्यात दायित्व को पूरा करने में विफल रहती है तो वह 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस संबंध में कंपनी ने सीमा शुल्क अधिकारियों को 3,76,68,000/- रुपये का ईपीसीजी बांड प्रस्तुत किया है। ईपीसीजी योजना के तहत प्राप्त रियायती सीमा शुल्क 1,21,51,050 रुपये और उस पर देय ब्याज 2,03,53,011 रुपये, कुल 3,43,26,719 रुपये अन्य देनदारियों के तहत दिखाए गए हैं। उपरोक्त निर्यात दायित्व से संबंधित सीमा शुल्क विभाग से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है, दिए जाने वाले उपचार के बारे में सीमा शुल्क विशेषज्ञ से राय ली जाएगी और कंपनी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अंतरित एल.सी. और पैकिंग क्रेडिट देयताओं पर देय ब्याज उपार्जित और देय [2009-10 से]

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
- एक्सिस बैंक	19,815.10	19,815.10
- केनरा बैंक	62,567.23	62,567.23
- आईडीबीआई बैंक लि.	46,144.01	46,144.01
- भारतीय स्टेट बैंक	51,733.77	51,733.77
- यूको बैंक	37,243.05	37,243.05
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	52,519.92	52,519.92
- विजय बंक	64,653.16	64,653.16
- यस बैंक	3,153.28	3,153.28
	3,37,829.52	**3,37,829.52**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से उपरोक्त ऋणों पर देय ब्याज को मान्यता नहीं दी है। मामला डीआरटी के समक्ष लंबित है और कंपनी विभिन्न बैंकरों के दावों का विरोध कर रही है। बैंकरों के संघ ने एसएआरएफ़एईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत जारी डिमांड नोटिस के अनुसार आगे के ब्याज, व्यय और शुल्क आदि के साथ 1529.05 करोड़ के दावे के साथ वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। वर्ष 2018-19 से, कंपनी ने पुस्तकों में उपरोक्त पर ब्याज प्रदान नहीं किया है, क्योंकि कंपनी दावों का विरोध कर रही है। हालाँकि, इसका खुलासा आकस्मिक देयता में किया गया है।

वर्ष 2009-10 में विश्वेश्वरैया औद्योगिक व्यापार केंद्र, बेंगलुरु से एएसआईडीई योजना के अंतर्गत वित्त पोषण के रूप में 50,00,000 रुपये [वीआईटीसी (विश्वेश्वरैया औद्योगिक व्यापार केंद्र) के 50,000 रुपये सेवा शुल्क घटाकर - शुद्ध 49,50,000 रुपये] की धनराशि प्राप्त हुई और इसे सिद्दपुरा में काली मिर्च प्रसंस्करण इकाई के लिए अनुदान के रूप में गिना गया है। हालांकि वित्तीय बाधाओं के कारण परियोजना को रोक दिया गया था और 26,46,295 रुपये के डब्ल्यूआईपी को 31.03.12 को हानि के लिए लिखा गया था। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि परियोजना पूरी नहीं हुई है, तो अनुदान को 10% ब्याज के साथ वापस करना होगा। तदनुसार, ब्याज के साथ प्राप्त 1,09,17,808 रुपये के अनुदान को एएसआईडीई अनुदान चुकौती योग्य-सिद्दपुरा के रूप में चालू देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

रेलू व्यापार करने के लिए व्यापारिक सहयोगियों द्वारा 76,30,039/- रुपए की ईएमडी रखी गई है, क्योंकि न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं। ये प्रविष्टियाँ वर्ष 2007-08 से लेखा पुस्तकों में आगे बढ़ाई गई हैं। ईएमडी धनराशि को लिखने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया जाएगा, जहाँ किसी भी फोरम के समक्ष कोई मुकदमा लंबित नहीं है।

23. प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अर्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
कुल	-	-

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
मौजूदा		
क. कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अर्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण	388.59	423.09
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	8,662.05	10,058.46
उपहार	7.38	30.89
प्रदर्शन संबंधी वेतन	0.67	0.67
अर्जित छुट्टियाँ	743.75	914.78
उप योग (क)	**9,802.44**	**11,427.89**
ख. अन्य प्रावधान		
आकस्मिक व्यय	4,728.81	4,646.97
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर विनिमय अंतर		
अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	11.12	11.12
उप योग (ख)	**4,739.93**	**4,658.09**
कुल (क+ख)	**14,542.37**	**16,085.98**

24. अन्य देयताएं (गैर-वित्तीय)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
गैर-वर्तमान		
क. ग्राहकों से अग्रिम राशि	-	-
ख. क्रेडिट पर ग्राहक*	-	-
ग. अन्य देयताएं		
- प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं के लिए बकाया देयताएँ	-	-
- देय स्थगित उचित मूल्यांकन लाभ-जमा	-	-
घ. एएसआईडीई योजना के तहत सहायता अनुदान	-	-
कुल	**-**	**-**
चालू		
क. ग्राहकों से अग्रिम	-	-
क(i) पीएसएफ़एमसी से ब्याज मुक्त अग्रिम	-	-
ख. क्रेडिट पर ग्राहक*	605.69	605.69
ग. अन्य देयताएं		
- प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए बकाया देयताएं	7.17	8.47
- जमा	46.57	46.57
घ. धनप्रेषण:		
- वृत्ति कर	0.15	0.04
- बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर	2.50	2.50
- सेवा कर	-	-
- स्रोत पर आयकर कटौती	38.40	38.74
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)	156.78	150.85
- भविष्य निधि में योगदान	45.46	38.24
- कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान - 95	1.36	1.66
कर्मचारी पेंशन निधि में योगदान	12.92	14.21

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
- अन्य	0.10	0.10
ङ. सहायता अनुदान	110.09	110.09
कुल	**1,027.19**	**1,017.16**

होल्डिंग कंपनी के नोट्स:

इसमें यूपी को देय 603 लाख रुपये की राशि शामिल है, सरकार ब्याज और वहन शुल्क के दावों के खिलाफ समायोज्य है, 3,382.23 लाख रुपये की राशि यूपीजीईडब्ल्यूसी से (i) आयात मूल्य के अंतर और 9555.285 मीट्रिक टन लेमन तुअर की जोखिम बिक्री पर प्राप्त राशि और (ii) ब्याज और वहन शुल्क के कारण बकाया है, और एसटीसी लगातार यूपी सरकार के साथ वसूली के मामले का अनुसरण कर रहा है और एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए 28.01.2022 को अपनी याचिका दायर की है। मामला 12.04.2023 को सुनवाई के लिए आया। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है। उत्तर प्रदेश को 603 लाख रुपये का बकाया, सरकार ब्याज और वहन शुल्क के दावों के विरुद्ध समायोज्य है, जो कि 3,382.23 लाख रुपये की राशि है, जो कि (i) आयात मूल्य और 9555.285 मीट्रिक टन लेमन तुअर की जोखिम बिक्री पर प्राप्त राशि के अंतर और (ii) ब्याज और वहन शुल्क के कारण यूपीजीईडब्ल्यूसी से बकाया है, और एसटीसी लगातार यूपी सरकार के साथ वसूली के मामले का अनुसरण कर रहा है और एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से विवाद के समाधान के लिए 28.01.2022 को अपनी याचिका दायर की है। मामला 12.04.2023 को सुनवाई के लिए आया। सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार है।

सहायक कंपनी के नोट्स

वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात संवर्धन के लिए मिर्च प्रसंस्करण केंद्र-ब्याडगी के लिए ASIDE योजना के अंतर्गत वीआईटीसी (विश्वेश्वरैया औद्योगिक व्यापार केंद्र) से 1,20,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त हुई। हालांकि वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अनुदान का परिशोधन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे अनुदान के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का कब्ज़ा बैंकों के संघ द्वारा ले लिया गया है। चूंकि ASIDE योजना में इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि जब अनुदान से प्राप्त परिसंपत्ति को एसएआरएफ़एईएसआई अधिनियम के तहत बैंक द्वारा अपने अधीन ले लिया जाता है तो किस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए कंपनी इसे चालू देयता के रूप में वहन कर रही है।

वर्ष 2008-09 के दौरान स्टीम स्ट्रीलाइजेशन संयंत्र के लिए 6,29,00,000/- रुपये की सहायता राशि प्राप्त अनुदान के विरूद्ध, कंपनी ने उन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का परिशोधन किया है, जिनके लिए अनुदान डब्ल्यूडीवी पद्धति से प्राप्त हुआ था, तथा उसे अनुदान से घटा दिया है। तथापि, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी अनुदान का परिशोधन नहीं किया गया है, क्योंकि प्राप्त अनुदान के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का कब्जा बैंकों के संघ द्वारा ले लिया गया है। चूंकि एएसआईडीई योजना में इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि अनुदान से प्राप्त परिसंपत्ति को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने अधीन लिए जाने पर किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इसलिए कंपनी इसे चालू देयता के रूप में वहन कर रही है।

25. परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) बिक्री		
निर्यात	-	-
आयातित सामान	-	-
घरेलू	-	-
उप योग(क)	-	-
(ख)अन्य परिचालन राजस्व		
दावे:	-	-
अन्य से	-	-
अन्य व्यापार आय:		
माल ढुलाई सब्सिडी	-	-
अन्य	-	-
उप योग (ख)	-	-
कुल	-	-

26. अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) ब्याज आय:-		
कर्मचारियों को अग्रिम धनराशि	5.73	13.65
मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखी गई/ग्रहणाधिकार के अधीन जमाराशि	1.87	6.79
अन्य बैंक जमा	93.99	62.07
निवेश पर ब्याज	1601.37	942.94
आयकर रिफंड	88.16	-
अन्य विविध ब्याज	0.84	1.71
उप योग	**1,791.96**	**1,027.16**
(ख) विविध आय:		
कर्मचारियों से प्राप्त किराया	5.55	5.23
उप योग	**5.55**	**5.23**
(ग) किराये की आय:		
किराये पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराया	7,831.50	7,494.79
किरायेदारों से सामान्य सेवाओं के लिए वसूली	838.12	812.70
उप योग	**8,669.62**	**8,307.49**
घटाएँ: संपत्ति को किराये पर देने से संबंधित व्यय		
संपत्ति कर/नगरपालिका कर	702.91	711.44
भूमि किराया	1.80	39.50
बीमा प्रीमियम	9.95	10.22
रखरखाव प्रभार	132.61	125.56
प्रशासनिक व्यय	130.41	86.20
उप योग	**977.68**	**972.92**
शुद्ध किराया आय (ग)	**7,691.94**	**7,334.57**
(घ) अन्य प्राप्तियां:-		
वस्तु मदों के अलावा अन्य विनिमय में अंतर	13.14	(90.45)
अशोध्य ऋण वसूली	-	-
विविध गैर-व्यापार प्राप्तियां	96.67	246.73
आस्थगित कर्मचारी अग्रिमों की परिशोधन आय	-	-
आस्थगित प्रतिभूति जमा की परिशोधन आय	-	-
उप योग	**109.81**	**156.28**
कुल	**9,599.26**	**8,523.24**

27. उपभोग की गई सामग्री की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामग्री का प्रारंभिक संतुलन	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी	-	-
घटाएँ: सामग्री का अंतिम शेष	-	-
कुल	**-**	**-**

28. स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निर्यात खरीद	-	-
आयात खरीद	-	-
घरेलू खरीद	-	-
माल किराया-सड़क	-	-
कुल	**-**	**-**

29. मालसूची में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
व्यापार-स्टॉक		
निर्यात खरीद	-	-
घटाएं : वर्ष के अंत में	-	-
मालसूची में परिवर्तन	-	-

30. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) कर्मचारियों एवं प्रबंधकों को पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	1,878.75	1,888.61
अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	22.86	104.67
अर्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण	0.34	19.13
भविष्य निधि	156.45	167.01
कर्मचारी पेंशन योजना 95 (ईपीएस 95)	14.61	18.36
कल्याण संबंधी व्यय:		
- नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (ओपीडी)	19.94	24.49
- नियमित कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (आईपीडी)	118.16	143.08
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (ओपीडी)	-	-
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर चिकित्सा व्यय (आईपीडी)	87.39	128.93
- बीमांकिक(एक्चुरियल) देयता पर चिकित्सा व्यय	684.79	708.17

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
- अन्य	16.19	13.49
उपदान	42.23	65.83
पेंशन	118.79	129.49
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय	112.66	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ* (वीआरएस)	-	136.48
परिशोधन व्यय	-	-
उप योग	**3,273.16**	**3,547.74**
(ख) निदेशकों को पारिश्रमिक		
वेतन और भत्ते	-	2.89
अर्जित छुट्टी का नकदीकरण	48.91	8.72
कल्याण संबंधी व्यय:		
- अन्य	14.80	15.77
उपदान	-	-
पेंशन	-	0.20
उप योग	**63.71**	**27.58**
कुल	**3,336.87**	**3,575.32**

31. वित्तीय लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बैंक ऋण :		
कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्युसीडीएल)	-	-
- नकद ऋण	-	-
- निर्यात पैकिंग क्रेडिट/पीसीएफसी	-	-
- बीएएस/बाह्य वाणिज्यिक उधार	-	-
व्यावसायिक सहयोगी :	-	-
- मार्जिन मनी के रूप में गिरवी रखी गई / ग्रहणाधिकार के अंतर्गत जमा राशि	-	-
- अन्य जमा	-	-
आयकर	-	-
टीडीएस/टीसीएस	-	-
वैट	0.85	0.01
अन्य	192.77	193.93
कुल	**193.62**	**193.94**

32. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास	-	-
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	-	-
संयंत्र और मशीनरी	-	-
उप योग	-	-
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास :	-	-
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	-	-
पट्टा-भूमि	-	-
उप योग	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	-	-
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
अन्य	-	-
उप योग	**-**	**-**
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास :		
फ्रीहोल्ड बिल्डिंग	-	-
पट्टा-भूमि	-	-
लीजहोल्ड बिल्डिंग	-	-
उप योग	**-**	**-**
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन		
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	-	-
अन्य	-	-
उप योग	**-**	**-**
कुल	**-**	**-**

33. अन्य खर्च

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) अन्य परिचालन व्यय		
डिलीवरी शुल्क	-	-
अन्य	1.27	-
उप योग	**1.27**	**-**
(ख) प्रशासनिक व्यय		
कार्यालय किराया	15.33	14.62
दरें और कर:		

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
- नगर निगम को संपत्ति कर	256.23	205.19
- अन्य	0.49	1.44
बिजली और पानी का शुल्क	104.17	94.06
मुद्रण और लेखन सामग्री	5.85	4.52
डाक, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर और टेलेक्स	1.27	2.38
टेलीफोन	8.40	8.78
पुस्तकें	0.02	0.01
मरम्मत		
- भवन	-	-
- अन्य	1.09	0.54
यात्रा व्यय	19.78	17.50
आवास कॉलोनी व्यय	56.65	46.46
सेवा वाहन व्यय	11.55	4.27
बीमा प्रीमियम	13.85	16.31
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	-	-
- वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	4.74	4.14
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	1.80	1.50
- प्रमाणन शुल्क	3.51	3.51
सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	16.60	19.69
परिवहन व्यय	1.66	1.14
कार्यालय भवन का रखरखाव	31.81	29.87
विविध। कार्यालय व्यय	122.77	71.67
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जिसे समायोजित नहीं किया जाना है	4.46	68.55
उप योग	**672.79**	**616.15**
(ग) व्यापार व्यय		
कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय	559.91	329.76
विज्ञापन एवं प्रचार	4.78	7.22
वस्तु मदों के अलावा विनिमय में उतार-चढ़ाव	75.44	146.53
बैंक शुल्क	0.19	0.25
मनोरंजन व्यय	7.30	3.03
अन्य व्यापार व्यय	51.36	74.48
उप योग	**698.98**	**561.27**
(घ) परिशोधन व्यय		
स्थगित कर्मचारी अग्रिमों का परिशोधन व्यय	-	-
स्थगित सुरक्षा जमा का परिशोधन व्यय	-	-
कुल	**1,373.04**	**1,177.42**

34. असाधारण वस्तुएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) व्यय		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई) की बिक्री पर नुकसान	0.52	-
मुकदमे का निपटारा*	-	-
व्यय के लिए प्रावधान	-	-
कुल (क)	**0.52**	**-**
(ख) बट्टे खाते में		
दावे	2.78	-
व्यापार प्राप्तियां**	-	-
परिसंपत्तियां	-	-
कुल (ख)	**2.78**	**-**
(ग) संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम एवं निवेश के लिए प्रावधान		
व्यापार प्राप्तियां	-	-
दावा	1.42	4.38
ऋण और अग्रिम	-	-
जमा	-	-
कुल (ग)	**1.42**	**4.38**
(घ) आय		
पीपीई की बिक्री पर लाभ	-	1.08
पिछले वर्षों में सृजित देयताएं रिटेन बैक :	-	-
- सांविधिक	-	-
- अन्य	23.40	27.48
संदिग्ध वसूली गई राशि के लिए रिटेन बैक प्रावधान:		
-व्यापार प्राप्तियां	-	-
-दावे	414.44	-
बट्टे खाते में डाली गई संदिग्ध रकम के लिए वापिस लिखे जाने का प्रावधान :		
-दावे	2.78	-
दावा न किए गए क्रेडिट शेष को रिटेन बैक	0.50	-
कुल (घ)	**441.12**	**28.56**
कुल (क+ख+ग+घ)	**(436.40)**	**(24.18)**

35. कर व्यय

क. लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कर

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान आयकर		
चालू वर्ष	793.25	421.95
पिछले वर्षों के लिए समायोजन	(768.35)	-
उप योग (क)	**24.90**	**421.95**

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	-	-
कर की दर में परिवर्तन	-	-
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-
उप योग (ख)	**-**	**-**
कुल (क+ख)	**24.90**	**421.95**

ख. लाभ और हानि विवरण में अप्रयुक्त कर घाटे (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अप्रयुक्त कर घाटा जिसके लिए कोई आस्थगित कर परिसंपत्तियां मान्यता प्राप्त नहीं की गई हैं:		
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	14,855.43	
वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा		
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	11,270.35	
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	8,928.07	
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	58,105.19	
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	10,725.62	
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रेनीत व्यावसायिक घाटा	2,429.25	
अनवशोषित मूल्यह्रास	895.28	
कुल	**1,07,209.19**	

36 विदेशी मुद्रा जोखिम

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	विदेशी मुद्रा में राशि	धनराशि भारतीय रुपए में	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग	विदेशी मुद्रा में राशि	धनराशि भारतीय रुपए में
क. प्राप्य :						
आईजीईडीसी ईरान	यूरो	11.58	990.52	यूरो	11.58	990.52
मुंबई शाखा	अमेरिकी डॉलर	2,956.40	1,31,400.92	अमेरिकी डॉलर	2,956.40	1,31,400.92
विभिन्न पार्टियाँ	अमेरिकी डॉलर	192.95	16,026.34	अमेरिकी डॉलर	192.95	15,798.66
विभिन्न पार्टियाँ	यूरो	9.32	836.41	यूरो	9.32	830.63
सीएएमएजी						
उप-योग (क)		**3,170.25**	**1,49,254.19**		**3,170.25**	**1,49,020.73**
ख. देय:						
विभिन्न पार्टियाँ	अमेरिकी डॉलर	41.49	3,420.95	अमेरिकी डॉलर	41.49	3,420.95
विभिन्न पार्टियाँ	पौंड	0.04	4.63	पौंड	0.04	4.63
एम/एस रोसनब्लाट, लंदन						
उप-योग (ख)		**41.53**	**3,425.58**		**41.53**	**3,425.58**

37 व्यापार देयताएं

कंपनी पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत आपूर्तिकर्ताओं का बकाया निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय मूल धनराशि	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को देय उपरोक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज, अदा नहीं किया गया	-	-
वर्ष के दौरान, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान (ब्याज के अलावा)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज (धारा 16 के अलावा)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम (धारा 16) के तहत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ताओं को प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित और भुगतान न किया गया ब्याज	-	-
नोट: यह सूचना ऐसे विक्रेताओं के संबंध में दी गई है, जहां तक उन्हें कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में पहचाना जा सकता है।		

38 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के संबंध में प्रकटीकरण

(i) प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	दिनांक 01.04.2023 को ओपनिंग बैलेंस	वर्ष के दौरान परिवर्धन/अंतरण	वर्ष के दौरान उपयोग	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान रिटेन-बैक	दिनांक 31.03.2024 को क्लोजिंग बैलेंस
आकस्मिक व्यय	4,658.09	81.84	-	-	-	4,739.93
संदिग्ध व्यापार प्राप्य	65,551.17	-	-	-	-	65,551.17
संदिग्ध ऋण	12,040.12	-	-	-	-	12,040.12
संदिग्ध दावे	1,18,896.48	0.80	-	-	417.21	1,18,480.07
संदिग्ध जमाराशि	715.23	-	-	-	-	715.23
कुल	**2,01,861.09**	**82.64**	**-**	**-**	**417.21**	**2,01,526.51**

(ii) आकस्मिक देयताएं:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया		
(i) पक्षकारों के साथ न्यायालय एवं मध्यस्थता मामले*	2,04,732.07	2,04,729.04
(ii) बिक्री कर/सेवा कर/वैट	49,154.62	49,157.35
(iii) आयकर	214.64	900.89
(iv) सीमा शुल्क	692.55	692.55
(v) अन्य**	7,35,728.96	5,73,534.22
कुल	**9,90,522.84**	**8,29,014.05**

होल्डिंग कंपनी के नोट्स:

38.1 **मेसर्स तंजानिया कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने एसोसिएट मेसर्स महक ओवरसीज के माध्यम से चीनी की कम आपूर्ति के लिए 2,446 लाख रुपये का दावा किया। मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। मेसर्स महक ओवरसीज के विवरण के लिए नोट 39(3) देखें।

38.2 * मेसर्स मेडिटेरेनियन शिपिंग ने दो अलग-अलग मामलों में मेसर्स मेहक ओवरसीज द्वारा विलंब शुल्क और भंडारण शुल्क का भुगतान न करने के लिए 729 लाख रुपये का दावा किया। ये मामले बॉम्बे उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

38.3 * एलएंडडीओ द्वारा अपने पत्र संख्या एलएंडडीडीओ/एलएस2ए/9225/133 दिनांक 26 मार्च 2018 के माध्यम से वर्ष 2004-05 से लीज डीड की विभिन्न शर्तों का पालन न करने (एसटीसी द्वारा अपने किरायेदारों से प्राप्त सकल किराए का 25% जमा न करने सहित) के लिए 132.83 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी ने मांग पर विवाद किया है और मामला अभी तक सुलझाया जाना बाकी है। सीएजी लेखापरीक्षा के अवलोकन पर, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए खातों बही में 8,540 लाख रुपये की पक्की देनदारी बनाई गई है। इसके अलावा, एसटीसी ने पत्र दिनांक 20.05.2022 के माध्यम से एलएंडडीओ से आज की तिथि तक बकाया धनराशि प्रदान करने का अनुरोध किया और जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

38.4 *31.03.2024 तक के प्रावधान में कंपनी द्वारा भारतीय खरीदार मेसर्स मिलेनियम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विदेशी आपूर्तिकर्ता मेसर्स सिनर्जिक इंडस्ट्रियल मार्केटिंग सर्विसेज (एसआईएमएस), सिंगापुर/मलेशिया से माल के आयात के लिए किए गए अनुबंध के संबंध में 12.70 करोड़ रुपये (एसटीसी के पास उपलब्ध 1.99 करोड़ रुपये की ईएमडी पर विचार करने के बाद) शामिल हैं। विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ जाली और मनगढ़ंत थे। इसलिए, एसटीसी ने अपने बैंकर (इलाहाबाद बैंक) से इन एलसी के विरुद्ध विदेशी बैंक को भुगतान जारी न करने के लिए संपर्क किया। आपूर्तिकर्ता के विदेशी बैंक ने एलसी के विरुद्ध भुगतान जारी करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, इलाहाबाद बैंक ने न्यायालय में डिक्रीटल धनराशि जमा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, इलाहाबाद बैंक ने एसटीसी के खाते को डेबिट कर दिया, अब दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद बैंक और मलय बैंक के बीच के मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिसमें इलाहाबाद बैंक के खिलाफ एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुए मलय बैंक को डिक्री राशि (10,79,69,518.02 रुपये के साथ-साथ 9% प्रति वर्ष की दर से वसूली तक भविष्य का साधारण ब्याज) का भुगतान करना है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 25.11.2019 के निर्णय के बाद, एसटीसी को इलाहाबाद बैंक से दिनांक 16.01.2020 को एक दावा पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सभी 4 एलसी के लिए 9.65% प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज के साथ 16,21,60,914 रुपये की राशि थी (एसटीसी द्वारा 1 एलसी स्वीकार नहीं किया गया था एसटीसी द्वारा स्वीकार किए गए तीन एलसी दस्तावेजों के संबंध में 12.70 करोड़ (एसटीसी के पास उपलब्ध ईएमडी 1.99 करोड़ रुपये का शुद्ध) । चूंकि एसटीसी ने इलाहाबाद बैंक द्वारा की गई मांग का खंडन किया है, इसलिए शेष 3.93 करोड़ रुपये की धनराशि आकस्मिक देयता के रूप में दिखाई गई है। इसके अलावा, भारतीय खरीदार (मेसर्स मिलेनियम वायर्स प्राइवेट लिमिटेड) के ऋणदाता संस्थानों ने एनसीएलटी कार्यवाही शुरू की है। एसटीसी ने एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के आदेशों का पालन करते हुए 14.91 करोड़ रुपये की धनराशि के लिए अपना दावा भी परिसमापक के समक्ष दायर किया था, जो कि परिसमापक के समक्ष दावा दायर करने की तिथि पर बैंक द्वारा एसटीसी से दावा की गई राशि के समान है। हालांकि, परिसमापक ने दिनांक 26.05.2020 के ईमेल के माध्यम से एसटीसी के 14.91 करोड़ रुपये की धनराशि के दावे को खारिज कर दिया है। एसटीसी ने एनसीएलटी, चंडीगढ़ के समक्ष परिसमापक के फैसले के खिलाफ अपील की है। माननीय एनसीएलटी बेंच ने अपने आदेश दिनांक 28.08.2023 के तहत मामले का निपटारा किया जिसमें उसने परिसमापक को एसटीसी के दावे पर गुण-दोष के आधार पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है। तदनुसार, परिसमापक ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2023 के जरिए सूचित किया कि उसने ईएमडी और संबंधित ब्याज को समायोजित करने के बाद 12,47,64,463.33 रुपये के लिए असुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में एसटीसी के दावे को स्वीकार कर लिया है। परिसमापक ने 20वीं हितधारक समिति की बैठक के कार्यवृत्त में दर्ज किया है कि एसटीसी को 20.45% वोटिंग शेयर प्रतिशत के साथ हितधारक समिति में असुरक्षित वित्तीय लेनदार के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, इंडियन बैंक (पहले इलाहाबाद बैंक) ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण 2 (डीआरटी 2), नई दिल्ली के समक्ष लगभग 17.40 करोड़ रुपये की धनराशि का दावा करते हुए आवेदन दायर किया मामला अभी बहस के चरण में है। एसटीसी ने सीबीआई नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई थी और सीबीआई, नई दिल्ली द्वारा एफआईआर संख्या: RC2192022E0001 दिनांक 08.02.2022 दर्ज की गई है और मामले में जांच चल रही है।

सहायक कंपनी के नोट्स

38.5 मेसर्स देवी मिनरल रिसोर्सेज [आई] प्राइवेट लिमिटेड पर 12,68,01,603/- रुपये [ब्याज को छोड़कर] बकाया है, जो देवी ट्रेडिंग की एक समूह कंपनी है और एसटीसीएल ने बकाया धनराशि की वसूली के लिए विभिन्न कानूनी कदम उठाए हैं। एसटीसीएल के वैध दावे का मुकाबला करने के लिए, देवी ट्रेडिंग ने एसटीसीएल के प्रति गुप्त उद्देश्य से 3123960/- अमेरिकी डॉलर का प्रति दावा किया है जो झूठा और निराधार है। हालांकि कंपनी ने आकस्मिक देयता के रूप में 3123960/- अमेरिकी डॉलर की धनराशि का खुलासा किया है। हालांकि डीटीसीएल द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही को अभियोजन और दावे दाखिल न करने के कारण खारिज कर दिया गया है।

38.6 एसटीसीएल को मेसर्स फ्यूचर एक्जिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स फ्यूचर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने तीसरे देश के व्यापारिक व्यापार में धोखा दिया था और एसटीसीएल ने कानूनी उपायों में से एक के रूप में बकाया धनराशि की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाए थे। एसटीसीएल ने मेसर्स एफईआईपीएल और मेसर्स एफएमपीएल के खिलाफ मध्यस्थता भी शुरू की है। सिनो एशिया मेसर्स एफईआईपीएल और मेसर्स एफएमपीएल की समूह कंपनियों में से एक है, जिसने मेसर्स एफईआईपीएल और मेसर्स एफएमपीएल के खिलाफ एसटीसीएल के वैध दावे का मुकाबला करने के गुप्त उद्देश्य से 209575000/- अमेरिकी डॉलर की धनराशि का गलत दावा किया, जबकि दावे का मुकाबला करने के लिए सभी कानूनी कदम उठाए गए थे। हालांकि कंपनी ने आकस्मिक देयता के रूप में 209575000/- अमेरिकी डॉलर की धनराशि का खुलासा किया है।

38.7 एसटीसीएल ने अगस्त, 2008 में कर्नाटक के कुर्ग जिले के सिद्धपुरा में पेपर प्रोसेसिंग इकाई के संबंध में मेसर्स कार्मेल बिल्डर्स फाइब्रो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सिविल निर्माण कार्य दिया था। कंपनी ने काम की खराब प्रगति के कारण जुलाई 2009 में अनुबंध समाप्त कर दिया। ठेकेदार ने इस पर विवाद किया और किए गए काम के लिए 80,11,634/- रुपये की मांग की। मध्यस्थता पूरी हो गई और एसटीसीएल को मेसर्स कार्मेल बिल्डर्स को 49,41,480/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। एसटीसीएल ने न्यायालय में मध्यस्थता के फैसले को चुनौती दी है। शेष धनराशि 67,26,634/- रुपये (ठेकेदार को देय के तहत दिखाए गए 8,011,634 रुपये में से 1,285,000 रुपये घटाकर) आकस्मिक देयता के तहत दिखाई गई है।

38.8 एपीएमसी, बैंगलोर ने मई, 2011 में कंपनी के खिलाफ 1,14,29,284/- रुपये की कुल धनराशि के बाजार शुल्क/जुर्माना की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है। यह लेन-देन वर्ष 2001-02 में किया गया था। कंपनी द्वारा निविदा प्रक्रिया के माध्यम से 80,000 मीट्रिक टन मक्का के लिए रिलीज/डिलीवरी ऑर्डर प्राप्त करते समय भारतीय खाद्य निगम, बैंगलोर को बाजार शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। तदनुसार कंपनी ने याचिका पर अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं और कानूनी कार्यवाही प्रगति पर है। एपीएमसी के दावों को आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

38.9 मेसर्स एक्सेल कार्डमम कंपनी ने लौंग के लेन-देन के संबंध में कंपनी द्वारा 10,00,000 रुपये की ईएमडी धनराशि जब्त करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में वर्ष 1992 में एक याचिका दायर की थी। वर्ष 2007 में, उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए एक आदेश पारित किया कि एसटीसीएल केवल 1,23,342/- रुपये के अपने लाभ का हिस्सा जब्त करने का हकदार है और उसे शेष धनराशि 8,76,857/- रुपये ब्याज सहित वापस करना होगा। कंपनी ने डिवीजनल बेंच के साथ अपील दायर की थी, जिसने एसटीसीएल द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के पक्ष में 6,00,000/- रुपये की धनराशि और 10,00,000/- रुपये का बैंक गारंटी(बीजी) जमा करने की शर्त पर उक्त आदेश के निष्पादन पर रोक लगा दी, जिसका अनुपालन किया गया। डिवीजनल बेंच ने कंपनी के खिलाफ मार्च-2008 में एक आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार एसटीसीएल को एक्सेल कार्डेमम कंपनी को जून 1989 से 9% वार्षिक ब्याज के साथ 10,00,000/- रुपये का भुगतान करना था। आदेश में यह भी कहा गया था कि 10,00,000/- रुपये की बीजी को भुनाया जाए और 6,00,000/- रुपये की जमा धनराशि के साथ शेष धनराशि एक्सेल कार्डेमम निष्पादन याचिका दायर कर सकती है। कंपनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की है। हालांकि, कंपनी ने आकस्मिक देयता के तहत 35,06,192 रुपये की देनदारी का खुलासा किया है।

38.10 मेसर्स शिव शंकर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसटीसीएल के खिलाफ मध्यस्थता याचिका दायर करने और मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी होने पर 26,55,114/- रुपये की कानूनी फीस सहित 3,37,31,514/- रुपये का भुगतान किया गया, साथ ही वसूली तक 12% की दर से ब्याज भी दिया गया। एसटीसीएल ने मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है जो सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के समक्ष लंबित है। हालांकि कंपनी ने आज तक 2,69,37,824/- रुपये के ब्याज सहित 6,06,69,338/- रुपये की कुल देनदारी का खुलासा किया है।

38.11 प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(6) के साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और समर्पण विनियमन 2000) के विनियमन 6(1) के उल्लंघन के लिए 10,00,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की है और उनसे पूरी राहत की उम्मीद कर रही है।

38.12 कंपनी को सेवा कर विभाग से अक्टूबर 2011 में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2010-11 के लिए 1,42,70,138 रुपये (ब्याज और जुर्माना छोड़कर) के सेवाकर का भुगतान न करने के लिए कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था और कंपनी ने उक्त नोटिस के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसे आयुक्त (न्यायनिर्णय) के दिनांक 13.12.2012 के आदेश के अनुसार इसके खिलाफ माना गया था और सेवाकर के रूप में 1,42,70,138 रुपये का भुगतान और 1,42,70,138 रुपये के बराबर की धनराशि का जुर्माना लगाने की मांग की थी । कंपनी ने प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार दिनांक 19.03.2013 को सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष उपर्युक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। सीईएसटीएटी के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास वापस भेजा जाता है। कंपनी ने दिनांक 1.4.06 से दिनांक 31.03.2014 तक की अवधि के लिए सेवाकर के लिए आकस्मिक देयता के रूप में 4,22,83,637/- रुपए की धनराशि का खुलासा किया है, जिसमें 1,42,70,138/- रुपए का जुर्माना भी शामिल है।

38.13 कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंध में, चूक के विरुद्ध ब्याज के रूप में 2,11,95,009/- रुपए के भुगतान के लिए धारा 220(2) के अंतर्गत दिनांक 26.02.2016 को नोटिस प्राप्त हुआ है । कंपनी ने दावा की गई ब्याज धनराशि को छोड़ने का अनुरोध करते हुए धारा 220(2)(ए) के अंतर्गत दिनांक 22.06.2016 को आवेदन दायर किया था। हालांकि कंपनी ने आकस्मिक देयता के अंतर्गत 2,11,95,009/- रुपए की देयता का खुलासा किया है।

38.14 आयकर विभाग ने टीडीएस और उस पर ब्याज के कम भुगतान के लिए 4,23,450 रुपये का भुगतान करने के लिए मांग का नोटिस भेजा है। कंपनी ने मांग में सुधार के लिए जवाब दिया है और कंपनी ने 154797/- रुपये का भुगतान किया है और खातों में इसे खर्च के रूप में माना गया है। शेष धनराशि को खातों में माना गया है।

38.15 कंपनी ने दिनांक 20.07.2011 तक डीआरटी आवेदन में बैंकों के संघ द्वारा किए गए दावों के अनुसार ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया है और डीआरटी आवेदन में उल्लिखित दरों पर आगे ब्याज प्रदान किया जाता है। आईडीबीआई बैंक ने दिनांक 31.03.2012 तक शेष पुष्टि प्रमाणपत्र के अनुसार दंडात्मक ब्याज/परिसमापन क्षति के लिए 62,00,23,705/- रुपये की धनराशि का दावा किया। हालांकि, कंपनी ने आकस्मिक देयता के तहत 62,00,23,705/- रुपये की देयता का खुलासा किया है।

38.16 कंपनी ने दिनांक 20.07.2011 तक डीआरटी आवेदन में बैंकों के संघ द्वारा किए गए दावों के अनुसार ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया है और डीआरटी आवेदन में उल्लिखित दरों पर आगे ब्याज प्रदान किया जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दिनांक 31.03.2015 तक शेष पुष्टि प्रमाण पत्र के अनुसार अतिरिक्त ब्याज के लिए 9,59,97,748/- रुपये की धनराशि का दावा किया। हालांकि, कंपनी ने आकस्मिक देयता के तहत 9,59,97,748/- रुपये की देनदारी का खुलासा किया है।

38.17 कंपनी ने दिनांक 20.07.2011 तक डीआरटी आवेदन में बैंकों के संघ द्वारा किए गए दावों के अनुसार ब्याज के भुगतान का प्रावधान किया है और डीआरटी आवेदन में उल्लिखित दरों पर आगे ब्याज प्रदान किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 31.03.2016 तक शेष पुष्टि प्रमाण पत्र के अनुसार अतिरिक्त ब्याज के लिए 94,23,73,090/- रुपये की धनराशि का दावा किया। हालांकि, कंपनी ने आकस्मिक देयता के तहत 94,23,73,090/- रुपये की देयता का खुलासा किया है।

38.18 कंपनी ने वर्ष के दौरान डीआरटी के लंबित मामलों और कंपनी के दावों के समर्थन में विभिन्न बैंकों को देय/बकाया ब्याज का भुगतान नहीं किया है। इसे 39,73,57,33,294/- रुपये की आकस्मिक देयता माना गया है।

38.19 ऋणदाताओं के संघ ने वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया था और बकाया धनराशि की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की थी। इसके बाद वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बैंकरों के संघ ने परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष कब्जा ले लिया और एसएआरएफईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत नीलामी की कार्यवाही शुरू की। एसएआरएफईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ब्यादगी और छिंदवाड़ा की संपत्तियों को 4,65,28,726 रुपये की शुद्ध धनराशि पर बेचा गया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 2,54,07,589 रुपये की धनराशि की परिसंपत्तियों के मूल्य की पुस्तक को चालू देयता से कम कर दिया गया था, क्योंकि देयता के लिए प्राप्त और विनियोजित बिक्री मूल्य के संबंध में सटीक जानकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई थी । वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, बैंकों से सटीक बिक्री आय के बारे में जानकारी प्राप्त की गई थी और बही मूल्य और शुद्ध बिक्री आय के बीच के अंतर को पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने की पेशकश की गई थी।

38.20 बैंकों को देय धनराशि में कमी बैंकों के संघ से शेष धनराशि की पुष्टि के अधीन है। लेकिन चूंकि एसएआरएफईएसआई अधिनियम, की धारा 13 के तहत कब्जे का नोटिस प्राप्त हुआ था, इसलिए कंपनी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(7) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुस्तकों से उधार कम कर दिया है।

(iii) मुकदमें निपटान :

होल्डिंग कंपनी के नोट्स

38.17 मेसर्स जे.के. इंटरनेशनल (एक विदेशी आपूर्तिकर्ता) के पास 2008-09 के दौरान दालों के आयात के लिए एसटीसी द्वारा अनुबंध को निरस्त करने के कारण दावा था। इस दावे को एसटीसी ने इस आधार पर विवादित किया था कि दालों के आयात का अनुबंध उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर था और उक्त मंत्रालय ने एसटीसी को उक्त अनुबंध के तहत किसी भी शेष मात्रा को निरस्त करने का निर्देश दिया था। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण का अवार्ड दिनांक 01.12.2009 से रु. 68.05 करोड़ प्लस ब्याज के लिए आपूर्तिकर्ता के पक्ष में था। कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल पीठ के समक्ष न्यायाधिकरण के पुरस्कार के खिलाफ अपील दायर की। निर्णय आपूर्तिकर्ता के पक्ष में रु. 57.03 करोड़ प्लस ब्याज की राशि का था, जिस पर एसटीसी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है। इस बीच, मेसर्स जे.के. इंटरनेशनल ने एसटीसी के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत, एसटीसी ने जे.के. इंटरनेशनल को 20 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। मामले अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित हैं और बहस के चरण में हैं। मामले को अंतिम बार दिनांक 07.05.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि, समय की कमी के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई दिनांक 06.08.2024 को होनी है।

38.18 कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी मेसर्स एडलवाइस प्राइवेट लिमिटेड की जमाराशियों के विरुद्ध मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (पक्ष) से वसूलने योग्य 2,789 लाख रुपये की धनराशि विनियोजित की है। इसके कारण, पार्टी की होल्डिंग कंपनी ने मध्यस्थता का सहारा लिया था और उनके पक्ष में एसटीसी द्वारा मध्यस्थता की लागत को छोड़कर 2,789 लाख रुपये और 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज वापस करने का निर्णय दिया गया था। इसके विरुद्ध एसटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। इस बीच, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एसटीसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 3,192 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। अपील लंबित रहने तक यह धनराशि उच्च न्यायालय में एफडी के रूप में सुरक्षा के रूप में रखी गई है। मेसर्स एडलवाइस ने बराबर धनराशि की बैंक गारंटी जमा करके यह धन वापस ले लिया महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण, नियमित मामलों की सुनवाई न होने के कारण मामला किसी निर्णायक चरण तक नहीं पहुंच पाया है। उपरोक्त मामले में एओआर से परामर्श के बाद, आरओ तत्काल सुनवाई आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में है ताकि उक्त मामले की उपस्थिति को नियमित किया जा सके और मामले का निर्णय इसकी योग्यता के आधार पर किया जा सके।

38.19 मेसर्स हेल्म ने लेनदेन में अंतर/कम धनराशि वसूलने के लिए एसटीसी द्वारा पीबीजी का आह्वान स्वीकार नहीं किया और दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले को आईसीए, नई दिल्ली को भेज दिया। बहुमत मध्यस्थता पुरस्कार एसटीसी के पक्ष में नहीं था। इसके बाद, एसटीसी ने भारत सरकार के हितों की रक्षा के लिए कानूनी मंचों पर मामले लड़े, हालांकि, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने हेल्म के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसमें संकेत दिया गया कि मेसर्स हेल्म अनुबंध के तहत मात्रा को प्रतिबंधित करने या कम दर पर अतिरिक्त मात्रा की कीमत तय करने के लिए बाध्य नहीं था और अनुबंधित मूल्य पर अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करना अनुबंध के मुताबिक सही था। तदनुसार, न्यायालय के आदेश के अनुसार, एसटीसी ने मेसर्स हेल्म को लगभग 92.05 करोड़ रुपये की मध्यस्थता धनराशि का भुगतान किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि केनरा बैंक (एसटीसी का बैंक जिसने एसटीसी के निर्देश पर हेल्म के पीबीजी को भुनाया था) उस अवधि के लिए उन्हें हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है, जब वे पीबीजी धनराशि से वंचित थे यानी वर्ष 2009-2011, क्योंकि बहुमत मध्यस्थता पुरस्कार ने केनरा बैंक के उस अवधि के लिए ब्याज के दावे पर ध्यान नहीं दिया, जब वह पीबीजी की धनराशि के लिए जेब से बाहर था (वर्ष 2009-2011)। केनरा बैंक ने मेसर्स हेल्म और एसटीसी के खिलाफ दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (डीआईएसी) में मध्यस्थता केस: डीआईएसी/5984(1)/01-23 शुरू किया। उक्त मध्यस्थता याचिका में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी अभय मनोहर सप्रे को पक्षों के बीच विवादों में मध्यस्थता करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया एसटीसी, वित्त विभाग से मध्यस्थता पुरस्कार की राशि

और एसटीसी को हुए नुकसान के भुगतान का अनुरोध कर रही थी, क्योंकि उक्त लेनदेन कंपनी द्वारा वित्त विभाग की ओर से और उसके निर्देशों के अनुसार ही किया गया था।

(iv) आकस्मिक परिसंपत्तियां:

यदि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ का प्रवाह होगा, तो आकस्मिक परिसंपत्ति के लिए प्रकटीकरण किया जाएगा, जिसमें आकस्मिक परिसंपत्ति की प्रकृति का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। यदि संभव हो, तो अनुमानित वित्तीय प्रभाव का भी खुलासा किया जाएगा।

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
दावे*	18,736.90	16,755.15
अग्रिम धनराशि*	43,077.63	40,237.04
व्यापार प्राप्तियां*	140,877.97	269,734.49
अन्य **	125,469.38	125,469.38
कुल	**328,161.87**	**452,196.07**

*आकस्मिक परिसंपत्तियों में उन पक्षों के विरुद्ध दावे (मूलधन और ब्याज) शामिल हैं, जिनके लिए या तो प्रावधान किया गया है या उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया है। ये सभी मामले विभिन्न स्तर के न्यायालयों में लंबित हैं।

**अन्य में आयकर विभाग से निगम द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए वीएसवी योजना चुनने के संबंध में प्राप्त होने वाली 467 लाख रुपये की शुद्ध धनराशि शामिल है।

(v) एमओसी एंड आई ने दिनांक 19.03.2020 के पत्र के माध्यम से बताया कि डीपीई के परामर्श से मंत्रालय में विषय वस्तु की फिर से जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 26.11.2008 के ओएम के माध्यम से जारी डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन में किए गए संपूर्ण अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जाए। तदनुसार, सभी 27 अधिकारियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के अनुरोध के साथ दिनांक 01.04.2020 के नए मांग पत्र जारी किए गए। 27 अधिकारियों में से 9 अधिकारियों से वसूली की गई है। छह (6) अधिकारियों ने विषय वसूली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; 2 मामलों में डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की गई और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, अन्य 11 अधिकारियों के संबंध में, कानून की अदालत में वसूली का मुकदमा दायर किया गया है।

39. प्रमुख कानूनी मामले (व्यापार प्राप्य)

39.1 "एसटीसी ने 2009-10 के दौरान मेसर्स कॉनरोस स्टील प्राइवेट लिमिटेड को एचआर कॉइल्स की आपूर्ति की थी। पार्टी ने 1205 लाख रुपये (एल/सी मूल्य 1,005 लाख रुपये और ब्याज और अन्य खर्च 200 लाख रुपये) के एक एल/सी के खिलाफ देय भुगतान करने में चूक की थी। एसटीसी ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दीवानी आवेदन और आपराधिक शिकायत दर्ज की है। सहयोगी को बेची गई सामग्री एसटीसी के पास गिरवी रखी गई थी और सीडब्ल्यूसी की हिरासत में रखी गई थी। हालांकि, एक अन्य पीएसयू यानी मेसर्स मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी) ने स्टॉक के स्वामित्व का दावा किया था, जिसके खिलाफ एसटीसी ने लोअर कोर्ट, पनवेल, मुंबई में घोषणात्मक मुकदमा दायर किया है। इस बीच, माननीय न्यायालय ने एमएसटीसी को गिरवी रखे गए स्टॉक की बिक्री करने और बिक्री की आय माननीय न्यायालय में जमा करने के लिए कहा था। तदनुसार, एमएसटीसी ने स्टॉक की ई-नीलामी की और बिक्री की आय 1,028 लाख रुपये न्यायालय में जमा की। माननीय न्यायालय के दिनांक 14.12.2020 के आदेश के अनुसार, एचआर कॉइल के उक्त स्टॉक को कस्टोडियन यानी सीडब्ल्यूसी द्वारा एच-1 बोलीदाता यानी मेसर्स राममंगल एंड संस को "जैसा है जहां है, कोई शिकायत नहीं के आधार पर" माननीय पनवेल न्यायालय की देखरेख में सौंप दिया गया है और प्राप्त राशि को माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश तक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश कर दिया है। इसके अलावा, ऋणदाता संस्थानों ने पार्टी के खिलाफ एनसीएलटी के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है, एसटीसी ने एनसीएलटी के समक्ष दिनांक 21.08.2018 को 2,870 लाख रुपये का अपना दावा दायर किया है। ओएल द्वारा सूचित किए अनुसार, कॉरपोरेट देनदार कॉनरोस स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी की गई है और बिक्री आय का वितरण कॉरपोरेट देनदार के सुरक्षित लेनदारों को किया गया है। चूंकि प्राप्त राशि सुरक्षित लेनदारों के संपूर्ण बकाया का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त थी, इसलिए आईबीसी 2016 की धारा 53 के तहत वाटरफॉल तंत्र के अनुसार अन्य लेनदारों को वितरित करने के लिए कोई अधिशेष नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि वर्तमान में पीयूएफई प्रावधानों के तहत मुकदमेबाजी एनसीएलटी में परिसमापक द्वारा कॉर्पोरेट देनदार और अन्य पक्षों के तत्कालीन प्रबंधन के खिलाफ की जा रही है। यदि इस तरह के आवेदन के परिणामस्वरूप कोई वसूली होती है, तो कोड के प्रावधानों के अनुसार हितधारकों को आगे वितरण किया जाएगा।"

39.2 एसटीसी ने संयुक्त अरब अमीरात के विभिन्न पक्षों को सोने के आभूषणों का निर्यात किया था, जिसके विरुद्ध 1,61,705,695 अमेरिकी डॉलर यानी 78,765 लाख रुपये की वसूली बकाया है। एसटीसी ने एक्जिम बैंक से 90 प्रतिशत बिलों की छूट दी थी और संबंधित भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को 83.5 प्रतिशत का भुगतान किया था। स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौतों के अनुसार, स्थानीय आपूर्तिकर्ता विदेशी खरीदारों से धन प्रेषण के लिए जिम्मेदार थे। चूंकि विदेशी खरीदारों ने वर्ष 2008-09 के बाद से चूक करना शुरू कर दिया, इसलिए एसटीसी ने बकाया राशि वसूलने

के लिए स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक और दीवानी कार्यवाही शुरू की, जो अभी भी लंबित है। हालांकि, अधिकांश भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ समापन आदेश पहले ही पारित किए जा चुके हैं। 44,546 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

39.3 अन्य व्यापार प्राप्तियों में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न विदेशी खरीदारों को विभिन्न कृषि वस्तुओं के निर्यात के कारण 4,192 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं, जो विभिन्न समझौतों के तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ता मेसर्स मेहक ओवरसीज से की गई खरीद से हैं, जिसके खिलाफ व्यापार प्राप्तियों के तहत दिखाई देने वाले 4,192 लाख रुपये का संबंधित क्रेडिट बैलेंस व्यापार देय के तहत देय है। इसके अलावा, कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए एसटीसी द्वारा मेसर्स मेहक ओवरसीज लिमिटेड (एमओपीएल) को दी गई 7,533 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही 2013-14 के दौरान लिखी जा चुकी है। चूंकि पार्टी रिफंड करने में विफल रही है, इसलिए एसटीसी ने पार्टी के खिलाफ विभिन्न कानूनी कदम उठाए हैं। मामला सीबीआई द्वारा भी जांच के दायरे में है।

39.4 व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) से विदेशी खरीदारों को फार्मा उत्पादों के निर्यात के कारण 56,844 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं। आरपीएल ने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें विदेशी खरीदारों द्वारा एसटीसी के विनिमय पत्र की पूर्व स्वीकृति मिलने पर स्वीकार भी कर लिया गया। विदेशी खरीदार यानी मेसर्स लोबेन ट्रेडिंग और मेसर्स स्वीटलैंड ने निर्यात पत्र के भुगतान में चूक की। एक विदेशी खरीदार यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक ने 52,786 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया है। विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से बकाया राशि के खिलाफ एसटीसी के पक्ष में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय ने 6,247 लाख रुपये का फैसला सुनाया है। वर्तमान तिथि तक वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी/उच्च न्यायालय मुंबई के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी एक पक्ष बनाते हुए 47,647 लाख रुपये का दावा किया गया है।

39.5 गैर-वर्तमान व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रेनेसां कॉर्पोरेशन लिमिटेड (परिसमापन के तहत) से पीईटी बोतल स्क्रैप सामग्री के आयात के लिए 3.22 करोड़ रुपये शामिल हैं, जो एसटीसी के पास गिरवी रखे गए हैं। यह बकाया पिछले एलसी के संबंध में आयातित पीईटी बोतल स्क्रैप को न उठाने के खिलाफ है। एसटीसी मध्यस्थता में चला गया, जिसे एसटीसी के पक्ष में जीता गया। बकाया के खिलाफ खाता बही में 1.76 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। ओएल (श्री मनोज सहगल) को एनसीएलटी मुंबई ने 18 अक्टूबर, 2022 के अपने आदेश के जरिए नियुक्त किया है। एसटीसी ने ओएल के समक्ष वित्तीय लेनदार के रूप में 13,78,02,367/- रुपये (दिनांक 18.10.2022 तक) का अपना दावा दायर किया है। एसटीसी को पेट बोतल स्क्रैप के 764.40 मीट्रिक टन गिरवी रखे स्टॉक के निपटान के लिए ओएल की सहमति प्राप्त हो गई है और हमने अब एमएसटीसी को उनके पोर्टल पर ई-नीलामी के माध्यम से उक्त स्टॉक की बिक्री के लिए नियुक्त किया है।

39.6 एसटीसी ने विदेश मंत्रालय के निर्देश के आधार पर मिस्र की सरकारी इकाई जनरल अथॉरिटी फॉर सप्लाई कमोडिटीज (जीएएससी) को वर्ष 2016-17 के दौरान 60,93,900 अमेरिकी डॉलर (4,065 लाख रुपये के बराबर) मूल्य के 19,980 मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया है। जीएएससी, मिस्र ने फ्यूमिगेशन और अन्य शुल्कों के कारण वाणिज्यिक चालान के कुल मूल्य से मनमाने ढंग से 6,03,357.75 अमेरिकी डॉलर (31 मार्च, 2019 तक 415 लाख रुपये के बराबर) की कटौती की और शेष धनराशि का भुगतान किया गया। हालांकि, एसटीसी ने उपरोक्त कटौती को विवादित किया है और इस मामले को विभिन्न मंचों यानी विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावासों में भी उठाया गया है। इसलिए, 415 लाख रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अलावा, चावल का उक्त निर्यात भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से की गई खरीद से था और एफसीआई के साथ समझौते के पैरा 14 के अनुसार, भुगतान मिस्र के क्रेता से बिक्री आय की प्राप्ति पर किया जाना है। तदनुसार, एसटीसी ने भी एफसीआई को उसी सीमा तक भुगतान नहीं किया है।" इसके बाद एफसीआई, एसटीसी और विदेश मंत्रालय की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विदेश मंत्रालय 415 लाख रुपये की देय धनराशि का भुगतान करेगा। एसटीसी अपनी जेब से भुगतान नहीं कर रहा है और प्राप्त होने पर धनराशि एफसीआई को दे दी जाएगी। हालांकि, दिनांक 08.10.2021 के पत्र के माध्यम से विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 27.12.2020 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ 27,97,96,833/- रुपये का पूर्ण और अंतिम निपटान कर लिया है। एसटीसी ने दिनांक 29.10.2021 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया कि एसटीसी उक्त निपटान से अवगत नहीं है और अनुरोध किया कि विवरण एसटीसी के साथ साझा किया जा सकता है। उक्त पत्र के नियमित अनुस्मारक विदेश मंत्रालय को भेजे जा रहे हैं।

39.7 एसटीसी ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ईरानी गैस इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी (आईजीईडीसी, ईरान) को 2,87,324 लाख रुपये की कीमत की स्टील प्लेट्स का निर्यात किया था, जिसका अनुबंध जनवरी 2017 में समाप्त हो गया था। तुलनपत्र की तारीख तक 9,085 लाख रुपये का भुगतान अभी भी बकाया है। बकाया धनराशि का भुगतान आईजीईडीसी, ईरान द्वारा किया जाएगा। वर्तमान मामले में एसटीसी अपनी जेब से नहीं चुकाएगा, क्योंकि आईजीईडीसी से प्राप्त राशि बैक-अप आपूर्तिकर्ता मेसर्स एस्सार स्टील लिमिटेड (अब मेसर्स आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड) को देय है और तदनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

39.8 "व्यापार प्राप्तियों में पिछले वर्षों के दौरान मेट कोक की आपूर्ति के खिलाफ मेसर्स दानकुनी स्टील लिमिटेड से वसूलने योग्य 1,054 लाख रुपये की धनराशि शामिल है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए, आईआरपी के माध्यम से एनसीएलटी के साथ दावा दायर किया गया है। कंपनी ने पार्टी के खिलाफ कानूनी और आपराधिक मामले दायर किए हैं जो विचाराधीन हैं। 696 लाख रुपये का कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त धनराशि फ्री होल्ड भूमि के बंधक द्वारा सुरक्षित है। बकाया धनराशि के लिए 358 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। दानकुनी में बंधक संपत्ति की बिक्री के लिए निविदा जारी की गई थी, हालांकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। एसटीसी के दावे की परिसमापक की स्वीकृति के आधार पर बकाया राशि की वसूली के लिए परिसमापन प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं, एसटीसी ने अपने पक्ष में 2,974.95 लाख रुपये का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। परिसमापन के मानदंडों के अनुसार आधिकारिक परिसमापक द्वारा परिसमापन प्रक्रिया प्रगति पर है। श्रीकाकुलम संयंत्र में पड़े 500 मीट्रिक टन मेट कोक को छोड़ने और उसके बाद उसकी

बिक्री पर, परिसमापक ने 17.01.2024 को अपने अंतिम संचार के माध्यम से पुष्टि की कि बिक्री प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और बिक्री आय धनराशि को आईबीसी 2016 की धारा 53 के अनुसार वितरित किया जाएगा।"

39.9 वसूली योग्य गैर-वर्तमान दावे में मेसर्स लिचेन मेटल्स (पार्टी) से 392 लाख रुपये शामिल हैं, जो एसटीसी द्वारा मेसर्स लिचेन मेटल्स को भुगतान किए गए कुल 3,187 लाख रुपये के विनिमय लाभ में से है, जो बुलियन की घरेलू आपूर्ति के लिए पार्टी द्वारा फॉरवर्ड कवर को रद्द करने के कारण हुआ था। इसके बाद, एसटीसी ने ऐसी राशि की वापसी की मांग की, जिसे पार्टी ने वापस करने से इनकार कर दिया। वापसी से इनकार करने पर, एसटीसी ने पार्टी की होल्डिंग कंपनी (मेसर्स एडलवाइस) से ली गई 2,795 लाख रुपये की जमा धनराशि को समायोजित किया और 392 लाख रुपये की वसूली योग्य शेष धनराशि छोड़ दी। हालांकि, होल्डिंग कंपनी ने पार्टी (यानी सहायक) के बकाए के खिलाफ एसटीसी द्वारा अपनी जमा धनराशि के समायोजन के खिलाफ मध्यस्थता के लिए संपर्क किया था। मध्यस्थता पुरस्कार पार्टी की होल्डिंग कंपनी के पक्ष में था एडलवाइस मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता के पास 3,192 लाख रुपये लंबित हैं। अपील लंबित रहने तक यह धनराशि उच्च न्यायालय में एफडी के रूप में सुरक्षा के रूप में रखी गई थी। मेसर्स एडलवाइस द्वारा यह धन वापस ले लिया गया और 277 लाख रुपये की धनराशि शेष रह गई, जो समय के साथ अर्जित ब्याज की राशि है। एसटीसी कोलकाता ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एलडी रजिस्ट्रार मूल पक्ष उच्च न्यायालय कलकत्ता को निर्देश जारी करने के लिए याचिका जीए संख्या 3/2023 एपी संख्या 424/2019 दायर की है, ताकि याचिकाकर्ता को भारतीय रिजर्व बैंक कोलकाता में रजिस्ट्रार के पीएल खाते में पड़े 277 रुपये में से कुछ राशि जारी की जा सके। यह मामला दिनांक 25.04.02023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जहां माननीय न्यायमूर्ति शेखर सराफ ने दो सप्ताह के भीतर विरोध में हलफनामा दायर करने और यदि कोई हो तो उसका जवाब एक सप्ताह बाद दायर करने का आदेश दिया है, इसके बाद विपरीत मामले में सुनवाई की अगली तारीख का इंतजार किया जाएगा।

39.10 चूंकि सैमसंग इस मामले में एसटीसी द्वारा लगाए गए जुर्माने और उसके बाद एसटीसी द्वारा पीबीजी को भुनाने से सहमत नहीं था, इसलिए सैमसंग ने एसटीसी के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की और एसटीसी ने भी अपना जवाबी दावा दायर किया। मध्यस्थ के फैसले के अनुसार, सैमसंग एसटीसी से दिनांक 26.12.2016 से 8% की दर से ब्याज के साथ 15,62,430.88 अमरीकी डॉलर की राशि वापस पाने का हकदार है। एसटीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त मध्यस्थता फैसले के खिलाफ अपील दायर की। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने माननीय एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए मूलधन को जमा करने पर मामले में केवल सशर्त स्थगन दिया था। तदनुसार, एसटीसी ने अपने निर्देशों के अनुसार न्यायालय में लगभग 11.03 करोड़ रुपये जमा कराए। उर्वरक विभाग ने आज तक उक्त लेनदेन में उनके द्वारा लगाया गया जुर्माना वापस नहीं लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से शेष जवाबी दलीलों के लिए मामले को दिनांक 09.05.2024 को सूचीबद्ध किया गया था, हालांकि मामले को स्थगित कर दिया गया। सुनवाई की अगली तारीख 22.05.2024 है। एसटीसी ने डीओएफ से अनुरोध किया था कि वह एसटीसी पर डीओएफ द्वारा लगाए गए जुर्माने को वापस ले और मामले में एसटीसी द्वारा किए गए कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति करे क्योंकि उक्त लेनदेन कंपनी द्वारा डीओएफ की ओर से और उसके निर्देशों के अनुसार ही किया गया था।

39.11 एसटीसी को 2016-17 के दौरान एनडीएमसी से वर्ष 1999-2000 से 2016-17 तक की अवधि के लिए संपत्ति कर के रूप में 8,002 लाख रुपये की मांग प्राप्त हुई और इसे सीसीआईसी और एचएचईसी को आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया है। 8,002 लाख रुपये की कुल मांग में से, एसटीसी ने वर्ष 2016-17 के दौरान 2,212 लाख रुपये का भुगतान किया है, जिसके विरुद्ध सीसीआईसी ने 115 लाख रुपये का अपना हिस्सा चुकाया है। हालांकि, एचएचईसी ने अपना हिस्सा नहीं चुकाया है, इसलिए 2,212 लाख रुपये के भुगतान में से एचएचईसी के हिस्से की सीमा तक प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।

39.12 अग्रिम धनराशि में मेसर्स मेट्रो मशीनरी ट्रेडर्स (एमएमटी), नई दिल्ली से प्राप्त होने वाली 8,739 लाख रुपये की धनराशि शामिल है, जिसमें मेसर्स एमएमटी और उसके भागीदारों से वसूल की जाने वाली 36,271 लाख रुपये की आकस्मिक संपत्ति शामिल नहीं है, जिसके खिलाफ कंपनी ने आपराधिक कार्यवाही सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में, पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान किया गया है। कंपनी 1 मई 2006 से पुरस्कार की प्राप्ति तक 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ 10,974 लाख रुपये के लिए अपने पक्ष में मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रही। पार्टी और उसके भागीदारों ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी थी और उनके आवेदनों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2023 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था। मेसर्स एमएमटी और उसके भागीदारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत दिनांक 03.07.2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसका एसटीसी द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इस बीच, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 22.09.2023 और 30.10.2023 के आदेशों के माध्यम से एसटीसी को कुल 19,20,96,705/- रुपये जारी किए हैं, जो बिक्री कर रिफंड के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा किए गए थे। उपरोक्त के मद्देनजर, चल रहे मामलों को अंतिम परिणाम के समय देनदारों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

39.13 5 लाख रुपये (आकस्मिक संपत्तियों को छोड़कर) की व्यापारिक प्राप्तियां मेसर्स बालासोर अलॉयज, व्यापार सहयोगी से प्राप्त होने वाली हैं। विभिन्न कानूनी मामले यानी एन.ए. अधिनियम की धारा 138 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नई दिल्ली में माननीय न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, जिनका एसटीसी द्वारा ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। एसटीसी को कुल मिलाकर मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांक 23.03.2017 के अंतरिम पुरस्कार के अनुसार 5,855 लाख रुपये मिले हैं। यद्यपि मध्यस्थता समाप्त हो गई और न्यायाधिकरण द्वारा पुरस्कार पर वर्ष 2021 में हस्ताक्षर किए गए, लेकिन पुरस्कार को आईसीए द्वारा जुलाई 2023 में तभी प्रकाशित किया गया जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर बीएएल ने अपना उचित हिस्सा चुकाया। एसटीसी को आईसीए से दिनांक 04.07.2023 को एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें एसटीसी के पक्ष में 1,848.76 लाख रुपये के पुरस्कार की सत्य प्रतिलिपि थी, साथ ही पुरस्कार के अनुसार 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी था। एसटीसी द्वारा

बालासोर न्यायालय (डीलिंग अधिवक्ता द्वारा सलाह के अनुसार क्षेत्राधिकार के अनुसार) के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को पुरस्कार के अनुसार राशि के लिए मध्यस्थ पुरस्कार के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया गया है और इसे दिनांक 11.12.2023 को स्वीकार कर लिया गया है। एसटीसी द्वारा इस मामले को पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और मामले की अगली तारीख 28.06.2024 है।

39.14 एसटीसी ने दालों की 15% सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न विभिन्न खातों के तहत डीओसीए से 22,172 लाख रुपये के अपने बकाया की वसूली के लिए एएमआरसीडी के समक्ष दिनांक 15.06.2021 को अपनी याचिका दायर की। एएमआरसीडी ने दिनांक 29.05.2022 के आदेश के तहत एसटीसी के 9,734 लाख रुपये और 3,012 लाख रुपये के दावों को खारिज कर दिया और 1,425 लाख रुपये की सीमा तक एसटीसी के 1,880 लाख रुपये के दावे को स्वीकार कर लिया। हालांकि, मेसर्स जेके इंटरनेशनल से संबंधित एसटीसी के 7,546 लाख रुपये के दावे पर, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, एसटीसी को अदालत के फैसले के बाद, यदि आवश्यक समझा जाए, तो एएमआरसीडी के समक्ष मामले को नए सिरे से उठाने के लिए कहा गया है। एसटीसी, एसटीसी को 1425 लाख रुपये की धनराशि जारी करने के लिए डीओसीए के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

40 प्रतिबद्धताएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
पूंजी प्रतिबद्धताएँ :		
पीपीई	95.89	102.44
अमूर्त संपत्ति	-	6.37
कुल	**95.89**	**108.80**
अन्य प्रतिबद्धताएँ	-	-

41 भारतीय लेखा मानक 107 - वित्तीय साधनों के संबंध में प्रकटीकरण

41.1 श्रेणियों और उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार वित्तीय उपकरण

क) स्तर 1 - स्तर 1 पदानुक्रम में सक्रिय बाजारों में उद्दत कीमतों (असमायोजित) का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

ख) स्तर 2 - स्तर 2 पदानुक्रम में स्तर 1 में शामिल उद्दत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्यों से प्राप्त) अवलोकनीय हैं।

ग) स्तर 3 - स्तर 3 पदानुक्रम में ऐसे इनपुट का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों का वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार थे:

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	पदानुक्रम स्तर	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (संदर्भ नोट संख्या 8)	3	1.04			1.04	1.04
नकद एवं नकद समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या 16)	3	20,124.52			20,124.52	20,124.52
नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष (संदर्भ नोट संख्या 17)	3	17.96			17.96	17.96
व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या 9)	3	1,06,960.49			1,06,960.49	1,06,960.49
कर्मचारी ऋण (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	248.04			248.04	248.04
प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	3,288.65			3,288.65	3,288.65

विवरण	पदानुक्रम स्तर	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट संख्या 11)	3	17,899.91			17,899.91	17,899.91
कुल		**1,48,540.61**	-	-	**1,48,540.61**	**1,48,540.61**
वित्तीय देयताएं:						
व्यापार देय (संदर्भ नोट संख्या 21)	3	1,11,886.89			1,11,886.89	1,11,886.89
उधार (संदर्भ नोट संख्या 20 और 22)	3	1,98,125.94			1,98,125.94	1,98,125.94
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या 22)	3	3,77,015.39			3,77,015.39	3,77,015.39
कुल		**6,87,028.22**	-	-	**6,87,028.22**	**6,87,028.22**

(ख) 31 मार्च, 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	पदानुक्रम स्तर	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां/ देयताएं	कुल वहन मूल्य	कुल उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां:						
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (संदर्भ नोट संख्या 8)	3	1.04			1.04	1.04
नकद एवं नकद समकक्ष (संदर्भ नोट संख्या 16)	3	1,605.20			1,605.20	1,605.20
बैंक बैलेंस (संदर्भ नोट संख्या 17)	3	17.96			17.96	17.96
व्यापार प्राप्य (संदर्भ नोट संख्या 9)	3	1,06,946.18			1,06,946.18	1,06,946.18
कर्मचारी ऋण (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	320.39			320.39	320.39
प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट संख्या 10)	3	3,254.43			3,254.43	3,254.43
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ (संदर्भ नोट संख्या 11)	3	30,153.77			30,153.77	30,153.77
कुल		**1,42,298.97**	-	-	**1,42,298.97**	**1,42,298.97**
वित्तीय देयताएं:						
व्यापार देय (संदर्भ नोट संख्या 21)	3	1,11,819.72			1,11,819.72	1,11,819.72
उधार (संदर्भ नोट संख्या 20 और 22)	3	1,98,686.94			1,98,686.94	1,98,686.94
अन्य वित्तीय देयताएं (संदर्भ नोट संख्या 22)	3	3,77,355.95	-	-	3,77,355.95	3,77,355.95
कुल		**6,87,862.61**	-	-	**6,87,862.61**	**6,87,862.61**

व्यापार प्राप्य, नकदी और नकदी समतुल्य, उधार (अल्पकालिक ऋण), व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

41.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कंपनी की गतिविधियाँ उसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और धन जोखिम। कंपनी का प्राथमिक ध्यान वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशितता का पूर्वानुमान लगाना और अपने वित्तीय प्रदर्शन पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान, संवेदनशीलता विश्लेषण
बाजार जोखिम- ब्याज दर	परिवर्तनीय ब्याज दर पर दीर्घकालिक उधार	संवेदनशीलता का विश्लेषण
बाजार जोखिम- सुरक्षा मूल्य में उतार-चढ़ाव	म्यूचुअल फंड निवेश	संवेदनशीलता का विश्लेषण
ऋण जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य, सुरक्षा जमा, वित्तीय उपकरण।	आयु विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग
धन जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान

क) बाजार जोखिम

i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जिससे कंपनी को विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी मुद्रा जोखिम का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य रूप से यूएसडी और यूरो से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और रिपोर्टिंग तिथि पर आईएनआर के अलावा किसी अन्य मुद्रा में मूल्यांकित मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों से उत्पन्न होता है।

(क) दिनांक 31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	US Dollars (in Equiv. INR)	Euro (in Equiv. INR)	Other Currencies (in Equiv. INR)	Total
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	1,47,427.26	1,826.94	-	1,49,254.19
फ्रेट डिमर्जेज/डिस्पैच प्राप्य	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**1,47,427.26**	**1,826.94**	**-**	**1,49,254.19**
विदेशी मुद्रा ऋण देय	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-	-
व्यापार देय	3,420.95	-	4.63	3,425.58
फ्रेट डिमर्जेज/डिस्पैच देय	-	-	-	-
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	-	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो)	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**3,420.95**	**-**	**4.63**	**3,425.58**
शुद्ध संपत्ति/(देयताएँ)	**1,44,006.31**	**1,826.94**	**(4.63)**	**1,45,828.61**

(ख) दिनांक 31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	US Dollars (in Equiv. INR)	Euro (in Equiv. INR)	Other Currencies (in Equiv. INR)	Total
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	1,47,199.58	1,821.16	-	1,49,020.73
फ्रेट डिमर्जेज/डिस्पैच प्राप्य	-	-	-	-
अन्य प्राप्य	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल प्राप्य	**1,47,199.58**	**1,821.16**	**-**	**1,49,020.73**
विदेशी मुद्रा ऋण देय	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा ऋण पर देय ब्याज	-	-	-	-
व्यापार देय	3,420.95	-	4.63	3,425.58
फ्रेट डिमर्जेज/डिस्पैच देय	-	-	-	-
मुकदमेबाजी निपटान के लिए प्रावधान	-	-	-	-
अन्य (यदि कोई हो)	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा में कुल देय	**3,420.95**	**-**	**4.63**	**3,425.58**
शुद्ध संपत्ति/(देयताएँ)	**1,43,778.63**	**1,821.16**	**(4.63)**	**1,45,595.15**

संवेदनशीलता

विनिमय दर में परिवर्तन के प्रति लाभ या हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्गित वित्तीय साधन से उत्पन्न होती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
का इजाफ़ा -%	नगण्य अथवा कोई प्रभाव नहीं	
-% से कमी		

ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम परिवर्तनशील दरों के साथ दीर्घकालिक और अल्पकालिक उधारों से उत्पन्न होता है, जो कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2019 के दौरान, कंपनी के उधार INR में मूल्यवर्गित हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ब्याज दर परिवर्तनों के प्रति कंपनी के उधारों का जोखिम निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
परिवर्तनीय दर उधार	-	-
निश्चित दर उधार	1,98,125.94	1,98,686.94
कुल उधार	**1,98,125.94**	**1,98,686.94**

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लाभ या हानि उधार से होने वाले उच्च/निम्न व्यय के प्रति संवेदनशील है। तालिका लाभ या हानि पर ब्याज दरों में वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशित करती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज दरें- (%) तक वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं	
ब्याज दरें- (%) तक कमी		

iii) प्रतिभूति मूल्य में उतार-चढ़ाव का जोखिम

कंपनी का प्रतिभूति मूल्य जोखिम, म्युचुअल फंडों में कंपनी के निवेश से उत्पन्न होता है तथा बैलेंस शीट में लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संवेदनशीलता

नीचे दी गई तालिका कंपनी के लाभ या हानि पर निवेश में निश्चित प्रतिशत की वृद्धि/कमी के प्रभाव को सारांशित करती है।

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ब्याज दरें- (%) तक वृद्धि	कोई प्रभाव नहीं	
ब्याज दरें- (%) तक कमी		

ख) ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का तात्पर्य प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम से है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय हानि होती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियों और बिल न किए गए राजस्व से है। तदनुसार, व्यापार प्राप्तियों से क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन निम्नलिखित पैराग्राफ में अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों से अलग से किया गया है।

व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
व्यापार प्राप्तियां	1,72,511.66	1,72,497.35
बिल न किया गया राजस्व	-	-

व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व दोनों सुरक्षित और असुरक्षित हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होते हैं। भारतीय लेखा मानक 109 को अपनाने के कारण, कंपनी हानि हानि अथवा लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल का उपयोग करती है। कंपनी व्यापार प्राप्य और बिल रहित राजस्व के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है। प्रावधान मैट्रिक्स उपलब्ध बाहरी और आंतरिक क्रेडिट जोखिम कारकों जैसे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग और ग्राहकों के लिए कंपनी के ऐतिहासिक अनुभव को ध्यान में रखता है।

ऋण जोखिम खतरा

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्य और बिल रहित प्राप्य की आयु का विश्लेषण निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
	कुल	हानि	कुल	हानि
बकाया नहीं	-	-	-	-
6 महीने तक का बकाया	-	-	-	-
छह महीने से अधिक परंतु एक वर्ष से अधिक नहीं	-	-	-	-
एक वर्ष से अधिक	1,72,511.66	65,551.17	1,72,497.35	65,551.17
कुल	**1,72,511.66**	**65,551.17**	**1,72,497.35**	**65,551.17**

व्यापार प्राप्य तब क्षतिग्रस्त होते हैं जब कंपनी द्वारा व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य के लिए किए गए वसूली विश्लेषण के आधार पर वसूली को संदिग्ध माना जाता है। कंपनी मानती है कि समीक्षाधीन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के लिए क्षतिग्रस्त और देय सभी उपरोक्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ अच्छी क्रेडिट गुणवत्ता वाली हैं।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नकद और नकद समतुल्य से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष बैंक हैं। हम ऐसे बैंकों के साथ सावधि जमा की ऋण गुणवत्ता पर विचार करते हैं जो भारत सरकार के बहुमत के स्वामित्व में हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की नियामक निगरानी के अधीन हैं, और हम इन बैंकिंग संबंधों की निरंतर आधार पर समीक्षा करते हैं। कर्मचारी ऋण से संबंधित ऋण जोखिम को नगण्य माना जाता है क्योंकि ऋण उस संपत्ति/गारंटी के विरुद्ध सुरक्षित होता है जिसके लिए कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कोई हानि प्रावधान नहीं हैं। हम उपरोक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को रिपोर्टिंग तिथि पर अच्छी ऋण गुणवत्ता वाला मानते हैं (ध्यान दें कि यदि इन वित्तीय परिसंपत्तियों के विरुद्ध कोई हानि प्रावधान किए गए हैं तो जानकारी प्रदान की जानी चाहिए)

ग) धन जोखिम

हमारी धन आवश्यकताओं की निगरानी मासिक और वार्षिक अनुमानों के आधार पर की जाती है। कंपनी के धन के मुख्य स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष, परिचालन से उत्पन्न नकदी और बैंकों से ऋण सुविधाएं हैं।

हम नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और पर्याप्त नकदी और नकदी समकक्ष बनाए रखकर अपनी धन आवश्यकताओं का प्रबंधन करते हैं। किसी भी कमी का पता लगाने के लिए शुद्ध नकदी आवश्यकताओं की तुलना उपलब्ध नकदी से की जाती है।

अल्पावधि धन आवश्यकताओं में मुख्य रूप से विविध लेनदार, देय व्यय, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान उत्पन्न होने वाले कर्मचारी बकाया शामिल हैं। हम अपनी अल्पावधि धन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी और नकद समकक्षों में पर्याप्त संतुलन बनाए रखते हैं।

हम समय-समय पर दीर्घकालिक धन आवश्यकताओं का आकलन करते हैं और आंतरिक स्रोतों के माध्यम से उनका प्रबंधन करते हैं।

नीचे दी गई तालिका गैर-व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती है। यह तालिका वित्तीय देनदारियों के अघोषित नकदी प्रवाह के आधार पर तैयार की गई है, जो कि कंपनी द्वारा भुगतान करने के लिए अपेक्षित प्रारंभिक तिथि पर आधारित है। तालिका में मूलधन और ब्याज दोनों के नकदी प्रवाह शामिल हैं।

(क) 31 मार्च 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	1,11,775.72	-	-	111.17	1,11,886.89
अल्पावधि उधार	-	80,623.24	-	-	1,17,500.71	1,98,123.95
अन्य वित्तीय देयताएं	-	38,659.12	-	3,38,358.26	-	3,77,017.38
कुल	-	**2,31,058.08**	-	**3,38,358.26**	**1,17,611.87**	**6,87,028.22**

(ख) 31 मार्च 2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-3 वर्ष	3-5 वर्ष	वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देयताएं	-	1,11,708.55	-	-	111.17	1,11,819.72
अल्पावधि उधार	-	80,623.24	-	-	1,18,061.71	1,98,684.95
अन्य वित्तीय देयताएं	6.32	38,993.36	-	3,38,358.26	-	3,77,357.94
कुल	**6.32**	**2,31,325.15**	-	**3,38,358.26**	**1,18,172.87**	**6,87,826.61**

42 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-21 "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" के संबंध में प्रकटीकरण

लाभ-हानि विवरण में डेबिट/क्रेडिट की गई विनिमय अंतर (शुद्ध) राशि रु. 62.30 लाख (पिछले वर्ष आय रु. -236.98 लाख)

43 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-23 "उधार लागत" के संबंध में प्रकटीकरण

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उधार लागत के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के साथ पूंजीकृत धनराशि क्रमशः शून्य रुपये और शून्य रुपये है।

44 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-36 "परिसंपत्तियों की क्षति" के संबंध में प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसंपत्तियों पर 318 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये) की हानि का आकलन किया। नोट 32 देखें।

45 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-108 के संबंध में प्रकटीकरण: "परिचालन खंड"

परिचालन खंड

1) निर्यात

2) आयात

3) घरेलू

खंडों की पहचान

मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यवसाय खंडों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। खंड प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या

हानि के अनुरूप मापा जाता है। परिचालन खंडों की पहचान उत्पादों/सेवाओं की प्रकृति के आधार पर की गई है और उन्हें भारतीय लेखा मानक में निर्दिष्ट मात्रात्मक मानदंडों के अनुसार पहचाना गया है।

खंड राजस्व और परिणाम

वे व्यय और आय जो किसी भी व्यवसाय खंड से सीधे संबंधित नहीं हैं, उन्हें अनाबंटित व्यय (आबंटित आय को घटाकर) के रूप में दर्शाया जाता है।

खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ खंडित करें

खंड परिसंपत्तियों में परिचालन खंडों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी परिचालन परिसंपत्तियाँ शामिल हैं और इनमें मुख्य रूप से पीपीई, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य और मालसूची शामिल हैं। खंड देयता में मुख्य रूप से व्यापार देय और अन्य देयताएँ शामिल हैं। सामान्य परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें किसी भी खंड में आवंटित नहीं किया जा सकता है, उन्हें गैर-आवंटित परिसंपत्तियों और देयताओं के भाग के रूप में दिखाया जाता है।

अंतरखंड स्थानान्तरण

अंतरखंड कीमतों पर आमतौर पर लागत, बाजार मूल्य और व्यावसायिक जोखिम के संदर्भ में खंडों के बीच बातचीत की जाती है। अंतरखंड हस्तांतरण पर लाभ या हानि को कंपनी स्तर पर समाप्त कर दिया जाता है।

(क) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	निर्यात	आयात	घरेलू	आवंटित नहीं की गई	कुल
1	**खंड राजस्व**					
1(क)	बाह्य बिक्री	-	-	-	-	-
1(ख)	अंतर खंड राजस्व	-	-	-	-	-
	खंड राजस्व (1(क) +1 (ख))	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**खंड परिणाम**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 (क)	असंबद्ध कॉर्पोरेट व्यय असंबद्ध आय से घटाया गया	-	1.88	-	(3,118.00)	(3,116.11)
3 (ख)	ब्याज व्यय	73.05	-	-	-	73.05
3 (ग)	ब्याज आय	-	-	-	(1,652.66)	(1,652.66)
	कुल [3(क)+3(ख)+3(ग)]	**73.05**	**1.88**	**-**	**(4,770.66)**	**(4,695.73)**
4	**सामान्य गतिविधियों से कर-पूर्व लाभ [(2)-3(क),(ख) एवं (ग)]**	**(73.05)**	**(1.88)**	**-**	**4,770.66**	**4,695.73**
5	असाधारण मद(आइटम)	-	-	-	(436.40)	(436.40)
6	आयकर	-	-	-	24.90	24.90
7	**कर के बाद शुद्ध लाभ (4)- (5) -(6)**	**(73.05)**	**(1.88)**	**-**	**5,182.16**	**5,107.23**
8	**संयुक्त उद्यम के परिणामों में रुचि**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	**अन्य सूचना :**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9 (क)	खंड परिसंपत्तियाँ	9,085.56	96,182.58	-	1,34,003.67	2,39,271.81
9 (ख)	खंड देयताएं	11,330.71	1,07,308.55	-	5,83,958.52	7,02,597.78
9 (ग)	पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-
9 (घ)	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
9 (ङ.)	मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय	73.05	-	-	-	73.05

(ख) 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	निर्यात	आयात	घरेलू	आवंटित नहीं की गई	कुल
1	**खंड राजस्व**					
1(क)	बाह्य बिक्री	-	-	-	-	-
1(ख)	अंतर खंड राजस्व	-	-	-	-	-
	खंड राजस्व [1(क) +1 (ख)]	-	-	-	-	-
2	**खंड परिणाम**	-	-	-	-	-
3 (क)	असंबद्ध कॉर्पोरेट व्यय असंबद्ध आय से घटाया गया	-	1.55	-	(2,777.75)	(2,776.19)
3 (ख)	ब्याज व्यय	72.85	-	-	-	72.85
3 (ग)	ब्याज आय	-	-	-	(983.58)	(983.58)
	कुल [3(क)+3(ख)+3(ग)]	72.85	1.55	-	(3,761.31)	(3,686.92)
4	**सामान्य गतिविधियों से कर-पूर्व लाभ [(2)-3(क),(ख) एवं (ग)]**	**(72.85)**	**(1.55)**	**-**	**3,761.30**	**3,686.91**
5	असाधारण आइटम	-	-	-	(24.18)	(24.18)
6	आयकर	-	-	-	421.95	421.95
7	**कर के बाद शुद्ध लाभ [(4)-(5)-(6)]**	**(72.85)**	**(1.55)**	**-**	**3,363.54**	**3,289.14**
8	**संयुक्त उद्यम के परिणामों में रुचि**	-	-	-	-	-
9	**अन्य सूचना :**	-	-	-	-	-
9 (क)	खंड परिसंपत्तियाँ	9,078.38	96,149.06	-	1,28,626.16	2,33,853.59
9 (ख)	खंड देयताएं	11,323.53	1,05,286.56	-	1,31,650.14	2,48,260.22
9 (ग)	पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-
9 (घ)	मूल्यह्रास	-	-	-	-	-
9 (ङ.)	मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर-नकद व्यय	72.85	-	-	-	72.85

(ii) प्रमुख ग्राहकों के बारे में

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ लाख में)

प्रमुख ग्राहक (10% से अधिक राजस्व वाला ग्राहक)	निर्यात	आयात	घरेलू
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
कुल मुनाफा	**शून्य**		
प्रमुख ग्राहक का नाम :			
कुल राजस्व का %			

नोट संख्या 46 :

भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के अनुसार प्रकटीकरण

(i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

क. पेंशन

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में अपने मौजूदा कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना बनाई है। इस संबंध में एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट का गठन किया गया है। इस योजना के तहत नियोक्ता का अंशदान पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन वीडीए का 9% है और ट्रस्ट के फंड का प्रबंधन एलआईसी द्वारा किया जाता है। कोई कर्मचारी 15 वर्ष पूरे होने से पहले कंपनी छोड़ता है तो केवल वही कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकता है। यदि कर्मचारी 15 वर्ष पूरे होने से पहले कंपनी छोड़ता है तो उसे केवल कर्मचारी अंशदान और ब्याज देय होगा। हालांकि, यह शर्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है जो समान पेंशन योजना वाले अन्य सीपीएसई में शामिल होते हैं।

(i) परिभाषित लाभ योजनाएँ:

क. भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। वर्ष के लिए निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। (इस खाते पर व्यय के लिए नोट 30 देखें) कंपनी का दायित्व ऐसा निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करना है।

ख. उपदान(ग्रेच्युटी)

कंपनी के पास एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक सेवा की है, वह सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है, जो सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, विकलांगता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकता है।बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका में बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में ग्रेच्युटी की स्थिति और मान्यता प्राप्त राशियों को दर्शाया गया है:

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	31.03.2024	31.03.2023
वर्तमान	382.90	447.97
गैर-वर्तमान	1,037.75	1,185.38
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**1,420.65**	**1,633.35**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट (₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क.	प्रारंभिक जमा	**1,633.35**	1,788.85	**1,602.68**	1,593.96	**30.67**	194.88
ख.	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	39.98	52.19			39.98	52.19
(ii)	पिछली सेवा लागत						
(iii)	ब्याज लागत (आय)	120.12	125.19	94.69	105.67	214.81	230.86
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि (i+ii+iii)	**160.09**	**177.38**	**94.69**	**105.67**	**254.79**	**283.05**
ग.	**ओसीआई में शामिल:**						
	पुनर्मापन हानि (लाभ):						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	11.31	-32.46			11.31	-32.46

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
(ii)	अनुभव समायोजन	-59.68	-5.51			-59.68	-5.51
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल			4.83	2.92	4.83	2.92
	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल धनराशि (i+ii+iii)	**-48.37**	**-37.96**	**4.83**	**2.92**	**-43.54**	**-35.04**
घ.	अन्य						
ङ.	कोष में दिया गया अंशदान	-	-	37.10	195.03	-37.10	-195.03
च.	भुगतान किये गये लाभ	-324.43	-294.92	-324.43	-294.92	-	-
छ.	अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-	-	
ज.	**अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ+च)**	**1,420.64**	**1,633.34**	**1,405.22**	**1,596.83**	**204.81**	**247.86**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है:- (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
(क)	**बैंक में शेष धनराशि**		
	एसबीआई	0.02	0.00
	यस बैंक	-	-
	आईडीबीआई	**0.11**	**0.31**
	कुल (क)	**0.13**	**0.31**
(ख)	**समूह उपदान(ग्रेच्युटी) पारंपरिक निधि योजना**	-	-
	बजाज आलियांज	80.25	82.44
	एसबीआई लाइफ	0.00	0.12
	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस	**14.31**	**22.62**
	कुल (ख)	**94.57**	**105.18**
	कुल योग (क+ख)	**94.70**	**105.49**

ग. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ़) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके पति/पत्नी पैनल में शामिल अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं के लिए पात्र हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य-रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों को एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित तालिका पीआरएमबी की स्थिति और बैलेंस शीट तिथि पर कंपनी के वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को दर्शाती है:

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्तमान	704.87	708.35
गैर-वर्तमान	7,957.19	9,350.11
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**8,662.05**	**10,058.46**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**10,058.46**	**11,377.80**			**10,058**	**11,378**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	**32.88**	34.78				35
(ii)	पिछली सेवा लागत						
(iii)	ब्याज लागत (आय)	**739.30**	796.45				796
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**772**	**831**			**772**	**831**
ग	**ओसीआई में शामिल:**						
	पुनर्मापन हानि (लाभ):						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	**-2,081.20**	-2,027.51			**(2,081)**	(2,028)
(ii)	अनुभव समायोजन						-
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल						
	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2,081)**	**(2,028)**	**-**	**-**	**(2,081)**	**(2,028)**
घ	अन्य						
ङ.	भुगतान किये गये लाभ	**-87.39**	-123.06			**(87)**	(123)
च	**अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ.)**	**8,662**	**10,058**	**-**	**-**	**8,662**	**10,058**

घ. छुट्टी

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी (ईएल) और अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो सालाना क्रमशः 30 दिन और 20

दिन का होता है। अनुशासनात्मक आधार के अलावा सेवानिवृत्ति/सेवा से समाप्ति के समय छुट्टी के नकदीकरण की अधिकतम सीमा 300 दिन (ईएल और एचपीएल संयुक्त) तक सीमित होगी। त्यागपत्र पर ईएल का 50% अधिकतम 150 दिनों के अधीन नकदीकरण किया जा सकता है। सेवा में रहते हुए वर्ष में दो बार 15 दिनों का न्यूनतम शेष छोड़कर ईएल का नकदीकरण किया जा सकता है।

अर्जित छुट्टी

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	दिनांक 31.03.2024 तक	दिनांक 31.03.2023 तक
वर्तमान	98.40	187.57
गैर-वर्तमान	687.82	783.89
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**786.22**	**971.46**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**971.46**	**959.89**	**-**	**-**	**971.46**	**959.89**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**	**-**	**-**				
(i)	वर्तमान सेवा लागत	**40.72**	50.76			**40.72**	50.76
(ii)	पिछली सेवा लागत	**-**	-				
(iii)	ब्याज लागत (आय)	**71.46**	67.17			**71.46**	67.17
ग	**पुनर्मापन हानि (लाभ):**						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	**-96.96**	-28.29			**(96.96)**	(28.29)
(ii)	अनुभव समायोजन	**5.05**	7.27			**5.05**	7.27
(iii)	जनसांख्यिकीय धारणा						
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि (ख+ग)	**20.26**	**96.92**	**-**	**-**	**20.26**	**96.92**
घ	**अन्य**						
ङ.	भुगतान किये गये लाभ	-205.48	-85.36			(205.48)	(85.36)
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ.)	**786.23**	**971.45**	**-**	**-**	**786.23**	**971.45**

चिकित्सा अवकाश

(₹ लाख में)

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता :	31.03.2024	31.03.2023
वर्तमान	73.05	69.04
गैर-वर्तमान	273.07	297.37
वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	**346.12**	**366.41**

शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में मूवमेंट (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	परिभाषित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देयता	
		31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
क	**प्रारंभिक जमा**	**366.41**	**369.14**	**-**	**-**	**366.41**	**369.14**
ख	**लाभ या हानि में शामिल:**						
(i)	वर्तमान सेवा लागत	**15.27**	16.52			**15.27**	16.52
(ii)	पिछली सेवा लागत	-	-				
(iii)	ब्याज लागत (आय)	**26.93**	25.84			**26.93**	25.84
ग	**पुनर्मापन हानि (लाभ):**						
	निम्नलिखित से होने वाली बीमांकिक हानि (लाभ) :						
(i)	वित्तीय मान्यताएँ	3.11	-9.13			3.11	(9.13)
(ii)	अनुभव समायोजन	-44.98	-14.09			(44.98)	(14.09)
(iii)	ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल						
	लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल धनराशि (ख+ग)	**0.34**	**19.13**	**-**	**-**	**0.34**	**19.13**
घ.	**अन्य**						
ङ.	भुगतान किये गये लाभ	-20.63	-21.87			(20.63)	(21.87)
	अंतिम शेष (क+ख+ग+घ+ङ.)	**346.12**	**366.41**	**-**	**-**	**346.12**	**366.41**

ङ. अन्य लाभ

कंपनी में लगातार सेवा देने वाले नियमित कर्मचारियों को 15/25/30/35/38 वर्ष की सेवा पूरी करने पर उनके द्वारा दी गई लंबी सेवा के लिए सेवा पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से सेवा पुरस्कार भी सेवानिवृत्ति के समय दिया जाता है, जो अधिकतम 30,000/- रुपये तक हो सकता है। कार्मिक प्रभाग परिपत्र दिनांक 13.06.2017 के तहत इसे बंद कर दिया गया है।

च बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग तिथि पर प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं निम्नलिखित थीं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1	छूट की दर	7.21%	7.35%
2	भविष्य में वेतन वृद्धि	8%	8%
3	चिकित्सा लागत में वृद्धि	8%	8%

i. छूट दर, देयता अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए प्रासंगिक लेखांकन तिथि पर सरकारी बांड पर उपलब्ध बाजार पैदावार पर आधारित है।

ii. वेतन वृद्धि दर कंपनी का वेतन वृद्धि के संबंध में दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है तथा इसमें प्रासंगिक लेखा अवधि में उपलब्ध कराए गए अनुसार मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

iii. चिकित्सा लागत वृद्धि दर, कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है, जो कि मुद्रास्फीति, अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक आधार पर लागत वृद्धि के रूप में प्रासंगिक लेखा अवधि में प्रदान किया गया है।

छ. संवेदनशीलता का विश्लेषण

अन्य मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, प्रासंगिक बीमांकिक मान्यताओं में से किसी एक में रिपोर्टिंग तिथि पर यथोचित रूप से संभव परिवर्तन से, नीचे दर्शाई गई राशियों द्वारा परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित होगा:

31.03.2024 तक

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	उपहार (वित्त पोषित)	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
			(गैर वित्तपोषित)		
छूट की दर	0.50%	-37.27	-469.41	-30.38	-10.93
	-0.50%	39.75	490.65	32.85	11.74
वेतन वृद्धि दर	0.50%	8.07	-	34.47	11.54
	-0.50%	-9.25	-	-32.21	-10.91
चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.50%	-	500.75	-	-
	-0.50%	-	-487.51	-	-

31.03.2024 तक

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	उपहार (वित्त पोषित)	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
			(गैर वित्तपोषित)		
छूट की दर	0.50%	-42.66	-552.63	-36.41	-12.28
	-0.50%	45.56	576.92	39.48	13.22
वेतन वृद्धि दर	0.50%	11.58	-	41.86	13.01
	-0.50%	-12.96	-	-38.89	-12.27
चिकित्सा लागत में वृद्धि	0.50%	-	592.61	-	-
	-0.50%	-	-565.65	-	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना एक्चुरियल द्वारा नहीं की जाती है

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं

ज जोखिम खतरा

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जो प्रकृति में गतिशील होते हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार कंपनी को निम्नलिखित विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है:

1 **वेतन में वृद्धि-** वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी। भविष्य के मूल्यांकन में वेतन वृद्धि दर की धारणा में वृद्धि से भी देयता में वृद्धि होगी।

2 **निवेश जोखिम- यदि योजना वित्तपोषित है तो परिसंपत्तियों-देयताओं का बेमेल होना तथा परिसंपत्तियों पर वास्तविक निवेश प्रतिफल का अंतिम मूल्यांकन तिथि पर अनुमानित छूट दर से कम होना, देयता को प्रभावित कर सकता है।**

3 **छूट की दर-** आगामी मूल्यांकन में छूट दर में कमी से योजना की देयता बढ़ सकती है।

4 **मृत्यु दर और विकलांगता-** वास्तविक मृत्यु एवं विकलांगता के मामले, मूल्यांकन में अनुमानित से कम या अधिक साबित होने से देयताएं प्रभावित हो सकती हैं।

5 **निकासी –** वास्तविक निकासी, अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होना तथा बाद के मूल्यांकन में निकासी दरों में परिवर्तन, योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

i. परिभाषित लाभ दायित्वों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

भुगतान का वर्ष	उपहार (वित्त पोषित)	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
		(गैर वित्तपोषित)		
1 वर्ष से कम	382.90	704.87	98.42	73.05
1-2 वर्ष के बीच	193.17	761.61	87.38	44.15
2-3 वर्ष के बीच	103.28	799.12	62.28	19.18
3-4 वर्ष के बीच	65.27	829.08	26.51	9.97
4-5 वर्ष के बीच	44.57	867.18	24.64	8.55
5 वर्ष से अधिक	691.62	4,700.20	542.95	191.21

31.03.2023 तक (₹ लाख में)

भुगतान का वर्ष	उपहार	पीआरएमबी	अर्जित छुट्टी	अर्ध वेतन छुट्टी
	(वित्त पोषित)	(गैर वित्तपोषित)		
1 वर्ष से कम	449.02	69.04	188.11	708.35
1-2 वर्ष के बीच	151.92	34.82	75.93	781.35
2-3 वर्ष के बीच	210.88	35.79	86.67	800.40
3-4 वर्ष के बीच	100.94	22.00	55.79	843.82
4-5 वर्ष के बीच	67.31	10.08	28.15	898.70
5 वर्ष से अधिक	733.85	194.49	618.48	6,025.84

47. भारतीय लेखा मानक 24 के संबंध में प्रकटीकरण "संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण"

क. उल्लेखनीय प्रभाव रखने वाले उद्यम

(i) सहायक कंपनियां: एसटीसीएल लिमिटेड.

(ii) संयुक्त उद्यम: एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड"

(iii) अन्य: सीलैक एग्रो वेंचर्स लिमिटेड

(iv) दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पेंशन ट्रस्ट

(v) दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन सीपीएफ ट्रस्ट

(vi) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ग्रेच्युटी ट्रस्ट"

ख) उल्लेखनीय प्रभाव वाले व्यक्ति (निदेशक)

नाम	पदनाम	अभ्युक्तियाँ
श्री कपिल कुमार गुप्ता, निदेशक	वित्त (एमएमटीसी)	एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार, 03.06.2020 से प्रभावी
श्री ए.एन.ए. जयकुमार	निदेशक-विपणन	30.04.2022 तक
सुश्री आरती भटनागर	सरकारी नामिती निदेशक	13.03.2023 से प्रभावी
श्री विपुल बंसल	सरकारी नामिती निदेशक	22.12.2021 से प्रभावी
श्री शशांक प्रिया	सरकारी नामिती निदेशक	13.08.2019 से प्रभावी 10.01.2023 तक
श्री मंजीत कुमार राजदान	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री सतीश कुमार चावला	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री दिवाकर शेट्टी कौप	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.11.2021 से प्रभावी
श्री विवेक अतुल भुस्कुटे	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	02.12.2021 से प्रभावी
डॉ. रोहिनी संजय कचोले	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	01.12.2021 से प्रभावी
श्री अशोक कुमार असेरी	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	03.12.2021 से प्रभावी
श्री नरेश धनराजभाई केल्ला	गैर- सरकारी स्वतंत्र निदेशक	30.03.2022 से प्रभावी

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

नाम	पदनाम	अभ्युक्तियाँ
श्री हरदीप सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	28.04.2023 से प्रभावी
श्री बी.एस. राव	मुख्य वित्त अधिकारी	12.02.2022 से प्रभावी
श्री विपिन कुमार त्रिपाठी	कंपनी सचिव	20.12.2019 से प्रभावी

घ. एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है और इसमें अधिकांश शेयर हैं (नोट संख्या 18 देखें), भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसार, ऐसी संस्थाएँ जिन पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है या जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग संस्था और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट लागू की है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी का महत्वपूर्ण लेन-देन है, उनमें उर्वरक और रसायन मंत्रालय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

i) **संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन निम्नानुसार हैं:**

(₹ लाख में)

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम कंपनियां	सहायक		संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	
विवरण	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
प्राप्त किराया (रु. लाख में)	2.40	2.40	शून्य	

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
- अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	58.55	62.93
- रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ	85.66	179.34
- समाप्ति लाभ	-	-
- अन्य दीर्घकालिक लाभ	10.08	19.26
कुल	**154.29**	**261.53**

विवरण	एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट		एसटीसी कर्मचारी परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन ट्रस्ट		एसटीसी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के लिए एसटीसी अंशदान	161.40	153.41	118.79	112.82	-	-
वर्ष के अंत में एसटीसी के पास बकाया शेष	44.24	12.81	12.93	9.42	7.38	30.90

एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सरकारी विभाग/सरकारी इकाई का नाम	इकाई के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	एसबीआई व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	183.25	183.25
2	एसबीआई आईएफबी शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	729.68	729.68
3	एसबीआई सीएजी शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	643.02	643.02
4	एसबीआई ओवरसीज शाखा	सरकारी	किराया+सीएमसी	921.99	921.99
5	विशेष सुरक्षा समूह	सरकारी	किराया+सीएमसी	31.44	31.44
6	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन	सरकारी	किराया+सीएमसी	731.82	788.49
7	आईआरसीटीसी	सरकारी	किराया+सीएमसी	18.92	19.24
8	मुख्य नियंत्रक कार्यालय	सरकारी	किराया+सीएमसी	1,592.13	1,479.09
9	क्षमता निर्माण आयोग	सरकारी	किराया+सीएमसी	1,880.01	1,470.39
10	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग	सरकारी	किराया+सीएमसी	344.24	1,479.09
11	आर्थिक मामलों का विभाग	सरकारी	किराया+सीएमसी-	-	210.99
12	एनसीएलटी	सरकारी	किराया+सीएमसी	678.33	678.33
13	ओएनजीसी	सरकारी	किराया+सीएमसी	912.39	831.70

ii) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
ऋण के लिए वसूली योग्य धनराशि :		
- सहायक कंपनियों से	शून्य	
- संयुक्त उद्यमों से		
- सहायक कंपनियों से	**0.02**	**0.02**
- संयुक्त उद्यमों से	शून्य	
- प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से		
- रोजगार के बाद लाभ योजनाओं से		
देय राशि		
- सहायक कंपनियों से	शून्य	
- संयुक्त उद्यमों से		
- अन्य से		

iii) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के नियम और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों तथा बाजार दरों पर किया जाता है।

h. संबंधित पक्षों को प्रतिबद्धताएं दी जानी चाहिए

48. भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरण' का प्रकटीकरण'

क) सहायक कंपनियों में निवेश:

कंपनी का नाम	इसके निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
एसटीसीएल लिमिटेड	भारत	100%	100%

ख) संयुक्त उद्यम संस्थाओं/सहयोगियों में निवेश:

कंपनी का नाम	इसके निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
एनएसएस सतपुड़ा एग्रो डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	भारत	25%	25%
रिचफील्ड एक्वाटेक लिमिटेड.	पिछले वर्षों में निवेश को बट्टे खाते में डाल दिया गया है		
ब्लू गोल्ड मैरीटेक लिमिटेड.			
नेशनल टेनरी कंपनी लिमिटेड.			
इंडोपिरिन ग्लव्स लिमिटेड.			

49.1 पट्टेदार के रूप में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार के लिए लगाया गया मूल्यह्रास	-	-
पट्टा देयता पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय (12 महीने से कम)	-	-
पट्टों के लिए कुल नकद प्रवाह	-	-
परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार में वृद्धि	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार की अग्रणीत धनराशि	-	-

49.2 पट्टादाता के रूप में

क) गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार प्राप्त किए जाएँगे: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
1 वर्ष से कम समय में	शून्य	
1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच		
5 वर्ष से अधिक समय के बाद		

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त भुगतान (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
आय-उत्पादक संपत्ति	7,334.58	-
खाली संपत्ति	-	-
स्वयं अधिगृहीत संपत्ति	-	-

50. भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)-33 "प्रति शेयर आय (ईपीएस)" के संबंध में प्रकटीकरण

क) बेसिक ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रु.)	10	10
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि) (क)	7,336.17	5,350.59
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या(ख)B)	600.00	600.00
बेसिक ईपीएस (क/ख)	**12.23**	**8.92**

ख) डाइल्यूट ईपीएस

डाइल्यूट ईपीएस की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की आय और भारित औसत संख्या निम्नानुसार है: (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
वर्ष के लिए कंपनी के मालिकों को देय लाभ (हानि) (क)	7,336.17	5,350.59
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य के लिए साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या(ख)	600.00	600.00
डाइल्यूट ईपीएस (क/ख)	**12.23**	**8.92**

51. लाभांश

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
(i) इक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	600.00	600.00
(ii) वर्ष के अंत में लाभांश की मान्यता नहीं दी गई।	-	-

52. सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए	31.03.2023 को समाप्त अवधि के लिए
वर्तमान/गैर-वर्तमान	शून्य	
वित्तीय/गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां		
पहला चार्ज/फ्लोटिंग चार्ज	कंपनी की व्यापार प्राप्य धनराशि	

53. प्रकटीकरण

निम्नलिखित अनुपातों का खुलासा किया जाना है:-

(क) चालू अनुपात,	0.21	0.20
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात,	(1.50)	(1.49)
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात,	0.02	(0.02)
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न,	-	-
(ङ.) मालसूची टर्नओवर अनुपात,	-	-
(च) व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात,	-	-
(छ) व्यापार देयता कारोबार अनुपात,	-	-
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात,	-	-
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात,	-	-
(ट) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल,	(0.01)	0.01
(ठ) निवेश पर प्रतिफल.	-	-

1. चालू अनुपात: चालू परिसंपत्तियाँ/देयताएँ, चालू परिसंपत्तियों में मालसूची, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य, ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। चालू देनदारियों में उधार, व्यापार देय, अन्य वित्तीय देनदारियाँ और अन्य चालू देनदारियाँ शामिल हैं
2. ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण/इक्विटी, ऋण में शेयरधारक निधि के अलावा कुल देयताएं शामिल हैं
3. ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ईबीआईटी/उधार + ब्याज
4. इक्विटी पर रिटर्न: शुद्ध लाभ/शेयरधारक निधि
5. मालसूची टर्नओवर अनुपात: बेचे गए सोने की कीमत/ औसत मालसूची
6. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: शुद्ध ऋण बिक्री/ औसत व्यापार प्राप्य
7. व्यापार देयता कारोबार अनुपात: क्रेडिट खरीद / औसत व्यापार देयता
8. शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: कारोबार / शेयरधारक निधि
9. शुद्ध लाभ अनुपात : शुद्ध लाभ / कारोबार
10. नियोजित पूंजी पर रिटर्न: ईबीआईटी/शेयरधारक निधि + दीर्घकालिक ऋण
11. निवेश पर लाभ : रिटर्न / निवेश की लागत

54. प्रकटीकरण

उधारकर्ता का प्रकार	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण अथवा अग्रिम धनराशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	
निदेशक		
केएमपी	3.47	4.09
संबंधित पार्टियों	शून्य	

55. शेष धनराशि की पुष्टि और समाधान

प्राप्य एवं देय धनराशि का बैलेंस (कुछ मामलों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर सहित) पुष्टि/समाधान के अधीन है

56. गैर-चालू व्यवसाय

प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय और बोर्ड द्वारा दिनांक 05.04.2021 की 639वीं बैठक में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, यह संकल्प लिया गया है कि एसटीसी को फिलहाल एक गैर-संचालन कंपनी के रूप में जारी रखा जाए और वित्त वर्ष 2021-22 से गैर-चालू व्यवसाय के आधार पर खाते तैयार किए जाएं। परिचालन जारी रखने की अनिश्चितता के कारण, कंपनी ने किराया संतुलन रिजर्व, प्री-पेड और पूर्व अवधि के खर्चों का प्रावधान नहीं किया है।

57. "एसटीसी के पास एमबीपीटी से संबंधित मैलेट बंदर में एक भूखंड का पट्टा था, जो दिनांक 17.10.2016 को समाप्त हो गया था। एसटीसी ने शुरू में पट्टे के विस्तार की मांग की, लेकिन बाद में गैर-व्यवहार्यता और व्यापार गतिविधियों को रोकने के निर्णय के कारण भूखंडों को अभ्यर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद, उक्त भूखंड को अभ्यर्पण कर दिया गया और दिनांक 12.11.2021 को अभ्यर्पण प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया। एमबीपीटी ने माननीय संपदा अधिकारी के समक्ष एसटीसी के खिलाफ दो मामले दायर किए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बैठक के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था, और लंबित मुद्दों/विवादों (यदि कोई हो) को एएमआरसीडी तंत्र के प्रावधानों के तहत फिर से सुलझाया जाएगा। मैलेट बंदर में स्थापित एमबीपीटी को सौंपी गई परिसंपत्तियों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और खेतों, मशीनरी वे लीव, पाइपलाइनों और अन्य परिसंपत्तियों के मूल्य को एसटीसी के बकाया देय धनराशि के प्रति समायोजित किया जाएगा। एसटीसी नियमित रूप से एमबीपीटी से मूल्यांकन पर अद्यतन जानकारी मांग रहा है।

कानूनी सलाहकार और जीएसटी सलाहकार की राय के अनुसार, एसटीसी अंतर किराया यानी एसटीसी द्वारा पट्टे की अवधि से परे कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजे के विरुद्ध भुगतान की गई धनराशि के समायोजन के बाद दिनांक 30.07.1984 के पट्टा समझौते के खंड संख्या 24 के अनुसार प्रतिमाह 9.20 लाख रुपये के हिसाब से लागू जीएसटी के साथ भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एमबीपीटी के साथ सुलह लंबित है। तदनुसार, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा।

58. सचिव-एनएफआरए (राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण) के दिनांक 29.03.2023 के परिपत्र संख्या एनएफ-25011/1/2023-ओ/ओ के अनुसार "ग्राहकों और व्यापार प्राप्तियों के साथ अनुबंधों से राजस्व के मापन के लिए लेखांकन नीतियों पर भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के गैर-अनुपालन के उदाहरण" को संशोधित किया गया है और बोर्ड द्वारा दिनांक 08.11.2023 को अनुमोदित किया गया है। चूंकि एसटीसी में कोई लेन-देन नहीं है, इसलिए लेखांकन नीति में उक्त परिवर्तनों के कारण वित्तीय आंकड़े प्रभावित नहीं होंगे।

सहायक कंपनी की टिप्पणियाँ

59. वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।

60. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अन्य लेनदार, जमा और ईएमडी तथा व्यावसायिक सहयोगियों के खाते में शेष राशि मुकदमेबाजी के अधीन है तथा उपरोक्त शेष राशि की बाबत कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

61. प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यवसायिक क्रम में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम उस राशि के बराबर है जिस पर वे तुलन-पत्र में दर्शाए गए हैं तथा जहां भी इसे संदिग्ध माना जाता है, वहां आवश्यक प्रावधान किया गया है।

62. चूंकि संदिग्ध ऋणों के लिए पिछले वर्षों में पूर्ण प्रावधान पहले ही किया जा चुका है, इसलिए आगे कोई ब्याज आय मान्यता प्राप्त नहीं है। राशियों को वास्तविक वसूली के वर्ष में संग्रह के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाएगी। बैंकों के संघ और यूको बैंक को देय ब्याज की गणना प्रोद्भव आधार पर की जाती है तथा इसे उन व्यावसायिक सहयोगियों से वसूल किया जाना है जिन्हें ऋण सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

63. कंपनी ने 1994 में मेसर्स राजेश स्पाइसेज के खिलाफ मेसर्स केरल स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन को बैक टू बैक आपूर्ति अनुबंध शर्तों के तहत मिर्च की आपूर्ति पर अनुबंध के उल्लंघन के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था। सिटी सिविल कोर्ट ने कंपनी के पक्ष में एक फैसला पारित किया है जिसमें मेसर्स राजेश स्पाइसेज को निर्देश दिया गया है कि वह अगस्त 2011 के दौरान एसटीसीएल को 33,64,560/- रुपये 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ [मुकदमे की तारीख यानी जून 1994 से वसूली तक] का भुगतान करे। कंपनी के पक्ष में पारित फैसला वसूली के लिए सिटी सिविल कोर्ट, नागपुर, महाराष्ट्र को स्थानांतरित कर दिया गया है।

64. ऐसे मामलों में जहां कंपनी ने संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है, संदिग्ध ऋणों के रूप में वर्गीकृत होने के बाद कोई और ब्याज/लाभ का अतिरिक्त मार्जिन मान्यता प्राप्त नहीं है। पुस्तकों के अनुसार बकाया शेष राशि की पूरी प्राप्ति के बाद ही ब्याज/लाभ का अतिरिक्त मार्जिन नकद आधार पर मान्यता प्राप्त होगा।

65. विविध व्यय में कंपनी के कुल राजस्व के 1% या 10,00,000/- रुपये से अधिक व्यय की मदें शामिल नहीं हैं, जो भी अधिक हो। वित्तीय विवरणों में आँकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है और पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत, पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके। प्रमोटरों, संबंधित पक्षों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों या निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया जाता है।

66. हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

हटाई गई कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31 मार्च, 2023 तक बकाया शेष राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध
शून्य				
हटाई गई कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान लेन-देन	31 मार्च, 2022 तक बकाया शेष राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध
शून्य				

67. 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

68. "कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से 237 के संबंध में किसी भी प्रकार की व्यवस्था की योजना के लिए कोई अनुमोदन नहीं था। इसलिए व्यवस्था की योजना और खातों की पुस्तकों में इसकी रिकॉर्डिंग लागू नहीं होती है। कंपनी ने वैधानिक अवधि के भीतर आरओसी के साथ शुल्क पंजीकृत किया है।"

69. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई पैसा उधार नहीं लिया है या उधार नहीं दिया है। इसलिए उधार ली गई राशि के उपयोग की स्थिति का खुलासा लागू नहीं होता है

70. वित्तीय विवरणों में राशि प्रति शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा बताए अनुसार लाख रुपये (दो दशमलव तक) में प्रस्तुत की जाती है। कुछ छोटी राशियाँ लाख रुपये में पूर्णांकित होने के कारण वित्तीय विवरणों में दिखाई नहीं दे सकती हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है। डेटा का पुनः समूहीकरण/पुनर्व्यवस्थित करना केवल वित्तीय विवरणों में प्रस्तुति के विशिष्ट उद्देश्य के लिए है और एसटीसी की कानूनी स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। एसटीसी लागू कानूनों के तहत अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखता है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते पीवीएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 005223सी

हस्ता/-
(सीए रुचि अग्रवाल)
साझेदार एम. नं. 504134

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28.05.2024

हस्ता/-
(के.के. गुप्ता)
निदेशक वित्त -एमएमटीसी
एसटीसी का अतिरिक्त प्रभार,
डीआईएन -08751137

हस्ता/-
(विपिन त्रिपाठी)
कंपनी सचिव
एसीएस -29378

हस्ता/-
(एस.के. चावला)
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएन-09400987

हस्ता/-
(बी.एस. राव)
सीएफओ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
क.	**विशेषक राय का आधार**	
1	**बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ** *i.* समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 4(ए) का संदर्भ लें, निम्नलिखित संपत्तियों के संबंध में समूह के नाम पर स्वामित्व विलेख उपलब्ध नहीं है: *क)* लीजहोल्ड बिल्डिंग *i.* जवाहर व्यापार भवन में लीजहोल्ड भूमि जिसकी कीमत **55,929 लाख रुपये है।** *ii.* अरबिंदो मार्ग स्थित हाउसिंग कॉलोनी में लीजहोल्ड भूमि, जिसकी कीमत 12,394 लाख रुपये है। *iii.* मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट, कीमत 11.67 लाख रुपये है। *ख)* फ्रीहोल्ड बिल्डिंग *i.* एशियाई खेल गांव परिसर में डीडीए द्वारा 2720 लाख रुपये की लागत से 8 आवासीय फ्लैट आवंटित किए गए। *ii.* मुंबई के विभिन्न स्थानों पर 7 अपार्टमेंट, जिनकी कीमत 1918 लाख रुपये है इसके अलावा, मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में प्लॉट की लीज़ अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है और ज़मीन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी गई है। दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर सर्टिफिकेट निष्पादित किया गया है। लेकिन इसे अभी भी बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार, बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्ति को 11.67 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है। इसका लाभ और हानि खाते के विवरण पर भी परिणामी प्रभाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभ को **11.67 लाख रुपये** से अधिक दिखाया जाएगा। इसके अलावा मैलेट बंदर में स्थापित 14.84 लाख रुपए की लागत वाले फार्म टैंक भी जहां है वहीं के आधार पर सौंप दिए गए हैं। दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसके लिए कोई डेबिट नोट जारी नहीं किया है और इस प्रकार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को **14.84 लाख रुपए** से अधिक बताया जा रहा है। इसके अलावा, समूह ने दिनांक 31.03.2024 तक समाप्त अवधि के लिए इंड एएस 116 के अनुसार लीजहोल्ड परिसंपत्तियों के मूल्य का परिशोधन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया गया है और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का समूह से पूर्ण डेटा के अभाव में आकलन नहीं किया जा सका।	क) लीजहोल्ड पुरानी बिल्डिंग (i और ii) समझौता ज्ञापन (एमओए) उपलब्ध हैं। लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है। एलएंडडीओ और डीडीए को कुछ बकाया धनराशि देय है। एमओसीएंडआई के निर्देशों के तहत इसे निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, एमओसीएंडआई भी इस मामले को सीधे एलएंडडीओ के साथ उठा रहा है। एक बार निष्पादित होने के बाद शीर्षक विलेख उपलब्ध कराए जाएंगे। iii. लीजहोल्ड भूमि में मैलेट बंदर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (जहां एसटीसी का टैंक फार्म इंस्टॉलेशन है) में एक प्लॉट शामिल है, जिसके लिए लीज अवधि समाप्त हो गई है और दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर सर्टिफिकेट निष्पादित किया गया है। मैलेट बंदर में स्थापित टैंकों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है और परिसंपत्तियों को इस समझ के साथ सौंप दिया गया है कि उनका मूल्य समायोजित किया जाएगा और एसटीसी को भुगतान किया जाएगा। इसलिए, ऐसे मूल्यांकन के आने पर उचित उपचार किया जाएगा। ख) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग i. डीडीए से आवंटन पत्र उपलब्ध हैं। ii. रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत मुहर लगी प्रमाणित सत्य प्रतियां उपलब्ध हैं। एसटीसी के पास एमबीपीटी से संबंधित मैलेट बंदर में एक भूखंड का पट्टा था, जो दिनांक 17.10.2016 को समाप्त हो गया था। एसटीसी ने शुरू में पट्टे के विस्तार की मांग की, लेकिन बाद में गैर-व्यवहार्यता और व्यापार गतिविधियों को रोकने के निर्णय के कारण भूखंडों को आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। इसके बाद, उक्त भूखंड को सरेंडर कर दिया गया और दिनांक 12.11.2021 को सरेंडर प्रमाण पत्र निष्पादित किया गया। एमबीपीटी ने माननीय संपदा अधिकारी के समक्ष एसटीसी के खिलाफ दो मामले दायर किए थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बैठक के बाद उन्हें वापस ले लिया गया था, और लंबित मुद्दों/विवादों (यदि कोई हो) को एएमआरसीडी तंत्र के प्रावधानों के तहत फिर से सुलझाया जाएगा। मैलेट बंदर में स्थापित एमबीपीटी को सौंपी गई परिसंपत्तियों का एमबीपीटी द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, और फार्मों, मशीनरी वे लीव, पाइपलाइनों और अन्य संपत्तियों के मूल्य को एसटीसी के बकाया देय धनराशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा। एसटीसी नियमित रूप से एमबीपीटी से मूल्यांकन पर अद्यतन जानकारी मांग रहा है। कानूनी सलाहकार और जीएसटी सलाहकार की राय के अनुसार, एसटीसी अंतर किराया यानी एसटीसी द्वारा पट्टे की अवधि से परे कब्जे के उपयोग के लिए मुआवजे के खिलाफ भुगतान की गई धनराशि के समायोजन के बाद प्रति माह 9.20 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो कि दिनांक 30.07.1984 के पट्टा समझौते के खंड संख्या 24 के अनुसार लागू जीएसटी के साथ है। एमबीपीटी के साथ सुलह लंबित है। तदनुसार, सुलह के बाद उचित उपचार किया जाएगा।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	ii. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए तथा एशियाई खेलों के दौरान सड़क चौड़ीकरण के लिए एलएंडडीओ द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों के साथ-साथ समूह द्वारा भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) को अपनी आवासीय कॉलोनी के लिए बेचे गए फ्लैट/भूमि क्षेत्र के विरुद्ध स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में मूल्य/क्षेत्र का समायोजन न किए जाने के लिए नोट संख्या 4 देखें। प्रबंधन डीएमआरसी तथा संबंधित विभागों के साथ पत्राचार कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का बढ़ा-चढ़ाकर विवरण दिया गया और परिणामस्वरूप समूह के लाभ पर प्रभाव पड़ा, जिसकी धनराशि का आकलन समूह से प्राप्त पूर्ण आंकड़ों के अभाव में नहीं किया जा सका।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया जा रहा है। एल एंड डीओ द्वारा एसटीसी को (जवाहर व्यापार भवन) टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित कुल लीजहोल्ड भूमि में से 325.685 वर्ग मीटर भूमि एनडीएमसी द्वारा एशियाई खेलों के दौरान सड़कों को चौड़ा करने के लिए ली गई तथा 388.91 वर्ग मीटर भूमि डीएमआरसी द्वारा मेट्रो/मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए ली गई। कंपनी ने दोनों क्षेत्रों में कमी के लिए एल एंड डीओ के साथ मामला उठाया है तथा मामले में अंतिम परिणाम आने के बाद इसके क्षेत्र और मूल्य के संबंध में रिकॉर्ड को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर/अनुसूची में अद्यतन किया जाएगा। इस संबंध में एल एंड डीओ के साथ नियमित आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। एसटीसी के बोर्ड के दिनांक 31.01.1975 के निर्णय के अनुसार, 64 फ्लैट एचएचईसी को बेचे गए। आवश्यक लेखा-जोखा वर्ष 1975-76 में ही कर लिया गया था।
2	**व्यापार प्राप्य** नोट संख्या 9 के अनुसार 1,72,511.66 लाख की धनराशि के सभी व्यापार प्राप्य 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। समूह ने 65,551.17 लाख रुपये की धनराशि के खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है और 1,06,960.49 लाख रुपये की एक अन्य धनराशि को " क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" के रूप में दिखाया गया है क्योंकि यह मुकदमेबाजी के अधीन है। नोट संख्या 9 के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संबंधित लेनदारों को इन व्यापारिक प्राप्तियों की वसूली के बाद ही भुगतान किया जाएगा, हालांकि अधिकांश मामलों में समझौते त्रिपक्षीय नहीं हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई वसूली नहीं हुई है और विभिन्न मंचों पर लंबित कानूनी मामलों का कोई बड़ा अपडेट नहीं है। इस प्रकार व्यापार प्राप्य को इन व्यापार प्राप्य को वसूलने के लिए होने वाली लागत को घटाकर प्राप्त मूल्य पर नहीं बताया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक इन व्यापार प्राप्यों के लिए कोई शेष धनराशि की पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है और इसलिए हम वित्तीय विवरणों पर इसकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं, यदि कोई हो। हमारा मानना है कि 1,72,511.66 लाख रुपए धनराशि की सभी व्यापारिक प्राप्तियों को वसूली के लिए संदिग्ध मानी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये की धनराशि के संदिग्ध ऋणों के लिए कम प्रावधान हुआ है। इस प्रकार खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,06,960.49 लाख रुपये से कम बताया गया है और लाभ तथा हानि खाते के विवरण पर परिणामी प्रभाव के परिणामस्वरूप 1,06,960.49 लाख रुपये का लाभ अधिक बताया गया है। इसके अलावा मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) के मामले में, नोट संख्या 39.4, भाग संख्या 4 के तहत, जिन्होंने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें एसटीसी के विनिमय पत्र के लिए विदेशी खरीदार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार कर लिया गया। हालांकि, विदेशी खरीदारों ने निर्यात पत्र के खिलाफ भुगतान करने में चूक की और परिसमापन में चले गए। विदेशी खरीदारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52786 लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है। एक अन्य विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के बकाए के खिलाफ एसटीसी के पक्ष में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लगभग 6247 लाख रुपये का डिक्री पारित किया गया है। वर्तमान तिथि तक, आरपीएल परिसमापन में चला गया है बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी/हाई कोर्ट मुंबई के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है,	कुल प्राप्य व्यापार में से रु. 1,69,688.11 लाख रुपये शामिल हैं। 62,727.62 लाख रुपये के विवाद/मुकदमेबाजी के कारण "ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि" हो रही है। कंपनी का मानना है कि भले ही अंततः कोई धनराशि वसूल न हो पाए, लेकिन ऋण जोखिम के लिए किसी ऋण हानि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऋणदाता को कंपनी द्वारा केवल उस सीमा तक भुगतान किया जाएगा, जितनी धनराशि देनदारों से वसूल की जाएगी। इसके अलावा, यह पिछले कई वर्षों से जारी एक व्यापारिक व्यवस्था है। चूंकि एसटीसी ने पहले ही न्यायालय में अपना दावा दायर कर दिया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए न्यायालय के निर्णय के बाद आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक लेन-देन के पूरा होने के बाद व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और देयताओं के शेषों का मिलान किया जा रहा है और पार्टी के साथ खातों का निपटान किया जा रहा है। हालाँकि, मुकदमे के तहत व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के संबंध में पुष्टि इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा एसटीसी के खिलाफ किया जा सकता है। यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। व्यापार प्राप्तियों में मेसर्स रजत फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरपीएल) से विदेशी खरीदारों को फार्मा उत्पादों के निर्यात के कारण 56,844 लाख रुपये (लगभग) शामिल हैं। आरपीएल ने एसटीसी पर विनिमय पत्र जारी किए, जिन्हें विदेशी खरीदारों द्वारा एसटीसी के विनिमय पत्र की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर स्वीकार भी कर लिया गया। विदेशी खरीदारों यानी लोबेन ट्रेडिंग और मेसर्स स्वीटलैंड ने निर्यात बिलों के भुगतान में चूक की। विदेशी खरीददारों में से एक यानी लोबेन ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के परिसमापक द्वारा 52,786 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया गया है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	जिसमें एसटीसी को भी 47647 लाख रुपये का दावा करते हुए मामले में एक पक्ष बनाया गया है। आरपीएल के अलावा अन्य मामलों के लिए नोट संख्या 39 का भी संदर्भ लें, क्योंकि ये सभी मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं और/या सीबीआई की जांच के अधीन हैं और हम वित्तीय विवरणों पर उनकी वास्तविकता और प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा विदेशी खरीदार यानी स्वीटलैंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से बकाया राशि के विरुद्ध एसटीसी के पक्ष में 6,247 लाख रुपये का आदेश पारित किया गया है। वर्तमान तिथि तक, आरपीएल परिसमापन में चला गया है और माननीय उच्च न्यायालय मुंबई द्वारा आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया गया है। मामले की जांच सीबीआई द्वारा भी की जा रही है। चूंकि यह एक के बाद एक लेन-देन था और इसमें एसटीसी का पैसा शामिल नहीं था, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने डीआरटी के समक्ष आरपीएल के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर किया है, जिसमें एसटीसी को भी मामले में एक पक्ष बनाते हुए 47,647 लाख रुपये का दावा किया गया है, जिसका एसटीसी पर्याप्त रूप से बचाव कर रहा है।
3	**विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियां** वर्तमान में, लेखा बही के अनुसार, इसके विदेशी खरीदारों से 3,149.35 लाख अमेरिकी डॉलर और 20.90 लाख यूरो प्राप्त होने हैं और इसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को 41.49 लाख अमेरिकी डॉलर और 0.04 लाख पाउंड देय हैं। संक्षेप में, एसटीसी के वित्तीय मामलों में विदेशी खरीदार और लेनदार हैं जिनका वित्त वर्ष 2023-24 में पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है। इस प्रकार, ग्रुप ने अधिकांश मामलों में विदेशी मुद्रा प्राप्य और देय धनराशियों का की अग्रणीत धनराशियों का पुनर्मूल्यांकन न करके भारतीय लेखा मानक 21 (विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में) का अनुपालन नहीं किया है, जो मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं। इसलिए, हम वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। कंपनी ने तुलन-पत्र की तिथि पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में भारतीय लेखा मानक 21 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालाँकि, यह मुकदमेबाजी के मामलों से संबंधित है और पिछले वर्षों में पूरी तरह से प्रदान किया गया था और अग्रणीत धनराशियों विवाद में है। कंपनी ने प्राप्य और देय दोनों के लिए ऐसे बकाया शेष के लिए कानूनी मामले दायर किए हैं।
4	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)** नोट संख्या 12 देखें, ग्रुप के पास 1616.96 लाख रुपये का एमएटी क्रेडिट है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सीएजी लेखापरीक्षकों(ऑडिटरों) द्वारा एमएटी क्रेडिट को वापस करने का मुद्दा भी उठाया गया था। लेकिन अभी भी एमएटी क्रेडिट को वापस नहीं किया गया है और इसके परिणामस्वरूप लाभ को 1616.96 लाख रुपये और चालू परिसंपत्तियों को 1616.96 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया है।	एमएटी का क्रेडिट कंपनी द्वारा आगामी वर्ष(वर्षों) में उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है । **वित्तीय वर्ष जिसमें एमएटी क्रेडिट बनाया गया था** / **धनराशि (लाख रु. में)** 15-2014 (वित्तीय वर्ष 31.03.2025 तक ऋण उपलब्ध) / 401.08 17-2016 (वित्तीय वर्ष 31.03.2027 तक ऋण उपलब्ध) / 758.82 18-2017 (वित्तीय वर्ष 31.03.2028 तक ऋण उपलब्ध) / 187.91 24-2023 (वित्तीय वर्ष 31.03.2039 तक ऋण उपलब्ध) / 269.15 **कुल** / **1,616.96** आयकर अधिनियम, 1961 के सामान्य प्रावधानों के अनुसार 1616.96 लाख रुपये के एमएटी क्रेडिट को कर देयता के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, जो आने वाले वर्षों में बढ़ी हुई किराये की आय और लंबित ओटीएस के कारण उत्पन्न हो सकती है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
5	**अन्य चालू परिसंपत्तियां** i. नोट संख्या 14 देखें - "शुल्कों और करों के संबंध में गैर-प्रावधान के लिए अन्य चालू परिसंपत्तियां, सीएसटी (कोयला) की धनराशि 6.89 लाख रुपये है जो कि वसूली योग्य नहीं है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।" ii. नोट संख्या 11 देखें- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां - वसूली योग्य दावे : 3 वर्षों से अधिक समय से वसूली योग्य दावों के संबंध में प्रावधान न करने के लिए, जिसकी धनराशि रु. 3152.94 लाख है, जहां समूह के प्रबंधन द्वारा कोई वर्तमान स्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है और अभी भी बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। यह भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन है क्योंकि क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इन सभी चालू परिसंपत्तियों को प्राप्ति मूल्यों के बजाय उनकी अग्रणीत धनराशि पर दर्शाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को रु. 3152.94 लाख और लाभ को रु. 3152.94 लाख तक अधिक दिखाया गया है।	यह मामला वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 6.89 लाख रुपये के बिक्री कर (सीएसटी-कोयला) रिफंड धनराशि से संबंधित है, बिक्री कर विभाग द्वारा वर्ष 2015 में अंतिम मूल्यांकन पर रिफंड का आदेश जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरओ और सीओ अधिकारी जल्द से जल्द रिफंड के लिए बिक्री कर विभाग के साथ मामला उठाएंगे। माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में लिचेन मेटल्स के मामले में 391.99 लाख रुपये का कानूनी मामला। 289.76 लाख रुपये अल्पाइन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिनांक 29.08.2022 को डेबिट की गई धनराशि से संबंधित है और मामला मुकदमेबाजी में है। एनडीओएच 09.09.2024 है। विभिन्न न्यायालयों में 2466.67 लाख रुपये के कानूनी मामले लंबित हैं।
6	**प्रावधान** भूमि एवं विकास कार्यालय - नई दिल्ली से प्राप्त कुल मांग 13,283 लाख रुपये (मार्च, 2004 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए) में से 4,743 लाख रुपये की मांग का प्रावधान न करने के लिए नोट संख्या 38 देखें, जिसके परिणामस्वरूप लाभ में 4,743 लाख रुपये की अधिकता और देनदारियों में कमी दिखाई गई है। हालाँकि, इसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। साथ ही, समूह ने उक्त मांग धनराशि (लगभग 10% की दर से गणना की जाने वाली) पर अर्जित ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है। मामला एलएंडडीओ कार्यालय के साथ पत्राचार में है और खातों में वर्ष 2023-24 के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	एल एंड डी ओ द्वारा अपने पत्र संख्या एल एंड डीडीओ/एलएस2ए/9225/133 दिनांक 26 मार्च, 2018 के माध्यम से 2004-05 से लीज डीड की विभिन्न शर्तों का पालन न करने (एसटीसी द्वारा अपने किरायेदारों से प्राप्त सकल किराये का 25% जमा न करने सहित) के लिए 132.83 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी ने मांग पर विवाद किया है और मामला अभी तक सुलझा नहीं है। सीएजी ऑडिट के अवलोकन पर, 8,540 लाख रुपये की फर्म देयता दर्ज की गई है। आज की तिथि तक अद्यतन मांग प्राप्त करने के उद्देश्य से एसटीसी ने दिनांक 18.05.2022 को एल एंड डी ओ से संपर्क किया, जिसमें एल एंड डी ओ द्वारा सूचित किया गया कि इस तरह की मांग बढ़ाने के संबंध में मूल्यांकन के उनके अपने पैरामीटर हैं। इसके अलावा वाणिज्य विभाग ने भी अपने पत्र दिनांक 09.02.2024 के माध्यम से एल एंड डीओ के साथ इस मुद्दे को उठाया है। इस संबंध में एल एंड डीओ से जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एसटीसी जेवीबी के लिए एल एंड डीओ और हाउसिंग कॉलोनी के लिए डीडीए के साथ लगातार संपर्क में है। यदि आगे कोई मांग आती है तो आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
7	**व्यापार देयताएं** नोट संख्या 21 देखें, 1,11,886.89 लाख रुपये की सभी व्यापार देयताएं बिना किसी शेष धनराशि की पुष्टि के हैं और 3 वित्तीय वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं। इन पार्टियों को कोई धनराशि देय नहीं है क्योंकि ये आपूर्तिकर्ता हैं जिन्होंने एसटीसी के साथ कानूनी समझौता किया है जिसके तहत जब तक खरीदार से धनराशि वसूल नहीं हो जाती, तब तक उन्हें कोई धनराशि देय नहीं है। इस प्रकार, प्रबंधन ने इन व्यापार देयताओं के लिए कोई उपचार नहीं दिया है और इस सीमा तक, देनदारियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। प्रत्येक लेनदेन के पूरा होने के बाद व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और देनदारियों के शेष का मिलान किया जा रहा है और पार्टी के साथ खातों का निपटान किया जा रहा है। हालाँकि, मुकदमे के तहत व्यापार प्राप्य और व्यापार देय के संबंध में पुष्टि इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग दूसरे पक्ष द्वारा एसटीसी के खिलाफ किया जा सकता है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
8	**सांविधिक बकाया** ***जीएसटी*** नोट संख्या 14 देखें, 31 मार्च, 2024 तक समूह द्वारा जीएसटी इनपुट प्राप्य और देय शेष धनराशि का मिलान नहीं किया गया है। जीएसटी इनपुट 64.73 लाख रुपये - दावा योग्य नहीं है लेकिन कोई प्रावधान नहीं किया गया है। समूह का लाभ उसी धनराशि से अधिक दिखाया गया है।	क्यू-1 के दौरान आरओ-वार जीएसटी इनपुट का अप्रत्यक्ष कर प्रकोष्ठ शुद्ध और जीएसटी पोर्टल के साथ सामंजस्य प्रक्रियाधीन है। अधिकांश जीएसटी इनपुट शेष शाखाओं से संबंधित हैं और दिसंबर, 2020 के दौरान शाखाओं के बंद होने पर शेष धनराशि सीओ को हस्तांतरित कर दी गई थी।
	स्रोत पर कर कटौती आयकर रिटर्न जमा करते समय काटे गए टीडीएस का मिलान फॉर्म 26एएस के साथ किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट की तिथि तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। सुधार विवरण प्रस्तुत करने के लिए लंबित 8.89 लाख रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।	इस मामले को प्रत्यक्ष कर सलाहकार के समक्ष उठाया गया है। तथा दिनांक 15.07.2024 को 4.42 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष धनराशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।
9	***अन्य अवलोकन*** i. नोट संख्या 24 देखें, ग्राहक द्वारा जमा की गई धनराशि में उत्तर प्रदेश सरकार को देय 603 लाख रुपये शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कई अन्य दावे किए हैं और तदनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से 3382.23 लाख रुपये की बकाया धनराशि वसूली योग्य है, जिसके लिए 10 मार्च, 2014 को डेबिट नोट जारी किया गया था। हालाँकि, उक्त दावे को आज तक समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि इसका अंतिम संग्रह निश्चित नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उक्त दावे की स्वीकार्यता के बारे में जानकारी के अभाव में, हम समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर इसके संभावित प्रभाव, यदि कोई हो, का पता लगाने में असमर्थ हैं।	यह अवलोकन पिछले वर्षों से दोहराया गया है। यू.पी सरकार को देय 603 लाख रुपए की धनराशि यूपीजीईडब्लूसी से बकाया दावों के विरुद्ध समायोज्य है, जो (i) आयात मूल्य के अंतर और 9555.285 मीट्रिक टन लेमन तुअर की जोखिम बिक्री पर प्राप्त धनराशि और (ii) ब्याज एवं वहन शुल्क के कारण है, जो 3,911 लाख रुपए है, जो विवाद में है और आकस्मिक परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, एसटीसी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वसूली के मामले पर लगातार काम कर रहा है और अब एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से अपने विवाद के समाधान के लिए दिनांक 28.01.2022 को अपनी याचिका दायर की है। यूपीजीईडब्ल्यूसी ने अपने दिनांक 20.12.2023 और दिनांक 17.02.2024 के पत्रों के माध्यम से एसटीसी के दावे के संबंध में उनके तैयार किए गए प्रारूप के अनुसार कुछ विवरणों का अनुरोध किया था, जिसे एसटीसी ने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। एएस एंड एफए, डीओसी द्वारा दिनांक 18.01.2024 को भी इस मामले की समीक्षा की गई थी। निर्देशों के अनुरूप, एसटीसी नियमित रूप से यूपीजीईडब्ल्यूसी के साथ संपर्क बनाए हुए है और एसटीसी के दावे पर उनका जवाब/फीडबैक मांग रहा है, ताकि मामले को एएमआरसीडी के समक्ष आगे बढ़ाया जा सके। यूपीजीईडब्ल्यूसी से जवाब का इंतजार है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	II. निम्नलिखित का प्रभाव पता नहीं लगाया गया है:- क. मुकदमेबाजी के मामलों और विवादों तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों तथा आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत आने वाली धनराशियों का संदर्भ लें, क्योंकि अधिकांश मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए इन मामलों में देयताओं और ब्याज दायित्व (यदि कोई हो) का परिमाणन करना संभव नहीं है। ख. मुकदमेबाजी के मामलों, उनकी वर्तमान स्थिति और प्रावधान, यदि कोई हो, की आवश्यकता और कथित अनियमितताओं की चल रही जांच के संबंध में नोट संख्या 38 का संदर्भ लें; इसके अलावा, समूह के पिछले संचालन ने इसे व्यापक मुकदमेबाजी और तीसरे पक्ष से संविदात्मक दावों के जोखिम में डाल दिया है, जिसमें मुकदमेबाजी की लागत में वृद्धि हुई है, जिसका पूरी तरह से प्रावधान नहीं किया गया है। संभावित परिणामों की सीमा, इन मामलों से निपटने वाले कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और विभिन्न दावों के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता के कारण, प्रावधान के रूप में बयानों में दर्ज की जाने वाली अंतिम देनदारियों की धनराशि, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सकता है।	चूंकि अधिकांश मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए मुकदमेबाजी के चरण में सटीक मात्रा का निर्धारण करना संभव नहीं है। हालाँकि, वित्त वर्ष -2023 24 में इसकी समीक्षा की गई है। मुकदमेबाजी/जांच आदि के तहत मामलों को आकस्मिक देयता के तहत उचित रूप से प्रकट किया जा रहा है। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसकी योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। चल रहे मुकदमे के परिणाम के आधार पर लेखा पुस्तकों में उपयुक्त उपचार किया जाएगा। तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी भौतिक परिवर्तन के मामले में, उसकी उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।
	ग. जवाहर व्यापार भवन में संपत्ति के सह-स्वामी एचएचईसी और सीसीआईसी से वसूली योग्य दावों का संदर्भ लें, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एसटीसी को अपने हिस्से का खर्च नहीं चुकाया है, जिसकी धनराशि 31 मार्च, 2024 तक 2258.98 लाख रुपये (एचएचईसी के लिए 602.59 लाख रुपये और सीसीआईसी के लिए 1656.39 लाख रुपये) है। कहा जाता है कि यह मामला एचएचईसी और सीसीआईसी के साथ पत्राचार के अधीन है।	एसटीसी लंबे समय से लंबित भुगतान की वसूली के लिए सीसीआईसी और एचएचईसी से संपर्क कर रहा है। हालांकि, बकाया भुगतान अभी भी जारी है। इस संबंध में निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति से एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से मामले को उठाने के निर्देश प्राप्त हुए। तदनुसार, एसटीसी ने अपने पत्र दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से सीसीआईसी से बकाया धनराशि की वसूली से संबंधित मामले को एएमआरसीडी तंत्र के माध्यम से समाधान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय (एमओसीएंडआई) को भेजा। इसके बाद, दिनांक 10.07.2024 को एएसएंडएफए, एमओसीएंडआई के साथ एक बैठक आयोजित की गई और एएसएंडएफए को मामले की जानकारी दी गई। मामला प्रक्रियाधीन है। एचएचईसी से वसूली के संबंध में, एचएचईसी ने दिनांक 02.02.2024 और दिनांक 06.02.2024 के पत्र(पत्रों) के माध्यम से जवाहर व्यापार भवन (जेवीबी) में 4.5% कार्यालय स्थान और एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी, मालवीय नगर, नई दिल्ली में 64 स्टाफ क्वार्टरों में क्रमशः अपने हिस्से को वापस करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो कि दिनांक 31.03.2023 तक एचएचईसी की लेखा बही के अनुसार एसटीसी को देय 10.28 करोड़ रुपये (लगभग) के बकाया के बदले में शून्य लागत पर है। मामला प्रक्रियाधीन है। सीसीआईसी के संबंध में प्राप्त निर्देश निम्नानुसार हैं: - इस मामले को एएमआरसीडी के समक्ष उठाना - एसटीसी सीसीआईसी के लिए अलग विद्त कनेक्शन का अनुरोध करेगा। - एसटीसी के शीर्ष प्रबंधन को इस मुद्दे के समाधान के लिए सीसीआईसी के शीर्ष प्रबंधन के साथ मामला उठाने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	घ. उधारी नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में समूह द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसी को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाता बैंकों ने दि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। ऋणदाता बैंकों के साथ ओटीएस (एमओटीएस) प्रस्ताव का ज्ञापन अभी भी प्रगति पर है एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 09.07.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है। उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। एमओटीएस कार्यवाही और उधार पर ब्याज देयता का प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।	कंपनी द्वारा बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान न करने के कारण एसटीसी को एनपीए घोषित कर दिया गया। ऋणदाता बैंकों ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी कार्यवाही शुरू कर दी है। एसटीसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के बजाय ऋणदाता बैंकों के साथ निपटान का वैकल्पिक तरीका अपना रहा है, ऋणदाता बैंकों को एक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो ऋणदाता बैंक के पास विचाराधीन है। इसे डीआरटी कार्यवाही में अद्यतन किया गया है और सुनवाई की अगली तिथि 19.08.2024 है। ओटीएस और डीआरटी के इस अद्यतन के बारे में एमओसीएंडआई को सूचित कर दिया गया है। उधारी 80,623.24 लाख रुपये दर्शाई गई है। ओटीएस कार्यवाही और उधार पर ब्याज देयता का प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया है।
10	**सहायक कंपनी के संबंध में (जैसा कि सहायक कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किया गया है, नीचे पुन: प्रस्तुत है):** **1. निपटान हेतु रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ** *वित्तीय विवरणों के नोटों के नोट संख्या 4 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निपटान के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों के बारे में कहा गया है। खातों के नोटों में नोट संख्या 3.1(ई) के अनुसार आगे कहा गया है कि वर्ष 2022-23 के वित्तीय विवरण प्राप्ति के आधार (गैर-चालू व्यवसाय धारणा) पर तैयार किए गए हैं और चालू परिसंपत्तियों को निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, निपटान के लिए रखी गई सभी परिसंपत्तियों को उनके अनुमानित वसूली योग्य मूल्यों पर रखा गया है। हालांकि, निपटान के लिए रखी गई सभी गैर-चालू परिसंपत्तियां यानी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वसूली योग्य मूल्य के लिए किसी भी रिपोर्ट के अभाव में दिनांक 31.03.2024 तक खाता बही के अनुसार उनके संबंधित ऐतिहासिक मूल्यों/वहन मूल्यों पर बताई गई हैं, न कि वसूली के आधार पर। यह लेखांकन नीति का गैर-अनुपालन है, और हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।* *इसके अलावा भारतीय लेखा मानक-105 की आवश्यकताओं का भी अनुपालन नहीं किया गया है* *भारतीय लेखा मानक -105 के अनुसार, "बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियां और बंद किए गए परिचालन"। इसके लिए आवश्यक है कि बिक्री के लिए रखे जाने वाले मानदंडों को पूरा करने वाली परिसंपत्तियों को अग्रणीत धनराशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर मापा जाना चाहिए और तुलन-पत्र(बैलेंस शीट) में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बंद किए गए परिचालनों के परिणाम को भी लाभ और हानि के विवरण में अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।*	कंपनी के पास कोई परिसंपत्ति नहीं है क्योंकि उसे ऋणदाता बैंकों ने अपने अधीन ले लिया है। वर्तमान में कंपनी के पास केवल कार्यालय फर्नीचर और वाहन ही हैं, जो बहुत पुराने हैं और जिनकी कीमत 84,000 रुपये(लगभग) है।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	31 मार्च, 2024 तक बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियों का कोई उचित मूल्य आकलन नहीं किया गया है । इस प्रकार ग्रुप पर लागू भारतीय लेखा मानक-105 का भी गैर-अनुपालन है। **उधारी** *नोट संख्या 20 का संदर्भ लें, बैंकों को देय ब्याज धनराशि का भुगतान करने में एसटीसीएल द्वारा चूक के मद्देनजर, एसटीसीएल को एनपीए घोषित किया गया था। ऋणदाताओं के संघ ने वर्ष 2011-12 के दौरान कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा अपने हाथ में ले लिया है और बकाया धनराशि की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही शुरू की है और कानूनी कार्यवाही डीआरटी के समक्ष लंबित है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक उधार पर देय ब्याज का हिसाब लगाया है और अन्य वित्तीय देनदारियों को उधार पर अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाया है, लेकिन देय नहीं है।* *कंपनी ने बैंकों के संघ से लिए गए कैश क्रेडिट और पैकिंग क्रेडिट एडवांस पर वित्त वर्ष 2018-19 से ब्याज नहीं दिया है, क्योंकि पिछले वर्षों में दिए गए ब्याज की तुलना में ब्याज की मौजूदा दर कम है और कंपनी को बैंकों से शेष धनराशि की पुष्टि नहीं मिली है। ब्याज का प्रावधान न किए जाने के कारण, बैंक देनदारियों में परिणामी कमी के साथ नुकसान को 72,33,91,30,982/- रुपये कम करके दिखाया गया है। हालाँकि, कंपनी ने खाता संख्या 39.3 के नोटों में उपर्युक्त धनराशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया है।*	*एसटीसीएल ने दिनांक 10.01.2019 को आयोजित 165वीं बैठक के दौरान बोर्ड के समक्ष बैंकों को देय मूल धनराशि पर ब्याज की बुकिंग बंद करने और इस प्रकार वर्ष 2018-19 से कंपनी के वार्षिक खातों में निम्नलिखित आधारों पर ब्याज का प्रावधान नहीं करने का प्रस्ताव दिया था:* *1) चूंकि बैंकों के संघ ने डीआरटी के समक्ष वसूली आवेदन दायर किया था और एसटीसीएल उसका बचाव कर रहा है, इसलिए मामला न्यायालय में विचाराधीन है और बैंकों को देय ब्याज की बुकिंग से मामले में एसटीसीएल के बचाव को कमजोर कर देगी, क्योंकि बैंक वार्षिक खातों में ब्याज हानि की बुकिंग को बैंकों को देय धनराशि स्वीकार करने के रूप में ले सकते हैं और इसे मामले में अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।* *2) एसटीसीएल ने 15-16% प्रतिवर्ष की दर से प्रावधान किया है और डीआरटी आमतौर पर ऋणदाताओं को लगभग 9 से 10% प्रतिवर्ष ब्याज की अनुमति देता है, इसलिए अब तक किये गये प्रावधान कंपनी द्वारा देय ब्याज से अधिक हो सकता है।* *3) यदि एसटीसीएल न्यायालयीन मामलों के अंतिम निपटारे पर ब्याज/देयता को बट्टे खाते में डाल देता है, तो अतिरिक्त ब्याज को आय के रूप में माना जाएगा और कंपनी से बही लाभ पर आयकर वसूला जा सकता है।* *4) चूंकि बैंकों को देय ब्याज के संबंध में बैंकों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए बैंकों को देय ब्याज की स्वैच्छिक बुकिंग पर कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा समय-समय पर आपत्ति की जाती है।* *5) यदि एसटीसीएल को डीआरटी के समक्ष बैंकों के संघ द्वारा दायर मामले में अनुकूल निर्णय प्राप्त होता है, तो कंपनी को ब्याज हानि की बुकिंग को खातों में रिवर्स करना होगा, जिससे 18.5% की दर से एमएटी लगेगा, जो कंपनी के लिए हानि होगी।* *6) डीआरटी के समक्ष बैंकों के संघ द्वारा दायर मामले में एसटीसीएल के हारने की स्थिति में, एसटीसीएल को आवेदक बैंकों को 8% से 10% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते हुए निर्णय सुनाया जा सकता है, जबकि एसटीसीएल बैंकों को देय ब्याज दरों को 14% से 15% की औसत दर पर दर्ज कर रहा था, जिससे कंपनी को अपने वार्षिक खातों में उच्च ब्याज प्रावधान हानि का पता चलता है।* *प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के बाद एसटीसीएल बोर्ड ने वर्ष 2018-19 से देय ब्याज व्यय को वार्षिक खातों में दर्ज न करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त के मद्देनजर यह तथ्यात्मक है और इसका खुलासा किया गया है।*

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	3. अन्य चालू परिसंपत्तियां *नोट संख्या 14(एफ) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, कंपनी ने 13,96,838/- रुपए के सर्विस टैक्स क्रेडिट प्राप्य और 7,91,704/- रुपए के वैट क्रेडिट प्राप्य को चालू परिसंपत्ति माना है। हालांकि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार, पहले की कर व्यवस्था के तहत संक्रमणकालीन क्रेडिट के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की समय सीमा समाप्त हो गई है। इसलिए कंपनी जीएसटी के तहत उक्त इनपुट टैक्स प्राप्य का दावा नहीं कर सकती है।*	हालांकि, तथ्यात्मक रूप से कंपनी इस मामले में कर अधिकारियों से संपर्क करेगी और मार्च, 2025 के अंत तक मामले को बंद करने की संभावनाएं तलाशेगी।
	4. व्यापार देयताएं *नोट संख्या 21 - व्यापार देयताओं पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, व्यापार देयताओं में 1,11,16,772/- रुपए की धनराशि शामिल है और इसमें किसी भी शेष धनराशि की पुष्टि नहीं की गई है तथा इसे वर्ष 2007-08 से खाता बही में दर्ज किया गया है।*	कंपनी द्वारा कानूनी/वसूली मामले शुरू किए गए हैं और व्यावसायिक सहयोगियों ने दायर मामलों को चुनौती दी है और निपटान के लिए विभिन्न न्यायिकों में लंबित हैं। इसलिए शेष धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।
	5. सांविधिक बकाया **स्रोत पर कर कटौती** *किरायेदारों द्वारा काटे गए टीडीएस के संबंध में, एसटीसीएल ने पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 26एएस में दर्शाई गई धनराशि के साथ मिलान किए गए टीडीएस का हिसाब नहीं लगाया है, जो कि 36,20,783 रुपये है।* *यह भी पाया गया कि आयकर (ट्रेसेज़) पोर्टल पर कुल 3,81,830 रुपये का टीडीएस डिफॉल्ट दिखाई दे रहा है, इस मांग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसे आकस्मिक देयता के रूप में भी नहीं दर्शाया गया है।* *चूक का वर्षवार विभाजन निम्नानुसार है: -*	कंपनी लंबे समय से लंबित दावों और प्राप्य मुद्दों को हल करने के लिए कर अधिकारियों से संपर्क करेगी और मार्च, 2025 के अंत तक मामले को बंद करने की संभावनाओं का पता लगाएगी।

टीडीएस:	खाता बही के अनुसार प्राप्य टीडीएस	टीडीएस डिफ़ॉल्ट रूप में टीआरएसीईएस पोर्टल में प्रदर्शित है
वित्तीय वर्ष 2004-05	-	-
वित्तीय वर्ष 2005-06	4,71,742	-
वित्तीय वर्ष 2006-07	3,41,727	-
वित्तीय वर्ष 2007-08	-	32,690
वित्तीय वर्ष 2008-09	-	27,820
वित्तीय वर्ष 2009-10	-	1,98,060
वित्तीय वर्ष 2010-11	4,00,095	9,120
वित्तीय वर्ष 2011-12	3,49,348	450
वित्तीय वर्ष 2012-13	6,37,865	1,470
वित्तीय वर्ष 2013-14	5,33,337	50,230
वित्तीय वर्ष 2014-15	-	4,840
वित्तीय वर्ष 2015-16	-	2,620
वित्तीय वर्ष 2016-17	1,35,595	-
वित्तीय वर्ष 2017-18	35,430	240
वित्तीय वर्ष 2018-19	29484	-
वित्तीय वर्ष 2019-20	1,15,725	4,040
वित्त वर्ष 2020-21	92,224	24,650
वित्त वर्ष 2021-22	1,12,454	25,020
वित्त वर्ष 2022-23	1,82,295	580
वित्त वर्ष 2023-24	1,83,463	-
कुल योग	**36,20,783**	**3,81,830**

इसलिए, हम टीडीएस समाधान न किए जाने से संबंधित वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	6. नकदी और बैंक बैलेंस कंपनी ने वित्तीय विवरणों में बैंक बैलेंस दिखाया है, जिसके लिए बैलेंस की सत्यता की पुष्टि करने के लिए स्टेटमेंट उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए निम्नलिखित बैंक खातों के बैलेंस बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं और इसलिए कंपनी ने ईईएफसी खाते में दिखाई देने वाले बैलेंस को भी फिर से नहीं दर्शाया है। **बैंक खाता** | **दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक बैलेंस (रु. में)** यूबीआई बोडी – 29231 | 1,00,118 सिंडिकेट बैंक- ब्याडगी -12083074973 | 3,860 इंडियन बैंक-चेन्नई-सीए-758100344 | 14,818 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया-00052-ईईएफसी | 1,03,168 कंपनी ने वित्तीय विवरणों में मार्जिन मनी को ग्रहणाधिकार के अंतर्गत दिखाया है, जिसके लिए शेष धनराशि की सत्यता की पुष्टि करने के लिए विवरण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए नीचे दी गई शेष धनराशि बैंकों से पुष्टि के अधीन हैं। **बैंक खाते** | **दिनांक 31.03.2024 तक वित्तीय विवरण में दर्शाए अनुसार बैंक शेष (रु. में)** मार्जिन FIc-60029 | 3,41,000 जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी | 49,821 जारी गारंटी पर मार्जिन-वीबी1 | 5,29,120 टीडीआर - विजया बैंक | 8,75,801 इसलिए, हम इस सावधि जमा, ईईएफसी खाता शेष, बैंक शेष(बैलेंस) और मार्जिन मनी के बारे में पूर्ण विवरण के अभाव में वित्तीय विवरण पर इसके प्रभाव पर टिप्पणी करने में सक्षम नहीं हैं।	चूंकि कंपनी के खाते को वर्ष 2009 से ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए घोषित किया गया है, इसलिए कंपनी द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, ऋणदाता बैंक इसकी पुष्टि के लिए शेष धनराशि की पुष्टि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

क्र. सं.	सांविधिक लेखापरीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का जवाब
	7. अन्य अवलोकन *1. वित्तीय विवरणों के नोट्स के नोट संख्या 55 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, व्यवसाय सहयोगी, प्रतिभूति जमा, अन्य लेनदार और ईएमडी के खातों में शेष धनराशि मुकदमेबाजी के अधीन है और पक्षों से कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।* *2. नोट संख्या 24(डी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात संवर्धन के लिए चिलीफ्लेक्स प्रोसेसिंग सेंटर-ब्याडगी के लिए 1,20,00,000/- रुपये धनराशि का अनुदान एएसआईडीई योजना के अंतर्गत वीआईटीसी (विश्वेश्वरैया औद्योगिक व्यापार केंद्र) से प्राप्त हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान छिंदवाड़ा में स्टीम स्टरलाइजेशन संयंत्र के लिए 6,29,00,000/- रुपये की सहायता अनुदान धनराशि प्राप्त हुई है। कंपनी ने जिन परिसंपत्तियों के लिए अनुदान प्राप्त किया था, उन पर डब्ल्यूडीवी पद्धति से मूल्यह्रास का परिशोधन किया है और अनुदान से उसे घटा दिया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 से कोई भी अनुदान परिशोधित नहीं किया गया है क्योंकि प्राप्त किए गए अनुदान के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का कब्जा ऋणदाताओं के संघ द्वारा ले लिया गया है।* *निपटान अथवा अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित शर्तों की अनुपलब्धता के कारण, हम कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण में अनुदान के अ-परिशोधित भाग पर रु. 1,10,09,432 के अनुसार दिए गए उपचार पर राय देने में असमर्थ हैं।*	कंपनी द्वारा कानूनी/वसूली मामले शुरू किए गए हैं और व्यावसायिक सहयोगियों ने दायर मामलों को चुनौती दी है और निपटान के लिए विभिन्न न्यायिकों में लंबित हैं। इसलिए शेष धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। बैंकों को कुल देयता ब्याज सहित रु. 45,63,55,42,366/- है, जो 2008-09 से हस्तांतरित एलसी/पैकिंग क्रेडिट के संबंध में सात बैंकों के संघ और यूको बैंक को देय है। उपर्युक्त ऋण को संघ के बैंकों और यूको बैंक द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी ने बैंकों के पक्ष में चालू परिसंपत्तियों पर परी-पासु प्रभार बनाया है और साथ ही बैंकों के पक्ष में छिंदवाड़ा (3.239 हेक्टेयर), ब्याडगी (5 एकड़) में स्थित अचल संपत्ति के दस्तावेज भी सरेंडर किए हैं। सिद्धपुरा (2.20 एकड़) और मदिकेरी (0.50 एकड़) बैंकों के पक्ष मेंएसबीआई, कंसोर्टियम के प्रमुख बैंक ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया। इसके बाद एसबीआई ने दिनांक 26.10.2011 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में स्थित फैक्ट्री की जमीन और भवन पर दो कब्जे के नोटिस जारी किए। बैंक और यूको बैंक के कंसोर्टियम ने कंपनी के खिलाफ डीआरटी में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए थे, जिसमें यूको बैंक मामले के संबंध में डीआरटी ने दिनांक 29.09.2015 को 148,18,29,854.77 रुपये की वसूली के लिए आदेश पारित किया था। हालांकि, एसटीसीएल ने डीआरटी के आदेश को डीआरएटी, चेन्नई में चुनौती दी थी और मामला प्रगति पर है। एसबीआई द्वारा शुरू की गई वसूली कार्यवाही के संबंध में मामला चेन्नई में डीआरटी के समक्ष प्रगति पर है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एंव कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-I/15(8)/वार्षिक लेखा परीक्षा/एसटीसी/
सीएफएस(2023-24)/2024-25/120-121
दिनांक: 18 JUL 2024

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
जवाहर व्यापार भवन, तोल्स्टोय मार्ग,
नई दिल्ली-110 001

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

एस.आ पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

दूरभाष / Phone : + 91-11-23702357, फैक्स / Fax : +91-11-23702359, Email : pdaica@cag.gov.in

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कहा गया है कि यह उनके द्वारा 28 मई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक आपूर्ति लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

(एस. आह्लादिनी पंडा)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

(उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य)

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 जुलाई 2024

लाभांश वितरण नीति

क. पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 43ए के अनुसार, इसके अंतर्गत बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को गणना की गई) के आधार पर शीर्ष हज़ार सूचीबद्ध संस्थाओं को लाभांश वितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता होती है, जिसका प्रकटीकरण उनकी वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट पर किया जाएगा, एसटीसी की लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है।

बोर्ड की सिफारिश के आधार पर शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में लाभांश की घोषणा की जाती है। बोर्ड अपने विवेकानुसार शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश/अंतरिम लाभांश की सिफारिश कर सकता है।

ख. नीति रूपरेखा

नीति को मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है तथा इसमें निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, सेबी द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशा-निर्देशों पर लागू सीमा तक अन्य दिशा-निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है।

ग. नीति का उद्देश्य और दायरा

लाभांश भुगतान के संबंध में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह कंपनी की जीविका और विकास योजनाओं के लिए आंतरिक स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता के साथ शेयरधारकों के बीच वितरित किए जाने वाले लाभ की धनराशि को संतुलित करता है।

इसलिए, इस नीति का उद्देश्य लाभांश / अंतरिम लाभांश की घोषणा करने अथवा सिफारिश करने से पहले कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विचार किए जाने वाले पैरामीटर को स्थापित करना है।

यह नीति कंपनी के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि बनाए रखने के बाद अपने लाभ का एक हिस्सा शेयर करके अपने शेयरधारकों को पुरस्कृत करने की कंपनी की मंशा को दर्शाती है। कंपनी आंतरिक नकदी स्रोतों से दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों को पूरा करने की कंपनी की नीति को ध्यान में रखते हुए संधारणीय लाभांश का भुगतान करने का प्रयास करेगी।

घ. ऐसी परिस्थितियाँ जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं

आमतौर पर, बोर्ड भविष्य की पूंजीगत व्यय योजनाओं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाने की लागत, नकदी प्रवाह की स्थिति और लाभांश पर कर सहित लागू करों, लाभांश के लिए कोई भी सिफारिश करने से पहले सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों जैसे मापदंडों पर विचार करेगा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगा।

ङ. लाभांश घोषित करते समय विचार किये जाने वाले वित्तीय पैरामीटर

एसटीसी, एक सीपीएसई, दिनांक 27.05.2016 को डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी "केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशा-निर्देश के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करता है, जो प्रत्येक सीपीएसई को पीएटी का 30% अथवा नेटवर्थ का 5% न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करने का आदेश देता है, जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत स्वीकार्य अधिकतम लाभांश के अधीन है।

तथापि, कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य लाभांश का भुगतान करे जिसके तहत इसकी स्थापना की गई है, जब तक कि प्रस्तावित कम लाभांश का भुगतान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के स्तर पर निम्नलिखित वित्तीय मानदंडों पर विचार करने के पश्चात मामले दर मामले आधार पर उचित न हो:

(i) निवल संपत्ति और उधार लेने की क्षमता;

(ii) दीर्घकालिक उधार;

(iii) सीएपीईएक्स/व्यवसाय विस्तार की जरूरतें;

(iv) सीएपीईएक्स जरूरतों के अनुरूप आगे लाभ उठाने के लिए लाभ को बनाए रखना; और

(v) नकद और बैंक बैलेंस ।

च. लाभांश की घोषणा के लिए विचार किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य कारक:

लाभ और प्रस्तावित पूंजीगत व्यय जैसे उपर्युक्त पैरामीटर के अतिरिक्त, लाभांश भुगतान या लाभ को बनाए रखने का निर्णय भी निम्नलिखित आंतरिक और बाह्य कारकों/पैरामीटर पर आधारित होगा:

आंतरिक कारक

कंपनी विभिन्न आंतरिक कारकों पर विचार करेगी, जैसे कि नेटवर्थ, मौजूदा व्यवसायों की वर्तमान और भविष्य की पूंजी आवश्यकताएं, कंपनी की सहायक कंपनियों/सहयोगियों में अतिरिक्त निवेश और बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारक।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को पीएटी का 30% या नेटवर्थ का 5% न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना होगा, जो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम स्वीकार्य लाभांश के अधीन हो।। सरकारी कंपनी होने के नाते, एसटीसी को इन दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

बाहरी कारक

कंपनी विभिन्न बाह्य कारकों पर विचार करेगी, जैसे कि आर्थिक वातावरण और लाभांश की घोषणा के लिए सांविधिक प्रावधान और दिशानिर्देश, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं।

कंपनी, अनिश्चित अथवा मंदी की आर्थिक और व्यावसायिक स्थितियों के मामले में, कंपनी भविष्य में होने वाली गिरावट को झेलने के लिए मुनाफे का बड़ा हिस्सा रिजर्व रखने के लिए प्रयास करेगी।

कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में कंपनी अधिनियम द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी लाभांश घोषणा के संबंध में भारत सरकार अथवा किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों पर भी विचार करेगी।

छ. प्रतिधारित आय का उपयोग

प्रतिधारित आय का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी की विकास संभावनाओं के लिए किया जाएगा शेयरधारक निधि को अधिकतम किया जा सके। प्रतिधारित आय के उपयोग के लिए कंपनी निम्नलिखित कारकों का ध्यान रखेगी :

(I) कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं ।

(II) विविधीकरण के अवसर।

(III) बोनस, बाय-बैक आदि जारी करने के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देश।

(IV) कोई अन्य मानदंड जिसे निदेशक मंडल उचित समझें ।

ज. विभिन्न श्रेणियों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर :

रिकॉर्ड तिथि के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के धारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। चूंकि कंपनी ने समान वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी जारी की है, इसलिए कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर समान लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। किसी भी नए श्रेणी के शेयरों को जारी करने के समय नीति की प्रकृति और दिशा-निर्देशों के आधार पर उचित रूप से समीक्षा की जाएगी।

झ. अन्य प्रावधान

यदि किसी सांविधिक अधिनियम, नियम, विनियम आदि में कोई ऐसा परिवर्तन होता है, जो इस नीति के किसी प्रावधान को उनके साथ असंगत बनाता है, तो सांविधिक अधिनियम, नियम, विनियम इत्यादि के प्रावधान नीति पर प्रभावी होंगे।

सीएमडी/कार्यात्मक निदेशक नीति में किसी भी छोटे संशोधन/विचलन को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत हैं और इस नीति के संबंध में किसी भी व्याख्या के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

****

प्रतिनिधि कार्यालय

आगरा
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भरतपुर हाउस, सिविल लाइंस, अंजना सिनेमा के पास,
एमजी रोड, आगरा - 282002, भारत.
फोन: +91-562-2521224, 2529212
फैक्स: +91-562-2850622
ई-मेल: agra@stclimited.co.in

अहमदाबाद
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
फ्लैट नंबर 702, हरिदर्शन अपार्टमेंट,
परिमल अंडर ब्रिज के पास , पालडी ,
अहमदाबाद, गुजरात-380007, भारत।
फोन: +91 9904705704
ई-मेल: ahmedabad@stclimited.co.in

भोपाल
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ए-ब्लॉक, तीसरी मंजिल चेतक कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन -II,
भोपाल- 462011, भारत।

बेंगलुरु
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"एसटीसी ट्रेड सेंटर", 6 वीं मंजिल, नंबर 7/ए, नंदनी लेआउट,
बैंगलोर-560096, भारत।
ई-मेल: Bangalore@stclimited.co.in

कोचीन
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
फ्लैट नंबर 402, ब्लॉक III, ईस्टलैंड एन्क्लेव एलामकुलम ,
कोचीन- 682020, भारत।
ई-मेल: cochin@stclimited.co.in

चेन्नई
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
"एसटीसी ट्रेड सेंटर", ए-29, त्रिवेंद्रम औद्योगिक एस्टेट, गिंडी,
चेन्नई-600032, भारत।
ई-मेल: chennai@stclimited.co.in

हैदराबाद
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
607/ए, 6 वीं मंजिल, राघव रत्न टावर्स (नॉर्थ ब्लॉक), फतेह मैदान
लेन, महेश नगर कॉलोनी,
एबिड्स , नामपल्ली , हैदराबाद-500001, तेलंगाना भारत।
ई-मेल: Bangalore@stclimited.co.in

जालंधर
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ए-6, स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल गुड्स कॉम्प्लेक्स कपूरथला रोड,
जालंधर , पंजाब - 144021, भारत।
फ़ोन: +91 181 2651110
ई-मेल: jandhar@stclimited.co.in

कोलकाता
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
गीतांजलि अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 9ए, 9 वीं मंजिल, 8-बी मिडलटन
स्ट्रीट, कोलकाता- 700071, भारत।
फ़ोन: +91 33 29730622
ई-मेल: kolkata@stclimited.co.in

मुंबई
दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
यूनिट नं.108, बी. विंग, प्रथम तल , क्लासिक सेंटर प्रीमाइसेज
को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,
26 महल इंडस्ट्रियल स्टेट, एसबीआई के सामने, महाकाली केव्स
रोड, पेपर बॉक्स रोड, अंधेरी ईस्ट,
मुंबई - 400093, भारत।
फ़ोन: 09967360919
ई-मेल: mumbai@stclimited.co.in

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का एक उद्यम

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय

(सीआईएनः L74899DL1956GOI002674)

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली–110001

टेलीफ़ोनः 011–23313177, **फ़ैक्स** : 011–23701123, 23701191

ई–मेलः co@stclimited.co.in **वेबसाइटः** www.stclimited.co.in

Designed and Printed by Isha Advertising Pvt. Ltd.